

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE
-------------------	----------	-----------

राजस्थान
में
किसान एवं आदिवासी आन्दोलन

डॉ० वृज किशोर शर्मा
सह-आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
इतिहास विभाग
कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राज०)



राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर

मानव ससाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय
ग्रन्थ-निर्माण योजना के अन्तर्गत, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
द्वारा प्रकाशित।

प्रथम संस्करण : 2001

राजस्थान में किसान एवं आदिवासी आन्दोलन

ISBN 81-7137-362-3

मूल्य : 75 00 रुपये मात्र

©मर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन

प्रकाशक :

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

प्लॉट न. 1, झालाना सास्थानिक क्षेत्र,

जयपुर-302 004

लेजर कम्पाजिंग :

नीलकमल कॉमर्शियल इन्स्टीट्यूट

जयपुर

मुद्रक :

प्रिन्ट 'ओ' लेण्ड,

जयपुर

प्रकाशकीय भूमिका

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी अपनी स्थापना के 31 वर्ष पूरे करके 15 जुलाई, 2000 को 32वें प्रवेश कर चुकी है। इस अवधि में विभिन्न विषयों में उपलब्ध उत्कृष्ट ग्रन्थों के हिन्दी अनुवाद तथा विश्वविद्यालय स्तर के मौलिक ग्रन्थों को हिन्दी में प्रकाशित कर अकादमी ने पाठकों की सेवा करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया है और इस प्रकार विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी में शिक्षण के मार्ग को सुगम बनाया है।

अकादमी की नीति हिन्दी में ऐसे ग्रन्थों का प्रकाशन करने की रही है जो विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अनुकूल हों। विश्वविद्यालय स्तर के ऐसे उत्कृष्ट मानक ग्रन्थ, जो उपयोगी होते हुए भी पुस्तक प्रकाशन की व्यावसायिकता की रौढ़ में अपना समुचित स्थान नहीं पा सकते हों, और ऐसे ग्रन्थ भी, जो अंग्रेजी की प्रतियोगिता के सामने टिक नहीं पाते हों, अकादमी प्रकाशित करती है। इस प्रकार अकादमी ज्ञान-विज्ञान के हर विषय में उन दुर्लभ मानक ग्रन्थों को प्रकाशित करती है जिनका अध्ययन कर हिन्दी के पाठक लाभान्वित ही नहीं गौरवान्वित भी हो सकें। हमें यह कहते हुए हर्ष होता है कि अकादमी ने 500 से भी अधिक ऐसे दुर्लभ और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों को प्रकाशित किया है जिनमें से एकाधिक केन्द्र, ग्रन्थों के बोर्डों एवं अन्य सारथाओं द्वारा पुरस्कृत किये गये हैं साथ ही अनेक ग्रन्थ विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा अनुरासित भी किये गये हैं।

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी को अपने स्थापना काल से ही भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय से प्रेरणा और सहयोग प्राप्त होता रहा है तथा राजस्थान सरकार ने इसके पल्लवन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अतः अकादमी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में उक्त सरकारों की भूमिका के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है।

राजस्थान में अंग्रेजी सर्वोच्चता की स्थापना के अन्तर्गत सामन्तवाद एवं उपनिवेशवाद के मध्य जो अपवित्र गठबन्धन हुआ वह किसान एवं आदिवासी समुदायों के लिए कष्टदायक बना। यहाँ के शासक व जागीरदारों का ध्येय अंग्रेज स्वामियों की खुशामद करना मात्र रह गया था। इसीलिए कृषक एवं आदिवासी भूमिहीन एवं लूट के शिकार थे। अतः 1818 में ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापना के साथ ही आदिवासियों एवं किसानों का प्रतिरोध प्रारम्भ हो गया था।

प्रस्तुत पुस्तक में 1818 से 1950 के मध्य राजस्थान में किसान एवं आदिवासी आन्दोलनों के विभिन्न पक्षों को उजागर करते हुए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सारगर्भित विवरण प्रस्तुत किया गया है।

हम पुस्तक के लेखक डॉ. बृज किशोर शर्मा समीक्षक प्रो.बी.के. बरिषा, अजमेर एवं भाया सम्पादक डॉ. सुपमा शर्मा, जयपुर के प्रति प्रदत्त सहयोग हेतु आभारी हैं।

डॉ. रीषी जोशी

उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार एवं
अध्यक्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी,
जयपुर

डॉ. आर.टी. जैनी

निदेशक,
राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ, अकादमी,
जयपुर

‘आमुरव

सामान्यजन व दलित वर्ग के इतिहास लेखन के क्षेत्र में कृषक ~~के~~ आन्दोलन अत्यधिक महत्त्वपूर्ण विषय बन गए हैं। आन्दोलन को गतिशीलता और परिवर्तन के पर्याय के रूप में परिभाषित किया जाता है। राजस्थान में किसान एवं आदिवासी आन्दोलन सामाजिक गतिशीलता व परिवर्तन के वाहक रहे हैं। अतः इनके अध्ययन का महत्त्व स्वयंसिद्ध है। इतिहास की अधुनातन प्रवृत्तियों में इनके लेखन पर विशेष बल दिया जा रहा है। पिछले दो दशकों में राजस्थान के किसान एवं आदिवासी आन्दोलनों पर पर्याप्त लेखन हुआ है। इतिहासकारों के अतिरिक्त समाजशास्त्रियों तथा राजनीतिशास्त्रियों ने भी इस दिशा में कुछ सार्थक प्रयास किए हैं, किन्तु अभी तक राजस्थान के किसान एवं आदिवासी आन्दोलनों की एक स्थान पर समन्वित प्रस्तुति नहीं हो सकी है। वर्तमान पुस्तक इसी दिशा में एक प्रयास है।

बिना किसी अतिशयोक्ति के सुरक्षित रूप से यह कहा जा सकता है कि राजस्थान के किसान एवं आदिवासी आन्दोलन ब्रिटिश भारत के जन आन्दोलनों की तुलना में किसी भी तरह कमजोर नहीं थे। इसके उपरान्त भी अधिकार इतिहासकारों ने इन पर ध्यान ही नहीं दिया। इसका मुख्य कारण आधुनिक भारत के इतिहास के नाम पर मुख्य रूप से ब्रिटिश भारत के भू-भागों का इतिहास प्रस्तुत किया गया है। इसे हम आधुनिक भारत के इतिहास लेखन की विसंगति ही कहेंगे। अब देशी रियासतों के इतिहास पर कुछ ध्यान दिया जाने लगा है। देशी रियासतों पर आधारित किसान व आदिवासी विषयक क्षेत्रीय अध्ययनों को समन्वित कर एक सम्पूर्ण इतिहास प्रस्तुत करना अभी भी अपेक्षित है। आधुनिक काल में राजस्थान का अधिकार भाग देशी रियासतों के नियंत्रण में था। केवल अजमेर-मेरवाड़ा का क्षेत्र सीधे ब्रिटिश भारत का अंग था। अतः राजस्थान के जन आन्दोलनों का अध्ययन स्वयं में एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। ‘राजस्थान में किसान एवं आदिवासी आन्दोलन’ शीर्षक से प्रस्तुत वर्तमान पुस्तक इस दिशा में एक पहल सिद्ध होगी।

राजस्थान में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना का स्वरूप अपने आपमें मिन्नता लिए हुए था। इसके अन्तर्गत परम्परागत राजनीतिक व्यवस्था व प्रशासनिक संस्थाएँ कमजोर पड़ गई थीं अथवा समाप्त हो गई थीं। भारत में अंग्रेजी उपनिवेशवाद सामन्तवाद के ऊपर फल-पूल रहा था। भारत के अधिकार भू-भागों में परम्परागत सामन्ती ढाँचे को तोड़कर नव सामन्तों को जन्म देकर उपनिवेशवाद के हित साधक सामन्तवाद को सुरक्षित रखा गया। जबकि राजस्थान में मध्यकालीन सामन्ती व्यवस्था को दिक्कत और भौंडे रूप में बनाए रखा। राजस्थान में सामन्तवाद एवं उपनिवेशवाद

के मध्य जो अपवित्र गठबन्धन हुआ उसे हम अर्द्ध-सामन्ती व अर्द्ध-औपनिवेशिक व्यवस्था के नाम से परिभाषित करते हैं। इस अप्राकृतिक और कृत्रिम व्यवस्था के नियंत्रण में किराने एव आदिवासी सबसे अधिक पीड़ित थे। बदले हुए राजनीतिक परिवेश में राजस्थान के राजा व सामन्त प्रजा के प्रति राजा के कर्तव्य को भूल गए थे। यहाँ के शासक व जागीरदारों का ध्येय अंग्रेज स्वामियों की खुशामद करना मात्र रह गया था क्योंकि उनको यह अहसास करा दिया गया था कि उनका अस्तित्व उनके स्वयं के भुजबल से न होकर अंग्रेजों की कृपा से कायम है। नई राजनीतिक रिथिति में राजस्थान के शासक व जागीरदार औपनिवेशिक स्वामियों के प्रति अपने दायित्व निर्वाहन एव अपनी अप्याशी के लिए अपनी प्रजा को लूटने लगे थे। कृषक व आदिवासी इनकी लूट का प्राथमिक शिकार थे। अतः 1818 में ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना के साथ ही आदिवासी एव किसान प्रतिरोध आरम्भ हो गया था।

यहाँ यह जानना रोचक है कि अपने प्रारम्भिक चरण में अधिकांश किसान एव आदिवासी आन्दोलन स्वस्फूर्त थे, जिन्होंने कालान्तर में एक सुसंगठित स्वरूप प्राप्त कर लिया था। 19वीं सदी में आदिवासी प्रतिरोध का स्वरूप विद्रोहात्मक था, जबकि 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध के आदिवासी आन्दोलन संगठित स्वरूप लिए हुए थे। 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध में अधिकांश किसान एव आदिवासी आन्दोलन समाज सुधार के प्रयासों की परिणति थे। वास्तव में समाज सुधार के रूप में उत्पन्न ये आन्दोलन आर्थिक व राजनीतिक संघर्ष में परिणित हो गए थे। इन आन्दोलनों में जातीय पंचायतों व सभाओं इत्यादि की महत्त्वपूर्ण भूमिका दृष्टिगोचर होती है, जिसका इस पुस्तक में यथास्थान विश्लेषण किया गया है। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय घटनाक्रमों ने इन आन्दोलनों को कैसे और कहा तक प्रभावित किया इसकी जांच पड़ताल भी इस पुस्तक में की गई है। पाठक को प्रस्तुत पुस्तक में अन्दर प्रवेश करने के पूर्व यह बताना देना भी प्रासंगिक है कि इन आन्दोलनों को स्वतन्त्रता आन्दोलन के अग के रूप में देखना उचित होगा।

अनेक राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रभाव में राजस्थान के किसान आन्दोलन 1920 के पश्चात् प्रभावी रूप से आरम्भ हुए। 1920 से 1942 की अवधि में राजस्थान सामन्त व उपनिवेशवाद विरोधी आन्दोलन का केन्द्र रहा। सबसे महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि जब 1922-30 तथा 1931-42 के मध्य ब्रिटिश भारत में कोई आन्दोलन नहीं चल रहा था तब राजस्थान में किसान व आदिवासी आन्दोलन अपने उत्कर्ष की घरम सीमा पर थे तथा साम्राज्यवादी शक्ति के लिये चुनौती बने हुए थे। 1938 तक अनेक प्रयासों के उपरान्त भी राष्ट्रीय नेतृत्व ने राजस्थान के किसान व आदिवासी तथा अन्य जन आन्दोलनों को समर्थन प्रदान नहीं किया। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति में परिवर्तन आया। इसके अनुसार कांग्रेस ने रियासतों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपने राज्य में प्रजा मण्डल संगठन बनाकर उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु संघर्ष की सलाह दी थी। 1938 के पूर्व के परिपक्व किसान

एव आदिवासी आन्दोलनों ने प्रजामण्डल आन्दोलन को राजनीतिक आधार प्रदान किया। 1938 से 1949 के दौरान किसान-आदिवासी एव प्रजामण्डल के मध्य अंतरग सम्बन्ध स्थापित हो गया था। किसान व आदिवासी जो लम्बे समय से सघर्षरत थे यह भली-भाँति अनुभव कर चुके थे कि उत्तरदाई शासन की स्थापना ही उनकी समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इन विश्लेषणात्मक व आलोचनात्मक परिपेक्ष्य में इन आन्दोलनों को देखने का प्रयास किया गया है।

यह पुस्तक मुख्यतः पुरालेखीय सामग्री पर आधारित है जो भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली तथा राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर एव इसकी शाखाओं से एकत्रित की गई है। तत्कालीन समाचार पत्र एव पत्रिकाओं में प्राप्त सूचनाओं का उपयोग भी इस पुस्तक लेखन में किया गया है। इनके अतिरिक्त प्रकाशित सामग्री जैसे गजेटिअर्स सैटिलमेन्ट रिपोर्ट फेमिन रिपोर्ट जागीरदारी इन्व्वाइरी रिपोर्ट विभिन्न राज्यों के गजट, किसान सगठनों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएँ व बुलेटिन इत्यादि का उपयोग इस पुस्तक में पर्याप्त रूप में किया गया है। विषय पर उपलब्ध विभिन्न विद्वानों की कृतियों का भी समुचित उपयोग किया गया है।

डॉ० वृज किशोर शर्मा

सह-आचार्य एव विभागाध्यक्ष
इतिहास विभाग
कोटा खुला विरवविद्यालय
कोटा (राज०) - 324 010

विषय-सूची

अध्याय

पृष्ठ संख्या

आमुख	V
1 उन्नीसवीं सदी के आदिवासी प्रतिरोध	1
2 गेवाड़ का विजौलिया आन्दोलन	21
3 गोविन्द गिरि के नेतृत्व में भील आन्दोलन	46
4 मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आन्दोलन	71
5 मारवाड़ के किसान आन्दोलन	86
6 जयपुर राज्य में किसान आन्दोलन	115
7 बूँदी राज्य में किसान आन्दोलन	151
8 बीकानेर राज्य में किसान आन्दोलन	163
9 अलवर एवं भरतपुर राज्यों में किसान आन्दोलन	175
10 निष्कर्ष	194

अध्याय-1

उन्नीसवीं सदी के आदिवासी प्रतिरोध

राजस्थान में स्थानीय सामन्तवाद व ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मध्य अपवित्र गठबन्धन का प्रतिरोध सर्वप्रथम मेर एव भील आदिवासियों ने किया। यह एक सयोग ही था कि जनवरी, 1818 में मेवाड़ राज्य ने अंग्रेजों के साथ सन्धि की तथा इसी समय मराठों ने अजमेर प्रान्त अंग्रेजों को सौंपा। मराठों ने राजस्थान के सभी राज्यों के ऊपर अपने अधिकारों की समाप्ति को भी स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार जनवरी 1818 के पश्चात् अंग्रेजों को राजस्थान में अपने साम्राज्य विस्तार का भरपूर अवसर प्राप्त हुआ। वर्ष 1818 के अन्त तक सिरोही को छोड़कर राजस्थान के सभी राज्यों पर सन्धियों के माध्यम से अंग्रेजी सर्वोच्चता स्थापित हो चुकी थी। सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों की सन्धि 1823 में हुई। अजमेर व मेवाड़ में अंग्रेजों की प्रारम्भिक नीतियों ने आदिवासियों को नई व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह हेतु मजबूर किया। सन 1818 से आरम्भ होकर आदिवासियों के विद्रोह उन्नीसवीं सदी के अन्त तक जारी रहे। इनमें मुख्य रूप से मेर भीणा एव भील आदिवासी समुदायों ने भाग लिया था।

मेर विद्रोह (1818-1821)*

यह सयोग ही था कि भील एव मेर (रावत) विद्रोह वर्ष 1818 में आरम्भ हुए थे। मेर विद्रोह अल्पकालिक था जबकि भील विद्रोह लम्बे समय तक जारी रहे। अतः यहाँ भील विद्रोह के पूर्व काल क्रमानुसार मेर विद्रोह का उल्लेख उपयुक्त रहेगा। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि मेरों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र अंग्रेजों के आगमन के पूर्व सीधे तौर पर किसी राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण में नहीं था। मेरों द्वारा आबाद क्षेत्रों के भू-भाग मेवाड़ मारवाड़ एव अजमेर के अन्तर्गत थे, किन्तु मेरों पर इनका राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। अतः मेर कभी भी राजपूतों मुगलों व मराठों के नियंत्रण में नहीं थे। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने उन्हें अपने पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था। यही मेरों के विद्रोह का प्रमुख कारण बना। पुनः यह प्रश्न विचारणीय है कि अंग्रेज मेरों को अपने अधीन क्यों करना चाहते थे? असल में राजस्थान आगमन के पूर्व अंग्रेज पूर्वी पश्चिमी एव दक्षिणी भारत में आदिवासियों के साथ कड़े मुकाबले का अनुभव कर चुके थे। इसलिए अंग्रेजों ने राजस्थान में आदिवासियों के दमन हेतु सर्वप्रथम प्रयास किए जिसे वे अपने साम्राज्य के स्थायित्व हेतु आवश्यक समझते थे। अंग्रेजों की स्पष्ट मान्यता थी कि आदिवासियों द्वारा आबादित क्षेत्र विद्रोहियों अथवा विधि-भङ्गकों के लिए सुरक्षित शरणगाह होते हैं। अतः आदिवासी क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर अंग्रेज

विद्रोह की सम्भावनाओं को क्षीण कर देना चाहते थे। अंग्रेजों का धन लालच भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण था। अंग्रेज मेरो पर राजस्व थोपना चाहते थे वे जो उनके अंग्रेजों के समक्ष आत्म समर्पण के पश्चात् ही सम्भव था।

मेरो को अंग्रेजी राजनीतिक सत्ता व नियंत्रण में लाने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप मेरो का विद्रोह हुआ। सन् 1818 में अजमेर के अंग्रेज सुपरिन्टेन्डेन्ट एफ विल्डर ने झाक एवं अन्य गावों जो मेरवाड़ा क्षेत्र के केन्द्र बिन्दु माने जाते थे के साथ समझौता किया जिसके अनुसार मेरो ने लूट-पाट न करने की सहमति प्रदान की। यह अंग्रेजों के षड्यन्त्र का एक हिस्सा थी क्योंकि इस प्रकार के समझौते की कोई आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में अंग्रेज इस प्रकार के समझौते के माध्यम से मेरवाड़ा क्षेत्र में घुसने में सफल रहे तथा मेरो को अपने जाल में फसा लिया जिससे अंग्रेज किसी भी समय एवं किसी भी बहाने मेरो पर आक्रमण कर सके। मार्च 1819 में विल्डर ने किसी साधारण घटना को मेरो द्वारा उपरोक्त समझौते को तोड़ना सिद्ध करते हुए मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। उसने नसीरवादा से सैनिक साथ लेकर मेरो के खिलाफ दण्डात्मक अभियान आरम्भ किया। मेरो को दण्डित किया गया तथा उन पर नियमित निगरानी रखने के लिए मेरवाड़ा क्षेत्र में पुलिस चौकियाँ स्थापित कीं। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा मेरो को घेरने की नीति आरम्भ की गई। इसी प्रकार कर्नल टॉड ने मेवाड़ राज्य की ओर से मेरो के विरुद्ध इसी तरह के उपाय अपनाए। उसने भी मेरवाड़ा क्षेत्र में पुलिस थानों की एक शृंखला स्थापित की। इसके पीछे उसका उद्देश्य मेवाड़ के भू-भागों की मेरो के निरन्तर आक्रमणों से सुरक्षा थी।

उपरोक्त नीति ने मेरो के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध सदेह उत्पन्न किया, जिससे वे अशान्त होने लगे थे। अतः प्रतिक्रिया स्वरूप मेरो ने सन् 1820 के आरम्भ से ही जगह-जगह विद्रोह कर दिया तथा अपने क्षेत्रों से पुलिस चौकियों व थानों को हटाने का प्रयास किया। नवम्बर, 1820 में झाक नामक स्थान पर ब्रिटिश पुलिस के हत्याकाण्ड ने अंग्रेजों तथा साथ ही मेवाड़ व मारवाड़ राज्यों को भयभीत कर दिया था। यह मेर विद्रोह अत्यन्त व्यापक व भयानक था। मेरो ने अनेक स्थानों पर अंग्रेजी पुलिस चौकियों को जला दिया था तथा सिपाहियों को मार दिया था। बढ़ते हुए मेर विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेना की तीन बटालियनों, मेवाड़ एवं मारवाड़ की सम्युक्त सेनाओं ने मेरो पर आक्रमण किया जिसमें भारी जन-धन की हानि हुई। ये सेनाएँ जनवरी, 1821 के अन्त तक मेर विद्रोह का दमन करने में सफल रहीं।

मेरो के दमन के पश्चात् अंग्रेजों ने मेरवाड़ा के प्रशासन का मेरो से सुरक्षात्मक गठन किया और मेरो का दमन किया। मेरवाड़ा क्षेत्र क्रमशः तीन भागों ब्रिटिश, मेवाड़ एवं मारवाड़ में बटा हुआ था। कैप्टन टॉड ने, मेवाड़ महाराणा के नाम पर जहाँ यह एजेन्ट नियुक्त था मेवाड़ के हिस्से का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया, तथा एक सूबेदार नियुक्त किया, देसी बन्दूकधारी सैनिकों की एक सेना बनाई तथा राजस्व वसूल करना आरम्भ कर दिया। मारवाड़ का भाग जोधपुर दरबार ने समीपी ठाकुरों के नियंत्रण में रखा दिया तथा

शेष हिस्से का प्रबन्ध अजमेर स्थित ब्रिटिश सुपरिन्टेन्डेन्ट विल्डर के हाथों में आ गया। कुछ ही समय पश्चात् अंग्रेजों की यह समझ बनी कि उनके द्वारा प्रशासित भाग नियंत्रण में है किन्तु अन्य भागों में अव्यवस्था व्याप्त है। विल्डर तीन पक्षों के मध्य विभाजित अधिकार क्षेत्र को अप्रभावी से भी बदतर मानता था। अतः अंग्रेजों के द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र को एक ब्रिटिश अधिकारी के नियंत्रण में रखने का निर्णय लिया गया। इस अधिकारी को दीवानी व फौजदारी मामलों में पूर्ण अधिकार प्रदान किए जाने का प्रावधान रखा गया तथा इस अधिकारी के नियंत्रण में 70 सैनिक प्रति कम्पनी के हिसाब से 8 कम्पनियों की एक बटालियन मेरों में से ही भरती कर रखे जाने का निर्णय लिया। अतः 1822 में मेरों से गठित मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर मुख्यालय पर स्थापित की गई। महाराणा मेवाड़ ने मई 1823 एवं महाराजा मारवाड़ ने मार्च 1824 में मेरवाड़ा के अपने हिस्से क्रमशः दस व आठ वर्ष के लिए अंग्रेजों को सौंप दिए। दोनों ही शासक मेरवाड़ा बटालियन के खर्च हेतु 15,000/- रुपये सालाना प्रत्येक द्वारा देने पर सहमत हुए।¹⁰

लम्बे समय तक सम्पूर्ण मेरवाड़ा क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में रहा। ब्रिटिश प्रशासन उन्नीसवीं सदी के अन्त तक कठोर दमनात्मक उपायों का सहारा लेकर मेरवाड़ा में शान्ति स्थापित करने में सफल रहा। बीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में अंग्रेज मेरों में समाज सुधार गतिविधियों का प्रारम्भ कर सके। इस प्रकार अंग्रेज 1947 तक मेर विद्रोहों को नियन्त्रित करने में सफल रहे।

भील विद्रोह (1818-1860)

भील मूलतः एक शान्तिप्रिय आदिवासी समुदाय था किन्तु अंग्रेजों द्वारा किए गए परिवर्तनों ने उन्हें स्थानीय सामन्ती व ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध उपद्रवी होने के लिए विवश कर दिया था। अंग्रेजी शासन के पूर्व वे निर्बाध आदिवासी क्षेत्रों का उपयोग कर रहे थे, किन्तु अंग्रेजों की नई व्यवस्था के अन्तर्गत इन पर एक प्रशासनिक नियंत्रण दिए गए थे। इतना ही नहीं बल्कि अंग्रेजी शासन के परिणाम स्वरूप आदिवासी क्षेत्रों में बाह्य तत्वों जैसे राजस्व कर्मचारी, सूदखोर ठेकेदार, भूमि हथियाने वाले, व्यापारी, दुकानदार इत्यादि के प्रवेश ने भीलों में अनेक परेशानियाँ उत्पन्न कीं। इन नए तत्वों के प्रवेश ने भील क्षेत्रों में सामाजिक तनाव उत्पन्न कर दिया था। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश विधि के अन्तर्गत पूर्णतः निजी सम्पत्ति की अवधारणा ने सयुक्त सम्पत्ति की सुरक्षा के क्षय ने आदिवासी समाज के अन्तर्गत संघर्ष को तीव्र कर दिया था। अंग्रेजों के आगमन तक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहे थे तथा 1818 के पश्चात् उनके ऊपर स्थापित अर्धसामन्ती व अर्ध औपनिवेशिक नियंत्रण ने उन्हें विद्रोह के लिए बाध्य किया।

13 जनवरी, 1818 के मेवाड़ राज्य ने अंग्रेजों के साथ सन्धि की। इसके अनुसार राज्य के सभी बाह्य मामले अंग्रेजों के हाथों सौंप दिए गए थे। कुछ मामलों में अंग्रेजों को राज्य के आन्तरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त था। इसी प्रकार भील व गरासिया बाहुल्य राज्यों दूंगरपुर, बासवाड़ा, प्रतापगढ़ व सिरोही ने अंग्रेजों के साथ

4/राजस्थान में किसान एवं आदिवासी आन्दोलन

क्रमशः 11 दिसम्बर 1818, 25 दिसम्बर 1818 5 अक्टूबर 1818 व 11 सितम्बर 1823 को सन्धिया की।¹ इन सन्धियों ने अंग्रेजों को राज्यों के मामले में हस्तक्षेप करने हेतु अधिकृत कर दिया था एवं भील व अन्य आदिवासी समुदाय ब्रिटिश नीतियों के सर्वाधिक शिकार हुए। इन सन्धियों व परवर्ती सशोधनों समझौतों एवं कौलनामों में अनेक प्रावधान भील विरोधी थे। व्यवहारिक तौर पर अंग्रेज इन राज्यों के वास्तविक स्वामी बन गए थे क्योंकि इन राज्यों द्वारा दिए जाने वाले वार्षिक नजराने की राशि अधिकांश मामलों में निश्चित नहीं की गई थी तथा राजस्व का एक भाग अंग्रेजों द्वारा लिया जाना तय किया गया था। उदाहरणार्थ उदयपुर राज्य से सन्धि के प्रथम पांच वर्षों की अवधि के लिए इसके कुल राजस्व का 1/4 भाग प्रतिवर्ष की दर से अंग्रेजों को दिया जाना था एवं तत्पश्चात् यह राशि कुल राजस्व का 3/8 भाग दिया जाना तय किया गया था।² इससे स्पष्ट होता है कि राज्य के राजस्व में वृद्धि स्वाभाविक तौर पर कम्पनी की आय में भी वृद्धि थी तथा अंग्रेजों ने मेवाड़ राज्य के राजस्व को बढ़ाने में भरसक प्रयत्न किया। भील या तो कोई राजस्व नहीं देते थे अथवा नाम मात्र का दे रहे थे, जब उन पर नए कर थोप दिए गए थे। इस प्रकार यह 1818 में भील विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण बना, जैसा कि प्रथम भील विद्रोह उदयपुर राज्य में ही आरम्भ हुआ था। अन्य राज्यों के भीलों ने भी इन्हीं आधारों पर विद्रोह किया। इस सबके अतिरिक्त अंग्रेजों की भील व आदिवासी दमन की नीति ने आदिवासी विद्रोहों को जन्म दिया।³

1818 में उदयपुर राज्य के भीलों ने अनेक कारणों से विद्रोह किया। एक तो भीलों पर कर थोपने के अंग्रेजी प्रयासों ने भीलों में असंतोष को जन्म दिया। दूसरा, अंग्रेजों की भील दमन नीति ने भीलों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक मनोवैज्ञानिक संदेह उत्पन्न कर दिए थे। तीसरा, सन्धि के तुरन्त पश्चात् उदयपुर राज्य का आन्तरिक प्रशासन जेम्स टॉड ने अपने हाथ में ले लिया था तथा उसने भीलों पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भीलों को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। चौथा 1818 की सन्धि के पश्चात् अधिकारा देशी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। भील राज्य एवं जागीरदारों की सेना में नियमित अथवा अनियमित रूप से नियुक्त रहते थे तथा इन सेनाओं के भंग होने से उनमें असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। पांचवा, भील अपनी पाल के सागीप ही गावों से सटवाली (चौकीदारी कर) नामक कर तथा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से बोलार्ई (सुल्ता) नामक कर वसूल करते थे। जेम्स टॉड ने राज्य की आय व राजस्व में वृद्धि के प्रयासों के अन्तर्गत तथा भीलों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के ध्येय से भीलों से उनके ये अधिकार छीन लिए थे।⁴ यह भील विद्रोह का तात्कालिक कारण बना जैसाकि भीलों ने अपने इन परम्परागत अधिकारों को छोड़ने से इन्कार करते हुए अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस प्रकार उदयपुर राज्य में भील विद्रोह की ज्वाला भटकी।

उपरोक्त स्थिति का विवरण एवं अंग्रेज प्रतिवेदक ने इस प्रकार दिया है 'भील एवं गिरासिया आदिवासियों से आबधित उदयपुर के दक्षिणी व दक्षिण पश्चिमी महाडी जिले

विद्रोहों अशांति व विधिहीनता के अन्धस्त है। जब अंग्रेज पहली बार इस प्रदेश में आए तो ये मेवाड़ दरबार के साथ प्रतीकात्मक सम्बन्ध रखते थे तथा अपने मुखियों के मातहत आसपास के गावों तथा अपने क्षेत्र से गुजरने वाले माल व यात्रियों पर कर वसूल करते थे। मेवाड़ दरबार द्वारा इनके इन अधिकारों में हस्तक्षेप करने के अनेक अविवेकपूर्ण प्रयास किए गए जिनके परिणामस्वरूप विदेश होकर इन्हें विद्रोह का मार्ग अपनाना पड़ा।¹⁸

1818 के अन्त तक उदयपुर राज्य के भीलों ने यह चैतावनी देते हुए अपनी स्पष्टता घोषित कर दी कि यदि सरकार उनके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी तो वे विद्रोह के लिए बाध्य होंगे। भीलों ने अपने क्षेत्रों की नाकेबन्दी करते हुए राज्य के विरुद्ध बगावत कर दी। लम्बे समय तक राज्य के अधिकारी भील क्षेत्रों में नहीं घुस सके। कर्नल टॉड ने भीलों को शान्तिपूर्ण आत्मसमर्पण हेतु फुसलाने का प्रयास अवश्य किया था किन्तु भीलों ने इस हेतु स्पष्ट असहमति व्यक्त की। 1820 के आरम्भ में अंग्रेजी सेना का एक अभियान दल विद्रोही भीलों के दमन हेतु भेजा गया किन्तु इसे सफलता नहीं मिली।¹⁹ अंग्रेजी सेना की इस अराफलता ने भील विद्रोह को और अधिक तीव्र कर दिया था इसलिए जनवरी 1823 में ब्रिटिश व राज्य की संयुक्त सेनाओं ने दिसम्बर 1823 तक भील विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की।²⁰ मेवाड़ पहाड़ी क्षेत्रों में उपद्रवी भीलों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से एक अंग्रेजी सेना दिसम्बर 1823 में ही नियुक्त कर दी गई।²¹ यद्यपि भील विद्रोह को कुचल दिया गया था किन्तु अंग्रेज स्थायी शान्ति प्राप्त नहीं कर सके। जब कभी सेना को हटा लिया जाता था तो भील पुनः अशांति उत्पन्न कर लेते थे। अतः 1823 के सैनिक दमन के उपरान्त भी उदयपुर के भील निरन्तर अशांति उत्पन्न कर रहे थे। अतः 1823 के सैनिक दमन के उपरान्त भी उदयपुर के भील निरन्तर अशांति उत्पन्न कर रहे थे। अतः 1823 के सैनिक दमन के उपरान्त भी उदयपुर के भील निरन्तर अशांति उत्पन्न कर रहे थे। अतः 1823 के सैनिक दमन के उपरान्त भी उदयपुर के भील निरन्तर अशांति उत्पन्न कर रहे थे।

उदयपुर राज्य के भील विद्रोहों से प्रभावित होकर डूंगरपुर व बासवाड़ा राज्यों के भीलों ने भी अल्प अशांति उत्पन्न की तथा 1825 में आदिवासी विद्रोहों की शिखर हुई घटनाएँ घटी। डूंगरपुर राज्य में स्थिति अधिक गम्भीर थी। इससे भीलों के दमन हेतु अंग्रेजी सेना भेजी गई, किन्तु वास्तविक राघर्ष आरम्भ होने के पूर्व ही भील मुखियों ने 1825 में समझौता कर लिया।²² 12 मई 1825 को डूंगरपुर राज्य में भीलों ने अंग्रेजों के साथ एक समझौता किया जो भारतवर्ष में अंग्रेजों द्वारा भीलों पर थोपा गया था। इस समझौते की शर्तें निम्नानुसार थीं²³ -

- 1 हम धनुष, बाण एवं सभी हथियार सौंप देंगे।
- 2 पिछले उपद्रव के दौरान हमने जो कुछ लूट हासिल की है हम उसे लौटा देंगे।
- 3 भविष्य में हम कभी कसबों गावों अथवा सार्वजनिक मार्गों पर किसी प्रकार की लूट-मार नहीं करेंगे।
- 4 हम ब्रिटिश सरकार के किसी शत्रु अथवा घोरो लुटेरो गिरासियों अथवा ठाकुरों को अपनी पालों (गावों) में शरण नहीं देंगे चाहे वे हमारे प्रदेश के हों अथवा दूसरे के।
- 5 हम कम्पनी के आदेशों की पालना करेंगे तथा जब कभी बुलाए जाएंगे तो उपस्थित होंगे।

इस प्रकार अग्रेजों ने भीलों द्वारा अपने भाइयों को कुचलवाने की योजना तैयार की। इस प्रस्तावित सेना के माध्यम से भील क्षेत्रों में अग्रेजों की घुसपैठ आसान थी। अग्रेजों की इस योजना का अन्तिम उद्देश्य भीलों को इस प्रस्तावित सेना में रोजगार देकर उनको सन्तुष्ट करना था। वास्तव में अग्रेजों ने भीलों की समस्याओं व शिकायतों पर गम्भीरता से प्रयास किए बिना उनको सेना द्वारा कुचलने की योजना बनाई थी।

सेना द्वारा भीलों का दमन करने की दिशा में पहला कदम 1836 में जोधपुर लीजेंन नामक सेना का गठन था जिसका मुख्यालय अजमेर रखते हुए एक अग्रेज अधिकारी के कमाण्ड में रखा गया। बाद में इसका मुख्यालय जनवरी, 1837 में सिरोही राज्य के बडगाव नामक स्थान को रखा गया। इस परिवर्तन का कारण जोधपुर व सिरोही राज्यों की सीमा पर भील व मीणों पर नियंत्रण व निगरानी रखना था। 1840 में सिरोही के गावों से भीलों की एक सैनिक कम्पनी की भरती की गई जिसे जोधपुर लीजेंन के साथ जोड़ दिया गया। 18 मार्च 1842 में जोधपुर लीजेंन का मुख्यालय सिरोही राज्य में ही बडगाव से एरेनपुरा स्थानान्तरित कर दिया गया था।

इस दिशा में मुख्य प्रयास 1841 में मेवाड़ भील कॉर्पस की स्थापना था। भारत में भीलों की प्रथम सेना बम्बई प्रान्त में स्थापित हुई जिसे खानदेश भील कॉर्पस के नाम से जाना जाता था। यह अपनी स्थापना के आरम्भ 1825 से बम्बई प्रान्त में भीलों को नियंत्रण में रखने में सफल रही थी। खानदेश के अनुभव को अग्रेजों ने राजस्थान व मध्य भारत में भी लागू किया।

अग्रेजों की यह स्पष्ट धारणा थी कि भील बहुल क्षेत्रों में अग्रेज अधिकारियों की निरन्तर निगरानी के बिना स्थायी शान्ति स्थापित नहीं की जा सकती। तदनुसार 1838 में यह प्रस्ताव रखा गया कि इन जिलों में भील सेना बनाई जाए। महाराणा मेवाड़ ने इस हेतु अपनी स्वीकृति देते हुए प्रस्तावित सेना का खर्च वहन करने की सहमति प्रदान की। इस सैन्य दल का लाभ डूंगरपुर, बासवाड़ा व प्रतापगढ़ राज्यों तक भी पहुँचाना था। अतः ये तीनों राज्य भी मेवाड़ भील कॉर्पस के व्यय हेतु कुछ राशि देने के लिए सहमत हो गए थे। इस सेना का वार्षिक खर्च का अनुमान 1 20 000 रुपये था जिसमें से 50 000 रुपये उदयपुर राज्य द्वारा तथा शेष 70 000 रुपये तीन राज्यों द्वारा देना निश्चित हुआ।

मार्च, 1841 में एजेन्ट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना एव मेवाड़ व माही काठा एजेन्सियों के पॉलिटिकल एजेन्टों का एक संयुक्त प्रतिवेदन गवर्नर जनरल के पास भिजवाया गया। अप्रैल 1841 में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कॉर्पस के गठन को स्वीकृति प्रदान कर दी। मेवाड़ भील कॉर्पस का मुख्यालय उदयपुर राज्य में खैरवाड़ा रखा गया। मेवाड़ के भील क्षेत्रों में खैरवाड़ा एव कोटड़ा में दो छावनियाँ स्थापित की गईं। खैरवाड़ा के भील कॉर्पस के कमान्डेन्ट को खैरवाड़ा व कोटड़ा के भील क्षेत्रों के प्रशासन को देखने के लिए असिस्टेन्ट पॉलिटिकल एजेन्ट पदनाम दिया गया। इस प्रकार उदयपुर राज्य के भील क्षेत्रों का सामान्य प्रशासन

विद्रोह को कुचल दिया गया था।¹⁰

1850 से 1855 के मध्य कोई बड़े भील विद्रोह की घटना नहीं घटी किन्तु दिसम्बर 1855 में उदयपुर राज्य के कालीबास के भील विद्रोही हो गए थे। महाराणा ने मेहता सवाई सिंह को एक सेना लेकर 1 नवम्बर 1856 को भीलों के दमन हेतु भेजा। सेनाओं ने गावों में आग लगा दी तथा भारी सख्खा में भीलों को मौत के घाट उतार दिया गया। अनेक भीलों को जीवित गिरफ्तार कर लिया गया तथा अनेकों के सर काट दिए थे।¹¹ मेवाड़ भील कॉर्पोस छावनी से 25 से 30 मील की परिधि में भील विद्रोहों को दबाने में सक्षम थी किन्तु उदयपुर राज्य के सीधे प्रबन्ध के अन्तर्गत उदयपुर के भील क्षेत्रों में शान्ति स्थापित करना एक कठिन कार्य था। अतः 1860 तक निरन्तर छुटपुट भील विद्रोह की घटनाएँ घटती रही। 1857 के दौरान भी भील विद्रोहों की सम्भावना थी किन्तु भील इस राष्ट्रीय क्रान्ति से अनभिज्ञ थे तथा भीलों में गिरासियों व मीणों की पलटनें अग्रेजों के प्रति स्वामी भक्त रही।

मीणा विद्रोह (1851-1860)

नई व्यवस्था के प्रति अपना रोष प्रकट करने के लिए 1851 में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगने के मीणों ने अग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इस क्षेत्र की मीणा जाति पर्याप्त रूप में किसी भी राजनीतिक सत्ता से मुक्त थी केवल महाराणा मेवाड़ की प्रतीकात्मक सत्ता स्वीकार करते थे। कर्नल टॉड ने इनका जीवन्त विवरण प्रस्तुत किया है जो उपरोक्त तथ्य को सिद्ध करता है।¹² ये अग्रेज ही थे जो इस क्षेत्र पर उदयपुर राज्य का कठोर नियंत्रण स्थापित कर सके। ब्रिटिश शासित अजमेर प्रान्त के समीप स्थित इस मीणा क्षेत्र पर राज्य की सत्ता स्थापित हो सकी थी। वास्तव में अग्रेज आदिवासी समुदायों के प्रति पूर्वाग्रहों से ग्रसित थे। इसलिए अग्रेज इन लोगों के साथ बड़ी कठोरता का व्यवहार करते थे। 1820-21 में अग्रेजों द्वारा मेरों के दमन से मीणा समुदाय के लोग भली भौति परिचित थे। अतः जहाजपुर क्षेत्र के मीणा समुदाय तथा अग्रेज अधिकारियों के मध्य विरोध अस्तित्व में आया। मीणा व भीलों के विद्रोह केवल अग्रेजों के विरुद्ध ही नहीं थे बल्कि वे सम्बन्धित राज्यों के विरुद्ध भी थे जिनके माध्यम से अग्रेज अपनी नीतियों को कार्यान्वित करवा रहे थे।

महाराणा मेवाड़ ने 1851 में जहाजपुर परगने में नया हाकिम नियुक्त किया।¹³ नवनियुक्त हाकिम मेहता रघुनाथ सिंह परगने से धन कमाने में व्यस्त था। उसने अपना ध्यान मुख्य तौर पर परगने की आय में वृद्धि तथा खर्च में कमी पर केन्द्रित किया। प्रशासनिक सुधारों के नाम पर जनता से धन वसूली की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बहुसंख्यक मीणा समुदाय ने उपद्रव का रास्ता अपनाया। विद्रोही मीणों ने ना केवल राजस्व अधिकारियों व महाजनो (बनियों) को लूटा बल्कि समीप स्थित अजमेर-मेरवाड़ा के अग्रेजों के प्रान्त पर भी धाये मारे। अग्रेज अधिकारियों की शिकायतों के आधार पर महाराणा ने हाकिम का स्थानान्तरण कर मेहता अजीत सिंह को विद्रोही मीणों के दमन के कठिन कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से हाकिम नियुक्त किया। वह उदयपुर से एक सेना

का भीषण विद्रोह अन्तिम रूप से नियंत्रित हो गया था।

भील विद्रोह (1861-1900):

सत्ता पक्ष ने भीलों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें सन्तुष्ट करने के स्थान पर शक्ति से कुचलकर शान्त करने का प्रयास किया। अंग्रेजों व स्थानीय राज्यों द्वारा अपनाई गई दमन की नीति ने भीलों को और अशान्त कर दिया था। वर्ष 1861 में उदयपुर के समीप खैरवाड़ा क्षेत्र में भील उपद्रवों की घटनाएँ सामने आईं। 1863 में कोटडा के भील उत्पाती गतिविधियों में सलग्न हो गए, जिसकी जिम्मेदारी मेवाड भील कॉर्पस के कमान्डिंग अधिकारी ने उदयपुर राज्य पर सौंपी क्योंकि राज्य के प्रशासनिक अधिकारी भीलों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे थे। 1864 में करवड़ परसाद, नठारा एव इनके समीप की पालो के भील घोरी व डकैती की कार्यवाहियों में सलग्न हो गए थे। अंग्रेज अधिकारियों के अनुसार उदयपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में जिले के हाकिम की उपेक्षा के कारण स्थिति निरन्तर बिगड़ती जा रही थी। 1866 में मेहता रघुनाथ सिंह को मगरा जिले का हाकिम नियुक्त किया गया था जो एक भ्रष्ट अधिकारी था, उसे 1851 में जहाजपुर से इसलिए स्थानान्तरित कर दिया था कि वह वहाँ भीषण विद्रोह के लिए जिम्मेदार था। मेवाड भील कॉर्पस के कमान्डिंग अधिकारी ने लिखित शिकायत में इन आरोपों को दोहराया था। उसने यह भी शिकायत की थी कि नया हाकिम भीलों पर जुर्माना थोप रहा है तथा मनमाने तरीके से शक्ति पूर्वक उत्पीड़न करते हुए भीलों से दुगना राजस्व वसूल कर रहा है। इन आधारों पर हाकिम को स्थानान्तरित कर दिया तथा सैनिक कार्यवाही व शान्तिपूर्वक समझाकर भील उत्पात को शान्त कर दिया गया था।¹⁵ तत्पश्चात् 1867 में खैरवाड़ा व झुगरपुर के मध्य देवलपाल के भीलों ने उत्पात आरम्भ कर दिया जिसे मेवाड भील कॉर्पस ने कुचल दिया था।¹⁶

1872-75 के दौरान बासवाड़ा में भील विद्रोह की अनेक घटनाएँ घटीं।¹⁷ इन विद्रोहों के कारण इस प्रकार थे - प्रथम 1868 में बासवाड़ा राज्य व अंग्रेजों के मध्य एक समझौता हुआ जिसके अनुसार अंग्रेजों को भीलों को कुचलने की निरकुश शक्तियाँ प्राप्त हो गई थीं।¹⁸ दूसरा अंग्रेजों ने भीलों द्वारा राज्य को सत्ता के प्रतीक के रूप में दिए जाने वाले बराड़ नामक कर की राशि में वृद्धि कर दी थी।¹⁹ बराड़ के अतिरिक्त भीलों पर भू-राजस्व भी थोप दिया गया था जो भील पूर्व में कभी नहीं देते थे। तीसरा, राज्य ने भीलों के दमन हेतु मकरानी व विलायती नौकरों (अफगानिस्तान के मुस्लिम पठान) को नियुक्त किया था। वे भीलों का निर्दयता पूर्वक दमन व उत्पीड़न करते थे। वे भीलों को भारी ब्याज की दर पर धन उधार देते थे व उनके बच्चों को लिखित में गिरवी कर लेते थे। ऋण के भुगतान न होने की स्थिति में वे भीलों से उनके बच्चों को छीनकर लौंडी (महिला दास) अथवा गुलाम (पुरुष दास) बना लेते थे।²⁰ चौथा 1868-75 के दौरान भयानक अकाल ने भीलों को बैचन कर दिया था।²¹ एव पाचवा गुजरात के पडौसी क्षेत्रों के भील व नायक 1868 में उपद्रव कर रहे थे।²² जिनने बासवाड़ा के भीलों को विद्रोह हेतु उत्साहित किया।

1872-73 में सोदलपुर के भील मुखिया दल्ला ने बराड मुद्दे पर बासवाडा के महारावल के विरुद्ध बगावत कर दी थी। महारावल बराड के अन्तर्गत 2000 रुपये वसूल करना चाहता था, जब कि दल्ला 900 रुपये का भुगतान करना चाहता था।¹³ जब राज्य ने 2000 रुपये इकट्ठा करने का नोटिस दिया तो दल्ला प्रतापगढ़ की ओर भाग गया। वहा उसने एक भील सेना संगठित की, जिसमें 8000 भीलों को भर्ती किया गया था। अंग्रेज पॉलिटिकल ऑफिसर इस स्थिति से काफी चिंतित हो गया था तथा उसने महारावल को दल्ला की अपनी शर्तों पर समझौते का सुझाव दिया। इस पर महारावल ने उसके साथ समझौता कर लिया।¹⁴

बासवाडा राज्य में चिलकारी व शेरगढ गावों के भील छापामार गतिविधियों द्वारा अशान्त रहे।¹⁵ 1873-74 के दौरान इन गावों के भीलों ने खुला विद्रोह कर दिया था। उनकी गतिविधियाँ मध्य भारत के सैलाना व झाबुआ राज्यों तक फैल गई थी। इन स्थितियों में मध्य भारत स्थित भोपावर के अंग्रेज पॉलिटिकल एजेन्ट ने भीलों की गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु मालवा भील कॉर्पोरेशन की एक कम्पनी भेजी। उदयपुर राज्य के भील क्षेत्रों में भी इस विद्रोह के फैलने की प्रबल सम्भावना थी। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेन्ट ने बासवाडा राज्य को भीलों की गतिविधियों को रोकने के लिए दबाव डाला। जब बासवाडा राज्य भीलों का दमन नहीं कर सका तो फरवरी, 1874 में वह स्वयं सेना लेकर बासवाडा पहुंचा तथा कुछ सीमा तक डरा मामले को निपटा दिया।¹⁶ इसके तुरन्त पश्चात् जून, 1875 में भूरीखेडा के भील मुखिया देवा व ओंकारया रावत पहाड़ों से नीचे आये एवं उन्होंने विद्रोह कर दिया।¹⁷ दिसम्बर, 1875 में भूरीखेडा एवं पीपलखूट गावों के भीलों में आपसी झगड़ा उत्पन्न हो गया था, जिससे भील विद्रोह रवत ही समाप्त हो गया था।¹⁸

भील 1818 से निरन्तर विद्रोही रहे। किन्तु जब-जब सत्ताधारियों ने उनको शक्ति द्वारा कुचलने का प्रयास किया तो वे और अधिक अशान्त व प्रचण्ड हो गए थे। 1881-1882 में उदयपुर राज्य के भील अंग्रेजों व राज्य के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। यह 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह सिद्ध हुआ। असल में यह लम्बे समय से एकत्रित भील आक्रोश का विस्फोट था। इस विद्रोह के कारण निम्नानुसार थे -

1 1857 की क्रान्ति के पश्चात् भारत में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन समाप्त हो गया था तथा भारतीय साम्राज्य सीधे ब्रिटिश राज के अन्तर्गत आ गया था। इसके उपरान्त भारतीय रियासतों में अनेक प्रशासनिक सुधार किए गए थे। इन सुधारों व परिवर्तनों की ओट में भीलों के अनेक परम्परागत अधिकारों पर रोक लगा दी थी। अब वे बिना कर दिए, कृषि व जंगल उत्पादों का लाभ नहीं उठा सकते थे जिनका पूर्व में वे स्वतंत्र उपभोग कर रहे थे। 1878 में उदयपुर राज्य के प्रशासन का 11 निजामतों (जिलों) में पुनर्गठन किया गया था।¹⁹ प्रशासनिक सुधारों के नाम पर भीलों पर अनेक कर धोंप दिए गए थे। भील क्षेत्रों में सीमा शुल्क घौकिया स्थापित कर दी गई थी जिससे एक ओर उपभोग की वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हुई तथा दूसरी ओर भील अपने जंगल कृषि व पशु उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त करने से वंचित हो गए थे।²⁰ तम्बाकू, नमक, अफीम व शराब

पर नए कर लगा दिए गए थे। इसके अतिरिक्त भीलो द्वारा मायडी (स्थानीय शराब) निकालने पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए थे।¹

2 भू राजस्व में वृद्धि के उद्देश्य से उदयपुर राज्य ने 1878 में भूमि बन्दोबस्त आरम्भ किया था। 1880 में भील क्षेत्रों में भी बन्दोबस्त कार्य आरम्भ हो गया था जिससे भीलों के मन में यह सन्देह उत्पन्न हुआ कि भू-राजस्व में भारी वृद्धि की जाएगी। इसी वर्ष राज्य की आय में वृद्धि हेतु जगलात विभाग स्थापित किया गया था। भूमि बन्दोबस्त कार्य व जगलात में भीलों में भारी बेचैनी उत्पन्न कर दी थी।² नए जगल नियमों के अनुसार जगल उत्पाद ठेकेदारों को लीज पर दिए जाने थे। इसके माध्यम से भील क्षेत्रों में ठेकेदार तत्त्व के प्रवेश ने भीलों के कष्टों को और बढ़ा दिया था।³

3 प्रशासनिक अधिकारी भीलों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर रहे थे तथा उनसे बलपूर्वक अमानवीय तरीकों से धन ऐंठ रहे थे। भीलों का उत्पीड़न इस सीमा तक पहुँच गया था कि राज्य के करो व प्रशासनिक अधिकारियों की धन लिप्सा की पूर्ति हेतु बच्चों तक को बेचने पर बाध्य थे। भू-राजस्व अन्य करों व अवैध करों के भुगतान न करने की स्थिति में प्रशासनिक अधिकारी भीलों की औरतों बच्चों एवं पशुओं तक को उनसे छीन लेते थे जिससे भीलों का धैर्य डगमगा गया था। प्रशासनिक अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार की भारी शिकायतें थीं। 1878 में मगरा जिले के हाकिम पण्डित रघुनाथ राव से राज्य ने उनके द्वारा ली गई रिश्वतों व धन के दुरुपयोग के बारे में पूछताछ की थी। इस मामले में जाँच हेतु एक जाँच समिति नियुक्त की गई थी। जाँच समिति ने पण्डित रघुनाथ राव को तीन लाख रुपये की रिश्वत व धन के दुरुपयोग का दोषी पाया था।⁴

4 बनिया और सूदखोर भील क्षेत्रों में नहीं थे किन्तु नई व्यवस्था के अन्तर्गत भीलों में उनका प्रवेश हो गया था। अंग्रेजी न्यायिक व्यवस्था के अन्तर्गत वे भी अशिक्षित व भोले भीलों का शोषण कर रहे थे। राजस्व अधिकारी, कर्मचारी व कलाल भी भील क्षेत्रों में सूदखोरी के व्यवसाय में लगे हुए थे। सरकारी नौकर जो विलायती पठानों के नाम से जाने जाते थे वे भीलों पर भारी जुल्म ड़ा रहे थे। वे गरीब भीलों को पाच या दस रुपये उधार देते थे जो सौ दो सौ रूपयों में बढ़ जाते थे एवं ऋण के बदले उनके बच्चों को छीन लेते थे। इन स्थितियों में जब भील तग आ चुके थे तो उन्होंने इन विलायतियों को मारा तब हाकिमों ने भील पालों को बरबाद किया।⁵ अतः शोषित व उत्पीड़ित भीलों ने आत्मरक्षार्थ विद्रोह कर दिया था।

5 भीलों में अंग्रेजों द्वारा समाज सुधार के प्रयासों ने भी भीलों को उत्तेजित किया था। भीलों में डाकन प्रथा का प्रचलन था। किसी भी महिला को डाकन बताकर उसे क्रूरतापूर्वक मार दिया जाता था। अंग्रेज अधिकारियों ने उदयपुर राज्य को इस प्रथा पर प्रतिबन्ध लगाने का दबाव ड़ाला। भीलों ने इसे अपनी मान्यताओं पर आक्रमण माना जिससे अंग्रेजों के प्रति भीलों का सदेह भाव और बढ़ गया था।⁶

6 1881 में मेवाड़ राज्य में जनगणना कार्य की शुरुआत ने भी भीलों को आन्दोलित

कर दिया था। भीलों का सोच था कि उन्हें अंग्रेजी फौज में भर्ती करने के लिए जनगणना की जा रही है। उनको यह भी भय था कि जनगणना द्वारा उनके ऊपर अधिक कर धोपे जाएंगे, जबकि उनमें से कुछ का विचार था कि इसके द्वारा भीलों को समाप्त करने का पदयत्र चल रहा है।¹⁷

जनगणना के सन्दर्भ में भीलों में शरारतपूर्ण अफवाहें फैली हुई थी जिन्हें अज्ञानी भीलों ने गम्भीरता से लिया। ऐसी अफवाहें थीं कि बूढ़ी औरतें, बूढ़े आदमियों को, जवान औरतें जवान आदमियों को, मीठी औरतें मोटे आदमियों को तथा छोटी व पतली औरतें छोटे तथा पतले आदमियों को दी जाएंगी।¹⁸ इस प्रकार जनगणना का मुद्दा भील विद्रोह का एक प्रमुख कारण बन गया था। मार्च, 1881 में जावद गाव के माता मन्दिर पर दो से चार हजार भीलों ने जनगणना कर्मचारियों का मुकाबला करने की शपथ ली। इस प्रकार उदयपुर राज्य के भीलों ने पुनः एक बार विद्रोह कर दिया था।¹⁹

7. 1881 के विद्रोह के पीछे एक धार्मिक कारण भी था। भील रिखवदेव के भी उपासक थे। रिखवदेव के मन्दिर को राज्य ने सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया था। मगरा जिले के हाकिम एव अहलकारों (अधिकारी) ने रिखवदेव के पुजारी भठारी खेमराज को मंदिर के कोष से एक लाख रुपये के गबन का आरोपी माना था।²⁰ यह भी सम्भव हो सकता है कि 1877 में लागू किए मन्दिर के नए प्रबन्ध से पुजारी खुरा न रहा हो एव उसने भीलों को विद्रोह हेतु उकसाया हो। पुजारी का इस विद्रोह से जुड़े होना इस बात से सिद्ध होता है कि जब विद्रोह को दबाने में रीनाएँ असफल हो रही थी तो रिखवदेव के पुजारी भठारी खेमराज ने उदयपुर महाराणा के निजी सचिव कविराज श्यामलदास के समक्ष इस विद्रोह को शान्त करने के लिए अपनी सेवाएँ अर्पित करने का प्रस्ताव रखा था। अन्त में श्यामलदास ने रिखवदेव के पुजारी की मध्यस्थता से भीलों के साथ वार्ता आरम्भ की।²¹ इस प्रकार भील विद्रोह का यह धार्मिक कारण कम महत्वपूर्ण नहीं था।

8. भीलों की अंग्रेज विरोधी भावना भी 1881 के विद्रोह का एक कारण थी। वास्तव में भीलों की आजादी सर्वप्रथम अंग्रेजों ने धीनी तथा उन्हें कठोर प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत रखा गया था। नई व्यवस्था के अन्तर्गत भील क्षेत्रों में अनेक परजीवी दरत्यों के समावेश ने उनके जीवन को कष्टदायक बना दिया था, जो अंग्रेजी नीति का ही परिणाम था। 1818 से निरन्तर अंग्रेजों द्वारा भीलों को बर्बरता पूर्वक वृषलने के प्रयासों ने अंग्रेजों के प्रति भीलों में भारी घृणा भाव उत्पन्न कर दिया था। 1881 में विद्रोह के दौरान श्यामलदास के साथ वार्ता में भीलों ने स्पष्टतः उल्लेख किया था कि यदि दरबार हमें नहीं मारे तो हम फिरगियों को इस देश से बाहर निकालकर फेंक सकते हैं।²²

9. भीलों पर पुलिस अत्याचारों ने 1881 के भील विद्रोह की धिगारी प्रज्वलित की थी। मार्च, 1881 के प्रथम सप्ताह में उदयपुर-टोंरवाड़ा मार्ग पर स्थित पड़ोना नामक गाव में उत्पन्न एक रागत्या ने भील विद्रोह को जन्म देने में तात्कालिक कारण की भूमिका निभाई। इसी गाव के रूपा एव कुबेरा नामक मामेतियों को बारापाल के शानेदार सुन्दर

लाल ने एक भूमि विवाद के मामले में साक्ष्य हेतु थाने बुलवाया। जब उनके बुलावे हेतु एक सिपाही इनके पास पहुंचा तो गामेतियो ने थानेदार के आदेशों को मानने से इन्कार कर दिया। इस पर थानेदार पुलिस दल सहित वहाँ पहुँचा जिससे भील उत्तेजित हो गए और उन्होंने थानेदार पर आक्रमण कर दिया।¹³ यह पुलिस कार्यवाही शराब निकालने के एक मामले से भी सम्बन्ध रखती थी। नई व्यवस्था के अन्तर्गत भीलों द्वारा शराब निकालने को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था तथा शराब निकालने व बेचने के अधिकार ठेकेदारों को दे दिए गए थे। भीलों द्वारा शराब निकालने का कलाल (शराब का ठेकेदार) की आय पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था अतः उसने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए पुलिस कार्यवाही की योजना बनाई। इस प्रकार थानेदार ने भूमि विवाद की ओट में भीलों को प्रताड़ित करना चाहा। थानेदार के इन प्रयासों की परिणति भयानक भील विद्रोह के रूप में हुई।

थानेदार पर आक्रमण की घटना से स्वयं भील घिबित हो गए थे तथा उन्हें अपने ऊपर राज्य सेना के आक्रमण का अदेश था। अतः भीलो ने सेना का मुकाबला करने के लिए आवश्यक तैयारियाँ कर ली थी। 26 मार्च को बारापाल, टीडि एव पडोना के भीलो ने बारापाल की पुलिस चौकी व थाने पर आक्रमण किया तथा उन्होंने थानेदार व सभी सिपाहियों को मार दिया। भील हिसा पर उतर आए थे एव उन्होंने बनियों की दुकानों व गोवर्धन कलाल के घर में आग लगा दी थी।¹⁴

26 मार्च 1881 की रात में राज्य की सेनाएँ माना अमानसिंह (राज्य का प्रतिनिधि) एव लोनारगन (अग्नेज प्रतिनिधि) के नेतृत्व में बारापाल पहुँची। इसके साथ महाराणा का निजी सचिव श्यामलदास भी था। 27 मार्च को सेना ने बारापाल में सैकड़ों भील झोपड़ियों को जलाकर राख कर दिया। 28 मार्च को पूरे दिन सैनिक अभियान जारी रहा था तथा बारापाल के आस-पास भीलों के झोपड़ों को जलाया जाता रहा। फौज की इन कार्यवाहियों से बचने के लिए अधिकांश भीलों ने परिवार सहित स्वयं अपने घरों को उजाड़कर सघन जंगलों व पहाड़ियों की ऊँची चोटियों पर पहुंचकर सुरक्षात्मक स्थिति प्राप्त कर ली थी। इसी बीच अलसीगढ पर्य एव कोटडा के भील विद्रोहियों के साथ सम्मिलित हो गए थे। कुछ ही समय में उदयपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में यह विद्रोह फैल गया। भीलो ने उदयपुर-खैरवाड़ा मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। 29 मार्च 1881 को कोटडा के उत्तेजित भीलो ने दो पुलिस के सिपाहियों व कामदार धूलचन्द नागौरी की हत्या कर दी। इसी दिन परसाद के भीलो ने मगरा जिले के हाकिम मेहता अखेसिंह को घेर लिया। सेनाएँ परसाद गाव की ओर मुड़ी तथा हाकिम को बचाने में सफल रही। 30 मार्च को विद्रोही भीलो व राज्य की सेना के मध्य वास्तविक युद्ध आरम्भ हो गया था। चार दिन तक निरंतर युद्ध के उपरान्त सेनाएँ सघन जंगल पहाड़ी एव सकरी घाटियों में कठिनाइयों के कारण भीलो को दबाने में असफल रही।¹⁵

भीलो ने मार्ग में बाधा उत्पन्न कर राज्य की सेनाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। निराश सेना व सेनापतियों ने सुरक्षात्मक स्थिति लेकर रिखवदेव में डेरे डाल दिए थे। यहाँ

लगभग 8000 भीलो ने इन्हे घेर लिया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बीलखपाल का मामेती नूमा, पीपली का खेमा एवं सगातरी का जोयता थे। सैनिक अधिकारियों ने भीलो के साथ शान्तिपूर्वक समझौते के प्रयास किए, किन्तु कोई सफलता नहीं मिली। महाराणा के निजी सचिव श्यामलदास ने रिखवदेव मन्दिर के पुजारी खेमराज भडारी के माध्यम से भील नेताओं से वार्ता आरम्भ की।”

10 अप्रैल, 1881 को भीलों ने निम्नलिखित माँगे प्रस्तुत की जिनके आधार पर समझौता वार्ता हुई” –

- 1 भविष्य में भीलों एवं उनके घरों (परिवारों) की गणना नहीं की जाए।
- 2 भील पुरुष एवं महिलाओं का भार नहीं मापा जाए।
- 3 रिखवदेव में मुसलमानों को नहीं रहने दिया जाए।
- 4 पड़ोना व बारापाल में धानेदार व सिपाहियों की हत्या को बड़ा अपराध मानते हुए भीलों को इसके अपराध से माफी दी जाए। किन्तु भविष्य में इस तरह के अपराधकर्ता को दण्ड दिया जा सकता है।
- 5 भीलों की भूमि की पैमाइश न की जाए।
- 6 बराड़ (प्रतीकात्मक कर) की दर घटाकर आधी की जाए।
- 7 ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कूता (राजस्व निर्धारण) के समय कामदार (छोटा राजस्व कर्मचारी) भीलो को कष्ट न पहुँचाए, किन्तु भीलो की ओर से उचित राजस्व देने से कभी मनाही नहीं होगी।
- 8 भीलों से कोदरा (जगती अनाज) पर कोई कूता नहीं लिया जाए।
- 9 आम एवं महुवा की पत्तियों के संग्रह पर कोई कर न लिया जाए।
- 10 भीलों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु महुवा के संग्रह पर उत्पाद शुल्क (आवकारी शुल्क) नहीं लिया जाए।
- 11 भील क्षेत्रों में पुलिस थानों की संख्या नहीं बढ़ाई जाए।
- 12 सवारों (सिपाहियों) द्वारा पटिया गाव के भीलों से पूनम की चौकी के मद में 12 आना प्रति भील बरसूल किया जाता है भविष्य में यह राशि बरसूल न की जाए।
- 13 अपने निजी उपयोग हेतु भीलों द्वारा घास व लकड़ी पर कर नहीं लिया जाए।
- 14 रिखवदेव के राजाने से जो राशि बीलख व पीपली पालों को प्राप्त होती थी, वह उन्हें दी जाए।
- 15 अफीम नमक एवं तम्बाकू का ठेका नहीं दिया जाए।
- 16 पहाड़ों में घास व लकड़ी का ठेका नहीं दिया जाए।
- 17 पिछले तीन वर्षों में जिन भीलों को बन्दी बनाया गया था उन्हें मुक्त किया जाए।
- 18 राम्बन्धित भील पालों से ढाक-हरकारे हटाए जाएँ।
- 19 सुरक्षा चौकियों पर तब तक सिपाही नियुक्त न किए जाएँ जब तक की भील मार्गों की सुरक्षा के दायित्व को स्वयं न निभाएँ।
- 20 रिखवदेव एवं श्रीनाथजी जाने वाले तीर्थयात्रियों से पुरानी परम्परागुसार भीलों को

बोलाई वसूल करने का अधिकार दिया जाए।

- 21 भीलों के गावों में जोगियो व घोषियो से कूता (उत्पादन का अंश) वसूल न किया जाए जो वे कभी नहीं देते थे।
- 22 भीलों को निजी उपयोग हेतु मादड़ी बनाने का अधिकार बिना कर के प्रदान किया जाए।
- 23 डाकन प्रथा एवं भीलों के आपसी विवादों सहित भीलों की सामाजिक परम्पराओं में हस्तक्षेप नहीं किया जाए।
- 24 सभी भीलों को जिन्होंने इस विद्रोह में भाग लिया है, माफी दी जाए।

उपरोक्त मांगों के सम्बन्ध में राज्य प्रतिनिधियों व अंग्रेजों के मध्य मतभेद नहीं था। असल में दोनों के मध्य विवाद इस बात पर था कि इस समझौते का श्रेय कौन ले। विवाद इतना बढ़ गया था कि गवर्नर जनरल ने स्वयं उदयपुर स्थित अंग्रेज अधिकारियों को लिखा, यदि भीलों के साथ व्यवहार में दरबार के अधिकारियों व कर्मचारियों को नियन्त्रित व निर्देशित नहीं किया गया तो वे स्थिति को बिगाड़ कर परेशानी उत्पन्न कर देंगे।⁹ अन्त में 25 अप्रैल 1881 को भीलों के साथ एक समझौता हो गया। राज्य के अधिकारी आधा बराह कर छोड़ने भविष्य में भीलों को जनगणना कार्यों से कष्ट न पहुँचाने एवं विद्रोही भीलों को माफी देने पर सहमत हो गए। भीलों ने राज्य के नियमों के पालन करने का वचन देते हुए कानून विरोधी गतिविधियों में संलग्न न होने की स्वीकृति दी।¹⁰

उपरोक्त समझौते ने एक भयंकर भील विद्रोह को शान्त अवश्य कर दिया था किन्तु पूर्णशान्ति स्थापित नहीं हो पाई थी। मार्च 1882 में भोराई एवं नठारा पाल के भीलों ने पुनः विद्रोह कर दिया था। विद्रोही भीलों ने राजस्व कर्मचारी दयालाल चौबिसा के घर को घेर लिया। महाराणा ने मामा अमानसिंह के नेतृत्व में सेना भेजी जिसके साथ भगरा का हाकिम मेहता गोविन्द सिंह भी था। विद्रोह को निर्दयता पूर्वक कुचल दिया एवं अनेक गमेतियों को बन्दी बना लिया था।¹¹

कुछ समय तक भील शान्त रहे किन्तु 1899-1900 का वर्ष भयानक अकाल एवं सूखे का वर्ष था। भील अकाल से अत्यधिक पीड़ित थे क्योंकि उन्हें राज्य से उचित राहत नहीं मिल रही थी। पूरे अकाल के दौरान भील भीणा एवं गिरासिया आदिवासी अशान्त बने रहे। निराश आदिवासी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सभी जगह लूट पाट पर उतर आए थे।¹² इस प्रकार 19 वीं सदी में आदिवासी विद्रोह 1818 से आरम्भ होकर 1900 तक निरन्तर रूप से होते रहे तथा 20 वीं सदी के आदिवासी विद्रोहों में समाहित हो गए थे।

उपरोक्त भील विद्रोह स्वस्फूर्त थे एवं अंग्रेजी राज्य के अन्तर्गत स्थापित नई व्यवस्था के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुए थे। अंग्रेजी सरकार ने, भील गतिविधियों के नियंत्रण हेतु अनेक तरीके अपनाए। एक ओर समय-समय पर उन्होंने भीलों को अनेक छूटे घोषित की एवं वहीं दूसरी ओर भील क्षेत्रों के नियंत्रण हेतु प्रभावशाली सैनिक व प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। किन्तु 19 वीं सदी के इन विद्रोहों ने यह स्पष्ट कर दिया

- 63 वही
- 64 कविराज श्यामलदास पूर्वोक्त जिल्द दो भाग 3 पृ 2191
- 65 वही पृ 2192-93
- 66 राष्ट्रीय अभिलेखागार पॅरेन डिपार्टमेंट पॉलिटिकल-ए प्रोसीडिंग्स अगस्त 1881 न 313-34
- 67 वही
- 68 वही एवं कविराज श्यामलदास पूर्वोक्त जिल्द दो भाग 3 पृ 2217
- 69 वही
- 70 वही पृ 2191-92
- 71 वही पृ 2222
- 72 वही पृ 2225
- 73 वही पृ 2218 इस घटना का यह विवरण भी मिलता है कि गमेंतियों को भूमि विवाद को सम्बन्ध में नहीं बुलाया गया था बल्कि उन्हें उनके गावों में गैर कानूनी शराब निकालने के सम्बन्ध में बुलाया गया था किन्तु श्यामलदास इसे भूमि विवाद से जोड़ते हैं। विस्तृत विवरण हेतु देखिए राष्ट्रीय अभिलेखागार पॅरेन डिपार्टमेंट पॉलिटिकल-ए प्रोसीडिंग्स अगस्त 1881 न 313-34
- 74 वही
- 75 कविराज श्यामलदास पूर्वोक्त जिल्द दो भाग 3 पृ 2219-21
- 76 वही पृ 2222
- 77 वही पृ 2222-28 एवं राष्ट्रीय अभिलेखागार पॅरेन डिपार्टमेंट पॉलिटिकल-ए प्रोसीडिंग्स 1881 न 313-34
- 78 राष्ट्रीय अभिलेखागार पॅरेन डिपार्टमेंट पॉलिटिकल-ए प्रोसीडिंग्स अप्रैल 1881, न 25-39
- 79 कविराज श्यामलदास पूर्वोक्त जिल्द दो भाग 3 पृ 2227-8
- 80 वही पृ 2239
- 81 राष्ट्रीय अभिलेखागार पॅरेन डिपार्टमेंट एण्ड पॉलिटिकल इन्टरनल प्रोसीडिंग्स मार्च 1900 न 190-203। इस अवधि के दौरान भील जनसंख्या की भारी क्षति हुई थी। 1891 की जनगणनानुसार राजस्थान की (अजमेर-मेरवाड़ा को छोड़कर) भील जनसंख्या 605 426 थी जबकि 1901 में इनकी जनसंख्या मात्र 339 786 रह गई थी। इस प्रकार भील जनसंख्या की क्षति एक दशक में 43.91 प्रतिशत हुई। 1901 में मेरवाड़ा के रेजीडेंट ने टिप्पणी की थी कि "भीलों से उनकी जनसंख्या इतनी अधिक कम हो गई है कि उनके कोई बड़े विद्रोह की सम्भावना नहीं है।" विस्तृत विवरण हेतु देखें रिपोर्ट ऑन दी पॉलिटिकल ऐडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी राजपूताना स्टेट्स एण्ड अजमेर-मेरवाड़ा 1909-1901 पृ 8

अध्याय-2

मेवाड़ का बिजौलिया आन्दोलन

राजस्थान के किसान आन्दोलन के इतिहास की शृंखला में मेवाड़ (उदयपुर राज्य) के बिजौलिया ठिकाने का किसान आन्दोलन अग्रणी रहा है। उदयपुर राज्य में किसानों की स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। यहाँ कुल कृषि भूमि का 87 प्रतिशत भाग जागीरदारों के नियंत्रण में था जबकि कुल 13 प्रतिशत भाग सीधे महाराणा के नियंत्रण में था। जागीर क्षेत्रों में सामन्तों के अत्याचार के कारण किसानों की दशा अधिक शोचनीय थी। किसानों के साथ दासों जैसा व्यवहार होता था। जब सामन्ती शोषण व दमन ऐसी सीमा पर पहुँच गया कि उसने किसानों के अस्तित्व को चुनौती उपस्थित कर दी तो किसान सामन्तों के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। इस दिशा में बिजौलिया ठिकाने का कृषक आन्दोलन राजस्थान के अन्य किसान आन्दोलनों का अगुवा रहा जिसने अन्य किसान एवं जन आन्दोलनों को प्रेरित किया।

बिजौलिया ठिकाना उदयपुर राज्य की 'अ' श्रेणी की जागीरों में से एक था जो अब राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ के जागीरदार की गिनती उदयपुर के 16 उमरावों में होती थी जो महाराणा की सलाहकार परिषद में सम्मिलित थे। इस ठिकाने (जागीर) का क्षेत्रफल 100 वर्ग मील था जो 25 गावों में समूहित था। सन् 1921 में सम्पूर्ण ठिकाने की जनसंख्या 12 हजार थी। सन् 1931 में यहाँ की जनसंख्या 15 हजार थी जिसमें 10 हजार किसान थे। किसानों की कुल जनसंख्या में से धाकड़ जाति के किसानों की जनसंख्या 6 हजार थी जो कुल किसान जनसंख्या का 60 प्रतिशत थी।

बिजौलिया ठिकाने में भू-राजस्व निर्धारण एवं संग्रह की पद्धति इस आन्दोलन का मुख्य मुद्दा थी। इस कार्य हेतु मुख्यतः लाटा एवं कूटा पद्धति प्रचलित थी। इसके अन्तर्गत ठिकानों का कामदार अथवा अन्य राजस्व कर्मचारी खड़ी फसल का आकलन कर राजस्व का निर्धारण किया करते थे। कुल उत्पादन का एक मोटा आकलन कर ठिकाने का हिसा निर्धारित कर दिया जाता था। यह अत्यधिक पुरानी पद्धति थी जिसके द्वारा किसानों को लूटा जा रहा था। इसके अन्तर्गत किसान अपनी मेहनत की कमाई से वंचित रह जाता था।

विजय सिंह पथिक ने अपनी एक व्यापक टिप्पणी में कहा कि 'लाटा-कूटा जागीरदार द्वारा किसानों की लूट बन गई है।' इसका अतिरिक्त किसानों को अपनी भूमि से बेदखली का निरन्तर भय बना रहता था। भू-राजस्व के भुगतान न करने पर किसानों को बेदखल कर दिया जाता था। भू-राजस्व की दर कुल उत्पादन का आधा भाग

निर्धारित थी तथा अकाल व असाधारण मौसम के कारण फसल खराबी अथवा बरबादी की स्थिति में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती थी।¹ ऐसी स्थिति में अधिकांश किसानों को सूदखोर से भारी ब्याज की दरों पर पैसा उधार लेना पड़ता था जिससे किसानों की कर्जदारी बढ़ती जा रही थी।

भू-राजस्व के अतिरिक्त किसानों से भारी सख्खा में लाग-बाग ली जाती थी। इनमें कुछ नियमित रूप से प्रतिवर्ष भू-राजस्व के साथ ही वसूल की जाती थी जबकि कुछ विशेष अवसरों पर वसूल की जाती थी। कभी-कभी लाग-बागों का भार भू-राजस्व से भी दुगुना हो जाता था। यह शोषण की निष्पूरक व अन्वयी व्यवस्था थी। बिजौलिया में किसानों पर 86 विभिन्न प्रकार की लागे थोपी हुई थी।¹ लाग-बागों की निश्चित सख्खा नहीं थी। उदाहरणार्थ सन् 1922 में लाग-बागों की सख्खा 74 थी।¹ लाग-बाग वसूली की व्यवस्था कोई नवीन नहीं थी बल्कि इसका प्रचलन मध्यकाल से ही चला आ रहा था। प्रारम्भ में किसानों व अन्य जनता से लाग-बाग आकस्मिक प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति हेतु वसूल की जाती थी। किन्तु उस समय लाग-बागों की सख्खा व राशि नाम मात्र ही थी। बदलती स्थितियों में यह किसानों से अवैध घनापहरण बन चुका था, जो सामन्त व उसके कारिन्दे किसानों से किया करते थे। अंग्रेजी नियंत्रण के पूर्व बिजौलिया की विशेष स्थिति थी। यह क्षेत्र मराठा आक्रमणों का शिकार था। जब मराठे मेवाड़ पर आक्रमण करते थे तो बिजौलिया ठिकाना पहला शिकार होता था। इन आक्रमणों ने किसानों को आतंकित कर दिया था क्योंकि इनसे उनका सम्पूर्ण जीवन छिन्न-भिन्न हो जाता था। किसान जागीरदार का सहयोग करते हुए शत्रु से लड़ते थे एवं जागीरदार किसानों की सहायता से अपनी सत्ता व प्रशासन पुनः स्थापित करता था। वास्तव में सकट के इन दिनों में प्रजा व जागीरदार एक परिवार की तरह रहते थे। यदि जागीरदार को सैनिक, प्रशासनिक अथवा घरेलू आवश्यकताओं हेतु अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती थी तो किसान यह राशि एकत्रित कर जागीरदार को भेंट कर देते थे। खराब मौसम व फसल बरबादी की स्थिति में किसानों को भू-राजस्व की अदायगी में छूट मिल जाती थी। इतना ही नहीं बल्कि किसानों को उनकी पुत्री के विवाह अथवा परिवार में किसी मौत की स्थिति में भी भू-राजस्व की छूट किसान को मिल जाती थी।¹ बिजौलिया की असुरक्षित एवं सकटकालीन राजनीतिक दशाओं ने जागीरदार व जनता के मध्य अत्यधिक निकटता स्थापित की थी तथा दोनों ही एक दूसरे की मौलिक आवश्यकता बन गए थे।

सन् 1618 में उदयपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ सन्धि की जिसके अन्तर्गत महाराणा को बाह्य आक्रमणों के विरुद्ध अंग्रेजों का आश्रय प्राप्त हो गया था। इस सन्धि के परिणामशून्य शासक व शासितों के मध्य सम्बन्धों में परिवर्तन आया। इन बदलते सम्बन्धों में जागीरदार अपनी प्रजा के स्थान पर राज्य एवं अंग्रेजों के प्रति दफादार हो गया था। जागीरदार भू-राजस्व के अतिरिक्त आकस्मिक खर्चों के लिए जो धन किसानों से प्राप्त करता था यह अब लाग-बाग के नाम से उसकी आय का नियमित साधन बन गया था। जागीरदार की बढ़ती हुई रिजल्टरिचों व औपनिवेशिक आर्थिक भार के परिणाम

स्वरूप इन लागों की सख्या व राशि बढ़ने लगी थी। किसानों के शोषण की प्रचण्डता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि एक अनुमान के अनुसार किसानों को उनके 87 प्रतिशत उत्पादन से वंचित होना पड़ता था।⁹ किसानों का स्पष्ट मत था कि लाग-बागों ने उनके जीवन को कष्टमय बना दिया था। अतः दोषपूर्ण लाग-बाग व्यवस्था ने किसानों को जागीरदार के विरुद्ध विद्रोह के लिए मजबूर कर दिया था।

भू-राजस्व एव लागों के भार ने किसानों को कर्जदार बना दिया था। सूदखोर अथवा महाजन किसानों को भारी व्याज की दरों पर ऋण देते थे तथा अनेक मनमानी शर्तें लाद देते थे। सूदखोर सामन्ती व औपनिवेशिक अर्थ व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण अंग थे। सूदखोर किसानों का अमानवीय तरीके से शोषण एव उन्हें धोखे से लूट रहा था।¹⁰ किसानों व महाजनों के मध्य लेन-देन में उत्पन्न विवाद की स्थिति में जागीरदार महाजन का पक्ष लेते थे। किसानों की कर्जदारी विजौलिया के किसान आन्दोलन का प्रमुख कारण व मुद्दा थी।

बेगार का प्रश्न भी किसान आन्दोलन का एक प्रमुख कारण था। विभिन्न अवसरों पर जागीरदार व दिकाने के कर्मचारी किसानों को बेगार देने के लिए मजबूर करते थे। किसानों को जागीरदार के गढ़ तक भू-राजस्व का अनाज पहुँचाने हेतु बिना किसी भुगतान, भोजन व चारे के बैलगाड़ियों की आपूर्ति करनी पड़ती थी। जागीरदार राज्य अधिकारियों व जागीर के कर्मचारियों का सभी प्रकार का सामान व भार किसानों को बैलगाड़ी, पशु अथवा अपने सिर पर लाद कर ले जाना पड़ता था। जब कभी अधिकारियों को आवश्यकता पड़ती थी तो किसानों को बलात् पकड़कर बेगार पर लगा दिया जाता था। बेगार पर लगाए गए किसानों का कृषि कार्य अवरुद्ध हो जाता था जिससे किसान को भारी हानि उठानी पड़ती थी।

विजौलिया के जागीरदार की मनमानी अथवा निरकुश शक्तियाँ भी किसान आन्दोलन का महत्त्वपूर्ण कारण थी। जागीरदार को दीवानी व फौजदारी मामलों में न्यायिक अधिकार प्राप्त थे। उसे पाच वर्ष तक की सजा देने व पाच सौ रुपये तक का अर्धदण्ड देने का अधिकार प्राप्त था।¹¹ यूँ तो जागीरदार महाराणा मेवाड एव अग्रेजों को अपना अधिपति मानता था किन्तु वह अपनी जागीर का निरकुश शासक था। वहाँ लिखित कानूनों का सर्वथा अभाव था एव जागीरदार अपनी इच्छा व सनक के आधार पर न्याय करता था। अतः किसानों ने जागीरदार की मनमानी स्थिति को चुनौती दी।

विजौलिया ठिकाने में शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी कल्याणकारी गतिविधियों का सर्वथा अभाव था। किसान मध्ययुगीन अधिकार में जीवन यापन कर रहे थे। विजौलिया के किसान आन्दोलन का एक ध्येय शिक्षा व स्वास्थ्य सबंधी सुविधाएँ प्राप्त करना भी था।

विजौलिया के किसान उपरोक्त सामंती शोषण व उत्पीड़न के अन्तर्गत बुरी तरह कष्टप्रद जीवन बिता रहे थे। प्रचलित शोषण ने किसानों के अस्तित्व को ही मिटाने की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। अतः किसानों ने आत्मरक्षार्थ सामंती व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष

आरम्भ कर दिया था।

घटनाक्रम व विकास के स्तरों के आधार पर विजौलिया के किसान आंदोलन को मुख्यतः तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण 1897-1915 जिसे स्वस्फूर्त किसान आंदोलन की सज़ा से जाना जा सकता है। इस चरण के अन्तर्गत स्थानीय नेतृत्व ने आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसके दौरान जातीय आधारों पर किसान आंदोलन आरम्भ होकर राष्ट्रीय राजनीतिक व सामाजिक घेताना के साथ जुड़ने की ओर प्रवृत्त हुआ। दूसरा चरण 1916-1922 किसानों की नई घेताना का काल था जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षित एवं परिपक्व नेताओं ने किया। इस चरण के अन्तर्गत विजौलिया का किसान आन्दोलन जाति एवं क्षेत्र की सकीर्णताओं को लाघकर राष्ट्रीय धारा के साथ जुड़ने की प्रक्रिया में था। इतना ही नहीं बरन इस चरण में यह आन्दोलन अपने क्षेत्र विस्तार के कारण राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर उपस्थित हुआ तथा राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ गया। तीसरा चरण 1923-1941 तक जारी रहा। विजौलिया किसान आन्दोलन जिस गति व उत्साह के साथ उदित व विकसित हुआ उसका पटापेश अधिक उत्साही नहीं रहा।"

आन्दोलन का प्रथम चरण (1897-1915):

जागीरदारी प्रथा कोई नवीन बात नहीं थी। जैसा पूर्व में उल्लेख किया गया है कि अंग्रेजों की आधीनता स्वीकार करने के पश्चात् जागीरदार व जनता के मध्य सम्बन्धों में असन्तुलन उत्पन्न होने लगा था। सन् 1894 में विजौलिया के राव गोविन्ददास की मृत्यु तक किसानों को जागीरदार के खिलाफ कोई विशेष शिकायत नहीं थी। सन् 1894 में नया जागीरदार किशन सिंह बना जिसने किसानों के प्रति नीति व जागीर प्रबन्ध में परिवर्तन किए।¹⁹ इन नए परिवर्तनों के अन्तर्गत जागीर के पुराने प्रशासकों व कर्मचारियों को हटाकर नई नियुक्तियाँ इसलिए की गईं कि नवनि्युक्त अधिकारी किसानों से अधिक लगान वसूल कर सकें। परम्परागत पटेलों को हटाकर नए पटेल नियुक्त किए गए। समय-समय पर आवश्यकतानुसार अस्थायी तौर पर ली जाने वाली लागों को नियमित व स्थाई कर दिया गया। इस प्रकार परम्परागत सम्बन्धों में असन्तुलन की स्थिति उत्पन्न हुई जिसने विजौलिया किसान आन्दोलन को जन्म दिया।

किसानों में नए परिवर्तनों के कारण असन्तोष बढ रहा था किन्तु उसके प्रस्फुटन का उपयुक्त अवसर नहीं मिल रहा था। सन् 1897 में गिरधरपुरा नामक गाव में गगाराम धाकड़ के पिता के मृत्युभोज (नुस्ता) के अवसर पर हजारों धाकड़ जाति के किसान एकत्रित हुए।²⁰ शोषित व उत्पीडित किसानों ने अपने कष्टों एवं दुर्दशा की एक दरारे से सुलकर चर्चा की तथा इसी समय एकत्रित किसानों की एकमत राय थी कि उनकी दुर्दशा का कारण टोपपूर्ण भू-राजस्व एवं कर पद्धति है। इससे मुक्ति पाने के लिए कुछ किए जाने पर भी सहमति हुई। इसी क्रम में किसानों ने महाराणा मेवाड़ के समक्ष एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का निर्णय लिया। यहीं एवं त्रिा किसानों ने प्रतिनिधि मण्डल में दा

सदस्यो क्रमश बेरीसाल के नानजी पटेल व गोपाल नियास के ठाकरी पटेल को नियुक्त कर उन्हें किरानो की समस्याओं के समाधान हेतु महाराणा मेवाड से मिलने का दायित्व सौंपा। यह प्रतिनिधि मण्डल आठ माह के निरन्तर प्रयासों के उपरान्त महाराणा मेवाड के समक्ष उदयपुर पहुँचकर किरानो की समस्याएँ व शिकायतें प्रस्तुत करने में सफल रहा। महाराणा ने विजौलिया के मामले में किरानो की शिकायतों पर जाँच हेतु राजस्व अधिकारी नियुक्त किया।¹⁴

राजस्व अधिकारी ने अपनी जाँच में विजौलिया के किरानो की शिकायतों को प्रामाणिक व सत्य पाया। जागीरदार ने किरानो को इस जाँच अधिकारी से मिलने भी नहीं दिया। उसके उपरान्त भी जाँच जागीरदार के विरुद्ध गई थी। जाँच रिपोर्ट महाराणा के सम्मुख प्रस्तुत की गई जिसे महकमाखास को कार्यवाही हेतु सौंप दिया गया। महकमाखास ने बिना किसी कार्यवाही के जागीरदार को चेतावनी व सलाह दी। इस सलाह में जागीरदार को किसानों के प्रति व्यवहार व प्रशासन में परिवर्तन की सलाह सम्मिलित थी। जागीरदार ने इस सम्पूर्ण प्रकरण का उल्टा ही अर्थ निकाला। किसी प्रकार के कृषकीय सुधारों को लागू करने के स्थान पर किसानों को उत्पीड़ित व आतंकित करना आरम्भ कर दिया था। इसे जागीरदार ने अपनी सत्ता के प्रति किरानो की चुनौती के रूप में लिया जिसे वह शक्ति द्वारा कुचल देना चाहता था। इसी ध्येय से जागीरदार ने प्रतिनिधि मण्डल के दोनों सदस्यों क्रमश नानजी पटेल एवं ठाकरी पटेल को विजौलिया जागीर के भू-भाग से निष्कासित कर दिया। विजौलिया के किसान जागीरदार की इस कार्यवाही से हतोत्साहित हुए किन्तु उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। वास्तव में जागीरदार की इस कार्यवाही ने किसानों को पक्के तौर पर यह सोचने के लिए बाध्य कर दिया था कि उनके कष्टों का कारण सामन्ती शोषण है।¹⁵

जागीरदार के व्यवहार से किसान खिन्न थे। वर्ष 1899-1900 में भयानक अकाल पड़ा जिसने किसानों की दुर्दशा में और बढ़ोतरी की थी। सन् 1903 की एक घटना ने किसानों को खुले आम जागीरदार की सत्ता को चुनौती देने के लिए मजबूर कर दिया था। इस वर्ष जागीरदार ने किसानों पर चवरी नामक एक लाग थोप दी थी जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पुत्री के विवाह के समय तेरह रुपये चवरी लाग देना निर्धारित किया गया था। नई लाग किसानों पर न केवल एक आर्थिक भार थी वरन् सामाजिक रूप से यह अपमानजनक भी थी। विरोध स्वरूप भारी सख्या में किसान एकत्रित होकर 200 विवाह योग्य कुवारी लड़कियों के साथ जागीरदार के समक्ष प्रस्तुत हुए तथा चवरी लाग को वापस लेने के लिए कहा। किसानों का कहना था कि चवरी लाग के आर्थिक भार के कारण वे अपनी पुत्रियों का विवाह करने में असमर्थ हैं। जागीरदार ने किसानों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते हुए कहा कि इन लड़कियों को बाजार में बेच दो तथा चवरी जमा करा दो।¹⁶ इस दुर्व्यवहार ने किसानों को अत्यधिक बेचैन कर दिया। किसानों ने जागीरदार को धमकी दी कि "वे ऐसे स्थान पर नहीं रहेंगे जहाँ तुम्हारे जैसा शासक राज्य करता हो जो हमारी पुत्रियों को बिकवाना चाहता है।" उसी रात

अनेक गावों के धाकड़ जाति के किसान भारी सख्खा में ग्यालियर राज्य के भू-भाग में निष्क्रमण कर गए।

यह एक असामान्य घटना थी तथा जागीरदार की सत्ता को चुनौती भी थी। यह एक प्रकार का किसानों द्वारा आरम्भ किया गया असहयोग आन्दोलन था। किसानों के निष्क्रमण से जागीरदार का घितित होना एक स्वाभाविक बात थी। इरासे सीधे तौर पर आर्थिक हानि तो थी ही साथ ही जागीर में व्याप्त कुरासन भी स्पष्ट होता था। जागीरदार ने स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए 1904 में किसानों को माफी मागते हुए वापस बुला लिया तथा घबरी लाग को वापस लेते हुए भू-राजस्व लाग-बाग एव वेगार सम्बन्धी मागलों में निम्न छूटें घोषित कीं -

- 1 ठिकाने का कागदार गाव के पाच किसानों व पटेल की सहमति से कूत का कार्य सम्पन्न करेगा।
- 2 पूर्व में भोग नामक लाग प्रति मन पर 4 सेर की दर से वसूल की जाती थी किन्तु अब यह दो सेर प्रति मन की दर से वसूल की जाएगी। अनाऊ की तुलाई के लिए तकारी के स्थान पर काटा प्रयोग में लाया जाएगा।
- 3 सन-बन (जूट एव कपास) पर राजस्व 2½ रुपये प्रति बीघा की दर से लिया जाएगा।
- 4 अफीम पर हासिल (नगदी राजस्व) पाच रुपए प्रति बीघा की दर से पूर्वानुसार लिया जाएगा।
- 5 पूर्व में बाटा (बटाई) उत्पादन का 1/2 भाग वसूल किया जाता था अब यह 2/5 भाग की दर से वसूल किया जाएगा।
- 6 कोकड़ा भूमि (कुए द्वारा सिंचित भूमि) पर खार लखार लाग छ आना प्रति बीघा की दर से तथा माल भूमि पर तीन अन्न प्रति बीघा की दर से वसूल की जाएगी।
- 7 पूर्व में पूला लाग का रुपया प्रति 300 पूला वसूल की जाती थी किन्तु भविष्य में यह एक रुपया प्रति 1000 की दर से वसूल की जाएगी।
- 8 जब कभी कोई अग्रज अथवा उदमपुर महाराणा ठिकाना आएंगे तो किसानों की भैंसों वेगार में काम में ली जा सकेंगी।
- 9 किसान निजी उपयोग हेतु अपनी भूमि पर उगे हुए वसूल वृक्ष काट सकेंगे। यदि किसान इन्हें बेचेगा तो आधी कीमत ठिकाने में जमा करवानी पड़ेगी।
- 10 नूत बराउ नामक नई लाग समाप्त की जाती है।
- 11 घोड़े का घारा नामक लाग घारा के रूप में ठिकाने के घोड़ों के लिए ली जाती थी, अब नहीं ली जाएगी।
- 12 अपनी फसल की सुरक्षा हेतु किसानों को जगली सुरर व अन्य जानवरों को ताठने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- 13 मापा लाग (कस्टम टैक्सी) एक पैसा प्रति रुपये की दर से वसूल की जाएगी।
- 14 इतरतरारी-बूज लाग जो एक आना प्रति रुपये की दर से वसूल की जाती थी उराको समाप्त किया जाता है।
- 15 सिगोटी लाग (पशु लाग) जो गाव में पशुओं के विक्रय पर लगाई जाती थी, वह समाप्त की जाती है।

सन् 1904 में घोषित उपरोक्त छूटों का लाभ किसानों को अधिक समय तक नहीं मिल सका क्योंकि 1906 में विजौलिया के राव ने इन छूटों को वापस ले लिया था। सन् 1906 में राव कृष्ण सिंह की निरन्तान मृत्यु के पश्चात् उसका नजदीकी रिश्तेदार पृथ्वी सिंह जागीरदार बना। उसने न केवल छूटों को वापस लिया वरन् नई लागू तलवार बधाई (उत्तराधिकार शुल्क) किसानों पर थोप दी थी। नया प्रशासन किसानों के लिए अधिक कष्टदायक सिद्ध हुआ क्योंकि नए जागीरदार ने शक्ति द्वारा निर्दयतापूर्वक अवैध करों की वसूली करना आरम्भ कर दिया था। इसके कठोर व्यवहार का एक कारण यह भी था कि वह बाहरी व्यक्ति था जो कामा (भरतपुर) से आया था तथा उसका विजौलिया जागीर के निवासियों के साथ कोई परम्परागत सम्बन्ध नहीं था।

विजौलिया के किसान सामंती शोषण के चंगुल में फसे हुए निस्साहाय महसूस कर रहे थे। सन् 1913 तक यह आन्दोलन किसानों का स्वस्फूर्त प्रयास था जिसका नेतृत्व स्थानीय साधु सीताराम दास ने किया।¹ मार्च 1913 में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में लगभग 1000 किसान जागीरदार के महल के सामने अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए एकत्रित हुए। जागीरदार ने किसानों से मिलने से इन्कार करते हुए उनको पूर्णतः नजर अन्दाज कर दिया। जागीरदार के इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार ने किसानों को सामन्ती दमन के विरुद्ध आगे कदम बढ़ाने के लिए मजबूर किया। इसके अन्तर्गत किसानों ने वर्ष 1913-14 में खेती न करके भूमि को पड़त छोड़ दिया था। इस निर्णय से जागीरदार को भू-राजस्व को भारी हानि उठानी पड़ी जबकि किसान ग्वालियर ढूँडी एवं उदयपुर की खालसा भूमि पर खेती करके गुजारे का साधन जुटाने में सफल रहे।

दिसम्बर 1913 में जागीरदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई तथा उसके स्थान पर उसका अल्प वयस्क पुत्र केशरी सिंह विजौलिया का उत्तराधिकारी बना। जागीरदार की अल्प वयस्कता के कारण जागीर का नियंत्रण सीधे उदयपुर राज्य के अन्तर्गत आ गया था। आन्दोलित किसान विजौलिया में खेती न करने के निर्णय पर दृढ़ थे। बदलती स्थितियाँ आन्दोलित किसानों के पक्ष में थी। उदयपुर राज्य के महकमाखास ने किसानों की शिकायतों की सुनवाई करते हुए विजौलिया मामले की जाँच करने व किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु जनवरी 1914 में दो अधिकारियों की नियुक्ति की। पूर्ण जाँच के उपरान्त मेवाड राज्य विजौलिया ठिकाने से किसानों को कुछ छूटें दिलवाने में सफल रहा। 24 जून, 1914 को निम्नलिखित रियायतें घोषित की गई थीं² -

- 1 भोग (भू-राजस्व) के रूप में पैदावार के 2/5 भाग के स्थान पर एक तिहाई भाग लिया जाएगा।
- 2 पूर्व में खुनाची लागू 6½ सेर प्रतिमन की दर से वसूल की जाती थी, किन्तु भविष्य में यह 4½ सेर प्रतिमन की दर से वसूल की जाएगी।
- 3 टकी हालमा एवं पूला लागू समाप्त की जाती है।
- 4 पूर्व में आम एवं महुया पर बाटा उत्पादन का आधा भाग लगता था किन्तु अब यह एक-तिहाई होगा।

- 5 किसान अपने उपयोग हेतु बिना किसी लाग भुगतान के बबूल के पट इस शर्त पर काट सकेगा कि वह इन्हें अन्य किसी को नहीं बेचेगा।
- 6 कपास पर हासिल (नकदी राजस्व) तीन रुपये चार आने एवं दो पैसे प्रति बीघा लगता था तथा इसके साथ 7½ सेर कपास प्रति बीघा की लाग ली जाती थी। अब यह दर 4 रुपये प्रति बीघा होगी तथा लाग पूर्णतः समाप्त की जाती है।
- 7 सहना (एक तरह की पुलिस) द्वारा ली जाने वाली कीना का धान नागक लाग समाप्त कर दी जाएगी।
- 8 कूता कार्य के दौरान कामदार को सहयोग करने वाले व्यक्ति को कोई अनाज नहीं दिया जाएगा।
- 9 बेगार में वर्षा के मौसम में किसानों द्वारा जागीर को दिए जाने वाले ईंधन व घास की गांठों की प्रथा समाप्त की जाती है।
- 10 ईंख पर लगने वाली लाग के अतिरिक्त पटेल बीस सेर गुड अपने लिए एवं बीस सेर गोपालजी के मंदिर के लिए लेता था अब दोनों मदों के अन्तर्गत केवल दस सेर ही लेगा।
- 11 भोग तुलाई के समय अनाज तोलने वाले को 1½ सेर प्रतिमन की दर से दिया जाएगा तथा एक स्थान से दूसरे स्थान अनाज ढोने वाले को एक सेर प्रतिमन की दर से अनाज दिया जाएगा।

उपरोक्त रिआयतें केवल घोषित की गई थी। इन्हें कभी लागू नहीं किया गया। यह एक आश्चर्यजनक स्थिति थी। या यूँ कहें कि किसानों का 1913-14 का असहयोग आन्दोलन धोखाधड़ी द्वारा असफल बना दिया गया था। लम्बे समय में आन्दोलित किसानों को यह भरोसा हो गया था कि बिजौलिया के जागीरदार से उन्हें कोई रिआयत मिलने वाली नहीं है, किन्तु मेवाड़ राज्य से वे न्याय की अपेक्षा रखते थे। मेवाड़ राज्य की दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था थी। जहाँ महाराणा मेवाड़ कोई भी निर्णय लेने के लिए एक ओर अंग्रेज अधिकारियों पर निर्भर करता था वहीं दूसरी ओर अपने प्रमुख जागीरदारों (16 उमरावों) की सलाह लेना आवश्यक समझता था। जैसा पूर्व में उल्लेख किया गया है कि इस समय बिजौलिया जागीर का प्रबन्ध सीधे राज्य के नियंत्रण में था जो किसानों के हित में कटा जा सकता है, किन्तु उपरोक्त घोषणा को लागू न करने के पीछे बड़े जागीरदारों का हाथ था। वे नहीं चाहते थे कि बिजौलिया के किसानों को रिआयतें देकर अन्य जागीरों में भी किसान आन्दोलन जैसे सक्रामक रोग को आमन्त्रित किया जाए। इस घोषणा को लागू करने का दूसरा अर्थ था सामन्तों की शक्ति का ह्रास जो उस समय के सर्वशक्तिमान होने से शत्रु दम्भ रखने वाले शासकों को एकदम घसटने नहीं आ सकता था।

जून, 1914 की घोषणा ने बिजौलिया के किसान आन्दोलन को क्षणिक रूप में अस्थाई तौर पर शांत करने में सफलता प्राप्त अवसर की, किन्तु बिजौलिया के किसान अधिक समय तक अपने सामन्त विरोधी आन्दोलन को स्थगित नहीं रख सके। किसानों ने उपरोक्त घोषणा के बाद अपना कृषि कार्य पुनः आरम्भ कर दिया था, किन्तु घोषणा को लागू न होने के कारण किसानों में असन्तोष बढ़ता जा रहा था। वर्ष 1915 तक इस दिशा में कोई अन्य प्रगति नहीं हुई। इस प्रकार बिजौलिया किसान आन्दोलन का प्रथम चरण

असफलता समेटे हुए था। किन्तु इस चरण का सही परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया जाए तो हम इसे एक सफल युग की राज्ञा से परिभाषित कर सकते हैं। इस चरण में किसानों में भारी उत्साह व नई चेतना का संचार हुआ। इस चरण के दौरान स्वस्फूर्त किसान आन्दोलनों का नेतृत्व भोले एव अनपढ़ किसानों ने स्वयं किया था। जिससे किसानों में राजनीतिक चेतना के उदय का युग आरम्भ हुआ। अतः इस चरण में ऐसी भूमि तैयार हो गई थी जिस पर तीखा सामन्त विरोधी सघर्ष का वृक्षारोपण सम्भव था।

दूसरा चरण (1916-1922)

सन् 1916 में विजय सिंह पथिक के बिजौलिया आगमन एव किसान आन्दोलन का नेतृत्व सम्भालने से आरम्भ होता है बिजौलिया किसान आन्दोलन का दूसरा चरण। साधु सीताराम दास ने 1915 में विजय सिंह पथिक को बिजौलिया किसान आन्दोलन का नेतृत्व सम्भालने के लिए आमन्त्रित किया। विजय सिंह पथिक रासबिहारी बोस के क्रान्तिकारी संगठन का सदस्य था। उसका वास्तविक नाम भूप सिंह था तथा उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले के गुढावली नामक गांव का रहने वाला था। ऐसा उल्लेख मिलता है कि 1857 के विद्रोह में उसके पिता व पितामह ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। उसके पितामह अग्रेजी सेनाओं से लड़ते हुए 1857 में शहीद हुए थे तथा क्रान्ति के दमन के पश्चात् इनके पिता को बन्दी बनाया गया था।¹¹ अतः विजय सिंह पथिक को उसकी पृष्ठभूमि ने क्रान्तिकारी बनाया था। उसे उसके क्रान्तिकारी दल के साथियों ने राजस्थान में क्रान्तिकारी गतिविधियों को रागठित करने के लिए भेजा था। इसी दल के रासबिहारी बोस एव सचिन्द्रनाथ सान्याल ने अपने साथियों के साथ मिलकर 23 दिसम्बर 1912 को दिल्ली में गवर्नर जनरल हार्डिंग पर बम फेंका जब वह भारत की नई राजधानी में औपचारिक रूप से पहली बार प्रवेश कर रहा था। इस घटना में हार्डिंग बाल-बाल बचा तथा क्रान्तिकारियों की योजना असफल हो गई जिससे क्रान्तिकारी गतिविधियों में अवरोध उत्पन्न हो गया। सन् 1914 में पुनः रासबिहारी बोस एव सचिन्द्र नाथ सान्याल ने 21 फरवरी 1915 को सैनिक क्रान्ति की योजना बनाई किन्तु विश्वासघात के कारण योजना असफल हो गई। रासबिहारी बोस भाग कर जापान चला गया तथा सचिन्द्रनाथ सान्याल बन्दी बना लिया गया तथा उसे आजीवन कारावास की सजा हो गई।¹² राजस्थान में विजय सिंह पथिक एव उसके साथियों को इस संगठन से जुड़े होने के सन्देह में बन्दी बना लिया गया था। विजय सिंह पथिक को टोंडगढ की जेल में डाल दिया गया। कुछ समय पश्चात् वह जेल से बच निकला तथा अपना नाम विजय सिंह पथिक रखकर राजस्थानी वेषभूषा धारण कर राजस्थान में ही सामाजिक कार्य करने लगा।

जेल से बचने के बाद विजय सिंह पथिक ने चित्तौड़ के समीप ओछडी नामक गांव में किसानों के बीच कार्य करते हुए विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की। जनवरी 1915 में उसने विद्या प्रचारणी सभा का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में बिजौलिया का साधु सीताराम दास भी सम्मिलित हुआ। साधु सीताराम दास विजय सिंह पथिक के विचारों से भारी प्रभावित हुआ तथा उससे बिजौलिया के आन्दोलित किसानों

का नेतृत्व सम्भालने के लिए आग्रह किया। पथिक 1916 में विजौलिया पहुँचा तथा आन्दोलन का नेतृत्व सम्भाला।¹⁹ विजय सिंह पथिक एक परिपक्व राजनीतिज्ञ व आन्दोलनकर्ता था। उसने विजौलिया किसान आन्दोलन को एक निश्चित व संगठित स्वरूप प्रदान किया। उसने विजौलिया में भी विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की। इस सभा के अन्तर्गत एक पुस्तकालय एक स्कूल व एक अखाड़ा स्थापित किया गया।²⁰ ये संस्थान किसान आन्दोलन की राजनीतिक गतिविधि का केन्द्र बन गए थे। इसी समय माणिक लाल वर्मा जो विजौलिया ठिकाने के कर्मचारी थे ने विजय सिंह पथिक की गतिविधियों से अत्यधिक प्रभावित होकर ठिकाने की सेवा से त्याग पत्र दे दिया। तत्पश्चात् माणिक लाल वर्मा ने किसानों के कल्याण हेतु पथिक के साथ कार्य करना आरम्भ किया। माणिक लाल वर्मा ने पथिक की सलाह पर विद्या प्रचारणी सभा के अन्तर्गत पेरीसाल व उमाजी का खेडा नामक गावों में विद्यालय खोले। इस प्रकार किसानों में शिक्षा के माध्यम से नई चेतना का संचार करने में पथिक सफल रहा।

अब तक विजौलिया का किसान आन्दोलन सामाजिक आधार पर घाकड़ जाति के किसानों की जाति पचायत द्वारा चलाया जा रहा था। सन् 1916 में पथिक ने विजौलिया किसान पचायत की स्थापना की तथा प्रत्येक गाव में इसकी शाखाएँ खोलीं। एक केन्द्रीय पचायत कोष भी स्थापित किया गया था जिसमें पचायत के सदस्यों से धनराशि एकत्रित की थी।²¹ मन्ना लाल पटेल को विजौलिया किसान पचायत का सरपंच (अध्यक्ष) बनाया तथा उसके मातहत आन्दोलन संचालन हेतु 13 सदस्यीय समिति गठित की गई।²² किसान आन्दोलन के भू-राजस्व लागू-बाग, बेगार इत्यादि मुद्दे तो यथावत चले आ रहे थे किन्तु 1916 में उदयपुर राज्य के इशारे पर विजौलिया जागीरदार द्वारा किसानों पर युद्ध कर शोषण के परिणाम स्वरूप नवगठित विजौलिया किसान पचायत को आन्दोलन आरम्भ करने के लिए तत्पर होना पड़ा। सन् 1916 का वर्ष अकाल का वर्ष था। वर्षा के अभाव व फसलों में रोग लग जाने के कारण विजौलिया में अधिकांश फसलें नष्ट हो गई थी। अतः अकाल के वर्ष में राजस्व मुक्ति का मुद्दा और जुड़ गया था। एक अन्य मुद्दा सूदखोरों (महाजनों) से सम्बन्धित था। जागीरदार के समर्थन व सुरक्षा के अन्तर्गत सूदखोर किसानों का शोषण कर रहे थे।²³ वास्तव में सूदखोर सामंती अर्थ व्यवस्था के अभिन्न अंग थे तथा शोषण की शृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी थे। अतः सामन्तवाद से लड़ने के लिए सूदखोरों से लड़ना अपरिहार्य था। यह इस तथ्य से सिद्ध होता है कि किसान आन्दोलन के दौरान सूदखोरों ने जागीरदार को समर्थन देते हुए उसके पक्ष को न्यायोचित सिद्ध करने का पूर्ण प्रयास किया था। दूसरे चरण के दौरान वर्ग विभाजन स्पष्ट परिलक्षित होता है जिसमें जनता के सभी वर्ग वर्ग चेतना से ओत प्रोत दिखाई देते हैं।

विजौलिया किसान पचायत के निर्देशन व निर्णयानुसार किसान नेताओं ने सामन्त विरोधी अभियान दिसम्बर 1915 से आरम्भ कर दिया। अभियान के प्रारम्भ में गाव-गाव में किसानों की सभाएँ आयोजित की गईं तथा किसानों से उनकी शिकायतों के सम्बन्ध में आवेदन पत्र एकत्रित किए। वर्ष 1917 के दौरान हजारों किसानों के हस्ताक्षरयुक्त

याचिकाएँ बिजौलिया ठिकाने व उदयपुर राज्य के पास भिजवाई गईं। इन याचिकाओं के द्वारा लागू-बागों बेगार युद्धकर अन्यायिक भू-राजस्व समाप्त करने तथा जागीरदार व उसके कारिन्दों के हाथों किसानों के दमन व उत्पीड़न को रोकने का आग्रह किया गया था। इन याचिकाओं पर सत्ताधारियों ने कोई ध्यान न देते हुए इनकी पूर्ण उपेक्षा की। उदयपुर राज्य की स्पष्ट मान्यता थी कि किसानों को किसी भी प्रकार की छूट सम्पूर्ण राज्य में किसानों को समान छूटों की माग के लिए उत्साहित करेगी तथा किसान आन्दोलन सम्पूर्ण राज्य में फैल सकता है। राज्य एवं जागीरदार की ओर से अनदेखी करने पर किसान पचायत ने अगस्त 1918 में कर बन्दी के साथ असहयोग आन्दोलन आरम्भ करने की घोषणा कर दी थी। पचायत के निर्णयानुसार किसानों ने भू-राजस्व जमा न करने ठिकाने के आदेशों की अवज्ञा करना तथा ठिकाने की पुलिस एवं न्यायालयों का बहिष्कार करना आरम्भ कर दिया। इतना ही नहीं वरन् किसानों ने अपने दूसरे शोषक महाजनों का भी बहिष्कार किया जिसके अनुसार किसानों ने करबे में खरीददारी के लिए नहीं जाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही किसानों ने शराब न पीने तथा विवाह व मृत्यु भोजन करने का भी निर्णय लिया।¹⁹

इस समय बिजौलिया के किसान रूस की अक्टूबर 1917 की क्रान्ति से भी प्रेरित थे। पथिक, माणिकलाल वर्मा साधू सीताराम दास भदर लाल सुनार प्रेमचन्द भील इत्यादि नेता रूस में किसान एवं मजदूर सत्ता की स्थापना का समाचार बिजौलिया के किसानों में प्रसारित कर रहे थे। इस अन्तर्राष्ट्रीय घटना ने बिजौलिया के किसान आन्दोलन को प्रभावित किया।²⁰ अतः इस समय बिजौलिया के किसान आन्दोलन ने नया मोड़ लिया तथा तीखे तैवर दिखाए। उदयपुर का महाराणा इस आन्दोलन को कुचलने के पक्ष में था क्योंकि यह इस प्रकार के किसान आन्दोलन के सम्पूर्ण राज्य में फैलने की सम्भावना से भयभीत था। अतः महाराणा ने बिजौलिया के जागीरदार को इस आन्दोलन को कुचलने के निर्देश देते हुए ठिकाने की पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया। इसके उपरान्त ठिकाने की किसान विरोधी दमनात्मक गतिविधियाँ आरम्भ हो गईं। इसके अन्तर्गत माणिक लाल वर्मा व साधू सीताराम दास सहित सभी सक्रिय नेताओं तथा कार्यकर्त्ताओं को बन्दी बना लिया गया था। कुल मिलाकर 50 लोग गिरफ्तार हुए। विजय सिंह पथिक इसी बीच भूमिगत होकर आन्दोलन का संचालन करने लगा। किसानों ने सत्याग्रह आरम्भ करते हुए जेल भरना आरम्भ कर दिया। विरोध स्वरूप लगभग 500 किसानों ने बिजौलिया गढ़ के समक्ष प्रदर्शन किया जिन्हें बन्दी बना लिया गया। किसानों के जत्थे सत्याग्रह के लिए वहाँ पहुँचने लगे और हजारों किसान धरने पर बैठे। मजबूर होकर उदयपुर राज्य ने जनवरी 1919 में एक जाँच आयोग नियुक्त कर दिया। यह जाँच आयोग अप्रैल 1919 में बिजौलिया पहुँचा। आयोग की अनुशासा पर सभी बन्दी किसान एवं नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया था जो कि किसान आन्दोलन की भारी सफलता थी।

जाँच आयोग ने किसानों की शिकायतों को सच पाया किन्तु ठिकाने के दबाव के

कारण कोई कार्यवाही इस दिशा में नहीं हो सकी। असल में उदयपुर राज्य व विजौलिया ठिकाना किसान आन्दोलन को बगैर कोई मांग माने तोड़ देना चाहते थे। जांच आयोग की मान्यता थी कि बन्दियों को रिहा करने से आन्दोलन शान्त हो जाएगा किन्तु इसके विपरीत किसान आन्दोलन अधिक तीव्र हो गया था। राज्य एवं जामीर की आर से आन्दोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से इसे धाकड़ जाति का आन्दोलन सिद्ध करने के प्रयास किए जा रहे थे। इस आधार पर अन्य जाति के किसानों को इस आन्दोलन से अलग करने का प्रयास किया गया। किन्तु इस समय तक यह आन्दोलन जातीय सीमाओं का लाघकर वर्गीय एकता में परिवर्तित हो चुका था।

आन्दोलन का सामाजिक आधार काफी विस्तृत हो गया था। एक सरकारी दस्तावेज में उल्लेख मिलता है कि लगभग आधी जनसंख्या इस आन्दोलन में भागीदार थी। कुल 9000 आन्दोलन कर्ताओं में धाकड़ जाति के लोगों की संख्या 6000 थी।¹⁷ इस विवरण से स्पष्ट है कि आन्दोलन में धाकड़ों के अतिरिक्त अन्य जाति के किसान भी उल्लेखनीय संख्या में थे।

विजौलिया का किसान आन्दोलन अपने दूसरे चरण में जातीय एवं क्षेत्र की सकीर्णताओं को लाघकर राष्ट्रीय धारा के साथ जुड़ने की प्रक्रिया में था। विजय सिंह पथिक ने संयुक्त प्रान्त के क्रांतिकारी नेता व पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर लिए थे। पथिक अजमेर रहकर आन्दोलन का संचालन कर रहे थे। गणेश शंकर विद्यार्थी के कानपुर से प्रकाशित हान वाले समाचार पत्र "प्रताप" ने विजौलिया किसान आन्दोलन के पक्ष में अनेक लेख व समाचार प्रकाशित किए जिससे विजौलिया का किसान आन्दोलन राष्ट्रीय परिदृश्य में सम्मिलित हो गया था। विजौलिया के किसानों ने अपनी मांगें न माने जान तक विजौलिया में भूमि न जोतने का निर्णय जारी रखा। विजौलिया किसान आन्दोलन के नेताओं ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के प्रयास किए किन्तु कोई विशेष सफलता नहीं मिली, क्योंकि कांग्रेस देशी रियासतों में आन्दोलन के पक्ष में नहीं थी। राजरथान तथा राघ तथा राजपूताना मध्य भारत तथा जैसे क्षेत्रीय व स्थानीय संगठन अवरय विजौलिया आन्दोलन को सुलभ कर समर्थन दे रहे थे। दिसम्बर 1919 के कांग्रेस के अग्रतार रात्र में विजय सिंह पथिक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से विजौलिया किसान आन्दोलन के समर्थन एवं महाराणा की भर्त्सना का प्रस्ताव रखवाने में सफल रहे किन्तु महारत्ना गौधी एवं मदन मोहन मालवीय के विरोध के कारण प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। धाड़े कांग्रेस में विजौलिया किसान आन्दोलन को समर्थन न दिया फिर भी इस आन्दोलन ने राष्ट्रीय स्तर अवरय प्राप्त कर लिया था। इसके माध्यम से विजौलिया किसान आन्दोलन के नेता उदयपुर महाराणा के ऊपर दबाव बनाने में सफल रहे जिससे मजबूर होकर महाराणा ने दूसरा जांच आयोग नियुक्त किया। इस आयोग की नियुक्ति फरवरी 1920 में हुई।¹⁸ नए आयोग का किसानों ने स्वागत किया किन्तु आयोग का निर्णय प्राप्त होने तक किसान पतागत में आन्दोलन जारी रखने का निर्णय लिया।¹⁹

इस द्वितीय आयोग के समक्ष किसानों की माँगों को प्रस्तुत करने के लिए पन्द्रह सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल माणिक लाल वर्मा के नेतृत्व में उदयपुर पहुँचा। इस प्रतिनिधि मण्डल ने किसानों की शिकायतें व मांगें प्रस्तुत करते हुए आन्दोलन के समर्थन में आयोग के समक्ष साक्ष्य सहित अपनी यात रखी। जॉच आयोग ने सम्पूर्ण जॉच प्रडनाल के उपरान्त आन्दोलन की माँगों को न्यायोचित मानते हुए अनुशया की कि किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। महाराणा एवं जागीरदार इस आयोग की अनुशयाओं से सहमत नहीं थे अतः इस मुद्दे पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। जून 1920 तक किसानों एवं जागीरदार के मध्य समझौते के आसार समाप्त हो गए थे तथा किसानों को मजबूर होकर अपना आन्दोलन तेज करना पड़ा। किसानों ने असहयोग द्वारा जागीर प्रशासन को ठप्प अथवा अप्रभावी बना दिया था एवं किसान पंचायत की एक प्रकार से समानान्तर सरकार ही स्थापित हो गई थी। दिसम्बर 1920 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आन्दोलन के आरम्भ करने से बिजौलिया के किसान आन्दोलन को भारी शक्ति मिली।¹³

सन् 1921 के आरम्भ में बिजौलिया किसान आन्दोलन को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से बिजौलिया किसान पंचायत एवं राजस्थान सेवा सघ उदयपुर राज्य के खालसा क्षेत्रों तथा पारसोली, भिडर भँसरोड़गढ़ बस्ती मडेसरा बैगू आदि ठिकानों में भी किसान आन्दोलन आरम्भ करने में सफल रहे। इससे बिजौलिया आन्दोलन का प्रभाव विस्तार क्षेत्र काफी विस्तृत हो गया था। उदयपुर के रेजीडेन्ट ने दिसम्बर 1921 की एक रिपोर्ट में स्थिति का विवरण इस प्रकार दिया है

“अब असतोष उदयपुर दरबार के प्रबन्ध के अन्तर्गत भिन्डर जागीर की और बढ़ रहा है जहाँ किसान राजस्व देने से खुला इन्कार कर रहे हैं। बिजौलिया तथा इसके पड़ोसी ठिकानों पारसोली, बैगू एवं बस्ती में स्थिति और भी बिगड़ गई है। वहाँ राजस्व अदा करने से व्यापक असहमति है। यदि वहाँ राजस्व वसूल करने अथवा सरकारी आदेशों को लागू करने का कोई प्रयास किया गया तो हिंसा की सम्भावना है। प्रत्येक गावों में पंचायतों का गठन किया गया है जिनके ऊपर एक उच्च समिति है। जो दीवानी फौजदारी एवं राजस्व के मामले में निर्णय लेती है। वे निर्धारित दिनों पर मिलते हैं तथा जागीरदार की सत्ता स्वीकार करने से इन्कार करते हैं। वे पूर्ण बहिष्कार एवं जाति बाहर की पद्धति स्थापित कर चुके हैं एवं उन पर जुर्माना थोप देते हैं जो उनके आदेशों का पालना नहीं करते। प्रत्येक ठिकाने में लाठियों से युक्त किसानों की साप्ताहिक सभाएँ होती हैं। प्रत्येक गाव में पिछले तीन गाह से विल्ला एवं पट्टाधारी स्वयं सेवक नियुक्त हुए हैं। वे सभाओं के पर्ये बाटते हैं तथा किसी भी राज्य कर्मचारी को गाव में घुसने से रोकते हैं। एक असतोष का माहौल उत्पन्न किया जा रहा है तथा आन्दोलन फैल रहा है।”¹⁴

सन् 1921 की राजपूताना एजेन्सी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि मेवाड़ अव्यवस्था का गर्भ केन्द्र बनता जा रहा है। राजद्रोही भेदिए लोगों को समझा रहे हैं कि सभी आदमी समान हैं। भूमि किसानों की है राज्य एवं जागीरदार की नहीं। यह

उल्लेखनीय है कि लोगों को सामान्य सम्बोधन की लीक से हटकर 'कॉमरेड' के समान देशी भाषा की शब्दावली में आपसी सम्बोधन के लिए उकसाया जा रहा है। कहा जाता है कि महाराणा को रूस के जार जैसी स्थिति कर देने की धमकी दी गई है। आन्दोलन मुख्य रूप से महाराणा विरोधी है किन्तु शीघ्र ही यह ब्रिटिश विरोधी होकर पड़ोसी ब्रिटिश क्षेत्रों में फैल सकता है।¹

उपरोक्त उद्घरणों से स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार इस आन्दोलन से भयभीत थी क्योंकि यदि इस आन्दोलन को तुरन्त नियन्त्रित नहीं किया गया तो यह सम्पूर्ण राजस्थान में फैल सकता है। इस समय तक बिजौलिया जैसा किसान आन्दोलन लगभग सम्पूर्ण उदयपुर राज्य में फैल चुका था तथा इसी समय मोती लाल तेजावत के नेतृत्व में मेवाड़ सिरोही मारवाड़ ईडर पालनपुर दाता आदि के आदिवासी भी विद्रोही हो गए थे। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ब्रिटिश सरकार ने बिजौलिया आन्दोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया।² इस उद्देश्य से भारत सरकार ने एक उच्च शक्ति प्रदत्त समिति गठित की जिसमें एजेन्ट टू गवर्नर—जनरल इन राजपूताना मि सरबट हालैण्ड उसका सचिव कर्नल ओगालवी उदयपुर का ब्रिटिश रेजीडेन्ट विल किन्सन, उदयपुर का दीवान प्रभाष चन्द्र घटर्जी एवं उदयपुर का सीमा शुल्क हाकिम बिहारी लाल कौशिक सम्मिलित थे।³

उपरोक्त समिति ने सभी प्रभावित ठिकानों का सघन दौरा किया तथा अपने स्तर पर बढ़ते हुए किसान असंतोष को समाप्त करने के अनेक उपाय सोचे। इस समिति की यह स्पष्ट मान्यता बनी कि मेवाड़ के सभी प्रभावित ठिकानों व खालसा क्षेत्र के किसान आन्दोलन व असंतोष का मुख्य कारण बिजौलिया किसान आन्दोलन है। यदि इसे किररी भी प्रकार शान्त कर दिया जाए तो अन्य आन्दोलन स्वतः ही समाप्त हो जाएँगे। अतः यह समिति 4 फरवरी 1922 को बिजौलिया पहुची तथा 5 फरवरी को समझौता हेतु वार्ता आरम्भ हुई। किसानों की ओर से बिजौलिया किसान पचायत का सरपंच मोती चन्द, मन्त्री, नारायण पटेल, राजस्थान सेवा सघ के सचिव रामनारायण चौधरी एवं माणिक लाल वर्मा इस आयोग के साथ वार्ता करने के लिए अधिकृत किए गए थे तथा ठिकाने की ओर से कामदार हीरा लाल, फौजदार तेज सिंह एवं झालम सिंह ठिकाने का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत थे।⁴ लम्बे विचार-विमर्श एवं वार्ता के पश्चात् निम्नलिखित शर्तों पर समझौता करना निश्चित किया गया था।⁵—

- 1 जेल में बंदियों के साथ मानवतापूर्ण आधारा पर सद्व्यवहार किया जाएगा तथा कड़ी के जेल में रहने के दौरान रुखा पर होने वाले सभी रूढ़ि, ठिठान, बहन करण, महिला बन्दियों का पुराने से पृथक रखा जाएगा तथा उनके साथ सम्यक् व्यवहार किया जाएगा। बन्दियों का निम्नानुसार भोजन उपलब्ध कराया जाएगा—

गेहूँ का आटा	12	छटाक
दाल	1	छटाक
हरी सब्जियाँ	3	छटाक
मसाला	1/2	छटाक
घी	1	छटाक

- 2 सामाजिक विवादो तथा पशुओ के द्वारा फसल नष्ट करने गाली देने व्यक्तिगत अपमान करने जैसे फौजदारी मामलो मे किसान पचायतो का निर्णय ठिकाने को मान्य होगा।
- 3 उत्पादन की दरें निर्धारित करने हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा जिस पर भू-राजस्व संग्रह के समय वर्ष में दो बार व्यापारी खरीददारी कर सकेंगे। इस समिति के आधे सदस्य किसान होंगे।
- 4 किसान पचायत के माध्यम से ठिकाना किसानों की शिक्षा हेतु 30 रुपये प्रतिमाह देगा जिसे पचायत अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकेंगी किन्तु प्रत्येक दो माह पर ठिकाने मे हिसाब प्रस्तुत किया जाएगा किन्तु मेवाड़ राज्य द्वारा प्रतिबन्धित साहित्य को नहीं पढ़ाया जाएगा।
- 5 तब तक किसान की जोत जब्त नहीं की जाएगी जब तक उसका कोई वैध स्वामी हो अथवा बिना किसी खास कारण के तीन साल का राजस्व अदा न किया हो।
- 6 यदि किसी प्राकृतिक प्रकोप के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं तो भू-राजस्व पर 6 माह तक कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। तत्पश्चात् अगले 6 माह तक ब्याज की दर एक प्रतिशत होगी।
- 7 किसानो की फसल व सम्पत्ति की सुरक्षार्थ ठिकाना चौकीदारी का प्रबन्ध करेगा। इस हेतु ठिकाना 5 सिपाही व 5 सवार नियुक्त करेगा।
- 8 जब कभी ठिकाना किराी किसान से जमानत मागेगा तो उस स्थिति में केवल सूदखोर (महाजन) ही नहीं बल्कि भद्र किसान की जमानत स्वीकार की जाएगी।
- 9 आन्दोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दायर मुकदमों को सामान्यतया वापस ले लिया जाएगा। जो भूमि जब्त कर ली गई थी अथवा किन्ही अन्य को आवंटित कर दी गई थी वैध स्वामियों को वापस लौटाई जाएगी। इसी प्रकार किसानो द्वारा आन्दोलन के दौरान ठिकाने के कर्मचारियों के खिलाफ दायर मुकदमों को किसान वापस ले लेंगे।
- 10 पशु घराने हेतु प्रत्येक गाव में पर्याप्त चारागाह भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी।
- 11 किसानो की जोत में उगे हुए वृक्षो पर उनका स्वामित्व होगा। यह बगैर कोई राजस्व अथवा लाग दिए इनका स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकेगा।
- 12 सवत् 1975-77 (वर्ष 1918-1920) के दौरान विरोध स्वरूप किसानो द्वारा नहीं जोती गई भूमि पर बकाया राजस्व वसूल नहीं किया जाएगा।
- 13 पशुओ के बाड़े के रूप मे काम ली जाने वाली भूमि पर कोई राजस्व नहीं लिया जाएगा।
- 14 बैजनाथ जी डाड़ा का सुरक्षित जगल समाप्त किया जाएगा तथा हरजीपुरा जगल का उपयोग किसान पशु घराने व लकड़ी प्राप्त करने के लिए कर सकेंगे।
- 15 दोपियों का खारा अथवा काठ की सजा नहीं दी जाएगी।
- 16 ठिकाना घोषित करेगा कि कौन से जगल व्यक्तिगत उपयोग हेतु घास व ईंधन की लकड़ी लाने के लिए खुले हैं। यदि कोई किसान अपनी निजी आवश्यकता से

अधिक घास-लफ्डी लेगा तो उसे दण्डित किया जाएगा।

- 17 किसानों के उत्पादन में से सर्वप्रथम भू-राजस्व की वसूली की जाएगी। अन्य कर्जों की डिगरी तभी कार्यान्वित की जाएगी जब यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि भूमिदान के बाद किसान के पास अगली फसल आने तक अपने परिवार के पालन हेतु पर्याप्त उत्पाद है। किसी भी डिगरी को लागू करने के लिए निम्नलिखित वस्तुएं जबरन अथवा नीलाम नहीं की जा सकेंगी -

अ कृषि उपकरण पशु एवं उसके गुजारे हेतु आवश्यक अनाज।

ब घर अन्य इमारतें एवं वह वस्तु जो किसान के उपयोग हेतु आवश्यक है।

स परिवार के कपड़े भोजन प्रदान के बर्तन तथा महिलाओं के गहने।

- 18 ठिकाने की अनुमति के बिना किसान अपने खेतों की बाड़ व कृषि उपयोग हेतु झाड़ियां काटने के लिए स्वतंत्र होंगे।

- 19 ठिकाना प्रतिमाह 20 रुपए औषधि वितरण हेतु देगा।

- 20 बिजौलिया के राव ने सहमति व्यक्त करते हुए यह मानना स्वीकार किया कि इस समझौते की शर्तें उसके ठिकाने के अन्तर्गत छोटी जागीरों के किसानों पर भी लागू होंगी।

- 21 नूत-बराड नामक लागू जो जागीरदार के परिवार में शादी के अवसर पर वसूल की जाती थी अब उस पर जोर नहीं दिया जाएगा किन्तु यह स्वीच्छक होगी।

- 22 किसान इसे अपना सामाजिक दायित्व समझे कि जब कोई (राज्य अथवा ठिकाना कर्मचारी/अधिकारी) उनके गांव में दौरे पर आयेगा तो किसान उसे साधारण परिवहन मजदूर एवं भोजन सामग्री निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध करवाएंगे। इस हेतु कीमत निर्धारण सम्बन्धित गांव के सरपंच द्वारा किया जाएगा। यदि किसी विशेष कारणवश ये सेवाएं नहीं दी जा सकेंगी तो किसानों के साथ कोई कठोरता नहीं बरती जाएगी।

- 23 अनेक लोगों से भुक्ति प्रदान की गई अथवा इनका भार कम कर दिया गया जिसकी एक विस्तृत सूची बनाई गई। यह तय किया गया कि भविष्य के लिए भू-राजस्व नए बन्दोबस्त के अनुसार लिया जाएगा। नया बन्दोबस्त सामान्य नियमों पर आधारित होगा जो ब्रिटिश भारत में प्रचलित हैं। भू-राजस्व के साथ केपल वे ही लागे ली जाएंगी जो ब्रिटिश भू-भागों में भी ली जाती हैं।

सालवार बधाई एवं छद्द लागे बन्दोबस्त से अप्रभावित रहेंगी। नया बन्दोबस्त होने तक पुरानी पद्धति द्वारा निर्धारित दर जो 3/4 भाग भू-राजस्व के रूप में लिया जाएगा। पिछले वर्ष की भू-राजस्व की राशि 3 वार्षिक किराता में वसूल की जाएगी।

नए बन्दोबस्त को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद किसानों से वसूल की गई भू-राजस्व की राशि अधिक होगी तो उसकी अन्तर राशि किसानों से ली जाएगी और यदि वसूल की गई राशि अधिक होगी तो किसानों से वापस लौटाई जाएगी।

- 24 छद्द लागू के अन्तर्गत 6300 रुपए वार्षिक के स्थान पर 2225 रुपये प्रतिवर्ष वसूल की जाएगी एवं नए बन्दोबस्त के उपरान्त यह राशि भू-राजस्व में सम्मिलित की

जाएगी।

- 25 तलवार बधाई लाग के अन्तर्गत जागीरदार की मृत्यु पर नए उत्तराधिकारी द्वारा 40 000 रुपए किसानों से तलवार बधाई के अवसर पर वसूल की जाती थी अब सभी किसान मिलकर 1000 रुपए प्रतिवर्ष भू-राजस्व के साथ जमा कराएँगे।
- 26 नया बन्दोबस्त। अक्टूबर 1922 से आरम्भ हो जाएगा।
- 27 भू-राजस्व ब्रिटिश भारतीय मुद्रा में लिया जाएगा तथा माडलगढ़ व बिजौलिया में प्रचलित बटटे (मुद्रा परिवर्तन का कमीशन) की दर वसूल की जाएगी।

उपरोक्त समझौता 11 जून 1922 को किसानों एवं ठिकाने द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। यह समझौता बिजौलिया किसान आन्दोलन की बहुत बड़ी विजय थी। पहली बार किसान प्रतिनिधियों का राज्य व ठिकाने के बड़े अधिकारियों के साथ सीधा समझौता हुआ था। इसके द्वारा किसानों की लम्बे समय से चली आ रही अधिकाश मार्गों को मान लिया गया था। इस समझौते में प्रथम बार ठिकाने की ओर से किसानों की शिक्षा व स्वास्थ्य का प्रावधान रखा गया था। सत्ता पक्ष ने किसान पचायत को किसानों की एक महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधि संस्था के रूप में मान्यता प्रदान कर दी थी। पचायत को अनेक शक्तियाँ व कर्तव्य सौंपे गए थे। देगार समाप्ति लागों की कमी व समाप्ति प्राकृतिक उत्पादों पर किसानों के अधिकारों, ईंधन की लकड़ी व पशु चराई हेतु जगलात के उपयोग की छूट आदि का प्रावधान अत्यधिक महत्त्वपूर्ण था क्योंकि इनसे आर्थिक प्रगति का द्वार खुलता है। सामान्य नियमों पर आधारित नए बन्दोबस्त का अर्थ था भूमि पर स्वेच्छाचारी सामन्ती नियंत्रण में ढील। इन सबके अतिरिक्त द्वितीय चरण की इस सफलता के पश्चात बिजौलिया किसान आन्दोलन न केवल मेवाड का वरन् सम्पूर्ण राजस्थान का अग्रणी व पथ प्रदर्शक किसान आन्दोलन बन गया था जिसने किसानों को सामन्ती दासता के विरुद्ध संघर्ष हेतु प्रोत्साहित किया। 1897 में आरम्भ हुआ बिजौलिया किसान आन्दोलन 25 वर्षों की अवधि के बाद सम्मानजनक तरीके से निर्णायक दौर में पहुँचा। किसानों की इस भारी सफलता से प्रभावित होकर राजस्थान के अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के किसान आन्दोलन आरम्भ हुए। कुछ लेखकों ने इस आन्दोलन की सफलता के श्रेय के सम्बन्ध में एक बड़ी बचकानी बात लिखी है कि पथिक को इस सफलता का श्रेय देना उपयुक्त नहीं है। पहली बात तो यह है कि जन आन्दोलन की सफलता का श्रेय जनशक्ति को जाता है वही दूसरी बात जहाँ तक नेतृत्व का सवाल है वह हमेशा समुक्त होता है। किन्तु बिजौलिया आन्दोलन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित कर लोकप्रिय बनाने में विजय सिंह पथिक के प्रयासों की सराहना करना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विजय सिंह पथिक ने कभी नेतृत्व को केन्द्रीयकृत करने का प्रयास भी नहीं किया तथा स्वयं किसानों में नेतृत्व की योग्यता विकसित करने का प्रयास किया था।

तीसरा चरण (1923-1941)

सन् 1922 का समझौता जितनी बड़ी सफलता थी उतना ही धोखा एवं छलावा

वन कर रह गया था। पहली बात तो यह हुई कि इस समझौते को पूर्णतः क्रियान्वित ही नहीं किया गया था। दूसरा दबाव में मेवाड़ राज्य एवं विजौलिया ठिकाने ने समझौता तो कर लिया था, किन्तु इस समझौते के पश्चात् जागीरदार एवं उसके अधिकारियों व कर्मचारियों का व्यवहार किसानों के प्रति अत्यधिक कठोर व उदासीन हो गया था। अंग्रेजों की किसान विरोधी नीति और मुखर होकर सामने आई थी। वर्ष 1923 के दौरान सम्पूर्ण भारत में कृषक आन्दोलन को अंग्रेजों ने शक्ति द्वारा कुचल दिया था। अतः विजौलिया किसान आन्दोलन के प्रति सत्ता पक्ष का कठोर और उदासीन व्यवहार तदानुकूल ही था। वैसे भी सत्ता पक्ष को यह भरोसा था कि विजौलिया समझौते के पश्चात् मेवाड़ के अन्य ठिकानों के किसान आन्दोलन स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे किन्तु ऐसा नहीं हुआ। विशेषतः वैगू का किसान आन्दोलन इस समझौते के पश्चात् और अधिक तीव्र हो गया था।¹ यहाँ भी विजय सिंह पथिक किसान आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे थे। पथिक की यदती हुई गतिविधियाँ से यह स्पष्ट हो गया था कि मेवाड़ में किसान आन्दोलन समझौते के स्थान पर दमन द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। अतः उदयपुर राज्य ने किसान आन्दोलन को कुचलने के कुचक तैयार करना आरम्भ कर दिया था। उदयपुर राज्य की इस दिशा में प्रयासों का एक उदाहरण निम्नलिखित सार्वजनिक सूचना है²—

“इशतहाद मजरिया राज श्री महकमहखास श्री दरवार उदयपुर मुल्क

मेवाड़ मरकूमा द्वितीय जेठ सुदी 7 ता. 21 जून, 1923 ई. संवत् 1979”

“गुजिस्ता चद सालो से प्रताप राजस्थान केसरी व नवीन राजस्थान नामी हिन्दी हफ्तेवार व रोजाना अखबारो में खिलाफ याकेआत व मुगालता आमेज मजामीन शाय्या किए जाते हैं। जिससे कमफहम लोगो को मुगालता होता है और कितने ही मजामीन इस किरम के पुरजाश अलफाजो में लिखे जाते हैं जिससे सरासर साया करने वालो का इरादा यह पाया जाता है कि अहालिया ने रियासत के निस्वत आम लोगो की तबियत में नफरत व टिकारत के ख्यालात पैदा हो और बंद अमनी फैले वा हुचमें जायज की तामील में वेपरवाही और भाल गुजारी में रोक अमल में आवे इसलिए यह गुनासिब ख्याल किया जाता है कि इन अखबारों की आमद कर्तृतीर पर इलाके मेवाड़ में बन्द किया जावे। जिहाजा जरिए इशतहार हाजा हर चार व आम को आगाह किया जाता है कि आयन्दा अगर किसी शरत्त का “प्रताप” “राजस्थान केसरी” और “नवीन राजस्थान” अखबारों को मगाना या किरी के पास इन अखबारो का मौजूद होना वा इन अखबारो की कटिंग (कटा हुआ मजमून) या हैंडबिल पाया जावेगा तो यह सजा वा मुस्तोजिव होगा जिसकी मयाद एक साल कैद सख्त या एक हजार रुपया जुर्माना तक होगा।”

जुलाई 1923 में वैगू का किसान आन्दोलन और अधिक तीव्र हो गया था। इस जागीर के एक गाँव गोविन्दपुरा में 13 जुलाई 1923 को उदयपुर राज्य के बन्दोबस्त आयुक्त मि. जी. सी. ट्रेन्च ने राज्य की सेनाओं का नेतृत्व करते हुए सैनिक बार्बदाही किसानों के दमन हेतु की। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार एक व्यक्ति मरा लगभग 25

घायल हुए तथा 485 बन्दी बनाए गए।¹³ जबकि "तरुण राजस्थान" के अनुसार 11 व्यक्ति मरे लगभग 100 घायल हुए एवं 540 बन्दी बनाए गए जिनमें महिला व बच्चे भी सम्मिलित थे।¹⁴ इस घटना से विजय सिंह पथिक काफी विचलित हो गया था। विजय सिंह पथिक इस आन्दोलन का नेतृत्व भी अजमेर से ही कर रहा था क्योंकि उदयपुर राज्य के भू-भाग में इनके प्रवेश पर पावन्दी लगी हुई थी। इसके उपरान्त भी वह तुरन्त बैंगू पहुँचा तथा वहाँ पहुँचकर किसान पचायत के माध्यम से करबन्दी आन्दोलन आरम्भ कर दिया। किसान पचायत ने यह तय किया कि जो व्यक्ति ठिकाने को राजस्व देगा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। यह भी घोषित किया गया कि उनके साथ कोई वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित नहीं किए जाएंगे। किसानों ने महाजनो का भी बहिष्कार किया जो ठिकाने के सहयोग में थे। इस हेतु किसान पचायत ने बेगू में अपनी दुकान भी खोली।¹⁵ विजय सिंह पथिक की इन गतिविधियों ने सत्ताधारियों को अत्यधिक चिंतित कर दिया था एवं उन्होंने उसे बन्दी बनाने का निर्णय लिया। 10 सितम्बर 1923 को पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। विशेष अदालत ने इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए विजय सिंह पथिक को साठे तीन वर्ष की सजा एवं 15000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया।¹⁶ पथिक की गिरफ्तारी के बाद बेगू के आन्दोलन की गति समाप्त हो गई थी। ठिकाने ने किसानों पर तीन वर्ष से बकाया राजस्व बलपूर्वक वसूल करना आरम्भ कर दिया था।

विजय सिंह पथिक की गिरफ्तारी से विजौलिया किसान आन्दोलन को भारी धक्का लगा। इसके पश्चात् ठिकाने ने समझौते की कार्यान्विति पर कोई ध्यान नहीं दिया। ठिकाने के बदलते दृष्टिकोण ने किसानों में पुनः असंतोष उत्पन्न कर दिया था। विजौलिया किसान आन्दोलन के समक्ष भारी गतिरोध उत्पन्न हो गया था। न केवल विजौलिया वरन् सम्पूर्ण उदयपुर राज्य में किसानों की कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही थी। तरुण-राजस्थान समाचार पत्र के 30 नवम्बर 1924 के अंक में इस सन्दर्भ में "मेवाड़ के दुखी किसान" शीर्षक से लिखा था कि "भैसरोडगढ़ मेवाड़ की एक बड़ी जागीर है। परन्तु वहाँ के राव जी को दिवानी फौजदारी अधिकार नहीं है। तथापि वे सब मामले स्वयं ही निपटा देते हैं। कुआखेडे की नई जिला अदालत बैठी-बैठी देखा करती है। राव जी की सजाएँ अधिकांश जुर्माने की होती हैं। इससे एक पन्थ दो काज वाली कहावत के अनुसार अपराधी भी जो प्रायः निर्धन होते हैं, सीधे हो जाते हैं और रावजी का खाली खजाना भी भरा रहता है। हाल में कुण्डाल परगने के एक मेतवाल महाजन से 200 रुपये और वहाँ के एक पटेल की स्त्री से 400/- रुपये इस संदेह में ले लिया गया कि दोनों में अनुचित सम्बन्ध हैं। राभा करने के अपराध में मण्डेसरा के धूलाराम तैली और लक्ष्मा भील से तीन-तीन सौ रुपये ँँठ लिए गए। रोडी के नानू लाल पटेल के कुँएँ पर पुराना महुये का पेड़ था। वह आधी से गिर गया। रावजी ने अपने दोरे के समय पेड़ काटने का इलजाम लगाकर नानूराम से 100/- रुपये नगद जुर्माना ले लिया। अभी इलाके भर की भैंसों की गिनती हुई थी। लोगों का भय है कि चराई का टेक्स लगाया जाएगा। मातासरा के थानेदार और सिपाही खेडा आदि आस-पास के गावों से घारा कटवाते हैं किन्तु

मजदूरी एक पाई भी नहीं देते। लगान के अलावा रावजी प्रत्येक छोट से एक भारा पकी ज्वार 100 भुटटे मक्की एक टोकरी पोस्त और प्रत्येक गेह पर एक गठठा घास मुफ्त लेते हैं। राज्य लोगों की शिकायतों पर ध्यान नहीं देता इसलिए पीड़ित लग मेवाड छोड़कर समीपवर्ती अन्य राज्यों में चले जा रहे हैं।

वैगू में नए मुन्सरिंग मुन्शी इलाही बक्ष अपने गुरु लाला अमृत लाल की नीति को बराबर किन्तु तरकीब से काम में ला रहे हैं। किसानों की शिकायतें तो धरी रहती हैं किन्तु महाजनों के पीढ़िया के लेन-देन के दावे किसानों के विरुद्ध धंदाधंदा लिए जा रहे हैं।

सैटलमेन्ट वालों ने खालसे में 8/- रुपया बीघा लगान की दरें निगल करना शुरू किया है और फसल बिगड़ जाने पर लगान की उचित कमी की शर्त भी नहीं रखी गई है। इस बात से बिजौलिया के किसान बड़े सशक्ति हो उठे हैं क्योंकि इस हिसाब से उनके यहां 15/- 16/- की बीघा दर लगेगी इससे इनके कष्ट समझौते से पहली अवस्था से भी बढ़ जाएंगे और साथ ही असन्तोष भी।

सन् 1923-26 के दौरान बिजौलिया में सूखा व अकाल ने किसानों की कठिनाईयों में और अधिक बढ़ोतरी की थी। अकाल के उपरान्त भी किसानों से भू-राजस्व एवं अन्य कर कड़ाई पूर्वक वसूल किए जा रहे थे। इन स्थितियों ने किसानों की स्थिति को और भी अधिक दण्डनीय बना दिया था। आर्थिक बदहाली के कारण किसानों की ऋणग्रस्तता बढ़ती जा रही थी। किसान पचापत ने किसानों की राहत हेतु अनेक आवेदन पत्र भेजे किन्तु सत्ताधारियों ने इन्हें नजर अन्दाज कर दिया था। वास्तव में सत्ताधारी आन्दोलन पर कड़ा नियंत्रण रखने में सफल रहे। इस समय विजय सिंह पथिक जेल में था तथा दूसरा नेता माणिक लाल वर्मा ताजा आन्दोलन छेड़ने की स्थिति में नहीं था। इस प्रकार एक असमजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सन् 1922 के समझौते के अनुसार जनवरी 1927 में बिजौलिया का नया बन्दोबस्त कार्य मेवाड के बन्दोबस्त आयुक्त जी री ट्रेन्च ने पूर्ण कर लिया था तथा फरवरी 1927 में इस बन्दोबस्त को लागू करने का कार्य आरम्भ हो गया था। इसके अनुसार अतिथित भूमि के राजस्व की दरों में भारी वृद्धि की गई थी। अतः बिजौलिया के किसान फरवरी 1927 के पश्चात् पुनः आन्दोलन आरम्भ करने के लिए मजबूर हो गए थे।

बिजौलिया किसान आन्दोलन का तीसरा चरण अत्यधिक जटिल था। 28 अप्रैल 1927 को विजय सिंह पथिक के उदयपुर राज्य के भू-भागों में पुनः न घुसने के आदेश के साथ जेल से मुक्त कर दिया गया था।" इससे बिजौलिया के किसानों में नई शक्ति एवं उत्साह का साधारण हुआ। विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया के किसानों तथा अन्य नेताओं माणिक लाल वर्मा, रामनारायण चौधरी आदि के साथ विचार-विमर्श कर नए आन्दोलन की रूप रेखा तैयार की। इस प्रस्तावित आन्दोलन को व्यापक असहयोग आन्दोलन का रूप देने का निर्णय किया गया जिसके अनुसार किसानों द्वारा अतिथित भूमि से त्याग पत्र देना पहला कदम था। इस निर्णय के अनुसार पथिक बिजौलिया किसान पचापत के नेता

व कार्यकर्ताओं से 18 मई 1927 को ग्वालियर राज्य के भू-भाग में स्थित सिगोली नामक ग्राम में मिले। वहाँ पथिक का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। विजय सिंह पथिक ने किसान पचायत को बढे हुए भू-राजस्व के विरुद्ध विरोध स्वरूप असिचित जोतों को छोड़ने एव उनकी स्वतंत्रता पर कर्मचारियों के द्वारा प्रहार के विरोध स्वरूप राज्य के स्कूलों का बहिष्कार करते हुए अपने स्कूल आरम्भ करने की सलाह दी। पचायत के सदस्यों ने सत्य एव अहिंसा का पालन करने खादी पहनने मदिरा पान न करने एव प्रत्येक स्थिति में पचायत को बनाए रखने की शपथ ली। इस अवसर पर एक समारोह आयोजित किया जिसमें पथिक के प्रति समर्पण भाव रखने वाले पुरुषों ने चार साल से बाल नहीं कटवाए थे, बाल कटवाए गए।¹⁸

जून 1927 में किसानों ने अपनी असिचित जोतो से सरार्त त्याग पत्र देना आरम्भ कर दिया था।¹⁹ किसान भूमि से त्याग पत्र को विरोध का एक प्रभावी तरीका मानते थे जिसका वे पूर्व में अनुभव कर चुके थे। अतः किसानों का पक्का विश्वास था कि यह कदम जागीरदार को उनकी माँगें मानने के लिए मजबूर कर देगा किन्तु ठिकाने ने इस निर्णय को आपत्तिजनक माना। अतः ठिकाने ने बगैर कोई छूट दिए अथवा गॉंग माने इस आन्दोलन को कुचलने का निर्णय लिया। किसानों का खुला आरोप था कि ठिकाने ने 1922 के समझौते को भंग कर दिया है। किसानों के अनुसार असिचित भूमि पर निर्धारित भू-राजस्व की दरें अत्यधिक ऊँची थी। उनकी आगे शिकायत थी कि ठिकाने के सत्ताधारी उनकी शिक्षा पचायत व खादी के मामले में हस्तक्षेप कर रहे थे।²⁰ अतः बिजौलिया किसान पचायत ने विरोध स्वरूप असिचित भूमि से किसानों के सामूहिक त्याग पत्र प्रस्तुत कर दिए थे। ठिकाने ने इन त्याग पत्रों को स्वीकार नहीं किया। अधिकारियों की मान्यता थी कि सामूहिक त्याग पत्र की स्वीकृति किसान आन्दोलन को तीव्र एव शक्तिशाली बना सकती है। अतः किसानों की एकता भंग करने तथा किसानों को कानूनी जाल में फसाने के उद्देश्य से किसानों के सामूहिक त्याग पत्र स्वीकार नहीं किए गए। इसके स्थान पर ठिकाने ने किसानों को व्यक्तिगत त्याग पत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी। किसानों ने अति उत्साह में व्यक्तिगत त्याग पत्र प्रस्तुत कर दिए, जिन्हें ठिकाने ने तुरन्त स्वीकार कर लिया। ठिकाना इस भूमि को अन्य किसानों को आवंटित करना चाहता था किन्तु धाकड़ किसानों ने इस प्रक्रिया को इस धमकी द्वारा रूकवा दिया कि वे समर्पित (छोड़ी गई) भूमि पर कब्जा कर लेंगे एव जो इन्हें लेगे उन्हें अपने धन से हाथ धोना पड़ेगा।²¹ अन्य जाति के किसानों ने धाकड़ किसानों के साथ पूरा सहयोग करते हुए इस भूमि को अपनी जोत में लेने से स्पष्ट इन्कार कर दिया था। ठिकाना अधिकारियों ने जातीय आधारों पर बिजौलिया के किसानों की एकता को भंग करने का भरपूर प्रयास किया था, किन्तु इसमें उसे सफलता नहीं मिली।

ठिकाने के अनेक प्रयासों के उपरान्त भी कोई अन्य किसान इन जमीनों को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। असल में इस समय तक किसानों ने निश्चित चेतना का स्तर प्राप्त कर लिया था किन्तु ठिकाना किसी भी स्थिति में इन जमीनों को पुनः अन्य लोगों को

आवटित करने पर आमादा था। इन्होंने महाजनों को इन जमीनों को लेने के लिए तैयार कर लिया था। अतः किसानों द्वारा त्याग पत्र दी गई भूमि ठिकाने द्वारा महाजनों को आवटित कर दी गई तथा ठिकाने द्वारा महाजनों को इस पर बापीदारी अधिकार (स्थाई भू-स्वामी) प्रदान कर दिए गए।¹² सन् 1930 के अन्त तक ठिकाना 8000 बीघा भूमि पुनः आवटित करने में सफल रहा।¹³ ठिकाने की इस कार्यवाही ने किसानों को हतारा व निराश्रय कर दिया तथा वे वैचेनी का अनुभव करने लगे थे। किसानों ने नए भू-स्वामियों को शक्ति द्वारा जोतों से निकालने का प्रयास किया, किन्तु कोई सफलता नहीं मिली क्योंकि इन नए भू-स्वामियों की रक्षार्थ प्रत्येक गाँव में सशस्त्र बल लगा दिए गए थे।¹⁴

किसान पचासत उत्पन्न हुई नई स्थिति से दिग्भ्रमित हो गई थी। वह इरारों निपटने का कोई कारगर तरीका निकालने में असफल रही। इसी समय बिजौलिया किसान आन्दोलन के बड़े नेताओं विजय सिंह पथिक एव माणिक लाल वर्मा के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गए थे। इस मतभेद का कारण कुछ लोग दोनों के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित मानते हैं, मेरे विचार से इसका कारण वैचारिक था। जहाँ माणिक लाल वर्मा एव रामनारायण चौधरी अहिंसात्मक व उदार आन्दोलन के पक्ष में थे, वहीं विजय सिंह पथिक खुले सशस्त्र संघर्ष व क्रांति के पक्षधर थे। राजस्थान के तथाकथित कुछ नवीन इतिहासकारों ने गलत तर्कों के आधार पर विजय सिंह पथिक को किसानों के साथ विश्वासघाती बताने का प्रयास किया है, जो सर्वथा अनुचित है। वैसे भी विजय सिंह पथिक बिजौलिया आन्दोलन के प्रेरक एव निदेशक थे। उन्होंने हमेशा किसान प्रतिनिधियों, माणिकलाल वर्मा एव रामनारायण चौधरी को आगे रखा था।

सन् 1930 में बिजौलिया किसान आन्दोलन का नेतृत्व जमना लाल बजाज एव हरिभाऊ उपाध्याय के हाथों में आ गया था, जो नरम पन्थी, उदारवादी नेता थे तथा किसानों की जीवन दशा से पूरी तरह परिचित भी नहीं थे। सन् 1930 के परमात् बिजौलिया का किसान आन्दोलन धीरे-धीरे अवनति की ओर जाने लगा था तथा अपने द्वारा त्यागी गई भूमि की पुनः प्राप्ति के मुद्दे पर केन्द्रित हो गया था। इसका मुख्य कारण देशी राज्यों के जन आन्दोलनों के प्रति कांग्रेस की उदासीनता थी क्योंकि कांग्रेस देशी राज्यों में किसी भी प्रकार के आन्दोलन के पक्ष में नहीं थी। गाँधी जी की स्वयं की मान्यता थी कि कांग्रेस का कार्यक्षेत्र केवल ब्रिटिश भारत है तथा देशी रिधासतों में आन्दोलन आरम्भ कर कांग्रेस अपने मूल लक्ष्य से भटक जाएगी। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि बिजौलिया किसान आन्दोलन का नेतृत्व गाँधी जी एव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की औपचारिक तथा अधिकृत नीति का समर्थक था। स्वभाविक तौर पर बदले नेतृत्व के अन्तर्गत इस आन्दोलन की मूल भावना ही समाप्त हो गई थी। किसान सन् 1939 में अपनी चोई हुई भूमि पुनः प्राप्त करने में सफल रहे जब वे सभी राजनीतिक गतिविधियों से पृथक हो चुके थे तथा भविष्य में कोई आन्दोलन न करने का ठिकाने को आश्वासन दे दिया था।¹⁵

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बिजौलिया का किसान आन्दोलन जिस उत्साह के साथ उदित हुआ था, उतना अस्त बनी ही निराशाजनक स्थिति में हुआ। यह

आन्दोलन जो लगभग आधी सदी तक चला उसका अन्त सुखद नहीं कहा जा सकता। यह आन्दोलन स्थानीय स्तर तक ही सीमित रहा। इसके नेताओं ने इस आन्दोलन को राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का भरपूर प्रयास किया था किन्तु कांग्रेस नेतृत्व की उदासीनता के कारण यह सम्भव नहीं हो सका। इस प्रकार एक अलग-थलग आन्दोलन का सत्ताधारियों द्वारा कुचले जाना आसान था। जब सन् 1938 में कांग्रेस ने देशी रियासतों में प्रजा मण्डलों के माध्यम से रियासतों में जिम्मेदार सरकार की स्थापना की सलाह दी थी तो देशी रियासतों में स्वतंत्रता सघर्ष नियन्त्रित व सीमित ही रहा। राष्ट्रीय नेतृत्व ने कभी किसान आन्दोलन का समर्थन नहीं किया। बिजौलिया आन्दोलन को आरम्भ में सामन्ती तत्त्वों ने गम्भीरता से नहीं लिया, किन्तु इसके अन्तिम चरण के दौरान सामन्ती तत्त्वों ने सगठित होकर किसान आन्दोलन को कुचलने का भरपूर प्रयास किया। सामन्ती तत्त्व खुलकर किसानों के साथ सघर्ष में उतरे इस प्रकार सामन्त महलों से सड़कों पर उतरे जिससे इनके विनाश का मार्ग प्रशस्त हुआ।

यह आन्दोलन सीधे तौर पर अपनी मन्जिल तक पहुँचने में असमर्थ रहा किन्तु इस आन्दोलन के प्रभाव को कम करके नहीं आका जा सकता है। कुछ सीमा तक बिजौलिया के किसानों को सामन्ती भार से मुक्ति अवश्य मिली थी। यह आन्दोलन सम्पूर्ण राजस्थान के किसानों में सामन्त एव उपनिवेशवाद विरोधी चेतना के संचार में सफल रहा था। यह सामतवाद पर एक शक्तिशाली प्रहार सिद्ध हुआ था। सदियों से अज्ञान व शोषण के अधकार में जी रहे किसान को आधुनिक युग के प्रकाश में पहुँचने का मार्ग इस आन्दोलन ने प्रशस्त किया। अतः यह आन्दोलन राजस्थान के अन्य भागों के किसान आन्दोलनों के प्रेरणा एव उत्साह का स्रोत बन गया था। इसने जन सघर्ष सामाजिक विकास व स्वतंत्रता संग्राम की अच्छी भूमि तैयार की थी।

उपरोक्त बिन्दुओं के अवलोकन से बिजौलिया के किसान आन्दोलन का महत्त्व स्वयं सिद्ध है।

संदर्भ

- 1 रामनाथयण चौधरी आधुनिक राजस्थान का उत्थान अजमेर 1974 पृ 47
- 2 शंकर सहाय सक्सेना तथा पद्मजा शर्मा बिजौलिया किसान आन्दोलन का इतिहास बीकानेर 1972 पृ 06
- 3 विजय सिंह पथिक का विशेष न्यायिक आयोग के समक्ष बयान पृ 17
- 4 राजस्थान राज्य अभिलेखागार उदयपुर कॉन्फिडेंशियल रिकार्ड ब न 13 फाइल न 124
- 5 सुमित सरकार माडर्न इण्डिया 1885-1947 नई दिल्ली 1984 पृ 155
- 6 राजस्थान राज्य अभिलेखागार उदयपुर कॉन्फिडेंशियल रिकार्ड ब न 4 फाइल न 31/ए 1921-22 एव ब न 13 फाइल न 130
- 7 शंकर सहाय सक्सेना जो देश के लिए जिया (यशोगाथा लोकनायक श्री माणिक लाल वर्मा) बीकानेर 1974 पृ 19

44/राजस्थान में किसान एवं आदिवासी आन्दोलन

- 8 रामनारायण चौधरी बीसवीं सदी का राजस्थान अजमेर 1990 पृ 62
- 9 बृज विश्वर शर्मा आधुनिक राजस्थान का आर्थिक इतिहास जयपुर 1993 पृ 208-220
- 10 शंकर साहाय सक्तीना पूर्वोक्त पृ 18
- 11 बृज विश्वर शर्मा पीजेन्ट मूवमेन्ट्स इन राजस्थान जयपुर 1990 पृ 72
- 12 शंकर साहाय सक्तीना तथा पद्मजा शर्मा पूर्वोक्त पृ 28
- 13 वही पृ 41
- 14 वही पृ 43
- 15 बृज विश्वर शर्मा पीजेन्ट मूवमेन्ट्स इन राजस्थान जयपुर पृ 75
- 16 शंकर साहाय सक्तीना तथा पद्मजा शर्मा द्वारा उद्धृत राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में उपलब्ध दस्तावेज व इनकी पुस्तक का पृष्ठ 47 देखें
- 17 वही पृ 47
- 18 राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर उदयपुर कॉन्ग्रिगेशनल रिजार्ड्स फाइल नं 124 बस्ता नं 13
- 19 सुमित सरकार पूर्वोक्त पृ 166
- 20 राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर उदयपुर कॉन्ग्रिगेशनल रिजार्ड्स फाइल नं 38/ए बस्ता नं 4
- 21 बृज विश्वर शर्मा पीजेन्ट मूवमेन्ट्स इन राजस्थान पृ 80
- 22 सुमित सरकार पूर्वोक्त पृ 148
- 23 राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर उदयपुर कॉन्ग्रिगेशनल रिजार्ड्स फाइल नं 38/ए बस्ता नं 4
- 24 रामनारायण चौधरी पूर्वोक्त पृ 47
- 25 शंकर साहाय सक्तीना पूर्वोक्त पृ 24-25
- 26 रामनारायण चौधरी पूर्वोक्त पृ 48
- 27 शंकर साहाय सक्तीना एवं पद्मजा शर्मा पूर्वोक्त पृ 81
- 28 रामनारायण चौधरी पूर्वोक्त पृ 49
- 29 बृज विश्वर शर्मा पीजेन्ट मूवमेन्ट्स इन राजस्थान पृ 81-82 एवं आधुनिक राजस्थान का आर्थिक इतिहास पृ 238
- 30 सुमित सरकार पूर्वोक्त पृ 200-201
- 31 प्रमाण 10 मई 1920 वानपुर
- 32 वही
- 33 बृज विश्वर शर्मा आधुनिक राजस्थान का आर्थिक इतिहास पृ 240
- 34 राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली वॉशिंग्टन एण्ड फ्री लेटिजल डिपार्टमेन्ट फाइल नं 428 पी (सी 37) 1923
- 35 वही इसी समय भयंकर काल प्रलयम् द्वारा लिखित किताब इस बात की परिकल्पना है कि किन्हीं किताबों के आन्दोलन पर कृत की प्रतियाँ का प्रसार था। यह किताब इस प्रकार की

मान-मान मेवाड़ा राणा प्रजा पुरारे रे

रुस जार को पत्तो न लाग्यो चुण राणा फतमात रे ॥

- 36 बृज किशोर शर्मा पीजेन्ट मूवमेन्टरा इन राजस्थान पृ 91
- 37 राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली फॉरेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेन्ट फाइल न 428 पी (रीफ्रेट) 1923
- 38 नवीन राजस्थान 2 जुलाई 1922 राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली होम- पॉलिटिकल डिपार्टमेन्ट फाइल न 18 1922
- 39 राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर उदयपुर कान्फिडेशियल रिकार्ड फाइल न 31/ए बस्ता न 4 1921-22 एव शकर सहाय सक्तीना एव पद्मजा शर्मा पूर्वोक्त पृ 145-155
- 40 वही
- 41 राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर उदयपुर कान्फिडेशियल रिकार्ड फाइल न 123 बस्ता न 13 1923
- 42 राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली फॉरेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेन्ट फाइल न 421 पी 1927
- 43 राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर एव उदयपुर कान्फिडेशियल रिकार्ड फाइल न 123 बस्ता न 13 1923
- 44 तरुण राजस्थान 5 अगस्त 1923
- 45 शकर सहाय सक्तीना व पद्मजा शर्मा पूर्वोक्त पृ 187
- 46 राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली फॉरेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेन्ट फाइल न 74 पी 1924-25
- 47 राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली फॉरेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेन्ट फाइल न 421 पी 1927
- 48 वही
- 49 वही
- 50 शकर सहाय सक्तीना एव पद्मजा शर्मा पूर्वोक्त पृ 231
- 51 राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली फॉरेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेन्ट फाइल न 421 पी 1927
- 52 राजस्थान राज्य अभिलेखागार शाखा उदयपुर महकमाघारा फाइल न 22 1937-38
- 53 वही एव राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर उदयपुर कान्फिडेशियल रिकार्ड फाइल न 381/ए बस्ता न 4
- 54 राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली फॉरेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेन्ट फाइल न 421 पी 1927
- 55 राजस्थान राज्य अभिलेखागार उदयपुर शाखा महकमाघारा फाइल न 22 1937-38

गोविन्द गिरि के नेतृत्व में भील आन्दोलन

19 वीं सदी में मेवाड़ भील विद्रोहों का केन्द्र रहा। यद्यपि डूंगरपुर व बासवाड़ा के भील भी अशान्त थे जिसके कारण छुट-पुट भील विद्रोह भी हुए किन्तु इन्हें किसी प्रकार के राजनीतिक व प्रशासनिक भार में कमी किए बिना ही कुचल दिया गया। मेवाड़ में 19 वीं सदी के भील विद्रोह स्वस्फूर्त थे किन्तु सन् 1881 के विद्रोह ने एक निश्चित सगठित स्वरूप प्राप्त कर लिया था। मेवाड़ राज्य व अग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने के भरसक प्रयत्न किए, किन्तु सफलता नहीं मिली एवं विवश होकर उन्हें भीलों की शर्तों पर उनके साथ समझौता करना पड़ा। इस समझौते के माध्यम से भीलों को अनेक छूटे व सुविधाएँ प्राप्त हो गईं। अग्रेजों व मेवाड़ राज्य के प्रयासों से इस विद्रोह के पश्चात् मेवाड़ में लम्बे समय तक भीलों में शान्ति बनी रही। लगभग 40 वर्ष बाद सन् 1920 में मोती लाल तेजावत के नेतृत्व में मेवाड़ में शक्तिशाली भील आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। यद्यपि मेवाड़ की भील समस्या को 19 वीं सदी के अन्त तक पर्याप्त सीमा तक सुलझा लिया गया था, किन्तु डूंगरपुर व बासवाड़ा के भीलों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। अतः 20 वीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में डूंगरपुर व बासवाड़ा राज्यों में गोविन्द गिरि के नेतृत्व में शक्तिशाली भील आन्दोलन आरम्भ हुआ। गोविन्द गिरि ने भीलों के उत्थान हेतु समाज एवं धर्म सुधार आन्दोलन आरम्भ किया था जो आगे चलकर राजनीतिक-आर्थिक विद्रोह में परिवर्तित हो गया था।

गोविन्द गिरि के नेतृत्व में समाज एवं धर्म सुधार आन्दोलन :

गोविन्द गिरि ने भीलों में समाज एवं धर्म सुधार आन्दोलन आरम्भ किया था। यह सामाजिक व धार्मिक उपदेशों के माध्यम से भीलों का नैतिक व भौतिक उत्थान करना चाहता था। गोविन्द गिरि की शिक्षाओं ने भीलों को जागृत किया तथा समाज व धर्म सुधार आन्दोलन ने राजनीतिक-आर्थिक विद्रोह का रूप धारण कर लिया था। वास्तव में गोविन्द गिरि के प्रारम्भिक आन्दोलन के प्रति शासक वर्गों का व्यवहार इसके राजनीतिक-आर्थिक विद्रोहों के रूप में परिवर्तित होने के लिए जिम्मेदार था।

गोविन्द गिरि डूंगरपुर में बेठसा नामक गाँव का निवासी एवं जाति से बजारा था। वह स्वयं छोटा किसान था। उराकी निर्धन आर्थिक दशा एवं उराके पुत्रों व पत्नी

की मृत्यु ने उसे आध्यात्म की ओर प्रेरित किया तथा सन्यासी बन गया था। वह कोटा बूँदी अखाड़े के साधु राजगिरि का शिष्य बन गया था। उसने वेडसा गाव में अपनी धूनी स्थापित कर एव निशान (ध्वज) लगाकर आस-पास के क्षेत्र के भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना आरम्भ किया। गोविन्द गिरि के स्वयं के शब्दों में उसकी मुख्य शिक्षाएँ इस प्रकार थीं "उस समय मैं निर्धन विनम्र एव जगली भीलों के मध्य रहता था जिन्हें सृष्टिकर्ता का कोई ज्ञान नहीं था। जो मेरी झोंपड़ी पर आते थे उन्हें मैं सवणों की तरह आचरण करने की सलाह देता था। मैंने उन्हें सत्य और धर्म का रास्ता दिखाया एव उन्हें भगवान की पूजा करने चोरी न करने व्यभिचार न करने, धोखा आदि न करने, दूसरों के साथ शत्रुता न रखने बल्कि समान पिता (सृष्टिकर्ता) की सन्तान मानकर सबका आदर करने तथा अन्यों के साथ शान्तिपूर्वक रहने, अपने जीवनयापन हेतु कृषि करने वीर, वन्तरा, भोपा इत्यादि (भूत डाकन, मायावी तथा अन्य अन्धविश्वासी सत्ता) में विश्वास न करने बल्कि इनसे परित्राण हेतु धूनी व ध्वज स्थापित करने एव इनकी पूजा करने का उपदेश देता था।" इसके अतिरिक्त गोविन्द गिरि ने भीलों को मास भक्षण न करने तथा मदिरा न पीने की भी शिक्षा दी। गिरि ने उन्हें भोजन के पूर्व स्नान कर ईश्वर की उपासना करने, हत्या न करने, कोई व्यभिचार न करने, धन लोलुप न बनने, माता-पिता की आज्ञा मानने झूठी गवाही न देने, एक ईश्वर में आस्था रखने तथा हजारों देवताओं की पूजा न करने की भी सलाह दी।

गोविन्द गिरि ने सच्ची लगन के साथ भीलों के धार्मिक विश्वासों एव सामाजिक मान्यताओं को सुधारने का कार्य आरम्भ किया था। अतः शीघ्र ही इनका आध्यात्मिक पथ बागड़ के भीलों में काफी लोकप्रिय हो गया था। इस सुधार आन्दोलन के प्रभाव में भील सदियों पुराने सामाजिक-धार्मिक बन्धन व रूढ़ियों से स्वतंत्र होने लगे अतः भीलों का स्वाभिमान व आत्मसम्मान हीन भावना से मुक्त होकर जागृत होने लगा। भीलों को शिक्षा दी जा रही थी कि वे अपने आपको उच्च हिन्दू जातियों के समान समझें एव कुछ मामलों में अपने से उन्हें हीन मानें जैसे कि उनका आरोप था कि सवणों में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं होना उनकी हीनता को इंगित करता है। गोविन्द गिरि के पथ की भावना उनके स्वयं के वक्तव्य से स्पष्ट होती है कि "राजपूत इतने अधिक क्रूर हैं कि वे अपनी लड़कियों की हत्या इसलिए कर देते हैं जिससे उन्हें दूसरों को शादी द्वारा नहीं देना पड़े। राजपूत उनकी युवा विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं देते, और यदि ये लड़कियाँ युवा अवस्था में विधवा हो जाती हैं तो उनके वैधव्य का पाप इनको लगता है क्योंकि उस स्थिति में वे अप्रसन्न रहती हैं तथा कष्ट का जीवन बिताती हैं। कोई सच्चा ब्राह्मण दिखाई नहीं देता। केवल जनेऊ ही ब्राह्मण होने का चिन्ह है एव जो इसे पहनता है वही ब्राह्मण है। वे भी राजपूतों की तरह ही पापी हैं एव उनकी विधवाएँ अविधवा गर्भपात की दोषी हैं।"

इन विचारों ने भीलों को जागृत किया एवं उन्हें अपनी दशाओं व अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। इन विचारों ने उन्हें यह सोचने के लिए भी बाध्य कर दिया था कि उन्हें उनके वर्तमान राजाओं व ठाकुरों ने दलित बनाया है, जबकि वे स्वयं इस भूमि के स्वामी थे एवं इन्हें इस पर पुनः शासन करना चाहिए। इस प्रकार यह समाज एवं धर्म सुधार आन्दोलन आर्थिक एवं राजनीतिक आन्दोलन में बदलता जा रहा था।

गोविन्द गिरि की उपरोक्त शिक्षाओं व कल्याणकारी नीतियों के कारण उनका पथ भीलों में अत्यधिक लोकप्रिय हो रहा था। गोविन्द गिरि के बढ़ते हुए प्रभाव से राजा, उनके अधिकारी एवं जागीरदार घिबित होने लगे थे कि उसका बढ़ता हुआ प्रभाव कहीं उनकी सत्ता को पलट न दे अथवा दुर्बल न कर दे। अतः वे इन उपदेशकों अथवा प्रचारकों को अपने राज्य अथवा जागीर की सीमाओं से बाहर निकल जाने पर बाध्य करने लगे, जिससे वर्गीय कटुता बढ़ने लगी तथा समाज एवं धर्म सुधार आन्दोलन राजनीतिक स्वरूप प्राप्त करने लगा था।

गोविन्द गिरि के आन्दोलन को समन्वित रूप से समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में भीलों की जनसंख्या कितनी थी। दक्षिणी राजस्थान के राज्यों व गुजरात के पड़ोसी क्षेत्रों की भील जनसंख्या निम्नानुसार थी—

राज्य	कुल जनसंख्या	भील जनसंख्या	भीलों का प्रतिशत
बांसवाड़ा	1,65,463	95,834	57.91
डूंगरपुर	1,59,192	74,229	46.62
प्रतापगढ़	62,701	20,934	33.36
कुशलगढ़	20,005	17,100	77.70
ईडर	1,68,557	70,312	41.71
पोल	3,959	3,365	84.99
सूथ	59,350	30,365	51.16

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि इन राज्यों की लगभग आधी जनसंख्या गोविन्द गिरि के आन्दोलन के प्रभाव में थी। अज्ञानी और अशिक्षित लोगों पर शासन करना आसान होता है किन्तु जागरूक लोगों पर सफ़ाई शासन सम्भव नहीं है। एजेन्ट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना को लिखे मेमोर्डे के रेजीडेन्ट के पत्र में यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। इसके अनुरार " इन सिद्धान्तों ने प्रिन्सिपल (1) भीलों की सामाजिक अपेक्षाओं को बढ़ा दिया था एवं इससे वे राजपूत ठाकुरों व अधिकारियों

के आदेशों को चुपचाप मानने से इन्कार करने लगे एव (2) इनसे शराब की बिक्री कम हुई जिससे भील क्षेत्रों के राज्यों की आबकारी राजस्व में गिरावट आई।¹⁷ ऐसी स्थिति में राज्यों के अधिकारी गोविन्द गिरि के पथ के उपदेशकों को अपने भू-भागों से बेदखल करने लगे थे। सत्ता पक्ष के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया तथा उनके पथ को अपमानित करने के लिए उनके पथ के अनुयायियों को जबरदस्ती शराब तक पिलाई गई। अनेक स्थानों पर इस पथ के ध्वज फाड़ दिए गए थे तथा घूमिया मिटा दी गई थी।¹⁸ विशेषकर डूंगरपुर राज्य के जागीरदारों व अधिकारियों ने गोविन्द गिरि को उनका भू-भाग छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया था।

सन् 1908 में गोविन्द गिरि ने डूंगरपुर राज्य का बेडसा गाँव तथा दक्षिणी राजस्थान के भील भू-भाग छोड़ दिए थे। राजस्थान छोड़ने के उपरान्त गोविन्द गिरि ने बम्बई सरकार के अन्तर्गत ईडर एव सूथ राज्यों (गुजरात) के भीलो में अपना कार्य जारी रखा।¹⁹ वहाँ उसने अपने भाई की विधवा से पुनर्विवाह किया तथा किसान बन गया। उसने सूथ राज्य के अन्तर्गत उकरेली (एक गाँव) के हाली के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात् सूरपुर नामक गाँव में भी हाली रहा।²⁰ ऐसा प्रतीत होता है कि उसने हाली के रूप में अपने विचारों को फैलाने में सफलता प्राप्त की। अपनी LIBR शिक्षाओं के साथ-साथ उसने भीलो को उनके प्राकृतिक अधिकारों तथा राज्यों व जागीरदारों द्वारा उनके शोषण व उत्पीड़न के सम्बन्ध में जागरूक बनाया। गोविन्द गिरि ने सभी बुराइयों से भीलों की आजादी का कार्य अपने हाथ में ले लिया। प्रारम्भिक समय में व दक्षिणी राजस्थान के भू-भागों में अपना प्रभाव स्थापित करने में सफल रहा तथा 1908 के पश्चात् राजस्थान के समीपी गुजरात के भील क्षेत्रों में अपने प्रभाव का विस्तार करने में सफल रहा। उसने भील जीवन के कष्टों को उजागर करते हुए उन्हें शोषक व उत्पीड़क व्यवस्था के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया।

भील विद्रोह के कारण .

1 डूंगरपुर, बारावाड़ा एव प्रतापगढ़ के भील भी उदयपुर के भीलो की तरह अंग्रेजी राज के शिकार थे। 19वीं सदी के दौरान मेवाड़ में हुए भील विद्रोहों के परिणामस्वरूप वे अपने अधिकारों की प्राप्ति में सफल रहे। अन्य क्षेत्रों के भीलो को वे अधिकार और सुविधाएँ प्रदान नहीं की गई थी। समान अवस्थाओं में रहने वाले समान सामाजिक समुदाय के साथ इस भेद-भाव पूर्ण अंग्रेजी नीति के कारण अन्य क्षेत्रों के भीलों में असन्तोष बढ़ रहा था। अन्य क्षेत्रों के भील इस बात से पूरी तरह सहमत थे कि वे भी अपने अधिकारों की प्राप्ति विद्रोहों के द्वारा ही कर सकते हैं। अतः डूंगरपुर बारावाड़ा व प्रतापगढ़ के भीलों ने गोविन्द गिरि के नेतृत्व में विद्रोह किया।

2 पुराने समय में भील जंगल में घास-लकड़ी की झोपड़ियों में निवास करते थे तथा बरसात में थोड़ी मक्का उपजाते थे। वे मुख्य रूप से आखेट व प्राकृतिक उत्पादों से गुजारा करते थे। अधिक कठिनाई के समय आस-पास के क्षेत्रों में लूट-पाट भी कर लेते थे। किन्तु बदलती हुई परिस्थितियों में वे कृषि व्यवसाय अपनाएँ के लिए बाध्य थे तथा कृषकों की तरह जीवन यापन करने लगे थे। इस प्रकार वे सीधे अंग्रेजी देसी रियासत व जागीरदारों के नियंत्रण में आ गए थे। जैसा कि वे स्वतंत्र जीवन जी रहे थे किन्तु अब सामंती व औपनिवेशिक नियंत्रण के अन्तर्गत वे खुरा नहीं थे। राज्य एवं जागीरदार भीलों से भारी राजस्व वसूल कर रहे थे। भू-राजस्व के निर्धारण की मुख्य पद्धति बटाई अथवा भागवारी थी। राज्य अथवा जागीरदार का हिस्सा बटाई अथवा कलतार (मोटा अनुमान) पद्धति के द्वारा निर्धारित किया जाता था। इस पद्धति के अन्तर्गत भीलों पर राजस्व का अधिक भार थोप दिया जाता था तथा भुगतान न करने की स्थिति में अधिकारी उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। भूमि पर राज्य व जागीरदारों को मालिकाना अधिकार प्राप्त था जबकि भील इच्छा पर निर्भर किराएदार की हैसियत से कृषि कर रहे थे तथा दासों से कुछ ही ठीक थे।¹ स्वाभाविक तौर पर भील जागीरदारों व राज्यों की दया पर निर्भर हो गए थे। नई व्यवस्था में उन्हें सूदखोरी के जंगल में फसना उनकी बाध्यता हो गई थी। भारी गोपण और उत्पीड़न में फसे भीलों के पास विद्रोह के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं रह गया था।

3 भीलों की अन्य शिकायत जंगली उत्पादों के सम्बन्ध में थी। जंगल प्रशासन की नई पद्धति ने भीलों को जंगल उत्पादों को समेटने पर रोक लगा दी थी। यून तो भील कृषि व्यवसाय अपना रहे थे, किन्तु पुराने व लम्बे अभ्यास के कारण अभी भी वे जंगल उत्पादों पर अधिक निर्भर करते थे। गहूया के वृक्षों का स्वामित्व उनके घरों के उपयोग हेतु लकड़ी के उपयोग का अधिकार एवं जंगल में पशु चराने आदि भीलों के मूल्यवान अधिकार थे। भूमि बन्दोबस्त के द्वारा राज्यों ने भीलों के इन अधिकारों को अत्यधिक सीमित कर दिया था तथा बिना कर दिए वे इनका उपयोग नहीं कर सकते थे।² कुछ सीमा तक अधिकारियों की अनुमति से भील अपने उपयोगार्थ लकड़ी ले सकते थे। किन्तु भीलों में यह आम शिकायत थी कि अधिकारी उन्हें अनुमति काफ़ी दिलम्ब के बाद एवं अपमानजनक तरीके से देते थे। अतः ये प्रतिबन्ध भील विद्रोह का एक कारण बन।

4 भील क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर घेठ-बेगार प्रचलित थी जिससे भीलों में असन्तोष व्याप्त था। इस सन्दर्भ में एजेन्ट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना द्वारा राधिका, फॉरेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट को लिखे एक पत्र से स्थिति स्पष्ट हो जाती है, जो इस प्रकार है - 'वर्तमान परिस्थितियों में भार अत्यधिक असमानता पूर्वक भीलों पर पड़ता है। जो गांव मुख्य मार्ग अथवा बड़े करबों के समीप स्थित है उन्हें बेगार अधिक देनी

पडती है एव बेगार के इस भार के कारण गाव के गाव खाली हो जाते हैं तथा भूमि कृषि विहीन छोड़ दी जाती है चाहे उस पर लिया जाने वाला राजस्व कितना भी कम निर्धारित किया गया हो।" भील बेगार लम्बे समय से कर रहे थे किन्तु गोविन्द गिरि की शिक्षाओं ने उन्हें जागरूक बना दिया था तथा इस प्रथा को सामाजिक अन्याय माना जाने लगा था।

5 दोषपूर्ण आबकारी नीति भी भीलों को विद्रोह हेतु उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार थी। कुछ छोटे राज्यों जैसे सूथ ईंडर, बासवाड़ा झुगरपुर एव कुशलगढ़ शराब के ठेकों से होने वाली आय पर निर्भर करते थे तथा उनकी राजस्व का 1/3 से 1/6 भाग इसी से प्राप्त होता था। शराब बेचने का अधिकार ठेकेदारों को दे दिया जाता था। राज्य अवैध शराब निर्माण को रोकते थे। भील लम्बे समय से देशी शराब जिसे मावड़ी कहते थे महुवा के फूलों व पत्तियों से निकालते आए थे जिसे वे अपना अधिकार समझते थे किन्तु अब उन्हें ठेकेदारों व राज्य के अधिकारियों द्वारा रोक जा रहा था, जिसका भीलों ने भारी प्रतिरोध किया था। किन्तु अब सुधार आन्दोलन के प्रभाव में भीलों ने शराब पीना छोड़ दिया था जिससे राज्यों व ठेकेदारों को भारी हानि होने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उदाहरण के लिए बासवाड़ा में अक्टूबर, 1913 में शराब की विक्री 18 470 गैलन से घट कर 5 154 गैलन रह गई थी एव इसी प्रकार आस-पास के अन्य राज्य भी प्रभावित हुए थे।¹² वर्ष 1912-13 में बासवाड़ा एव कुशलगढ़ का कुल राजस्व क्रमशः 2 50 000 रुपये एव 86 000 रुपये थी जिसमें से बासवाड़ा की 56 000 रुपये तथा कुशलगढ़ की 31 000 रुपये की आय शराब से प्राप्त हुई थी।¹³ ठेकेदार व राज्य के अधिकारी सुधार आन्दोलन को कुचलने के उद्देश्य से भीलों को शराब पीने के लिए बाध्य कर रहे थे। दक्षिणी राजपूताना राज्यों के पॉलिटिकल एजेन्ट ने मेवाड़ के रेजीडेन्ट को इस सन्दर्भ में लिखा था कि ठेकेदार सीधे तौर पर प्रभावित थे। निःसन्देह उन्होंने एव उनके कारिन्दों ने अपनी हानि को पूरा करने के सभी प्रयास किए तथा भीलों को उनकी पुरानी आदतों पर लाने के लिए अनेक गलत ओर प्रश्नवाचक साधन अपनाए।¹⁴ अतः शराब का मुद्दा भी भील विद्रोह का एक प्रमुख कारण बन गया था।

6 सत्ता पक्ष द्वारा भीलों के साथ किए जाने वाले दुर्यवहार ने भील असन्तोष को जन्म दिया। राज्य के अधिकारी जागीरदार एव उनके कामदार भू-राजस्व जगल कानून बेगार एव आबकारी आदि मामलों में भीलों के साथ कठोर व्यवहार करते थे। कुछ राज्यों में जागीरदार अपनी स्वयं की पुलिस रखते थे जो भीलों के साथ निष्ठुर तरीके से पेश आती थी। भारत सरकार के विदेश व राजनीतिक विभाग के सचिव को एजेन्ट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना के एक पत्र में बासवाड़ा राज्य में जागीर पुलिस का मामला उठाया गया। उसने लिखा था कि 'जागीर पुलिस का प्रश्न अभी

तक कठिन है। बासवाड़ा जैसे राज्य में जहाँ राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा जागीरदारों के अधिकार में है तुलनात्मक रूप से दरबार निर्धन है एव अल्प आय से वह पर्याप्त पुलिस बल राज्य के नियंत्रण हेतु नहीं रख सकता। इसलिए जागीरदार अपनी सशस्त्र पुलिस रखते हैं। वे अपने महत्वपूर्ण उपयोग जैसे स्थानीय डाकू-गिरोह के सफाए और छोटे स्तर पर भील विद्रोहों को कुचलने का कार्य करते हैं जो वर्तमान समय में अकाल व सूखा की स्थिति में भयंकर है एव जो सामान्य समय में भी घटते रहते हैं के अतिरिक्त कर-संग्रहकर्ता, वारंट देने वाले वेगार लेने दूतों का कार्य आदि भी करते हैं। यह सामन्ती प्रथा का अग माना जाता है जिसे धीरे-धीरे समाप्त किया जा सकता है एव यह महत्वपूर्ण है कि इसको कमजोर करने से स्थानीय जागीरदारों की सत्ता कमजोर हो जाएगी।”

बासवाड़ा राज्य के जागीरदार अपनी जनता जो अधिकांशतः भील थी पर असीमित फौजदारी शक्तियाँ रखते थे। उपरोक्त पत्र की निरंतरता में आगे उल्लेख किया गया है कि दस वर्ष पूर्व जब राज्य (बासवाड़ा) ब्रिटिश प्रशासन के अन्तर्गत था तो वे शक्तियाँ वापस ले ली गई थी तथा दरबार के फौजदारी न्यायालयों के नियंत्रण में प्रमुख जागीरदारों को मजिस्ट्रेट बना दिया गया था। वे अभी भी अपनी जनता पर पूर्ण दीवानी नियंत्रण रखते हैं तथा कोई दीवानी मुकदमा जागीर क्षेत्रों से राज्य के न्यायालयों में नहीं लाते जब तक कि दोनों अथवा एक पक्ष खालसा क्षेत्र का निवासी न हो।” इन पुलिस न्यायिक एव प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भीलों को उत्पीड़ित किया जिसने उनमें असंतोष उत्पन्न किया।

7 गोविन्द गिरि के नेतृत्व में सन् 1913 के भील विद्रोह का तात्कालिक कारण उनके समाज व धर्म सुधार आन्दोलन के प्रति सत्ता पक्ष के व्यवहार को माना जा सकता है। सत्ता पक्ष ने इसे अपनी सत्ता के लिए चुनौती मानते हुए इस आन्दोलन को कुचलने के सभी प्रयास किए। इस स्थिति का सही विश्लेषण दक्षिणी राजपूताना राज्यों के पोलिटिकल एजेन्ट द्वारा मेगाड रेजीडेन्ट को लिखे पत्र में किया गया है। उसने कहा कि यह भरपूर रूप में स्पष्ट है कि गुरुओं द्वारा दोगे बीजों को प्राप्त करने के लिए भूमि तैयार थी भीलों में यह आम शिकायत इसलिए थी क्योंकि एक-एक युग में जब सभी जगह दलित वर्गों को जीवन की अच्छी स्थितियाँ उपलब्ध करवाई जा रही थी, वहीं भीलों की भारी उपेक्षा हो रही थी, ऐसी भीलों की भावना बनी हुई थी। यह निश्चित है कि बुरे कारणों का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। अभी के वर्षों में कृषि का विकास हुआ है एव इस वर्ष बासवाड़ा में 55 इंच वर्षा हुई है व खानानों की फसल अब तक सर्वाधिक है। समर्थ जानकारी के अनुभव में भीलों की आम स्थिति पहले कभी इतनी अच्छी नहीं रही। हमको भी गई शिकायतों में मुख्य तौर पर वेगार व सामन्ती व्यवस्था के अत्याचार सुधार आन्दोलन की देन है।

वहाँ ऐसे आरोप हैं कि पुलिस ने उनके गुरुओं व बाबाओं को लूटा है उनके धर्म का अपमान किया गया है उनके पूजा स्थलों से डंडे व धूनिया हटाई गई है पुलिस व शराब व्यापार में रुचि रखने वाले अन्य लोगों ने उनके ऊपर दबाव बढ़ाया एव उनके उपदेशकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में निष्कासित किया है।”

8 जैसाकि उल्लेख किया जा चुका है कि सन् 1908 में गोविन्द गिरि ने राजपूताना छोड़कर 1910 तक एक कृपक के रूप में गुजरात के सूथ एव ईडर राज्य के भीलो में कार्य किया। उसने इन राज्यों के भीलो को जागृत कर उनका शक्तिशाली जन आन्दोलन तैयार किया था। ईडर राज्य के अन्तर्गत पाल-पट्टा में भील आन्दोलन से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि वहाँ के जागीरदार ने भीलों के साथ 24 फरवरी 1910 को एक समझौता किया।⁸ इस समझौते के अन्तर्गत कुल 21 शर्तें थी जो भीलों के अधिकारों से सम्बन्ध रखती थी। इस समझौते ने राजस्थान व गुजरात के भीलो को युगों पुराने सामन्ती शोषण के विरुद्ध लड़ने का उत्साह दिया। यह समझौता गोविन्द गिरि के आन्दोलन की सफलता कहा जा सकता है। गोविन्द गिरि के नेतृत्व में भील विद्रोह गुजरात व राजस्थान की राजनीतिक सीमाओं में बटा हुआ नहीं था। अतः यह समझौता केवल गुजरात के भीलों की सफलता न होकर दोनों क्षेत्रों के भीलो की सफलता थी। वास्तव में यह पहला अवसर था जब दलित भीलों के साथ एक सामन्त को समझौते के लिए बाध्य होना पड़ा। अतः इस सफलता ने भीलों के उत्साह को और अधिक बढ़ाया।

सन् 1913 में भील विद्रोह की घटनाएँ

भीलों की शान्तिपूर्ण गतिविधियाँ अपने नैतिक व भौतिक उत्थान के आन्दोलन से अपने प्रति शासक वर्गों के व्यवहार को नहीं बदल सकी किन्तु सन् 1910 तक समाज धर्म सुधार आन्दोलन का प्रभाव इतना विस्तृत एव गहरा था कि भील आन्दोलन उग्र रूप धारण करने की स्थिति में आ गया था। गोविन्द गिरि की कार्य शैली व आवाज बदलने लगी थी एव अब वह शासक वर्गों को कडा जवाब देने की स्थिति में था जिन्होंने उसके द्वारा स्थापित भगत पथ को अपमानित कर उसके अनुयायियों को आतंकित किया था।

सन् 1910 तक गोविन्द गिरि गुजरात के भीलों के मध्य ही समाज एव धर्म सुधार के कार्यक्रम करता रहा। सन् 1911 के आरम्भ में वह झूगरपुर स्थित अपने मूल स्थान देडसा वापस आया। वहाँ उसने धूनी स्थापित कर भीलों को आधुनिक पद्धति पर उपदेश देना आरम्भ किया। सन् 1911 में उसने अपने पथ को नए रूप में सगठित किया तथा धार्मिक शिक्षाओं के साथ-साथ भीलों को सामन्ती व औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति की युक्ति भी समझाने लगा। उसने प्रत्येक भील गाँव में अपनी धूनी स्थापित

की तथा इनकी रक्षा हेतु कोतवाल नियुक्त किए गए थे।¹⁹ गोविन्द गिरि द्वारा नियुक्त कोतवाल केवल धार्मिक मुखिया ही नहीं थे बल्कि अपने क्षेत्र के सभी मामलों के प्रभारी थे। वे भीलों के मध्य विवादों का निपटारा भी करते थे। इस प्रकार अन्य अर्थों में गोविन्द गिरि की समानान्तर सरकार चलने लगी, किन्तु दूसरी ओर राजा व जागीरदारों द्वारा उसके शिष्यों का उत्पीड़न भी जारी रहा।

वेडस्ता गोविन्द गिरि की गतिविधियों का केन्द्र बन गया था। ईडर सूथ, बासवाड़ा व डूंगरपुर राज्यों तथा पच महल व खेड़ा जिले के भील वहां आने लगे। इस आन्दोलन का प्रभाव सम्पूर्ण दक्षिणी राजस्थान के राज्यों व बम्बई सरकार के अन्तर्गत गुजरात के भील क्षेत्रों में फैल गया था। उसके बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत होकर अप्रैल, 1913 में डूंगरपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया तथा उसका सभी सामान जब्त कर लिया था व उसे उसके धार्मिक पथ को छोड़ने के लिए धमकाया। उसके परिवार को भी पुलिस हिरासत में ले लिया था। उसे तीन दिनों तक बंदी रख जेल से मुक्त कर दिया एव उसे डूंगरपुर राज्य क्षेत्र से बाहर जाने की सलाह दी। वह अप्रैल, 1913 में यहा से ईडर राज्य के रोजड़ा नामक गांव पहुंचा। यहा ईडर के राजा ने उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया।²⁰

सामन्ती एव औपनिवेशिक सत्ता द्वारा उत्पीड़क व्यवहार ने गोविन्द गिरि एव उनके शिष्यों को सामन्ती व औपनिवेशिक दासता से मुक्ति प्राप्त करने हेतु भील राज की स्थापना की योजना बनाने हेतु बाध्य किया। गोविन्द गिरि ईडर से अपने साथियों के साथ बासवाड़ा एव सूथ राज्यों की सीमा पर स्थित मानगढ की पहाड़ी की ओर चला गया। यह पहाड़ी सघन व विकट वनों से आच्छादित थी, जैसा कि यह प्राकृतिक रूप से सुरक्षित थी। गोविन्द गिरि व उसके शिष्यों ने वहा सुरक्षात्मक स्थिति प्राप्त करने के लिए राशन पानी की व्यवस्था कर इस पहाड़ी की किलेबन्दी कर ली। इस पहाड़ी का घनन नि सन्देह सुरक्षात्मक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण था। यह पहाड़ी माही नदी के किनारे पर स्थित है जो पूर्व डूंगरपुर राज्य को सीमा बनाती थी, जहाँ से एकत्रित लोग आसानी से बासवाड़ा, डूंगरपुर, सूथ, ईडर राज्यों तथा अन्य पड़ोसी क्षेत्रों की ओर जा सकते थे। गोविन्द गिरि अक्टूबर, 1931 में मानगढ पहाड़ी पर पहुँचा तथा भीलों को पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए सन्देशवाहक भेजे गए।²¹ धीरे-धीरे भारी संख्या में भील पहाड़ी पर आने लगे तथा साथ में राशन-पानी व हथियार भी ला रहे थे। इसके विरोधियों द्वारा यह अफवाह फैलाई गई कि भील दीपावली के चार दिन पूर्व 25 अक्टूबर को सूथ राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं। पहाड़ी पर लगभग 4000 भील एक समय एकत्रित थे।²² इस स्थिति से सत्ताधारियों का चिन्तित होना स्वाभाविक था।

30 अक्टूबर 1913 को सूथ के पुलिस निरीक्षक ने जमादार युसूफ खान व सिपाही गुलमुहम्मद को मानगढ पहाड़ी जाकर यह पता लगाने के लिए आदेश दिया कि वहाँ क्या हो रहा है। इसके अनुसार 31 अक्टूबर को दोनों मानगढ की पहाड़ी गए। भीलों ने इन्हें बन्दी बना लिया तथा एक को मार दिया व दूसरे की चिमटों से भयानक पिटाई की व उसे मानगढ पर कैद कर लिया गया। 1 नवम्बर को भीलों के एक दल ने सूथ के प्रतापगढ किले पर आक्रमण किया किन्तु असफल होकर लौटे। इन गतिविधियों ने सूथ बासवाडा, डूंगरपुर एव ईडर राज्यों को चौकन्ना कर दिया था। इन सभी राज्यों ने अपने सम्बन्धित अग्रेज अधिकारियों से मानगढ पर भीलों के जमावड़े व पालो में युद्ध के लिए तैयारी कर रहे भीलों को कुचलने की प्रार्थना की। 6 से 10 नवम्बर, 1913 में मेवाड भील कोर की दो कम्पनिया 104 वेलेजली रायफल्स की एक कम्पनी व सातवी राजपूत रेजीमेन्ट की एक कम्पनी मानगढ पर भीलों के जमावड़े को कुचलने के लिए पहुँची।¹⁹

ये सेनाएँ अशान्त क्षेत्रों के भीलों को आतंकित करती हुई पहुँची एव 10 नवम्बर 1913 को इस सेना ने मानगढ की पहाड़ी का घेरा डाल दिया। विभिन्न दिशाओं से पहाड़ी की ओर भीलों के झुंड के झुंड आ रहे थे। सेनाओं ने उन्हें वापस अपने गाव लौटने के लिए बाध्य कर दिया था। अनेक निरपराध भीलों को सेना के द्वारा मार दिया गया जिसके पीछे सेना का उद्देश्य भीलों को दुरी तरह आतंकित करना था। सेना ने पहाड़ी के सभी रास्ते रोक दिए थे। कुल मिलाकर पहाड़ी पर व पहाड़ी के अतिरिक्त भील क्षेत्रों के भीलों के मध्य सम्पर्क टूट गया था। पालों के भील अपने गुरु के आदेश के बिना कुछ करने की स्थिति में नहीं थे जबकि वे फौज से टकराने के लिए तैयार थे। 10 नवम्बर की सुबह बम्बई सरकार के उत्तरी सम्भाग का आयुक्त एक छोटी सेना की सुरक्षा लेकर मानगढ की पहाड़ी की ओर गया किन्तु सशस्त्र भील दल ने इन्हें वापस लौटा दिया।²⁰ इसी बीच पहाड़ी का घेरा डाले हुए सेना और समीप आ गई थी तथा गोविन्द गिरि से मिलने के लिए जोर से दिल्लाते हुए अग्रेज अधिकारी थक गए थे। 12 नवम्बर को भीलों का एक प्रतिनिधि मण्डल पहाड़ी के नीचे आया, जिसने अपनी शिकायतों व समझौते की शर्तों का एक पत्र अग्रेज अधिकारियों को सौंपा। गोविन्द गिरि द्वारा भेजे गए इस पत्र में भील राज स्थापित करने की ध्वनि परिलक्षित होती है। इनके द्वारा रखी गई शर्तों का स्वरूप भी बड़ा क्रान्तिकारी था। इस पत्र का विवरण निम्नानुसार है²¹—“ प्रार्थी सन्यासी गोविन्द गिरि जी राजूगर जी, दसनामी पथ मूल निवासी बेडसा (डूंगरपुर के अन्तर्गत) हाली निवासी सूथ-बासवाडा सीमा पर स्थित मानगढ की पहाड़ी का नम्र निवेदन निम्नानुसार है -

पूर्व में मैंने अपने गाव बेडसा मे एक कुटिया बनाई एव वहा मैं अपने परिवार

सहित रहता था। उस समय मैं गरीब दलित तथा वनवासी लोगो भील कोली आदि के बीच रहता था जिन्हें सृष्टिकर्ता के सम्बन्ध मे कोई जानकारी नहीं थी। जो मेरी कुटिया पर आते थे उन्हें मैं रावकारो (उच्च जातियों) की तरह आचरण करने की सलाह देता था मैंने उन्हे भगवान की पूजा का मार्ग दिखाया। मैंने बेटसा व इसके समीप के क्षेत्रो के इन लोगो को उपदेश देकर अपना चेला बना लिया था। मैंने उन्हे सत्य व धर्म का मार्ग दिखाया एव उनको ईश्वर की पूजा करने चोरी पर-स्त्री गमन धोखा आदि न करने दूसरो के साथ मन मे शत्रुता न रखने बल्कि सभान पिता (सृष्टिकर्ता) की सन्तान मानकर सबका आदर करने तथा अन्यो के साथ शान्तिपूर्वक रहने अपने जीवनयापन हेतु कृषि करने वीर वन्तरा भोपा आदि मे विश्वास न करने बल्कि इनरो परित्राण हेतु धूनी व ध्वज स्थापित करने व इनकी पूजा करने की शिक्षा दी थी। जो मेरे शिष्य थे उन्हे मैंने रुद्राक्ष की माला पहनने व सर पर पीला रत्ताफा बाधने तलवार रायफल धनुष व तीर आदि हथियार न रखने केवल चिमटा रखने प्रत्येक सुबह नहाने व धोने किरती भी जानवर को न मारने की सलाह दी थी। इस प्रकार मैंने उन्हे सत्य का रास्ता दिखाया। इन लोगो ने इस रावको इतना अच्छा और आस्तान माना कि मेरे शिष्यो की सख्या बढ़ती ही चली गई, इतनी अधिक कि इस समय मेरे इन लोगो में लगभग चार-पाच लाख शिष्य हैं, यह पथ फैल चुका है। . इसी बीच राज्यों के कर्मचारियो ने अपने राजाओ की इस आशय की गलत सूचना दी कि बाबा (गोविन्द गिरि) दोगी है व रैयत को लूट (धोखा) रहा है। राजाओं ने अपने अहम् एव राजसत्ता के अहकार के द्वारा सत्य को जानने की कोशिश नहीं की तथा दुगरपुर के राजा ने मुझे अचानक गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, उसने मेरा सभी सामान जब्त कर लिया एव मुझे इस पथ से अलग होने के लिए धमकाया इससे भी अधिक उसने मेरी पत्नि व बच्चो को भी पुलिस हिरासत में रखा। किन्तु भगवान सत्य का रक्षक है, इसलिए मेरे ईश्वर ने मुझे तीन दिन की जेल के पश्चात् जेल से मुक्त होने में मदद की। मैं वहा से तुरन्त भागकर ईडर राज्य के रोजड़ा गाव पहुचा। वहाँ मैं अपनी जाति के बजारो के साथ रहा। मैं वहाँ कुछ समय रहा, यह धर्म वहाँ भी फैला तथा ईडर के राजा ने मुझे बन्दी बनाने का प्रयास किया। मैं जानता था कि उनका इरादा धार्मिक भक्ति का जिसका मैं उपदेश देता था, अपमान करना था एव मैंने निरन्तर भारी उत्पीडन के भय से यह स्थान छोड़ दिया तथा मैं इस राधन व भयानक जंगल में पहुँचा। मेरे इस जंगल मे प्रवेश के साथ ही सूथ राज्य की पुलिस चौकी का जमादार वहाँ पहुँचा तथा उसने मुझे तुरन्त वहाँ से बाहर निकालने के प्रयास किए तथा मेरे पर जुल्म किया। तदपश्चात् वट वहाँ से भाग कर आया तथा एक झूठी रिपोर्ट दी कि एक लूटेरा बाबा जंगल में आया है एव उसने सीमा पर पुलिस थाने को आग लगाकर एक जमादार को मार दिया है। इस रिपोर्ट की सत्यता अथवा असत्यता की जाँच किए बगैर आपको इस बारे में सूचित किया गया। तब मैंने सूथ

दरबार के पास निवेदन लेकर आदमी भेजे कि धूनियों के ध्वज चिमटे साफे तम्बूरे इत्यादि जो मेरे शिष्यों से जब्त कर पुलिस थानों में जमा कर दिये गये थे को वापस लौटा दिया जाय किन्तु मेरे आदमी दरबार में प्रवेश करे इसके पूर्व ही व बिना कोई प्रश्न पूछे उन पर गोलिया चलाना आरम्भ कर दिया एव मेरे चौदह आदमी वहीं मर कर ढेर हो गए। उनमें से कुछ की लाशें अभी तक पड़ी हुई हैं, यदि शीघ्र जाँच की जाए तो आपको सभी कुछ का तुरन्त पता चल जाएगा। जाँच से यह भी पता चलेगा कि अन्य घायल भी हुए थे। इस प्रकार सताए जाने पर मैं अपने शिष्यों के साथ इस पहाड़ी पर पहुँचा हूँ कि जहाँ मैं अपनी जान और धर्म (पथ) की रक्षा कर सकूँ। अब मेरी प्रार्थना है कि कड़ाना, सन्जेली आदि मेरे शिष्यों को उत्पीड़ित किया जाएगा, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी ये शिकायतें दूर की जानी चाहिए। मैं एक गरीब व निर्दोष साधु हूँ। मैं अपनी भक्ति को जारी रखने के लिए निरन्तर सताए जाने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान भागता रहा। आप चारों कोनो (दिश्व) के शासक हैं इसलिए आपसे निम्नलिखित शिकायतों को शीघ्र दूर करने की प्रार्थना है -

- 1 प्रत्येक गाव मे मेरे पथ की धूनिया समाप्त कर दी गई हैं एव मुसलमानों ने इन पर पानी डाला है। चिमटे साफे ध्वज धार्मिक पुस्तको नारियल इत्यादि को सूथ राज्य के आदेशों से जब्त कर लिया है एव ये राज्य के फौजदार के अधिकार में हैं। इन्हें वापस लौटाने का आदेश दिया जाना चाहिए।
- 2 सभी गावों में मेरे पथ की धूनिया व निशान मूल रूप से जैसी वे थीं पुन स्थापित की जाएँ।
- 3 पूर्व की भाँति लोगों को धूनी व निशान का अधिकार दिया जाए अमावस्या पूर्णमासी एव एकादशी तथा हिन्दुओं के पवित्र दिनों पर मेले आयोजित करने की अनुमति दी जाए।
- 4 मेरे आवास हेतु घर बनाने के लिए इस पहाड़ी की खराब भूमि मुझे दिए जाने के आदेश प्रदान करे।
- 5 धूनी व निशानों से होने वाली मेरी आय मे सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करे।
- 6 ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि राज्य मेरे निवास पर दर्शन हेतु आने वाले शिष्यों को न रोके।
- 7 राजा के अतिरिक्त कोई भी मातहत नौकर मेरे शिष्यों से देठ (बेगार) नहीं लेगा एव न ही कोई मेरे शिष्यों से प्रचलित दर से कम कीमत पर कोई सामान लेगा।
- 8 मेरे पथ से जुड़े मामलो में राज्य अधिकारियों द्वारा ली गई रिश्वत मुझे वापस लौटाई जानी चाहिए।

- 9 किले (प्रतापगढ़ के धानेदार द्वारा बिना किसी कारण के मेरे आदमियों की हत्या की सही जांच करवाई जानी चाहिए एव मेरे अपमान की क्षतिपूर्ति की जाए।
10. मैंने किसी को अपने शिष्यों का मुखिया नियुक्त नहीं किया है किन्तु मेरे कुछ प्रमुख शिष्यों जैसे पुजा, धीरा, डूंगर का पटेल तथा बटकवाडा परतापगढ़, बयार बन्दारा, घूषारा, मोलारा, बाबरी, पटवाल, आपतलाई आदि के पटेलो पर राजद्रोह का सन्देह किया जा रहा है। इसलिए सही बन्दोबस्त किए जाने चाहिए जिससे कि इस मामले के सुलझने के पश्चात् रूध दरबार साहेब उनको राजद्रोह के सन्देह पर उत्पीड़ित न करें।
- 11 मुझे अपने शिष्यों के साथ उपदेश देने के लिए एक गाव से दूसरे गाव जाने से नहीं रोका जाना चाहिए।
- 12 प्रत्येक गाव में बरसात के मौसम में मेरी धूनियों पर छत बनाने हेतु सुरक्षित यनो से धर्मादे में लकड़ी प्रदान की जाए।
- 13 मेरे दो मृत पुत्रों के दफन स्थान पर जो मोलारा गाव में दफन है, वहाँ मुझे समाधि बनाने की अनुमति प्रदान की जाए।
- 14 राज के अतिरिक्त (राजा स्वयं) राजा का चाचा मेरे शिष्यों से बैठ (बेगार) नहीं ले।
15. राजा साहेब ऐसे लोगों को दीवान रखते हैं जो रैयत को उत्पीड़ित करना परान्द करते हैं व उत्पीड़ा आदेश निकालते हैं। इसे रोका जाना चाहिए तथा मेरी व रैयत की सुरक्षा हेतु ब्रिटिश सरकार दीवान नियुक्त करे, जैसा कि महाराणा प्रताप सिंह जी के समय पारसी दीवान था जिसने वीघोती (बन्दोबस्त) निर्धारित की थी।
- 16 सूय राज्य में मेरी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार 200 भीलों की एक बटालियन स्थापित करे जिसमें मेरे रायफलधारी शिष्य नियुक्त हो एव मुझे 100 रायफलों रखने की अनुमति दी जाए।
- 17 मेरे शिष्य जो राज के लिए घास काटते हैं उन्हें दो रुपये प्रति हजार पूले की दर से भुगतान किया जाए। वर्तमान में रामपुर सम्भाग के लोगों को एक रुपया व अन्य गावों में चार आने की दर दी जाती है। इसे तुरन्त रोका जाए व उन्हें उपरोक्त दरों पर भुगतान किया जाए।
- 18 बाबरोल के दो आदमियों को, जो मेरे शिष्य थे, बिना साक्ष्य के बन्दी बनाया गया है। इस मुकदमे के कागजों को देखा जाए एव उन्हें रिहा किया जाए।

- 19 मेरे शिष्यों को शराब पीने के लिए बाध्य किया गया तथा धूनि पर भोजन पकाकर सिपाहियों ने इन्हें प्रदूषित किया है। इसके पीछे उनका क्या ध्येय है?
- 20 मेरे शिष्य राज्य की वेठ (बेगार) करते हैं। यह उनसे समानुपाती तरीके से ली जाए।
- 21 मेरे शिष्यों को धार्मिक रिवाजों के लिए आवश्यक गहने व रंगीन वस्त्र पहनने से न रोका जाए।
- 22 मेरे पास आने के लिए मेरे शिष्यों से 500 रुपए के जो सुरक्षा बॉण्ड भरवाए गए हैं। उन्हें रद्द किया जाए।
- 23 पुन्जाधीर जी डूगर का पटेल निर्दोष है किन्तु अभी भी उसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस ने वारन्ट जारी कर रखे हैं। पुन खेराम्या के थानेदार ने झूठी रिपोर्ट की है कि उसने (पुन्जा) गडरा चौकी को जलाकर एक जमादार की हत्या की है। उसने (पुन्जा) ऐसा कुछ नहीं किया है इसलिए उसे निर्दोष घोषित किया जाए तथा उसे मुक्ति प्रदान की जाए।
- 24 वर्तमान में राज कर्मचारी गावों का दौरा करते हैं तथा मेरे शिष्यों को पीटने व गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं। इसलिए उनके दौरे रोके जाएँ तथा सूथ दरबार यह आश्वासन दें कि उन्हें सताया नहीं जाएगा एव उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- 25 दरबार साहेब (सूथ का राजा) अपने बच्चों (रैयत) को साला (पति का भाई) कहता है। यह गाली है जिसे रोका जाए एव राजा की व्यभिचार में सलग्नता को नियंत्रित किया जाए तथा वह सत्य के मार्ग पर चले।
- 26 राज्य द्वारा की गई हत्याओं के भय से मेरे अनुयायी जंगलों में भाग गए हैं व इसलिए उनकी फसलों को नुकसान हुआ है। राज्य वीरो (भू-राजस्व) में वृद्धि न करे एव उनको छूट दे जिनकी फसलों को नुकसान हुआ है। साहूकारों की दीवानी कुर्कियाँ इस वर्ष आगे बढ़ा दी जाएँ।
- 27 मैं रामपुर के सेठ गुलाबचन्द अमीरचन्द को अपना मुख्याार नियुक्त करता हूँ जो मेरे पास आकर मेरा उत्तर एव स्पष्टीकरण ले सकेगा। इसलिए उसके द्वारा ऐसे आदमी रखने पर राज्य आपत्ति नहीं करेगा जिसे वह रखना चाहे एव उसको अथवा उसके आदमियों को उत्पीडित नहीं किए जाने की सही व्यवस्था करें।
- 28 इस सबकी सत्यता अथवा असत्यता की जाँच करते समय सूथ राज्य की रैयत व राज्य कर्मचारियों को एक साथ मिश्रित नहीं किया जाए।

- 29 जब मामला तय हो जाए तो मुझे आपके हस्ताक्षरयुक्त एक धाख (निर्णय पत्र) प्रदान किया जाए। मेरे शिष्यों की उपरोक्त कठिनाइया हैं। आप एक मात्र स्वामी (शक्ति) हैं जो हमें उनसे बचा सकते हैं तथा लाखों लोगों की रक्षा कर सकते हैं।
- 30 रैयत राजा जी की है एवं उन्हें अभी भी घर (झोंपड़ी) बनाने में भारी कठिनाई होती है। जब कभी ये लोग इगारती लकड़ी की निशुल्क प्राप्ति हेतु आवेदन करते हैं तो उन्हें यह लगभग दो वर्ष बाद मिलती है। वो भी अपर्याप्त मात्रा में। अधिकाधिक प्रकृति प्रदत्त सम्पदा को राज्य लेता है। इसलिए महलकारी (जंगल कानून) के अन्तर्गत पुरानी प्रथा का अनुसरण किया जाए तथा पर्याप्त इमारती लकड़ी शीघ्रतापूर्वक दी जाए। बास काटने पर लगाई गई पाबन्दी हटाई जाए तथा राज्य द्वारा इच्छा पत्र विहीन सम्पत्ति जब्त न की जाए। अफीम बागड में (डूंगरपुर, बाराबाडा) एक रुपए की चार तोला मिलती है। जबकि यहाँ एक रुपए की दो तोला का भाव है। यहाँ व बागड, दोगों में अफीम की समान दर होनी चाहिए। जलाने वाली लकड़ी निर्धन लोगों को सदी से बचने का एकमात्र साधन है इसलिए लोगों को सूखी ईंधन की लकड़ी प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए।
- 31 तकावी ऋणों का ब्याज (राज द्वारा) नहीं लिया जाए, फलों के वृक्षों पर लागू व पत्थर, चूना कंकड़ पर शुल्क नहीं लिया जाए।
- 32 निर्धन लोगों द्वारा जोती जाने वाली भूमि पर निर्धारित बीघोती (भू-राजस्व) समाप्त की जाए तथा भू-राजस्व का आकलन पुरानी प्रथानुसार किया जाए। जिस प्रकार सीमा के लोगों को तलवार व बन्दूक रखने की अनुमति दी जाती है उसी प्रकार यहा की रैयत को भी अनुमति दी जाए।
- 33 हमारा उत्सव अभी डेढ़ माह व रात दिन और घलेगा। हम शान्ति से बैठे हैं और ईश्वर के नाम का स्मरण कर रहे हैं। मेरा निवास दो सीमाओं (राज्यों की) के मध्य स्थित है यहा हमें पानी व ईंधन की सुविधा है एवं इसलिए मेरे अनुयायी उत्सव के दिनों अभावस्था व पूर्णमारी को मेरे प्रति सम्मान प्रकट करने आते हैं। मैंने अपने सारसारिक कष्टों को दफना दिया है (भूल चुका हूँ) एवं मैं यहाँ अपने तक सीमित हूँ एवं अभी तक मेरे अनुयायियों को सताया जा रहा है। आप जो करते हैं उसके लिए आपको साधन व विचारशील होना चाहिए। हमारी ओर सत्कार (दैविक सत्कार) है दूसरी ओर (आपकी तरफ) शक्ति है। एक पक्ष (एग) वेदी (सत्य को जानने वाले) है तथा दूसरा पक्ष (आप) भेदी (सारसारिक गतिविधियों में सलग्न) है। श्रीमान बोलो, हमारे कार्यों के बारे में मत पूछो एवं हमें भी राज्य के कार्यों के बारे में नहीं पूछना चाहिए। प्रार्थना है कि लोगों को भयभीत नहीं

किया जाए, उन्हें उनकी भक्ति (पूजा) करने दी जाए। वे सभी आपकी प्रजा हैं यदि वे आपके कानूनो को न मानें तो मुझे कहे किन्तु यदि आप उन्हें पूजा करते हुए मारते हो तो आप भगवान के समक्ष इसका उत्तर दोगे। मैं अपने शिष्यों मे ऐसे लोगों को शामिल नहीं करता जो सूअर व गाय खाने वाले शराब पीने वाले लालची झूठे व मक्कार चुगलखोर चोर झूठ बोलने वाले घ्याभिचारी व ऐसा और बुराई करने वाले बनियो की औरते ब्राह्मण व राजपूतों की बाल-विधवाएँ अनैतिकता करती है। उन्हें सती कहा जा सकता है या पापिन। ये (भील) निर्धन व धरती के जीव हैं। वे भूमि जोतते हैं एव इसमें हथेली भर अनाज बिखेरते हैं। एक घुटकी भर भीख मेरे लिए पर्याप्त है एव मैं उसे खुशी से स्वीकार करता हूँ। मैं किसी से और कुछ नहीं चाहता। मैं उससे लेता हूँ जो बिना भागे देता है। इसलिए प्रार्थना है कि मुझे सताया न जाए। मेरा किसी पर दावा नहीं है। दीवाली के महिने में मैं अपने बगीचे (सम्भवत पहाड़ी) पहुँचा किन्तु यहाँ भी मुझे सताया गया। ईडर के थानेदार लूनावाड़ा के थानेदार व दरवार के चाचा इन्होंने मेरे से रिश्वत मागी, एव जैसा कि मैंने इन्हें रिश्वत नहीं दी उन्होंने कहा कि वे मेरी धूमियों पर शौच कर देगे एव वहा मुरगा व बकरा मारेगे एव मेरे व वज का अपमान करेंगे। ऐसा कहते हुए वे मुझे गिरफ्तार करने आए तब मैंने भयवश अपने आप को मानगढ़ की पहाड़ी पर छुपाया। कलियुग के इस समय मे आपका साम्राज्य पूर्ण सवेग पर है इसलिए आप हमें न्याय दे तथा पानी से दूध को अलग करे व करोड़ों जानो की रक्षा करे। सजेली मे सत्ताधारियों ने मेरे ध्वज जलाए हैं रूथ दरवार ने मेरे पर बहुत जुल्म किए हैं। मैंने अपनी पूजा के छ वर्ष पूरे कर लिए हैं तथा छ और शेष है। मैं आपसे मिलूंगा। आप कानून के अन्तर्गत मानव के महान रखवाले हैं। आप सरकार मेरे पच व मेरे प्रतिनिधि हैं। मैं किसी पर आक्रमण करने मारने या लूटने नहीं जा रहा। मैं अपने धार्मिक अनुष्ठान में लगा हुआ हूँ। क्योंकि किसी भी राज्य ने मुझे नीचे (मैदान) नहीं रहने दिया, वे मेरे धर्म व मेरा अपमान करेंगे। इसलिए मैंने आत्मसम्मान की रक्षा हेतु इस पहाड़ी पर शरण ली है। मैं निर्दोष हूँ, मैं राजगुरजी का शिष्य हूँ जो सोलागरजीका शिष्य था वह बूँदी अखाडे के घोटागर जी का शिष्य था। मैं एक ससारी हूँ व प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सताया न जाए। भीख शकर भगवान का प्रतीक है। भगवान से डरो सबको मरना है इसलिए दया व धर्म की भावना रखो। मेरे पर धोखे व झूठ का प्रयोग मत करो। गुस्से में मुझ पर आक्रमण मत करो। यदि मेरा इरादा राजा या रैयत के प्रति धोखे का होगा तो मेरा धर्म मुझे नष्ट कर देगा। यदि आप मेरे विरुद्ध कोई धोखा करोगे तो आपका धर्म आपको नष्ट कर देगा। जो गद्दा खोदता है वही उसमे गिरता है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। जो जैसा करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। आप इस सबका निर्णय करे व न्याय करें तथा अपने

रास्ते जाएँ, घरना आपका क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। मैं इन लोगो का गुरु हूँ एक गुरु के लिए तीन चीजें जरूरी है। शिष्यों का उत्थान, गुरु मन्त्र व गुरु की शिक्षा। मैं कोई छल या कपट नहीं करता। मैं भगवान पर भरोसा रखता हूँ, मैंने दैविक ससारा को स्वीकार किया है मेरी भीख में श्रद्धा है जो भगवान का प्रतीक है। आप महान हैं। आपसे प्रार्थना है कि चीटी पर पनसेरी मत फेंको। जल्दी या देर से सभी को जाना है। ससारी लोग समाप्त होंगे। दैविक ससारा जोगियो का रखवाला है। मुझे आपके शब्दों पर भरोसा है यदि इसमें भरोसा तोड़ा गया तो हम मरते दम तक लड़ेंगे एवं मेरे बच्चे असहाय स्थिति में होंगे। यदि आप भक्तों (मेरे पथ के अनुयायी) को रूष्ट करोगे तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे।

यहाँ मेरे निवास स्थान पर प्रत्येक सुबह लगभग 1000 साधुओ को भोजन कराया जाता है। इस व्यय की पूर्ति हेतु आपको मेरी लागत (कर) निश्चित कर देनी चाहिए अर्थात् मेरी दर निश्चित कर दीजिए जो मैं सभी समुदायों से एकत्रित कर सकूँ। मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता हूँ जो इस मामले को आपके साथ तय कर सकेंगे -

- 1 रामपुर का सेठ सराफ अली सलेमानजी
- 2 रामपुर का मेहता छगन लाल पदमचन्द
- 3 बन्जारा, लाखी जीवन
- 4 बटकवाड़ा का परामी मेन्डल जोरजी
- 5 बटकवाड़ा का सालजी जोरजी
- 6 झालोद तालुका में गराडू का मुनिया तेजा गाला व मुनियापुन्जा गाला
- 7 बन्जारा दूधा कशाता

मैं उपरोक्त नाम के व्यक्तियों को इस मामले को तय करने हेतु अपना मुख्तयार नियुक्त करता हूँ। उपरोक्त निर्धन साधु का आवेदन पत्र है।'

सवाद के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा कि उन्हें उनके सुधार आन्दोलन से राहानुभूति है, किन्तु इतनी बड़ी सख्या में हथियार बन्द होकर एकत्रित होना तथा एक पहाड़ी पर अपने आपको किलेबन्द करना विद्रोह है। भीलों के शिष्ट मण्डल को यह सुझाव दिया गया कि पहले तुम तितर-बितर होकर अपने घर लौट जाओ तथा आपकी समस्याओं का समाधान होगा। भील शिष्ट मण्डल ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए अपनी मागों के शीघ्र समाधान पर बल दिया तथा उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वे सत्ता पक्ष के समक्ष झुकेंगे नहीं। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे, ऐसी स्थिति में कोई समझौता नहीं हो सका। भारी कशमकश के बाद अंग्रेज अधिकारियों ने भीलो को लिखित आश्वासन दिया कि उनके पथ के मामले में कोई

हस्तक्षेप नहीं होगा तथा इस आशय के आदेश सभी राज्यों व जिलों को भिजवा दिए जाएंगे। तत्पश्चात् ब्रिटिश अधिकारी अगले दिन की बैठक निश्चित कर चले गए। ब्रिटिश अधिकारियों ने भील शिष्ट मण्डल को जो पत्र लिखा उसका विवरण निम्नानुसार है—

“हमने आपका आवेदन पत्र प्राप्त कर लिया है एवं यह जानकर प्रसन्नता है कि आप लोगों ने शराब पीना डकैती व चोरी करना तथा अन्य बुरी आदतों को छोड़ दिया है तथा धर्म अपना लिया है। हम कभी आपको शराब पीने व उपरोक्त बुरी बातें करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। हम प्रत्येक राज्य को आदेश जारी करेंगे कि वे आप लोगों को ये पाप करने के लिए बाध्य न करें किन्तु इस स्थान पर हथियारों सहित भारी सख्या में एकत्रित होने को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि आप लोग पूजा करना चाहते हैं तो कहीं भी कर सकते हैं किन्तु भारी सख्या में आपके जमावड़े का अनुमोदन नहीं कर सकते। कल हम पहाड़ी पर अपनी सेना भेजेंगे। इसलिए आप लोगों को आगाह किया जाता है कि दोपहर तक तुम लोग पहाड़ी से नीचे आओगे और यदि कोई पहाड़ी पर रहेगा तो उसे लड़ना नहीं चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसे मार दिया जाएगा।

उपरोक्त धमकी भरा पत्र भी भीलों को निरुत्साहित नहीं कर पाया। अग्रेज अधिकारी निरन्तर इस प्रयास में लगे थे कि कैसे भी भीलों के इस जमावड़े को तित्तर-बितर किया जाए किन्तु उनके प्रयास असफल होते जा रहे थे। शान्तिपूर्ण प्रयासों के साथ-साथ अग्रेजों की सैनिक तैयारियाँ बढ़ती जा रही थी। यह पूरी सम्भावना थी कि भीलों पर सैनिक आक्रमण कभी भी हो सकता है। गोविन्द गिरि ने 14 नवम्बर, 1913 को दार्शनिक अन्दाज में पुनः एक पत्र लिखा। यह पत्र ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण व रोचक है जिसका मूल पाठ इस प्रकार है—

“मैं किसी के साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। मैं कोई राज्य का शासन नहीं करना चाहता न ही किसी शहर को लूटना। मैं अपनी पुरानी धूनी पर पूजा के प्रतीकों सहित बैठा हूँ जिसकी स्थापना मैंने इस पहाड़ी पर की है। मैं दूसरों के द्वारा दिए जाने वाले अनाज पर निर्भर रहता हूँ। मैं ना तो चोरी करता हूँ ना ही अपने शिष्यों को ऐसा करने की सलाह देता हूँ। यदि वे मेरी बात नहीं मानते हैं तो मेरा उनका गुरु होना व्यर्थ है। ये सभी लोग यहाँ मेरे प्रति श्रद्धा अभिव्यक्त करने हेतु एकत्रित हुए हैं। आपको भ्रमित किया गया है। आप अनपढ़ नहीं हैं एवं आपको अन्य लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमने क्या नुकसान किया है जो आप नाखुश हैं। हम चोर नहीं

हैं। सप्ताह नश्वर है। हमको जीने के लिए केवल अनाज व तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए। हम सन्तुष्ट रहेंगे यदि आप हमें हमारे धर्म, विरवास अच्छाई आत्मविरवास को बनाए रखने की अनुमति प्रदान करें। आप यहाँ इतनी विशाल सेना लेकर क्यों आए हैं ? आप शासन कर सकते हैं। हम अपने धर्म से सन्तुष्ट हैं। भील इस भय से कि उन्हें व उनकी महिलाओं को बेइज्जत किया जाएगा, पहाड़ों की ओर भाग गए हैं। उन्हें शराब पीने व बीसे भक्षण हेतु बाध्य किया गया है। गुरु को भी अपमानित किया गया था। हिन्दुओं व मुसलमानों ने अपना धर्म छोड़ दिया है। हिन्दू नास्तिक हो गए हैं। मुसलमानों को हम अपनी भक्ति में आने की अनुमति नहीं देते। राजपूतो ने हमारी भक्ति को नष्ट किया है एवं हमें मास भक्षण व शराब पीने के लिए बाध्य किया है। मुसलमानों ने हमें गो-मास खाने पर बाध्य किया है एवं हमारे धर्म को नष्ट किया है। इन सभी कारणों से हम पहाड़ी पर चले गए क्योंकि हम असहाय हैं। ये तीन जातियाँ हमारे समीप नहीं आती। मुसलमान नास्तिक है तथा ये धन पर ब्याज लेते हैं व सूअर का मास खाते हैं जो इनके वर्जित है। ये लोग जो ऐसे नास्तिक हैं, हमारी पूजा को नष्ट करते हैं, वे ऐसे धर्म को पसन्द नहीं करते जो अच्छी नैतिकता का उपदेश देता हो। आप इसका निर्णय करें कि यह अच्छा है या बुरा। इस भक्ति को बचाने के लिए हमने सम्पत्ति परिवार, धन एवं हर वस्तु का त्याग किया है व आत्म मोक्ष के लिए जगल में शरण ली है। हमारा पाप हमें कहीं बसने की अनुमति नहीं देता। आप इन राज्यों से पूछेंगे कि क्या हमने कोई चोरी अथवा हत्या की है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। केवल भक्ति की है। हम जन्म से बन्जारे हैं। हम बनियों की तरह घतुर नहीं हैं। हम कानून के अन्दर रहकर कृषि से जीवन यापन करते हैं। यू तो हम साधारण सांसारिक आदमी हैं व पहाड़ी पर इसलिए आए हैं कि हमारे धर्म को नष्ट किया जा रहा था। निम्नलिखित बूढ़ी दशनामी अखाड़े के गौसाई हैं -

गिरिनामा

छोटा गरजी

सालन गरजी, एवं

राजू गरजी।

यह अभागा गोविन्द गिरि जी। आप उनसे तार द्वारा जानकारी कर सकते हैं कि यह कोई नया धर्म है अथवा सारे सप्ताह में फैला हुआ है ? भील मुझे अपना गुरु स्वीकारते हैं एवं मैंने उन्हें मेरे दर्शन हेतु आमन्त्रित किया है एवं वे मेरे शिष्य बने हैं। मैंने उनकी धार्मिक परम्पराओं को दारे में जाध कर इनका निर्धारण किया है। हम

आपको निष्पक्ष व सच्चा मानते हैं। सत्य को तौले एव तब हमको मारे। शिष्य अपने गुरु के दर्शन हेतु आए हैं। यदि उनके द्वारा कोई धोखेबाजी किए जाने का भय है तो उनसे गाव के मुखिया की मध्यस्थता के नियंत्रण में वचनबद्धता करवा सकते हैं। गुरु की सलाह है कि जो धर्म का पालन करेगा वही मोक्ष प्राप्त करेगा। उदाहरणार्थ जैसा आप बोएँगे वैसा काटेगे जो पाप करता है वह भोगेगा। जैसा आपका कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। हम इस ससार में पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित्त करने आए हैं। इस ससार में हम अधिक पाप करेंगे तो हम अधिक प्रायश्चित्त करेंगे। हम केवल मात्र चीखने अथवा शक्ति द्वारा शासन करने हेतु राज्य स्थापित करने नहीं जा रहे। हमारे प्राण का कोई स्वामी नहीं है। मैं यहाँ अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप हूँ तथा जंगल में भील भक्तों द्वारा भेंट किए जाने वाले हथेली भर अनाज पर जीवित हूँ। यदि मैं अथवा मेरा धारिस पहाड़ी से किसी गाव को लूटने उतरता है तो उसे बन्दूकों से भून दे। मुझे अपने सृजक में पूरा विश्वास है जो मेरी धूनी में निवास करता है। मेरे शिष्य सन्तुष्ट हैं। जो कुछ वे प्राप्त करते हैं उसे वे बाट लेते हैं। यदि उन्हें कपड़े मिलते हैं तो वे उन्हें पहन लेते हैं। यदि नहीं तो वे आग जलाकर उसके पास बैठकर समय गुजार देते हैं। वे व्यभिचारी नहीं हैं। उन्होंने सभी बुराईया छोड़ दी है। हम इस ससार में अपनी आजीविका हेतु कार्य करते हैं। यदि हम इस जन्म में अच्छा करेंगे तो अगले जन्म में हमें इसका पुरस्कार मिलेगा शक्तिशालियों को अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए एव आप हमारी फकीरी (भक्ति) को नष्ट न करें। आप देश के शासक हैं। इस कलियुग में कोई न्याय नहीं है। एक दिन आपको पाप घेर लेगा। शक्ति का प्रयोग न करें। हमारी भावनाओं की इज्जत करें। भगवान आपको आशीर्वाद देगा। लोगों को सतारे नहीं। हमारे दिल में आग जल रही है। ससार में इतने बुझाने वाला आपके अलावा कोई नहीं है। आप हमारे लोगों के रखवाले हैं। आप समझदार हैं। हमारे पास गुरु मन्त्र है। एक धर्म गुरु के शब्दों पर भरोसा करें। देर सवेर हमें भरना है। हम केवल भक्ति द्वारा ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं हमारे धर्म को नष्ट न करें।

राजा व सामन्त अधीर हो रहे थे तथा अंग्रेज अधिकारियों को भीलों के शीघ्र दमन हेतु उकसा रहे थे। अतः अधिकारियों द्वारा गोविन्द गिरि को कहा गया कि पहले वे पहाड़ से आदिवासियों के जमावड़े को तितर-बितर करें। तदुपरान्त ही मांग पत्र पर विचार किया जा सकता है जबकि गोविन्द गिरि का कहना था कि पहले उनकी मांगें मानी जाएँ उसके बाद ही समझौता सम्भव है। राजा व सामन्त अंग्रेज अधिकारियों से विनती कर रहे थे कि शीघ्र से शीघ्र मानगढ की पहाड़ी को भीलों की

भीड़ से मुक्त कराया जाए। डूंगरपुर के महारावल ने अंग्रेज अधिकारी पॉलिटिकल एजेन्ट, सदर्न राजपूताना को स्थिति की गम्भीरता बताते हुए लिखा कि " भीलों को शान्त करने में हो रहे विलम्ब का बहुत बुरा प्रभाव पड रहा है। पालो में भील इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं कि ब्रिटिश फौजे हारेगी तथा बाबा गोविन्द गिरि जीतेगे। जैसे कि उनके पास दिव्य शक्तियाँ हैं तथा विलम्ब इसलिए हो रहा है कि साहिब (अंग्रेज) बाबा पर आक्रमण करने से भयभीत है। आप कुछ प्रभावी कदम उठाएँ। वरना भील यहाँ के अलावा मेवाड व ईडर में भी कष्ट देगे। इस पत्र को माफ करें किन्तु मैं कोई अपसर बगैर सूचना दिए नहीं जाने दे सकता। लिमरवाडा पाल के भील कष्ट दे रहे हैं तथा मैं उन्हें शान्त रखने की हर सम्भव कोशिश कर रहा हूँ।" इस प्रकार रुचि रखने वाले पक्ष भीलों के खिलाफ शीघ्र कार्यवाही हेतु अंग्रेज अधिकारियों को भडका रहे थे।

राजा व सामन्त तो शक्तिहीन थे, किन्तु अंग्रेजों को भडकाकर भीलों का कत्लेआम करवाने पर कृत सकल्प थे। 17 नवम्बर 1913 को अंग्रेजी फौजों ने मानगढ की पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया। मानगढ की पहाड़ी के सामने दूसरी पहाड़ी पर अंग्रेजी फौजों ने तोप व मशीन गनें तैनात कर रखी थीं एवं वहीं से गोला बारूद दागे जाने लगे। लगभग एक घण्टे तक मानगढ पर भीलों ने सेना का सफल मुकाबला किया, किन्तु आधुनिक युद्ध सामग्री के समक्ष अधिक समय तक वे टिक नहीं सके। मानगढ की पहाड़ी के नीचे तैनात अंग्रेजी फौज पहाड़ी को घेरते हुए ऊपर पहुँची तथा भीलों को अधाधुध गोलियों से भूनना आरम्भ कर दिया। भीलों में भी भगदड़ मच गई। कुछ ही समय में पहाड़ी पर भीलों ने आत्मसमर्पण कर दिया, उसके उपरान्त भी भीलों का कत्लेआम जारी रहा। अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार कुल 100 भील मारे गए थे तथा 900 भीलों को बन्दी बना लिया गया था।¹⁷ इनके साथ ही गोविन्द गिरि व पुन्जीया को भी बन्दी बना लिया गया था। पुन्जीया ही पहला व्यक्ति था जिसने आत्मसमर्पण करते हुए अन्यो को भी आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया। दोनों को तुरन्त प्रभाव से अहमदाबाद जेल भेज दिया गया। बन्दी बनाए गए 900 लोगों में से 800 को एक सप्ताह के पश्चात् रिहा कर दिया गया तथा शेष लोगों को मुकदमा चलाने के लिए सूथ जेल में रखा गया।¹⁸ इस घटना की खबर समस्त भील गावों में तेजी से फैल गई जिससे उन्हें भारी निराशा हुई। अहमदाबाद बड़ीदा, खेरवाड़ा एवं उदयपुर की ओर लौटती हुई सेना ने चीख कर व गोलिया चलाकर भील क्षेत्रों को आतंकित किया। इस प्रकार भील क्रान्ति को निर्दयता पूर्वक कुचल दिया गया।

गोविन्द गिरि के नेतृत्व में भील विद्रोह को कुचल दिया गया था किन्तु भील पालो में विद्रोह की सम्भावनाएँ नहीं हुई थी। मानगढ़ से आने जाने वाली फौजों ने भील पालों में खासा आतक स्थापित कर दिया था। इसके साथ-साथ अग्रेज अधिकारियों ने भीलो को सन्तुष्ट करने के ध्येय से शीघ्र प्रभाव से सुधारात्मक तरीके भी अपनाए। बन्दी भीलो पर शीघ्र प्रभाव से मुकदमे की कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी थी। गिरफ्तार 100 लोगों पर इसी उद्देश्य के लिए गठित विशिष्ट न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। इस न्यायालय के आदेश से इनमें से 70 लोगों को जो मुख्य रूप से मुखिया, पटेल एवं गमेती थे को उनके सम्बन्धित राज्यों के हवाले कर दिया गया, जहा उनको सम्बन्धित न्यायालयों में विभिन्न सजाएँ सुनाई। शेष 30 व्यक्ति जिन पर हत्या, डकैती, दैमनस्यता व चर्म घृणा फैलाने व राज्य के विरुद्ध बगावत करने जैसे गम्भीर आरोप थे, पर मुकदमा विशेष अदालत ने तय किया। इस मुकदमे में मनमाने तरीके से निर्णय किया गया। बाबा गोविन्द गिरि को मृत्युदण्ड पुन्जीया धीर जी को आजीवन कारावास एवं शेष को तीन वर्ष का कठोर कारावास की सजा दी गई। 30 में से 6 अपराधियों को बिना किसी सजा के मुक्त कर दिया गया।" इस विशेष न्यायालय का गठन मुख्यत प्रशासनिक व सैनिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करके किया गया था जो अपने आप में न्याय सगत नहीं था।

उपरोक्त फैसले को उच्च न्यायालय की स्वीकृति के पश्चात् ही लागू करना था। उच्च न्यायालय का गठन अहमदाबाद में बम्बई सरकार के उत्तरी सम्भाग के आयुक्त द्वारा किया गया। यह निर्णय व सजा प्राप्त अभियुक्तों की याचिका इस न्यायालय में पहुँचनी थी। 23 याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व अन्तोल दास वकील ने किया। 24वा अपराधी जेल में ही मर गया था। मुकदमों की कार्यवाही आरम्भ होते ही अपराधियों के वकील अन्तोलदास ने औपचारिक आपत्ति उठाई कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 556 के अन्तर्गत वर्तमान उत्तरी सभाग का आयुक्त उच्च न्यायालय के रूप में बैठने के योग्य नहीं है। उसकी यह आपत्ति सही थी, क्योंकि मानगढ़ पर सैनिक अभियान के समय उत्तरी सम्भाग का आयुक्त एक पक्षकार के रूप में उपस्थित था। सैनिक अभियान उसकी उपस्थिति एवं उसके निर्देशों व निगरानी के अन्तर्गत चलाया गया था। किन्तु वकील की इस आपत्ति को अस्वीकृत करते हुए मुकदमे की कार्यवाही जारी रही।

उच्च न्यायालय के रूप में उत्तरी सम्भाग के आयुक्त ने आदेश पारित किया कि "अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 423 के तहत मे सूय व बासवाड़ा राज्यों में

प्रचलित कानून के पैल कोड की धारा 121 के अन्तर्गत गोविन्द गिरि बेघारनर की सजा की पुष्टि करता हूँ, किन्तु उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदलता हूँ। पुन्जा धीर जी को विशेष न्यायालय द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को उपरोक्त संहिता की धारा 121 एवं 302 के अन्तर्गत पुष्टि करता हूँ तथा इसमें परिवर्तन से इन्कार करता हूँ। इसी संहिता की धारा 148 व 149 के अन्तर्गत शेष 21 पाधिककर्ताओं की सजा की पुष्टि करता हूँ, किन्तु इन सभी की सजा 6 माह का कठोर कारावास कम करता हूँ।¹²

उपरोक्त आदेशों की न्यायप्रियता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। जब न्यायाधीश स्वयं पूर्वाग्रहों से युक्त हो। इसे किसी भी रिश्ते में न्याय कहना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। यह अधिकारी अपने निर्णय में निष्पक्ष न्यायाधीश की भूमिका निभाने में असफल रहा क्योंकि वह भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हितों से जुड़ा हुआ था। राष्ट्र उत्थान के उस युग स्वतंत्रोपक साम्राज्यवादियों द्वारा ऐसी घटनाओं को सहन किया जाना सम्भव नहीं था। विद्रोहों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए तथा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इस तरह के कदम उठाना आवश्यक था।

यह विद्रोह कुचल दिया गया था, किन्तु इसने दूरगामी प्रभाव छोड़े। मानगढ़ की पहाड़ी भील प्रेरणा का सूचक बन गई थी। अग्रज अधिकारियों ने अकेले या भारी सख्खा में सम्बन्धित दरबारों की लिखित अनुमति के बिना किसी भील का मानगढ़ की पहाड़ी पर जाना दो वर्ष के लिए प्रतिबन्धित कर दिया था। भील आन्दोलन कुचल दिया गया था। किन्तु भील अपने गुरु की गिरफ्तारी को लेकर आन्दोलित थे। भीलों में गोविन्द गिरि भारी लोकप्रिय थे क्योंकि उसने उन्हें अनेक बुराईयों से मुक्ति दिलाई थी। अतः गोविन्द गिरि की लोकप्रियता के कारण आजीवन कारावास की सजा को दस वर्ष की सजा में बदल दिया गया था तथा सात वर्ष के पश्चात् इस शर्त पर रिहा कर दिया गया था कि वह सूबे दूगरपुर बारावाला फुरालगढ़ एवं ईडर राज्यों में प्रवेश नहीं करेगा। वह सरकारी निगरानी में अहमदाबाद सम्भाग के अन्तर्गत पचमहल जिले के झालोद नामक गाव में रहने लगा। इसी स्थान पर सभी क्षेत्रों के भगत भील उसके प्रवचन सुनने वहाँ पहुँचने लगे।

आश्चर्य की बात तो यह थी कि इतना बड़ा हत्याकाण्ड जो कि जलियावाला बाग से भी घबराता था, की उपेक्षा राष्ट्रीय स्तर पर हुई। किसी भी तथाकथित सम्य समाज की संस्था ने न तो इस हत्याकाण्ड की आलोचना की एवं न ही इस शहादत

को सराहा। बागड के भील आदिवासियों की यह शहादत व्यर्थ नहीं गई, बल्कि इस घटना के पश्चात् गोविन्द गिरि द्वारा रखी गई अधिकतर मार्गों को सम्पूर्ण आदिवासी क्षेत्रों (मेवाड़ सहित) में आशिक तौर पर मानकर लागू कर दिया। इतना ही नहीं सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सदियों पुराने अधकार से निकलकर भील आदिवासियों ने नए सबेरे की रोशनी में आखें खोलीं।

संदर्भ

- 1 राष्ट्रीय अभिलेखागार फारेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट इन्टरनल-ए प्रोसीडिंग्स अप्रैल 1961 न 38-47
- 2 वही प्रोसीडिंग्स अगस्त 1914 न 18-22
- 3 वही प्रोसीडिंग्स मार्च 1914 न 8-67
- 4 वही प्रोसीडिंग्स अप्रैल 1916 न 38-47
- 5 वही प्रोसीडिंग्स मार्च 1914 न 8-67 पृ 29
- 6 वही
- 7 वही, इन्टरनल ए प्रोसीडिंग्स अप्रैल 1916 न 38-47 पृ 11
- 8 वही एव शोध पत्रिका भाग-9 अंक-2 1957 पृ 62
- 9 राष्ट्रीय अभिलेखागार फारेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट इन्टरनल-ए प्रोसीडिंग्स अप्रैल 1961 न 38-47
- 10 वही
- 11 पत्र सख्या 3342 दिनांक आबू 17 दिसम्बर 1914
- 12 राष्ट्रीय अभिलेखागार फारेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट इन्टरनल-ए प्रोसीडिंग्स मार्च 1914 न 8-67 पृ 33
- 13 वही पृ 33-34
- 14 वही पत्र सख्या 35-सी बी दिनांक 29 नवम्बर 1913
- 15 राष्ट्रीय अभिलेखागार फॉरेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट इन्टरनल-ए प्रोसीडिंग्स अप्रैल 1916 न 38-48 लेटर न 3342 दिनांक आबू 7 सितम्बर 1914
- 16 वही
- 17 वही इन्टरनल-ए प्रोसीडिंग्स मार्च 1914 न 8-67
- 18 वही इन्टरनल-ए प्रोसीडिंग्स अप्रैल 1916 न 38-47
- 19 शोध पत्रिका पूर्वोक्त पृ 63
- 20 राष्ट्रीय अभिलेखागार फॉरेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट इन्टरनल-ए प्रोसीडिंग्स अगस्त 1914 न 18-22 पृ 3-4
- 21 वही
- 22 वही होम डिपार्टमेंट पुलिस-बी प्रोसीडिंग्स दिसम्बर 1913 न 108-22
- 23 वही इन्टरनल-ए प्रोसीडिंग्स मार्च 1914 न 8-67
- 24 वही
- 25 वही इन्टरनल-ए प्रोसीडिंग्स अप्रैल 1916 न 38-47 पृ 11-15
- 26 वही प्रोसीडिंग्स मार्च 1914 न 8-67 पृ 41
- 27 वही पृ 39-40
- 28 वही पृ 41 पत्र दिनांक 17 नवम्बर 1913

70/राजस्थान में किसान एवं आदिवासी आन्दोलन

29 यही

30 यही

31 यही, इन्टरनल-ए प्रोसीडिंग्स अगस्त 1914 न 18-22 निर्णय की प्रति

32 यही

मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आन्दोलन

20वीं सदी के प्रारम्भ में पृथक प्रकार के आदिवासी आन्दोलन दृष्टिगोचर होते हैं। इस सदी के पूर्वार्ध में अधिकांश आदिवासी आन्दोलन समाज सुधार के रूप में उदित हुए जो कुछ समय पश्चात् राजनीतिक आर्थिक विद्रोहों में परिवर्तित हो गए। गोविन्द गिरि के नेतृत्व में आदिवासी आन्दोलन इस प्रकार का एक शक्तिशाली आन्दोलन था। दैसे सीधे तौर पर गोविन्द गिरि व मोतीलाल तेजावत के बीच कोई तारतम्य नहीं था किन्तु मोतीलाल तेजावत का आन्दोलन गोविन्द गिरि द्वारा प्रतिपादित विचारों का विस्तार दिखाई देता है।

गोविन्द गिरि के नेतृत्व में आदिवासी आन्दोलन डूंगरपुर, बासवाड़ा, सूथ एव ईडर के आदिवासियों तक ही सीमित था। उदयपुर व सिरौही राज्यों के अधिसख्यक भील व गिरासिया आदिवासी इस आन्दोलन से अलग ही रहे या यूँ कहें कि गोविन्द गिरि का प्रभाव उदयपुर व सिरौही राज्य के आदिवासियों में नगण्य ही रहा। गोविन्द गिरि के आन्दोलन को शक्तिपूर्वक कुचल दिया गया था किन्तु इसने गुजरात मध्य भारत व राजस्थान के भीलों को प्रभावित अवश्य किया था। अंग्रेज अधिकारियों ने मेवाड़ व सिरौही राज्यों को भील आन्दोलन रोकने के लिए सतर्कता बरतने की सलाह दी थी। उन्होंने भीलों को सन्तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से जंगल कानूनों भू-राजस्व एव बेगार में सुधार करने का सुझाव दिया था। गोविन्द गिरि के आन्दोलन से सम्बन्धित अंग्रेजी दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि भीलों सम्बन्धी सुधारों व छूटों का मुद्दा पत्र व्यवहार तक ही सीमित रहा वास्तव में कुछ नहीं किया गया। भीलों की स्थिति सुधार के स्थान पर बिगड़ती जा रही थी। उनका असंतोष अनेक छोटे-छोटे आन्दोलनों के रूप में परिलक्षित होता है। सन् 1913-20 के मध्य अनेक भील आन्दोलन उत्पन्न हुए जिन्हें कुचल दिया गया था। ये आन्दोलन बिजौलिया किसान आन्दोलन से भी प्रभावित थे किन्तु अनेक कारणों से उसकी समाज पद्धति पर विकसित नहीं हो सके। वास्तव में ये आन्दोलन स्वस्फूर्त अलग-अलग व असंगठित थे। स्वाभाविक तौर पर उपयुक्त नेतृत्व के अभाव में ये आन्दोलन गति नहीं पकड़ सके।

मेवाड़ में 19वीं सदी के भील विद्रोह मुख्य रूप से भगारा जिले में केन्द्रित थे जबकि अनेक जागीरों में रहने वाले भीलों को इनका कोई लाभ नहीं मिला था। अब गोविन्द गिरि

उदयपुर राज्य में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आन्दोलन

असहयोग आन्दोलन की जागृति के प्रभाव में 1921 में मेवाड़ व अन्य राज्यों के भीलों व गिरासियों ने मोती लाल तेजावत के नेतृत्व में आन्दोलन छेड़ा। मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के झाडोल ठिकाने के अन्तर्गत कोलियारी गाव का निवासी व ओसवाल बनिया जाति का था। उसने कुछ समय झाडोल ठिकाने के कामदार के रूप में भी कार्य किया था। इसी दौरान वह इस ठिकाने के भीलों के सम्पर्क में आया। झाडोल के जागीरदार के साथ कुछ मतभेद हो जाने के कारण उसने ठिकाने की नौकरी छोड़कर परचून का व्यवसाय आरम्भ किया। वह भील क्षेत्रों में घूम-घूमकर मिर्च मसाला आदि बेचता था तथा पोसीना ठिकाने में सामलिया नामक स्थान पर लगने वाले चित्रे-विचित्रे के मेले में नियमित रूप से दुकान लगाता था। अतः अपने व्यापार के माध्यम से वह उदयपुर राज्य के भीलों के अत्यधिक निकट सम्पर्क में आया। वह भीलों के कष्टों से अत्यधिक द्रवित हुआ एवं उसने उनके उत्थान हेतु कार्यक्रम आरम्भ किया। आरम्भ में उसने भीलों को समाज सुधार हेतु प्रेरित करते हुए निम्नलिखित निर्णय करवाए¹ -

- 1 शराब नहीं पी जायेगी।
- 2 कोई भी व्यक्ति अपने भाई की विधवा से बलात् विवाह नहीं करेगा।
- 3 कोई भी महिला जिसका पति जीवित हो दूसरे पुरुष से विवाह नहीं करेगी।
- 4 अधिवाहित महिला का अपहरण दण्डनीय अपराध होगा।
- 5 एक विधवा अपनी इच्छा पर पुनर्विवाह के लिए स्वतन्त्र है।
- 6 अधिवाहित महिला के विवाह के अवसर पर कोई पैसा नहीं लिया जायेगा।
- 7 किसी महिला के अन्य पुरुष के साथ अवैध शारीरिक सम्बन्ध होने के अपराध में उसे जाति बाहर कर दिया जायेगा।
- 8 कोई भील पशुओं का मांस नहीं खाएगा।
- 9 कोई भील चोरी नहीं करेगा।

मोतीलाल तेजावत की समाज सुधार की गतिविधियों ने उसे भीलों के मध्य काफी लोकप्रिय बना दिया था। इन उपदेशों के साथ उसने आदिवासियों का एकी आन्दोलन भी आरम्भ किया। एकी आन्दोलन का उद्देश्य राज्यों व जागीरदारों द्वारा किए जाने वाले भीलों के सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध संयुक्त रूप से विरोध करना था। भीलों को उसने यह भी बताया कि वे इस भूमि के असली स्वामी थे, किन्तु वर्तमान शासकों व उनके पूर्वजों ने भीलों को पददलित किया है। भीलों को यह भी सलाह दी गई कि वे राज्यों व जागीरदारों की कचहरियों (न्यायालयों) का बहिष्कार करें क्योंकि वे अन्याय पर स्थापित की गई हैं। इन विचारों व शिक्षाओं ने भीलों में नई चेतना का संचार किया। मोती लाल तेजावत की गतिविधियां तो झाडोल जागीर तक ही सीमित थी, किन्तु उनका प्रभाव अन्य भील क्षेत्रों में भी तीव्र गति से फैल रहा था। उसके बढ़ते हुए प्रभाव से सत्ताधारियों का

चिन्तित होना स्वामाविक था, अतः सत्ताधारियों ने इसे एक चुनौती के रूप में लेते हुए भीलो पर जुल्म करने के कठोरतम कदम उठाए। इसी दौरान तेजावत विजय सिंह पथिक अन्य नेताओं से मिला तथा उनके साथ विचार-विमर्श कर भीलो की समस्याओं के समाधान हेतु कार्यक्रम तैयार किया। वह असहयोग आन्दोलन से भारी प्रभावित था तथा वह भीलो का ऐसा ही आन्दोलन छेड़ना चाहता था। इस समय तक विजौलिया किसान आन्दोलन अपनी घरम सीमा पर था जिसने तेजावत को भी उत्साहित किया तथा जब उसे विजौलिया के नेताओं से समर्थन का आश्वासन मिल गया तो उसने अपने कार्यक्रम को अन्तिम रूप प्रदान किया। जुलाई 1921 में उसने भीलों का करबन्दी सहित असहयोग आन्दोलन आरम्भ कर दिया था।

तेजावत द्वारा छेड़े गए आन्दोलन को भारी समर्थन मिला एवं यह भीलो का एक शक्तिशाली आन्दोलन बन गया था। आन्दोलन के दौरान मोतीलाल तेजावत की गतिविधियों के सम्बन्ध में कोटडा के सहायक पॉलिटिकल एजेन्ट ने लिखा था कि "मोतीलाल महात्मा गाँधी के अनुयायी हैं एवं वह लोगों से कहता है कि जब गाँधी सर्वोपरि बन जाएँगे तो उन्हें एक रूप के स्थान पर एक आना कर देना होगा एवं यदि वे उसका अनुसरण करने से इन्कार करेंगे तो उनको कुचल दिया जाएगा।" यह शरारतपूर्ण टिप्पणी भील आन्दोलन के भय से उपजी अग्रजों की वैधेनी का सूचक है किन्तु यह एक सत्य भी है क्योंकि तेजावत ने गाँधी के प्रभाव में यह आन्दोलन आरम्भ किया था। सर्वप्रथम झाड़ोल ठिकाने के भीलो में वेगार करना व कर देना बन्द कर दिया था। यह तेजावत की गतिविधियों का मुख्य केन्द्र था।

झाड़ोल का ठाकुर इस स्थिति से चिन्तित हो गया था एवं स्थिति को नियंत्रण में लाने के ध्येय से उसने 19 अगस्त, 1921 को मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। तेजावत की गिरफ्तारी ने भीलो को और अधिक उत्तेजित कर दिया था। अपने नेता को मुक्त कराने के लिए हजारों भील एकत्रित हो गये। भीलों के भारी जमावड़े ने तेजावत को मुक्त करने हेतु ठाकुर को बाध्य कर दिया था। इसके परिचायक तेजावत ने अपना आन्दोलन और भी तीव्र कर दिया था। गाव-गाव में ढोल पीटकर भीलों को कर न देने व सत्ताधारियों के साथ सहयोग न करने की सलाह दी जाने लगी। इसको भीलों का भारी समर्थन मिला तथा भीलों ने तेजावत के निर्णय के पालन हेतु शपथ ली। उन्होंने यह भी तय किया कि यदि कोई इनकी अवज्ञा करेगा तो उसे जाति बाहर कर अथवा अर्थदण्ड देकर दण्डित किया जाएगा। ये निर्णय झाड़ोल जागीर के निवासी भीलो ने लिए थे। किन्तु भीमट के भील भी इन्हीं पद चिन्हों पर जा रहे थे। तेजावत ने भीमट क्षेत्र का दौरा किया तथा वहाँ तक अपनी गतिविधियों का विस्तार करने में सफल रहा। वहाँ भी वह अत्यधिक लोकप्रिय हो गया था। भीलों का ऐसा विश्वास था कि तेजावत गाँधी का धर्मदूत था। वे उसे भगवान का वरदान भी मानते थे तथा झूठ के झूठ भील उनसे मिलने अथवा उनके दर्शन करने आने लगे। भीलों ने उसके प्रति समर्पण दिखाते हुए उसके नेतृत्व में

मरते दम तक सघर्ष करने की शपथ ली। भीलों ने उसका ईमानदारी से अनुसरण किया। भौमट के भीलों ने भी भू-राजस्व लागू-बागू अन्य कर एवं बेगार देना बन्द कर दिया था। उन्होंने बिना अनुमति के वन उत्पादों का उपयोग भी आरम्भ कर दिया था। भील क्षेत्रों में उदयपुर राज्य का नियंत्रण समाप्त हो गया था एवं प्रशासन पूरी तरह पगु हो गया था। उदाहरणार्थ जब झाडोल जागीर के कारिन्दे राजस्व वसूल कर रहे थे तो मोती लाल तेजावत हजारों भीलों को लेकर वहाँ पहुँचा तथा राजस्व की एकत्रित राशि को जब्त कर लिया व कारिन्दो की पिटाई करते हुए उन्हें बन्धक बना लिया था। वर्ष 1921 के अन्त तक पहाड़ा झाडोल मादरी जागीरों व सम्पूर्ण भौमट क्षेत्र के भील बगावत पर उतर आए थे। इस प्रकार मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में सम्पूर्ण उदयपुर राज्य के भीलों ने करबन्दी के साथ असहयोग आन्दोलन छेड़ दिया था।

महाराणा एवं ब्रिटिश अधिकारी तेजावत के बढ़ते हुए प्रभाव से अत्यधिक चिन्तित थे। अतः उदयपुर सरकार ने 31 दिसम्बर, 1921 को एक आदेश निकाला जिसके तहत भौमट के जागीरदारों को आदेश दिया गया कि वे अपने क्षेत्रों में 50 से अधिक लोगों की सभा सरकारी अनुमति के बिना नहीं होने दें। इसके साथ ही राज्य ने मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी के लिए 500 रुपए का ईनाम घोषित किया। राज्य ने यह भी घोषणा की कि यदि कोई उसे शरण या सहायता देगा तो वह दण्ड का पात्र होगा।

उपरोक्त दमनात्मक कदम भील आन्दोलन को कुचलने में असफल रहे जिसके अनेक कारण थे। प्रथम मेवाड़ के खालसा एवं जागीर क्षेत्रों के भीलों ने अपनी शिकायतों व माँगों के सन्दर्भ में सैंकड़ों माँग पत्र व शिकायत पत्र भेजे, किन्तु सत्ता पक्ष ने इन पर कोई कार्यवाही नहीं की। इसके विपरीत उन्होंने न्यायिक माँगों पर आधारित भील आन्दोलन को कुचलने की योजना बनाई। इसलिए माँगों को आंशिक या पूर्ण रूप में माने बिना भीलों द्वारा यह आन्दोलन समाप्त करना अथवा वापस लेना सम्भव नहीं था। दूसरा भीलों के ये आन्दोलन असहयोग आन्दोलन के प्रभाव में थे जो इस समय अपने पूरे यौवन पर था। तीसरा, एकी आन्दोलन ने भीलों को सामाजिक व राजनीतिक रूप से सगठित कर दिया था कि दमनात्मक कदम उठाने के उपरान्त भी यह आन्दोलन भीलों की समस्याओं के समाधान के बिना टूटने वाला नहीं था। चौथा उदयपुर राज्य में बिजौलिया व अन्य स्थानों पर किसान आन्दोलन अपनी चरम सीमा पर थे जो आदिवासी आन्दोलन की प्रेरणा का स्रोत बने हुए थे। विशेषकर बिजौलिया किसान आन्दोलन के साथ इस आदिवासी आन्दोलन का सीधा जुड़ाव था एवं दोनों के मध्य आपसी सहयोग चल रहा था। जैसा कि विदित है कि तेजावत ने आदिवासी आन्दोलन आरम्भ करने के पूर्व पथिक से सम्पर्क किया था। अतः दोनों आन्दोलनों पर कोई समझौता अथवा निर्णय हुए बिना आदिवासी आन्दोलन समाप्त होने वाला नहीं था।

दिसम्बर 1921 तक उदयपुर राज्य में किसान एवं आदिवासी आन्दोलनों के

कारण एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस स्थिति से निपटने के लिए अंग्रेजों व उदयपुर राज्य ने विभिन्न दमनात्मक कदम उठाए। असल में इस समय तक उदयपुर के किसान व आदिवासी आन्दोलन अत्यधिक उग्र रूप धारण कर चुके थे, जिन्हें महज शक्ति से दबाना आसान कार्य नहीं था। अतः भील आन्दोलनों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने 1 जनवरी, 1922 को भीलों को कुछ छूट देने का निर्णय लिया एव तदनुसार जागीरदारों को सलाह दी गई थी।¹⁹ आन्दोलन के परिणाम स्वरूप राज्य का यह निर्णय समर्पण का सूचक था, जिसने भीलों की इच्छा शक्ति को और अधिक बढ़ा दिया था।

उपरोक्त उपाय स्थिति को नियंत्रण में नहीं ला सकें क्योंकि अंग्रेजों द्वारा घोषित छूटें उनकी समस्याओं के सन्दर्भ में तुच्छ थी। इस समय तक भील आन्दोलन इतना सुदृढ़ जनाधार प्राप्त कर चुका था कि उसे छोटा लालच देकर समाप्त नहीं किया जा सकता था। अतः भीलों का आन्दोलन निरन्तर रूप से जारी रहा। जनवरी, 1922 में मोतीलाल तेजावत ने सिरोही राज्य में प्रवेश किया जहाँ भारी सख्खा में भील व गिरासिया आदिवासी रहते थे। वे उदयपुर के आन्दोलन से भारी प्रभावित थे एव सिरोही में ऐसा ही आन्दोलन छेड़ना चाहते थे। वास्तव में मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के भय से उदयपुर से भागकर सिरोही नहीं गया था बल्कि उसे सिरोही के भीलों व गिरासियों ने अपने मार्गदर्शन हेतु आमन्त्रित किया था। इस समय तक उसे यह भी पूरा भरोसा हो गया था कि उदयपुर में उसके अनुयायी उसकी अनुपस्थिति में आन्दोलन चलाने में सक्षम थे।

जनवरी-अप्रैल, 1922 के दौरान उदयपुर राज्य व अंग्रेज अधिकारियों ने भीलों को भू-राजस्व, बेगार, लाग-वाग एव अन्य करों के मामले में अनेक छूटों की घोषणा की जो भीलों को स्वीकार्य नहीं थी। भील विभिन्न बहानों से कर देने से इन्कार करते रहे व राज्य आदेशों को भी अवहेलना करते रहे। राज्य द्वारा घोषित सुविधाओं को अस्वीकार करने का एक अन्य कारण मोती लाल तेजावत के साथ सरकारी दुर्व्यवहार भी था। मार्च, 1922 में मोतीलाल तेजावत ने गुजरात के ईडर राज्य में प्रवेश किया। जब मोतीलाल तेजावत अपने 2000 अनुयायियों के साथ ईडर राज्य के अन्तर्गत पोल में रुका हुआ था तो 7 मार्च, 1922 को मेजर सटन की कमाण्ड में मेवाड़ भील कॉर्पस ने उन्हें घेर लिया तथा उनके ऊपर गोलिया दागी। सरकारी स्रोतों में उल्लेख मिलता है कि इस गोलाबारी में तेजावत के 22 अनुयायी मारे गए तथा 29 घायल हुए।²⁰ इस घटना ने भीलों को अपना आन्दोलन शान्त करने के स्थान पर और अधिक तीव्र करने पर बाध्य किया। पुनः जून, 1922 में भीमट के जागीरदारों व गमेतियों के मध्य एक नया समझौता हुआ। किन्तु यह समझौता भी इस आन्दोलन को समाप्त करवाने में सफल नहीं हुआ क्योंकि इसकी कार्यान्विति को लेकर अनेक विवाद उत्पन्न हो गए थे। इस प्रकार उदयपुर राज्य का भील आन्दोलन 1929 में तेजावत की गिरफ्तारी के बाद ही हुआ।

सिरोही में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आन्दोलन :

सिरोही राज्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आन्दोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केन्द्र बना। सिरोही राज्य में भी आदिवासियों की जीवन दशाएँ मेवाड़ राज्य के भीलों के समान ही थी। सन् 1922 में तेजावत ने सिरोही राज्य के आदिवासियों में प्रवेश किया। यहाँ भी उसने उदयपुर के भीलों की पद्धति पर गिरासिया आदिवासियों में समाज सुधार के कार्य आरम्भ किए। उसने गिरासियों के उत्थान हेतु समाज सुधार के साथ-साथ एक आर्थिक संघर्ष भी आरम्भ किया। जनवरी, 1922 में तेजावत ने भ्रमण करते हुए भीलों व गिरासियों की अनेक सभाएँ की तथा उन्हें कर बन्दी व राज्य के साथ असहयोग हेतु खुला आह्वान दिया। सिरोही के आदिवासियों ने तेजावत के सन्देश का ईमानदारी से अनुसरण किया। जनवरी, 1922 के अन्तिम सप्ताह में आदिवासियों द्वारा लूट व राज्य कर्मचारियों के साथ उनके दुर्व्यवहार की अनेक घटनाएँ घटीं। यहाँ आदिवासी हिंसा पर उतारू हो गए थे। इस समय राष्ट्रीय नेता मदनमोहन मालवीय का पुत्र रमाकान्त मालवीय सिरोही राज्य का दीवान था। उसने आदिवासी आन्दोलन को नियंत्रित करने के लिए अपने पिता के नाम का भी उपयोग किया। सम्भवतः वह आदिवासियों के प्रति उदारता भी रखता हो किन्तु यह उसके वर्गहित के विपरीत था। रमाकान्त मालवीय ने मामले को निपटाने के लिए महात्मा गाँधी व विजय सिंह पथिक तक अपनी इच्छा व्यक्त की।¹² विजय सिंह पथिक ने इस मामले में कोई भी मदद करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया था, जबकि गाँधीजी ने रमाकान्त मालवीय की भारी सहायता की।

यहाँ गाँधीजी की भूमिका का विश्लेषण प्रासंगिक होगा क्योंकि गाँधीजी इस समय भारत के स्वतंत्रता संग्राम के निर्विवाद नायक थे। असल में गाँधीजी देशी रियासतों में किसी भी प्रकार के आन्दोलन के पक्ष में नहीं थे जबकि इन रियासतों के निवासी अग्रेजों देशी रियासतों व जागीरदारों की तिहरी प्रशासनिक पद्धति के भार से त्रस्त थे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा छोड़े गए राष्ट्रव्यापी असहयोग आन्दोलन के प्रभाव से उत्पन्न राजस्थान के किसान व आदिवासी आन्दोलनों का समर्थन भी कांग्रेस नहीं कर सकी थी। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में देशी रियासतों के मामलों में हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया था। गाँधीजी कांग्रेस के इस निर्णय को अपने काल्पनिक तर्क से जायज ठहराते थे, जो तर्क से बहुत परे थे। उनकी मान्यता थी कि 'मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ कि यह एक स्वीकार्य सिद्धान्त है कि कांग्रेस भारतीय रियासतों में न कोई सत्याग्रह चलाए अथवा न तो चलाने की सलाह दे। केवल यही सही है। कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश भारत का स्वराज है। यदि, यह अन्य क्षेत्रों के सत्याग्रह से अपने को जोड़ती है, तो यह आत्मघातित सीमाओं का उत्लघन होगा। जब कांग्रेस अपनी लड़ाई जीत लेगी तो रियासतों की समस्याएँ स्वतः ही हल हो जाएँगी। यदि दूसरी और लोग किसी भारतीय राज्य में स्वराज प्राप्त कर लेते हैं तो उसका ब्रिटिश भारत पर अल्प प्रभाव ही पड़ेगा।' वास्तव में गाँधीजी राजाओं को सरल हृदय मनुष्य मानते थे। जबकि

वे कुछ शासकों के अत्याचारों से अनभिज्ञ भी नहीं थे। स्वयं गाँधीजी ने बाद में 23 मार्च 1940 के हरिजन के अंक में लिखा था कि "जहाँ तक उनकी जनता का सम्बन्ध है राजाओं को उन पर असीमित नियंत्रण प्राप्त है। वे उन्हें अपनी इच्छानुसार बन्दी बना सकते हैं एवं यहाँ तक कि उनको मार भी सकते हैं।" वे आगे कहते हैं कि "किन्तु मैं उन्हें इसके लिए दोषी नहीं मानता। इन राज्यों के ये मामले ब्रिटिश व्यवस्था का परिणाम हैं।" इसलिए उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि अधिक से अधिक इन शासकों के तरीकों व उपायों की कटु आलोचना की जा सकती है।" उन्होंने यह भी स्पष्ट तौर पर घोषणा की कि देशी शासक स्वतंत्र भारत में अपने राज्यों को रख सकेंगे।"

सम्भवतः गाँधीजी की यह नीति स्थाई नहीं थी बल्कि यह उनकी सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा थी क्योंकि असहयोग आन्दोलन प्रथम राष्ट्रव्यापी जनसंघर्ष था एवं वे इस समय एक ओर कांग्रेस की शक्ति रियासती मामलों में नहीं लगाना चाहते थे तथा दूसरी ओर देशी नरेशों के साथ उलझना नहीं चाहते थे। गाँधीजी की यह भी समझ थी कि देशी नरेश अंग्रेजों से पल्ला झाड़कर कांग्रेस के सहयोगी बन सकते हैं। अतः उनके खिलाफ संघर्ष का समर्थन न कर उनका हृदय परिवर्तन किया जाए जबकि वास्तविकता यह थी कि देशी रियासतें अपना स्वतंत्र सामाजिक राजनीतिक अस्तित्व खो चुकी थी तथा पूरी तरह पराश्रित बन चुकी थी। अब उनका अस्तित्व अंग्रेज स्वामियों की कृपा पर निर्भर था। अतः अब वे अपने जीवन दाता को सम्मान करने की स्थिति में नहीं थे। इसी का परिणाम था कि वे 1947 में भारत स्वतंत्र होने तक भारत में अंग्रेजी राज के पक्षधर बने रहे। 1938 में देशी रियासतों के जन आन्दोलनों के प्रति कांग्रेस की नीति में परिवर्तन आया एवं रियासतों के जन आन्दोलन के नेताओं को अपने-अपने राज्यों में प्रजा मण्डलों की स्थापना कर उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु संघर्ष करने की सलाह दी।

सिरोही के आदिवासी आन्दोलन को असहयोग आन्दोलन का अंग तो नहीं कह सकते, किन्तु यह असहयोग आन्दोलन द्वारा उपजी एक चेतना का परिणाम अवश्य था। सीधे तौर पर गाँधीजी का भी इससे कोई सम्बन्ध नहीं था, किन्तु मोतीलाल तेजावत आचार-विचार से गाँधीजी के अनुयायी थे। यह भी अपने आप को गाँधीजी का अनुयायी कहता था। आन्दोलन की बढ़ती हुई शक्ति व लोकप्रियता के कारण राज्य का धित्त होना स्वाभाविक था। अतः इस आन्दोलन पर किसी भी प्रकार नियंत्रण न कर पाने की स्थिति में सिरोही के दीवान प० रमाकान्त मालवीय ने गाँधीजी को लिखा कि आपके नाम पर यहाँ बड़ा घोषा किया जा रहा है। आपके नाम पर मोतीलाल नाम का व्यक्ति सीधे सादे आदिवासियों को गुमराह कर रहा है। अतः रमाकान्त मालवीय की धिन्ती पर गाँधीजी ने एक वक्तव्य यग ढण्डिया में छापा जो निम्नानुसार था — "मैंने सुना है कि उदयपुर निवासी मोती लाल पचोली नामक राज्जन अपने आपको मेरा शिष्य बताता है एवं राजपूताना राज्यों के देहातियों को आत्म सयम और क्या नहीं का उपदेश देता है। ऐसी सूचनाएँ प्राप्त हो रहीं हैं कि वह अपने प्रशसकों की सशस्त्र भीड़ से घिरा रहता है एवं जहाँ

कहीं जाता है वहाँ अपनी राजधानी स्थापित करता है। वह दिव्य शक्तियाँ रखने का दावा भी करता है। उसने अथवा उसके प्रशसकों ने कुछ विध्वन्सात्मक कार्य किया है ऐसी सूचनाएँ हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग एक बार हमेशा के लिए समझ लें कि मेरा कोई शिष्य नहीं है। इस समय मेरा कांग्रेस और खिलाफत कमेटी से पृथक कोई अस्तित्व नहीं है। मेरी सब गतिविधि इन दो संगठनों के सम्बन्ध में है। मेरे नाम पर कोई कार्य, ना ही कोई मेरे नाम का उपयोग करने के लिए मेरे द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किया गया है। ना ही किसी ने मेरे से लिखित में कार्य करने की अनुमति ली है कांग्रेस अथवा खिलाफत के कार्य को छोड़कर मैंने किसी को भी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध हथियार यहाँ तक की एक छड़ी के उपयोग हेतु अधिकृत किया है।

मैं समझता हूँ कि इन वहादुर किन्तु सरल ग्रामीणों को कर भुगतान से इन्कार करने के लिए प्रेरित किया गया है। उनको यहाँ तक कहा गया है कि मैंने सिरोंही राज्य से सम्बन्धित करदाताओं को 1¼ रुपया प्रति व्यक्ति से अधिक नहीं देने को कहा है। मुझे अब इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। किसी ने मुझसे इस मामले में सलाह भी नहीं ली है। राज्य का दीवान प० रमाकान्त मालवीय इस मामले को मेरी जानकारी में लाया एव उसने मुझे कहा कि मेरे नाम पर भारी धोखा किया जा रहा है। यदि मेरा लेखन इन ग्रामीणों तक पहुँचता है तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि वे अपनी सभी समस्याएँ राज्य के अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर दें एव कभी हथियार न उठाएँ। यदि वे उस कर का भुगतान रोकना चाहते हैं जिसे वे अधिक समझते हैं यह उनका अधिकार है किन्तु मनमानी करना कभी अधिकार नहीं है। उन्हें अपने पक्ष में जनभावना उत्पन्न करनी चाहिए व अपने मामले को अच्छी तरह प्रचारित करना चाहिए। यदि वे ये सावधानियाँ नहीं बरतेंगे तो वे प्रत्येक चीज व प्रत्येक व्यक्ति को अपने विरुद्ध कर लेंगे एव अन्त में वे अपने आपको लुटा हुआ पाएँगे।”

गाँधीजी के उपरोक्त वक्तव्य से तेजावत के आन्दोलन को क्षति पहुँचने की सम्भावना उत्पन्न हो गई थी। भूलवश गाँधीजी ने एक पक्षीय वृत्तान्त के आधार पर अपना वक्तव्य दे डाला था। अतः मोतीलाल तेजावत ने गाँधीजी को अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए एक पत्र लिखा कि मैंने भीलों में सत्याग्रह आरम्भ किया था एव इससे राज्यों के अधिकारी अप्रसन्न हो गए थे ना तो इन राज्यों ने व न ही अंग्रेज अधिकारियों ने उनकी दिनती पर कोई ध्यान दिया।” गाँधीजी ने तेजावत के पत्र के पश्चात् इस मामले में जाच हेतु मणिलाल कोठारी को सिरोंही भेजा। उसके जाँच प्रतिवेदन के पश्चात् गाँधीजी ने स्वयं लिखा कि “इस मामले की जानकारी हेतु मेरे निवेदन पर मणिलाल कोठारी सिरोंही व अन्य स्थानों पर गए। उससे प्राप्त प्रतिवेदन से यह स्पष्ट दिखाई देता है कि श्री मोतीलाल तेजावत ने भीलों को शराब न पीने व मांस भक्षण छोड़ने हेतु प्रेरित करने के लिए कार्य किया है। यह सन्देह के परे है कि उसकी गतिविधियों ने भीलों में एक जागृति लाने का कार्य किया है। इनकी आलोचना का कोई आधार नहीं बनता। यदि वह अपने साथ

एक झुंड लेकर जगह-जगह घूमने के स्थान पर एक जगह रहे, वहाँ उससे भील मिल सकते हैं।¹⁰ गाँधीजी ने इस आन्दोलन के प्रति अपने सोच में परिवर्तन अवश्य किया किन्तु प्रश्न यह उठता है कि जब उन्होंने इसे सच्चा आन्दोलन माना तो इसका समर्थन क्यों नहीं किया? दूसरा जो गाँधीजी ने तेजावत को सलाह दी थी वह भी अधिक उपयुक्त नहीं थी क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा कोई समाज व धर्म सुधारक अथवा राजनीतिक नेता नहीं हुआ जो अपने कार्यक्रम को लेकर जनता के बीच जगह-जगह न घूमा हो।

सम्पूर्ण प्रकरण पर गाँधीजी के वक्तव्यों व विचारों के अवलोकन से यह बात स्पष्ट होती है कि गाँधीजी भीलों में समाज सुधार के पक्षधर तो थे किन्तु वे उनके राजनीतिक आर्थिक संघर्ष की ना तो अनुशंसा करते थे, न ही अनुमोदन अथवा समर्थन करते थे। काफी जद्दोजहद के बाद भी गाँधीजी ने इस आन्दोलन का समर्थन नहीं किया। इस प्रकार रमाकान्त मालवीय काफी सीमा तक अपने कुत्सित कार्य में सफल रहा। दूसरी ओर तेजावत गाँधीजी व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन जुटाने में असफल रहा।

सिरोही में आदिवासी आन्दोलन का दमन :

महात्मा गाँधी ने मणि लाल कोठारी को तेजावत के पास यह समझाने भेजा कि वह हिंसात्मक आन्दोलन को वापस ले।¹¹ वे सभी प्रयास विफल गए क्योंकि भील एवं गिरासियों को कुछ छूट दिए बिना उनको सन्तुष्ट करना सम्भव नहीं था। अंग्रेजों की सलाह पर राज्य ने इस आन्दोलन को सैनिक शक्ति से कुचलने का निर्णय लिया। 7 मार्च 1922 को ईंडर राज्य के अन्दर्गत पोल की सैनिक कार्यवाही इस दिशा में पहला दमनात्मक कदम था। असल में 11 फरवरी, 1922 को कांग्रेस ने असहयोग आन्दोलन वापस ले लिया था तथा ब्रिटिश अधिकारियों ने सम्पूर्ण भारत में किसान व आदिवासी आन्दोलनों को शक्तिपूर्वक कुचलने की नीति बनाई। वैसे ये आन्दोलन कांग्रेस ने आरम्भ नहीं किए थे, किन्तु ये असहयोग आन्दोलन के प्रभाव में खड़े हुए थे। असहयोग आन्दोलन को वापस लेने के पश्चात् दलित जनता के आन्दोलन नैतिक समर्थन खो चुके थे। रमाकान्त मालवीय ने गाँधी, पथिक व राजस्थान सेवा राय के नेताओं की सहायता से सिरोही के आदिवासी आन्दोलन को समाप्त करने के प्रयास किए थे, किन्तु अपने प्रयासों की असफलता से झुझलाकर गिरासियों के मुख्य गोंधे सियादा में कर बरूली के लिए सेना भेजने का निर्णय लिया।¹² राज्य व अंग्रेजों की सेना ने इस गाँव पर 12 अप्रैल, 1922 को आक्रमण कर दिया। इस सैनिक कार्यवाही में अनेक गिरासियों की जानें गई तथा फौज ने उनके घर, अनाज व पशु जलाकर उनको भारी नुकसान पहुँचाया।¹³ इसके पश्चात् भी सैनिक अभियान जारी रहा। 5 मई 1922 को सेना ने बलोरिया गांव पर आक्रमण किया तथा इस गांव का बहुत बड़ा भाग जला दिया व इसमें 11 आदिवासियों की जानें गईं।¹⁴ 6 मई को मूला एवं नयादास नामक गांव को सैनिक आक्रमणों का शिकार होना पड़ा तथा इन गांवों की अधिकांश झोंपड़ियों को जलाकर राख कर दिया गया था।¹⁵

उपरोक्त सैनिक कार्यवाहियों से स्पष्ट होता है कि आदिवासियों को आतंकित करने के ध्येय से सैनिक आक्रमणों की शृंखला आरम्भ की गई थी। राजस्थान सेवा सघ ने इन घटनाओं पर एक गम्भीर रुख अपनाया तथा रामनारायण चौधरी एव सत्य भक्त को इन घटनाओं की जाँच हेतु नियुक्त किया गया।¹⁴ माणिक लाल वर्मा भी इनकी सहायता कर रहे थे। राजस्थान सेवा सघ ने इस घटना को प्रचारित किया तथा रामनारायण चौधरी और सत्य भक्त द्वारा तैयार किए प्रतिवेदन को समाचार पत्रों में छपवाया। इस सम्पूर्ण घटना पर प्रकाश डालते हुए रामनारायण चौधरी ने लिखा है¹⁵ -

‘इस बीच में भीलों का मामला बहुत गम्भीर हो चुका था। महामना मदनमोहन मालवीय जी के सुपुत्र प० रमाकान्त मालवीय सिरोही के दीवान थे। तेजावत जी के बुलावे पर मालवीय जी के साथ पथिक जी भील क्षेत्र में हो आए थे। वहाँ उनका फौजी और शाही ढग से स्वागत हुआ। लेकिन उनके लौट आने के बाद स्थिति बिगड़ गई। रियासतें कुछ असली चीज देना नहीं चाहती थी। राजपूताना एजेन्सी का रुख कड़ा था। भील भूखे और भड़के हुए थे। कार्यकर्ता थोड़े थे। नेताओं का निकट सम्पर्क नहीं था। हालत न सम्भलने पाई। सिरोही में दो तीन जगह गोलिया चल गईं। माणिकवलाल जी तो भीलों को आरवासन और मार्गदर्शन के लिए पहले ही भेज दिए गए थे। अब मुझे और सत्यभक्त जी को जाच और राहत कार्य के लिए नियुक्त किया गया। इस अवसर पर राजपूताना की अग्रेज एजेन्सी ने बड़ी बेरहमी और झूठ से काम लिया। एक तरफ उसके अफसरों की मातहत में सेना ने नृशस अत्याचार किए तो दूसरी तरफ कष्ट निवारण के काम की भी मनाई कर दी गई। दलील यह दी गई कि यह काम रियासत की तरफ से हो रहा है और कष्ट पीड़ित जनता बाहर वालों की मदद नहीं चाहती। इसके विरुद्ध हमारे पास तारों पत्रों और सन्देश चाहकों के द्वारा सहायता की माग आ रही थी इसलिए हम दोनों पिडवाडा स्टेशन पर उतर कर वहाँ के सद्दय स्टेशन मास्टर की मदद से रातों रात माणिकवलाल जी के पास पहुँच गए। सलाह मरिदरे के बाद सुबह होते ही दो मार्गदर्शकों को साथ ले उन स्थानों पर पहुँचे जहाँ फौजी कार्यवाही की गई थी। इस हत्याकांड का कोप भूला और घालोलिया नामक गावों पर खास तौर पर हुआ था। पचासों भील मशीनगन के शिकार हुए थे। सैंकड़ों घर जला कर खाक कर दिए गए थे और दरिद्रता के साक्षात् अवतारों का क्षुद्र अन्न भंडार या तो लूट लिया गया था या आग के हवाले कर दिया गया था। हम लोग हत्याकांड के चौथे पाचवे दिन मौके पर पहुँचे थे मगर अनाज की कौठिया अभी तक जल रही थी।

भील गिरासियों का कसूर यही था कि उन्होंने शराब छोड़ दी थी और राज्य व साहूकारों के अत्याचारों से राहत पाने की कोशिश की थी। उनकी मुख्य माँग इतनी सी थी कि बड़ा हुआ लगान घटाकर पहले की तरह हल्का कर दिया जाए बैंगार और लाग बन्द कर दी जाए और बोहरों के कर्ज से राहत दी जाए। हम दोनों शाम तक कोई बीस मील धूप में भूखे प्यासे तपते हुए पहाड़ों में भटकेंगे परन्तु हमें यह कष्ट कुछ भी नहीं

अखिर, क्योंकि हमें यह सन्तोष था कि हम अपने पीड़ित और नि सहाय भाइयों को कुछ आश्वासन दे सकेंगे और उन पर गुजरे हुए जुल्मों को दुनिया भर में प्रकट करके भविष्य के लिए उनकी कुछ रोक कर सकेंगे। आतंक तो काफी छाया हुआ था। फिर भी रैंकडो स्त्री-पुरुष हम से मिले और हम काफी सामग्री इकट्ठी करने में सफल हुए। आधी रात तक हमने पीड़ितों के बयान लिए और फिर वाटिया व बकरी का दूध खाकर रोहीडा स्टेशन पर आ सोए। दूसरे दिन अजमेर पहुँचे। जब हमारा बयान अखबारों में निकला तो नौकरशाही के कान खड़े हो गए। उन्हें गुस्सा भी आया और ताज्जुब भी हुआ कि उनके कड़े घेरे को भेद कर हम घटनास्थल पर कैसे पहुँच गए और आतंकपूर्ण वातावरण में भी उनकी दृष्टि से खतरनाक सामग्री जुटा लाए। जब हमारी रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो सरकार और रियासत भी भिन्नाई।¹

उपरोक्त वृत्तान्त सिरोंही राज्य व अग्रेजों द्वारा निर्दोष आदिवासियों के दमन की जीवन्त कहानी कहता है। राजस्थान सेवा सघ के प्रयासों से यह मामला ब्रिटिश ससद तक में उठा किन्तु भीलों की राहत हेतु उसने भी कुछ नहीं किया। सिरोंही राज्य व अग्रेजी सेना की संयुक्त कार्यवाहियों ने भीलों व गिरासियों का मनोबल तोड़ दिया था। ऐसी स्थिति में भूला नवाबारा, बलोरिया व अन्य प्रभावित गावों के आदिवासी मुखिया सिरोंही के दीवान व पॉलिटिकल ऑफिसर से 11 व 12 मई 1922 को मिले एवं एकी की शपथ तोड़ने हेतु राहमति व्यक्त की। इन अधिकारियों के समक्ष आदिवासी मुखियाओं ने एकी आन्दोलन की निन्दा करते हुए इससे अपने आपको अलग घोषित किया।² इस प्रकार सिरोंही के आदिवासी आन्दोलन को सत्ता पक्ष द्वारा कुचल दिया गया। अधिकारियों की मान्यता थी कि आदिवासियों ने एकी आन्दोलन को किसी राजनीति के तहत स्थगित कर दिया है एवं इस आन्दोलन के पुर्नजीवित होने की पूर्ण सम्भावना है। अतः दीवान व अधिकारियों ने सिरोंही के शासक को सुझाव दिया कि आदिवासियों को कुछ छूट व सहूलियत देकर ही पूर्णतः शान्ति स्थापित की जा सकती है। 23 मई, 1922 को सिरोंही के शासक ने निम्नलिखित छूटों की घोषणा की³ -

- 1 आन्दोलनकारियों को आम माफ़ी प्रदान की गई।
- 2 जिन लोगों के घर जल गए थे, उन्हें तात्कालिक फसल पर राजकीय कर से मुक्ति प्रदान की गई तथा खरीफ की फसल की नकाया अल्प राशि को भी छोड़ दिया गया।
- 3 अपनी झोंपड़ियाँ पुनः बनाने के लिए जंगल से घास और लकड़ी लाने की अनुमति प्रदान की गई।
- 4 भूला व नवाबारा आदि गावों के मामले में राज के राजस्व को फसल के 1/6 भाग के स्थान पर 8 रपए प्रति हल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया तथा बलोरिया आदि गावों का राजस्व फसल के 1/7 हिस्से के स्थान पर 7 रपए प्रति हल कर दिया गया।

- 5 सैनिक कार्यवाही में मारे गए लोगों के अल्प वयस्क पुत्रों से खरीफ की फसल पर राजस्व न वसूल करने का निर्णय हुआ। यह राजस्व मुक्ति तब तक रहेगी जब तक ये अल्प वयस्क बच्चे बड़े होकर स्वयं खेती करना आरम्भ न कर दें।
- 6 वृद्ध विधवाएँ जिनके पास गुजारे की पर्याप्त व्यवस्था न हो व ये अन्य लोगों से सहायता माग कर भूमि के छोटे टुकड़े पर खेती करती हों उनको राजस्व के भुगतान से मुक्त कर दिया गया।
- 7 जो किसान किराए पर हल लेते हों वे आधी दर पर राजस्व देंगे।
- 8 खरीफ की फसल पर पृथक से ली जाने वाली सुखड़ी लागू समाप्त कर दी गई।
- 9 दशहरा लागू के रूप में गावों द्वारा दिए जाने वाले बकरों की अनिवार्यता समाप्त कर इसे स्वैच्छिक कर दिया गया।
- 10 राजस्व के नकदी में परिवर्तित हो जाने के कारण इन गावों में पटवारी का पद समाप्त कर दिया गया।
- 11 अपने गावों की सीमा के बाहर से सिर पर लकड़ी लाने पर कर समाप्त कर दिया गया।
- 12 हल बनाने के लिए जंगल से लकड़ी लाने पर प्रतिबन्ध हटा दिया गया।
- 13 किसानों को अब तक की रवि की फसल पर राज्य का हिस्सा देने की अनुमति प्रदान की गई तथा इसी प्रकार खरीफ की फसल पर भी राज्य का हिस्सा अदा करने की अनुमति भी दी गई।
- 14 पशु चोरी के मामलों की जांच हेतु चार सदस्यीय समिति के गठन का प्रावधान रखा गया जिसमें एक भील एक गिरासिया एक महाजन व एक ब्राह्मण को रखे जाना तय किया गया।
- 15 किसानों के झूठे आरोपों पर आधारित उत्पीड़न को रोकने के उद्देश्य से निर्धारित प्रपत्रों में लिखित रिकॉर्ड रखने व तहसीलदार द्वारा इसके नियमित जाँच की विशेष प्रक्रिया आरम्भ की गई।

सेना प्रभावित क्षेत्रों में दी गई उपरोक्त छूटें सिरोंही राज्य के अन्य क्षेत्रों तक जहाँ अधिक सख्खा में आदिवासी रहते थे भी पहुँचाई गई। जैसे दी गई इन रियायतों का महत्त्व तो अधिक नहीं था क्योंकि इनमें बेगार लागू-बाग व जंगल कानून को छुआ तक नहीं था।¹⁰ किन्तु यह टूटे हुए आदिवासियों की मजबूरी थी कि उन्हें ये अल्प छूटें स्वीकार करनी पड़ी। मोतीलाल तेजावत ने 1923 के आरम्भ में पुनः एकी आन्दोलन आरम्भ करने का प्रयास किया, किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर भी सिरोंही राज्य में भाखर साधपुर, पिन्डवाडा आदि परगनों में अशान्ति बनी रही। सन् 1927 में जाकर आदिवासी पक्षों ने सिरोंही राज्य के अधिकारियों के साथ समझौता किया। तत्पश्चात् इन परगनों में शान्ति स्थापित की जा सकी। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आरम्भ हुआ सिरोंही का आदिवासी आन्दोलन सही अर्थों में 1929 में तेजावत की गिरफ्तारी के पश्चात् ही समाप्त हुआ।

उदयपुर व सिरोही राज्यों के भील व गिरासिया 1921-29 के मध्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में अशान्त बने रहे। राज्यों जागीरदारों व अंग्रेजों ने अशिक्षित व भोले आदिवासियों पर सभी प्रकार के अत्याचार किए। इसी क्रम में सैनिक कार्यवाहियों की एक शृंखला आरम्भ की गई थी जिसने आदिवासियों का मनोबल तोड़ दिया था। जनवरी, 1924 के पश्चात् तेजावत भूमिगत हो गए थे क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पर उदयपुर, सिरोही व ईडर राज्यों ने पुरस्कार घोषित कर दिए। अधिकारियों की यह स्पष्ट मान्यता थी कि जब तक तेजावत को नहीं घेरा जाएगा तब तक आदिवासी आन्दोलन शान्त नहीं हो सकता। 3 जून 1929 को ईडर राज्य की पुलिस ने खेडब्रह्म नामक गांव में तेजावत को गिरफ्तार कर लिया।¹ ईडर पुलिस ने उसे उदयपुर राज्य को सौंप दिया जहाँ उनके विरुद्ध अपराधिक मुकदमा चलाया गया। सन् 1936 तक इरामे कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ तथा तेजावत को जेल में ही रखा गया। उसे 3 अप्रैल 1936 को जेल से इस शर्त पर रिहा किया गया कि वह कोई आन्दोलनात्मक कार्य नहीं करेगा तथा उदयपुर राज्य की अनुमति के बिना उदयपुर शहर से बाहर नहीं निकलेगा।² उदयपुर राज्य ने उसके गुजारे के लिए 30 रुपए प्रतिमाह का भत्ता स्वीकृत किया।³ पुनः उसे जनवरी, 1945 में बन्दी बना लिया गया था, जब उसने भौमट क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की तथा उसे फरवरी, 1947 में जेल से रिहा किया गया।

मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आन्दोलन ने प्रमुखता प्राप्त की जो इसके क्रान्तिकारी स्वरूप का परिणाम थी। यह आन्दोलन अराहयोग आन्दोलन के प्रभाव में खड़ा हुआ था, किन्तु यह उसकी तुलना में अत्यधिक उग्र आन्दोलन सिद्ध हुआ। अपने वर्गीय चरित्र के कारण अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस आन्दोलन को नहीं अपनाया। यह आन्दोलन राष्ट्रीय आन्दोलन में समाहित नहीं हो सका, किन्तु इसने राष्ट्रीय उद्देश्य को शक्तिशाली बनाया। इस आन्दोलन ने अशिक्षित व अन्धकार में दूबे आदिवासियों को घेतन किया जिससे वे युगो पुराने बन्धनों को तोड़ सकें। इन आन्दोलनों के माध्यम से आदिवासी समाज अपने आपको आधुनिक युग की रोशनी में आने में सफल रहे। ये आन्दोलन राजस्थान की सामन्ती व्यवस्था पर गहरा प्रहार कर सकें तथा सामाजिक विकास का आधार बनें। इन्होंने राजस्थान में स्वतंत्रता आन्दोलन का आधार तैयार कर इसका मार्ग प्रशस्त किया। जब 1938 के पश्चात् प्रजामण्डल आन्दोलन अस्तित्व में आया तो जागरूक आदिवासी इन सागठनों में सम्मिलित हुए तथा प्रजामण्डल अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहे।

संदर्भ

- 1 राजस्थान राज्य अभिलेखागार उदयपुर रेजीडेन्सी रिपोर्ट फाइल नं० 19 बरतल नं० 60 1917
- 2 राष्ट्रीय अभिलेखागार पॉल एच० पी० लिटिल रिपोर्टमेंट फाइल नं० 428 पी० (रीजेंट) 1923
- 3 राजस्थान राज्य अभिलेखागार उदयपुर रेजीडेन्सी (जागीर रिपोर्ट) फाइल नं० 91 बरतल नं० 65

- 4 राष्ट्रीय अभिलेखागार फॉरेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट फाइल न० 428 पी (सीक्रेट) 1923
- 5 राजस्थान राज्य अभिलेखागार उदयपुर रेजीडेन्सी (जागीर रिकार्ड्स) फाइल न० 91 बस्ता न० 65
- 6 राष्ट्रीय अभिलेखागार फॉरेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट फाइल न० 428 पी० (सीक्रेट) 1923
- 7 वही
- 8 राजस्थान राज्य अभिलेखागार उदयपुर रेजीडेन्सी (जागीर रिकार्ड्स) फाइल न० 87 बस्ता न० 65
- 9 राष्ट्रीय अभिलेखागार फॉरेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट फाइल न० 428 पी० (सीक्रेट) 1923
- 10 राजस्थान राज्य अभिलेखागार उदयपुर रेजीडेन्सी (जागीर रिकार्ड्स) फाइल न० 87 बस्ता न० 65
1921-22
- 11 राष्ट्रीय अभिलेखागार फॉरेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट फाइल न० 428 पी० (सीक्रेट) 1923
- 12 शकर सहाय सक्सेना एव पद्मजा शर्मा पूर्वोक्त पृ० 199-200
- 13 कलेक्ट्रेट वर्क्स ऑफ महात्मा गाँधी जिल्द 23 पृ० 471
- 14 वही जिल्द 21 पृ० 444
- 15 वही
- 16 दग इण्डिया 2 फरवरी, 1922
- 17 कलेक्ट्रेट वर्क्स ऑफ महात्मा गाँधी जिल्द 22 पृ० 477
- 18 वही पृ० 476
- 19 शकर सहाय सक्सेना एव पद्मजा शर्मा पूर्वोक्त पृ० 199-200
- 20 राष्ट्रीय अभिलेखागार फॉरेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट फाइल न० 428 पी० (सीक्रेट) 1923
- 21 रामनारायण चौधरी आधुनिक राजस्थान का उत्थान अजमेर 1974 पृ० 71-72
- 22 राष्ट्रीय अभिलेखागार फॉरेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट फाइल न० 428 पी० (सीक्रेट) 1923
- 23 वही
- 24 रामनारायण चौधरी आधुनिक राजस्थान का उत्थान पृ० 71-73
- 25 रामनारायण चौधरी बीसवीं सदी का राजस्थान कृष्णा बर्दस अजमेर पृ० 74-75
- 26 राष्ट्रीय अभिलेखागार फॉरेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट फाइल न० 428 पी० (सीक्रेट) 1923
- 27 वही
- 28 आदिवासियों के मूल मुद्दे अनिर्णित ही रहे। सन् 1938 में मेवाड़ प्रजामण्डल ने इन मुद्दों को प्रमुख स्थान दिया। सन् 1939 में शिरोही राज्य प्रजामण्डल की स्थापना के आरम्भ से ही बेगार लागू-बाग आदिवासियों के जंगल अधिकार व अवैध करों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। अतः इन मुद्दों के कारण आदिवासी प्रजामण्डल आन्दोलनों के समर्थन में बड़े उत्साहपूर्वक आए थे
- 29 राष्ट्रीय अभिलेखागार फॉरेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट फाइल न० 428 पी० (सीक्रेट) 1923
- 30 राजस्थान राज्य अभिलेखागार उदयपुर कान्निडेशियल रिकार्ड्स फाइल न० 40 बस्ता न० 4
- 31 वही

अध्याय-5

मारवाड़ के किसान आन्दोलन

मारवाड़ राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य था जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण राजस्थान का 26 प्रतिशत भू-भाग था। मारवाड़ राज्य की राजधानी जोधपुर शहर थी इसलिए इसे जोधपुर के नाम से भी जाना जाता था। इस राज्य में सामन्तवाद अत्यधिक मजबूत था जैसा कि जोधपुर राज्य का 87 प्रतिशत भाग जागीरों के अन्तर्गत था। केवल मात्र 13 प्रतिशत भाग ही राज्य के सीधे नियंत्रण में था। जहाँ भू-राजस्व प्रशासन के कुछ नियम अस्तित्व में थे। जैसा कि सर्वविदित है कि जागीर क्षेत्रों में सभी मामलों में जागीरदार की इच्छा ही सर्वोपरि होती थी। अतः जागीर क्षेत्रों में किसानों की स्थिति जागीरदार की इच्छा पर निर्भर किराएदार से अधिक नहीं थी। जागीरदारों के हाथों किसानों का गाढ़ा शोषण व उत्पीड़न होता था तथा इनसे न्याय पाना भी आसान नहीं था क्योंकि जोधपुर राज्य के अधिकार जागीरदारों को न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त थीं। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं स्थानीय घटनाओं के प्रभाव में मारवाड़ के किसान 1922 में सामन्ती शोषण के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। इन घटनाओं में मुख्य तौर पर प्रथम विश्व युद्ध, रूस की बौलसेविक क्रान्ति, असहयोग एवं खिलाफत आन्दोलन, विजौलिया किसान आन्दोलन, मोती लाल तेजावत के नेतृत्व में मेवाड़ व सिरोंही के आदिवासी आन्दोलन इत्यादि सम्मिलित थे, जिनके प्रभाव में मारवाड़ के किसान उठ खड़े हुए थे। किसानों की दशाएँ अत्यधिक दयनीय थीं एवं उन स्थितियों से उभरने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वे सामन्तवादी व साम्राज्यवादी भार को अपना भाग्य समझकर जो रहे थे। किसान क्रमशः अंग्रेज, महाराजा व जागीरदारों के तिहरे शोषण का शिकार थे। जब जोधपुर के किसानों में जागृति उत्पन्न हुई तो वहाँ के किसानों ने विभिन्न सगठनों के माध्यम से व व्यक्तिगत तौर पर अधिकारियों के समक्ष भारी सख्खा में शिकायतें और मॉर्गे प्रस्तुत कीं। उनकी मुख्य समस्याएँ अन्य राज्यों की तरह भारी भू-राजस्व भूमि अधिकारों की अनिश्चितता भारी सख्खा में लागू-बाग, पशु कर, बेगार, सीमा शुल्क इत्यादि से संबंधित थीं।

मारवाड़ में जन चेतना का इतिहास 1915 से आरम्भ होता है। जब महा मरुधर मित्र हितकारिणी सभा नामक प्रथम राजनीतिक सगठन की स्थापना हुई थी। इस सगठन का उद्देश्य मारवाड़ की जनता के सामाजिक व आर्थिक हितों की सुरक्षा करना था। यह सगठन अधिक प्रभावी नहीं हो सका क्योंकि इसकी गतिविधियाँ मुख्य रूप से जोधपुर शहर तक ही सीमित थीं किन्तु फिर भी जनचेतना के मामले में इस सगठन का महत्व कम करके नहीं आका जा सकता क्योंकि एक धीरे सामन्ती राज्य में ऐसा सगठन बनना ही

अपने आप में महत्वपूर्ण था। इसके पश्चात् 1921 में मारवाड सेवा सघ नामक दूसरा राजनीतिक संगठन स्थापित हुआ जिसका कार्यक्षेत्र अधिक विस्तृत था। यह संगठन 1920 में स्थापित राजस्थान सेवा सघ की तर्ज पर स्थापित हुआ था। मारवाड सेवा सघ का उद्देश्य कुशासन, भ्रष्ट नौकरशाही एवं अराजकता का विरोध करना तथा मारवाड के सभी समुदाय के लोगों में चेतना जागृत करना था। इसी समय विजौलिया का किसान आन्दोलन अपनी प्रगति की चरम सीमा पर था एवं राजस्थान के पड़ोसी सभी राज्य इस प्रकार के आन्दोलनों पर नियंत्रण रखने की दिशा में जागरूक थे। इस समय असहयोग आन्दोलन के फैलने का भय भी स्वाभाविक था एवं मारवाड सेवा सघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक शाखा माना जा रहा था। अतः इस नवीन संगठन ने जोधपुर पुलिस को चौकन्ना कर दिया था। राज्य पुलिस के महानिरीक्षक ने इस संगठन की गतिविधियों को कुचलने की अनुशंसा की तथा इसके नेता जयनारायण व्यास के विरुद्ध राजद्रोह अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के इन प्रयासों ने इस संगठन को अप्रभावी बना दिया था। यह संगठन भी अधिक लोगों को आकर्षित कर सदस्य बनाने में असफल रहा, क्योंकि प्रारम्भ में यह संगठन शहर तक ही सीमित था एवं जब इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में किए जाने का अवसर आया तो इस पर पुलिस पाबन्दियाँ लगा दी गई थीं, किन्तु इन प्रारम्भिक गतिविधियों ने जनजागृति की दिशा में कुछ सीमा तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हीं से राज्य में राजनीतिक चेतना का दातावरण बनने लगा था। प्रारम्भिक गतिविधियों का नेतृत्व शहरी जागरूक मध्यम वर्ग के नेताओं के हाथ में था। प्रारम्भिक नेताओं को यह अनुभव हो गया था कि वे अपने सामाजिक आधार को विस्तृत किए बिना अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। प्रारम्भिक असफलताओं से नेतृत्व में निराशा भाव नहीं था एवं इनका विस्तृत सामाजिक आधार वाले राजनीतिक संगठन की स्थापना हेतु प्रयास जारी रहा।

सन् 1922 में आदिवासी आन्दोलन के साथ मारवाड के जन आन्दोलन के क्षेत्र में नया अध्याय आरम्भ हुआ। मारवाड के आदिवासियों ने भी मोती लाल तेजापत द्वारा छेडे गए एकी आन्दोलन में भाग लिया था। मारवाड राज्य के बाली एवं गोडवाड निजामतों के भील और गिरासियों ने 1922 में समाज सुधार गतिविधियों के साथ-साथ राज्य को राजस्व अदा न करने हेतु आन्दोलन किया। राज्य के अशान्त क्षेत्रों में आन्दोलन के दमन हेतु सेना नियुक्त की। इन सैनिक प्रयासों से स्थिति नियंत्रण में आ सकी। भील एवं गिरासिया एकी आन्दोलन से पृथक हो गए तथा उपयुक्त कर देने पर सहमत हो गए। आदिवासी पक्षों ने इस आशय का एक इकरारनामा भी किया। इस आन्दोलन को विशेष महत्त्व दिया जाता है क्योंकि समाज का एक शोषित हिस्सा पहली बार राज्य शक्ति के साथ सीधे सघर्ष में उतरा था। इस आन्दोलन ने जोधपुर राज्य के किसानों में राज्य के विरुद्ध लड़ने का विचार उत्पन्न किया। अतः इस आन्दोलन को सामन्तवाद के विरुद्ध सघर्ष का अगुवा कहा जा सकता है, जिसने जोधपुर राज्य में दासता से मुक्ति की ज्योति जलाई।

सन् 1920-22 के दौरान राजनीतिक-सामाजिक हलचल ने शोषित वर्गों को न्याय दिलाने की दिशा में उपयुक्त राजनीतिक रिधतिया उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। जोधपुर राज्य के प्रमुख राजनीतिज्ञ जयनारायण व्यास ने शक्तिशाली जन आन्दोलन के निर्माण हेतु अपने प्रयास जारी रखे। मारवाड सेवा सघ की गतिविधियों व इसके विकास को राज्य ने अवैध तरीकों से अवरुद्ध कर दिया था। इसलिए यह सगठन अधिक गतिमान नहीं हो पाया। सन् 1923 में मारवाड हितकारिणी सभा की स्थापना के पश्चात् मारवाड सेवा सघ स्वतः ही अप्रभावी हो गया था। वास्तव में मारवाड सेवा सघ का परिवर्तित रूप ही मारवाड हितकारिणी सभा था क्योंकि सेवा सघ पर राज्य द्वारा अनेक प्रतिबन्ध थोप दिए गए थे।

मारवाड़ हितकारिणी सभा के अन्तर्गत आन्दोलन :

मारवाड हितकारिणी सभा मूल रूप से एक राजनीतिक सगठन था जबकि इसके नाम से ऐसा लगता है कि यह कोई समाज सेवा से सम्बन्धित सगठन रहा होगा। वस्तुस्थिति यह है कि एक सामन्ती राज्य में राजनीतिक कार्य को सगठित रूप प्रदान करना इतना आसान कार्य नहीं था जहाँ समाचार पत्रों पर अनेक प्रतिबन्ध थे एवं जहाँ राजद्रोह अधिनियम जैसे कानून अस्तित्व में हैं। अब तक के अनुभवों से नेतृत्व यह बात समझ चुका था कि वे अपने राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति जनसमर्थन के द्वारा ही कर सकते हैं। अतः अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को गति प्रदान करने के ध्येय से मारवाड़ के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मारवाड हितकारिणी सभा की स्थापना की। इस सगठन की स्थापना के साथ ही सन् 1923 में एक आम मुद्दे पर इसे राजनीतिक कार्य करने का अवसर प्राप्त हो गया। 29 अक्टूबर, 1923 को जोधपुर राज्य की कौन्सिल ने राज्य के राजस्व में वृद्धि के ध्येय से राज्य के बाहर पशुधन निर्यात करने का आदेश प्रसारित किया। मारवाड की जनता ने सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक आघातों पर राज्य के इन आदेशों का खुला विरोध किया। इस आदेश के परिणामस्वरूप अजमेर, नसीराबाद, पालनपुर, इत्यादि सैनिक छावनियों व बम्बई तथा अहमदाबाद के बूचड़खानों में हजारों हजार पशु भेजे गए। इसकी सूचना ने लोगों को धार्मिक आघातों पर भी आन्दोलित कर दिया था क्योंकि इस मुहिम के अन्तर्गत भारी सख्खा में गाधे भी निर्यात की गई थी। इस नीति का दुष्परिणाम अर्थव्यवस्था को भी भोगना पड़ रहा था। जोधपुर राज्य में पशु पालन कृषि कार्य के समान ही महत्वपूर्ण था। रेगिस्तानी प्रदेश में किसान मुख्यतः पशुपालन पर निर्भर करते थे। मुख्य रूप से गाध पशुओं के अधिक निर्यात का भविष्य के पशु धन विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ना एक स्वाभाविक बात थी। जिससे जोधपुर राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तहस-नहस का खतरा उपस्थित हो गया था। अतः मारवाड हितकारिणी सभा ने इस जन असन्तोष को राजनीतिक रूप में परिवर्तित कर इस जन मुद्दे पर सघर्ष आरम्भ करने का निर्णय लिया।

पशु निर्यात नीति के अनेक दुष्प्रभाव दिखाई देने लगे थे। अनेक बार सूदखोर व जागीरदार ऋण व राजस्व की अदायगी न करने की रिधति में उराके बढ़ते किसानों के

पशु अधिग्रहीत कर लेते थे। जागीरदार व सूदखोर अधिग्रहीत पशुओं को या तो स्थानीय बाजार में बेच देते थे अथवा घापस किसानों को बटाईदारी पर दे देते थे। पशुधन के निर्यात पर प्रतिबन्ध होने के कारण इस प्रवृत्ति पर अकुश लगा हुआ था किन्तु निर्यात नीति ने जागीरदारों व साहूकारों द्वारा किसानों से पशु धन का अधिग्रहण करना बढ़ा दिया था। अतः और भी अनेक कारणों से पशु धन निर्यात नीति महत्त्वपूर्ण जनमुद्दा बन चुकी थी तथा मारवाड हितकारिणी सभा ने समयानुकूल निर्णय लेकर इसके विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ किया। सभा के नेता जयनारायण व्यास ने पशु निर्यात नीति को रद्द करने सम्वन्धि प्रतिवेदन महाराजा के समक्ष प्रस्तुत किया। यह माग बहुत अधिक तर्कपूर्ण थी किन्तु राज्य ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि सयुक्त और सगठित प्रयास राज्यों को स्वीकार्य व सहनीय नहीं थे। इसके विरोध में सभा के नेतृत्व में 15 जुलाई 1924 को जोधपुर शहर में जनसभा का आयोजन हुआ जिससे अपनी माग मनवाने के लिए राज्य पर दबाव बनाया जा सका। इस सभा को भारी सफलता व जनसमर्थन मिला जिससे प्रभावित होकर अनेक सभाओं का आयोजन हुआ। इन जन सभाओं के माध्यम से मारवाड हितकारिणी सभा ने पशु निर्यात मुद्दे के विरोध को लोकप्रिय बनाने में सफलता प्राप्त की एवं जनसभाएँ विरोध का कारगर तरीका सिद्ध हो रही थी। जनता में आतंक फैलाने के उद्देश्य से जनसभाओं में राज्य के आदेश से भारी पुलिस बल उपस्थित रहने लगा। बिना किसी आरोप व लिखित आदेश के प्रमुख नेताओं व कार्यकर्ताओं को पुलिस थानों में बुलाया जाने लगा। नेताओं के साथ बुरा बर्ताव किया गया। जन प्रतिनिधियों के साथ अपमानजनक व्यवहार करने के पीछे एक मात्र उद्देश्य उनमें निराशा भाव जागृत करना था जिससे वे निराश होकर अपने आन्दोलन को स्थगित कर दें, किन्तु दमनात्मक उपायों ने आन्दोलन को और अधिक लोकप्रिय बना दिया था जिससे आन्दोलन का सामाजिक आधार विस्तृत होता जा रहा था। बढ़ते हुए जन दबाव को देखते हुए राज्य ने 15 अगस्त 1924 को इनकी माग स्वीकार कर ली।

इस सफलता ने मारवाड हितकारिणी सभा की लोकप्रियता को काफी बढ़ा दिया था। इसके पूर्व के सगठनों मरूधर मित्र हितकारिणी सभा एवं मारवाड सेवा सघ जोधपुर शहर तक सीमित थे तथा उनका सामाजिक आधार नवोदित मध्यम वर्ग तक सीमित था जो सख्या में लगभग नगण्य था। किन्तु मारवाड हितकारिणी सभा ने अपने आधार को ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तृत करते हुए किसानों को सगठित करने में सफलता प्राप्त की। राजस्थान के अन्य राज्यों के किसान आन्दोलन स्वस्फूर्त थे तथा एक समय पश्चात् उन्होंने सगठित राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया था जबकि जोधपुर राज्य में किसान आन्दोलन राजनीतिक सगठनों के जागरूक प्रयासों का परिणाम था। पशु निर्यात नीति के विरुद्ध आन्दोलन की सफलता ने किसानों को सामाजिक व आर्थिक आजादी प्राप्ति हेतु लड़ने के लिए प्रेरित किया तथा इसने किसानों में आत्मविश्वास और साहस का संचार किया।

सरकार मारवाड हितकारिणी सभा की बढ़ती हुई लोकप्रियता से चिंतित थी। अतः

इस सगठन को कुचलने के लिए सरकार ने अनेक हथकण्डे अपनाए। राज्य के समर्थन से राजभक्त देश हितकारिणी सभा नामक सगठन स्थापित हुआ जिसका मुख्य कार्य मारवाड़ हितकारिणी सभा के कार्यक्रमों की खिलाफत करना था। यह सगठन नवम्बर 1924 में स्थापित हुआ था।⁹ इस सगठन का अन्य कोई सामाजिक व आर्थिक कार्यक्रम नहीं था तथा इसने राज्य का अन्धा समर्थन किया एवं मारवाड़ हितकारिणी सभा के नेताओं को बदनाम करने के लिए इन पर जनता से धन इकट्ठा कर इसके दुरुपयोग के झूठे आरोप लगाए। राजभक्त देश हितकारिणी सभा जनसमर्थन जुटाने में असफल रही क्योंकि जनता के समक्ष यह स्पष्ट हो गया था कि यह अवसरवादियों का एक जमावड़ा था एवं अपने निजी निहित स्वार्थों की पूर्ति ही इनका प्रमुख उद्देश्य था। अतः इस सगठन के माध्यम से मारवाड़ हितकारिणी सभा के महत्व को कम करने के सरकारी प्रयास सफल नहीं हुए।

19 मार्च, 1925 को जोधपुर राज्य कौन्सिल ने मारवाड़ हितकारिणी सभा के प्रमुक्त नेताओं को इस आधार पर राज्य से निष्कासित करने के आदेश प्रसारित किए कि राज्य में उनफी उपस्थिति जनहित में नहीं थी। कुछ नेताओं को पुलिस निगरानी में रखा गया तथा उन्हें पुलिस थाने में रोजाना उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश दिए गए थे।¹⁰ इस समय तक सगठन विकासशील दशा में होने के कारण अधिक शक्तिशाली नहीं था इसलिए इसके नेता सरकार के साथ मुकाबला नहीं करना चाहते थे। इसलिए मारवाड़ हितकारिणी सभा ने इन आदेशों का विरोध नहीं किया। इसके प्रमुख नेता जयनारायण व्यास को पुलिस निगरानी में रखा गया था। उसकी गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया था। इसलिए उसने स्वयं ही जोधपुर छोड़ दिया। इन्हीं दूसरे अर्थों में राज्य से आत्म निष्कासन माना जा सकता है। इस दौरान जयनारायण व्यास मुख्य रूप से व्यावर व अजमेर रहे एवं वहाँ से मारवाड़ की जनता को जगाते रहे। वहाँ उसने अपने आपको राजस्थान सेवा सघ की गतिविधियों से जोड़ लिया था एवं सघ द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्र तरुण राजस्थान के सम्पादक का कार्यभार सम्भाला। प्रमुक्त नेताओं की अनुपस्थिति से मारवाड़ हितकारिणी सभा के कार्यकर्ता व द्वितीय स्तर के नेताओं में निराशा व्याप्त नहीं हुई एवं वे अपने तरीकों से सक्रिय रहे। वे स्वाध्याय व आवश्यक उपभोग की वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि के विरुद्ध बोलते रहे। अक्टूबर, 1928 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का एक प्रतिनिधि मण्डल जोधपुर राज्य कौन्सिल के अध्यक्ष नेमिता तथा छात्राध्यक्षों के निर्घात पर रोक लगाने का निवेदन किया। इसके प्रयासों को सफलता मिली तथा छात्राध्यक्षों के निर्घात पर रोक लगा दी गई थी।¹¹ जयनारायण व्यास ने यह राजस्थान में प्रेजेन्ट डे मारवाड़ शीर्षक से लिखकर निरन्तर अपना अभियान जारी रखा।

सरकार को मारवाड़ हितकारिणी सभा की गतिविधियों को नियंत्रित करने के प्रयासों ने इसके सामाजिक आधार को और भी अधिक बढ़ा दिया था। 1929 के आरम्भ में सभा अधिक सक्रिय हो गई थी एवं इसने किसानों का एक आन्दोलन आरम्भ करने की योजना बनाई क्योंकि यही एक ऐसा वर्ग था जिसे राजनीतिक शक्ति का रूप प्रदान किया

जा सकता था। जयनारायण व्यास ने जोधपुर राज्य के किसानों की दुर्दशा को अपने लेखन के माध्यम से जनता में प्रचारित किया।¹² 12 मई 1929 को मारवाड़ हितकारिणी सभा की एक बैठक में नौ सदस्यीय समिति का गठन किया तथा इसे बेगार लागू-बाग उच्च भू-राजस्व की दरों एवं अन्य शिकायतों के विरुद्ध ग्रामीण जनता में चेतना उत्पन्न करने का कार्य सौंपा।¹³ जयनारायण व्यास ने किसानों को जागीरदारों के अत्याचारों के विरुद्ध अहिंसात्मक आन्दोलन आरम्भ करने का आग्रह किया।¹⁴ यह आग्रह अपने आप में जोधपुर राज्य के जागीर क्षेत्रों में आन्दोलन की औपचारिक घोषणा था। मारवाड़ हितकारिणी सभा की यह दृढ़ मान्यता थी कि खालसा क्षेत्रों की तुलना में जागीर क्षेत्रों के किसानों की दशा अधिक दयनीय थी। इसलिए सभी जागीर क्षेत्र के किसानों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दे रही थी। किसानों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से सभा ने दो पुस्तिकाएँ क्रमशः "पोपा बाई की पोल" एवं "मारवाड़ की अवस्था" प्रकाशित की। मारवाड़ हितकारिणी सभा की बढ़ती हुई गतिविधियों से राज्य के अधिकारी घिबित थे एवं उन्होंने इस पर नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास भी तेज कर दिए थे। सभा ने प्रारम्भिक तौर पर रायपुर बागड़ी एवं बलूदा जागीरों में किसान आन्दोलन आरम्भ किया था। इन जागीरों के किसानों ने सभा के निर्देशों का पालन करते हुए जागीरदारों की सत्ता को चुनौती दी। यह आन्दोलन तीव्र गति नहीं पकड़ पा रहा था। आन्दोलन में अनेक कमजोरी व्याप्त थी जिसके कई कारण थे। एक तो मारवाड़ हितकारिणी सभा पूरी तरह किसान संगठन नहीं थी। यह तो सच है कि किसानों में भारी असंतोष व्याप्त था किन्तु किसानों की ओर से स्वयं सघर्ष करने की पहल नहीं थी। जोधपुर राज्य में अनेक भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक इत्यादि विभिन्नताएँ व्याप्त थी जिनके कारण किसानों के संगठन सहजता से नहीं बन पा रहे थे। सभा के नेता मुख्यतः शहरी लोग थे जो ग्रामीण क्षेत्रों से भली-भाँति परिचित भी नहीं थे। शहरी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों व ग्रामीण जनों के मध्य सहज समरसता स्थापित होना सम्भव नहीं था। इतना ही नहीं बल्कि सभा के अधिकांश नेता उच्च जातियों के थे जिनका दलित किसानों के साथ नया सम्बन्ध स्थापित हुआ था किन्तु यह सहयोग सरलता से गतिमान नहीं हो पा रहा था। इन कमजोरियों के उपरान्त भी सरकार इसे शक्तिशाली आन्दोलन मानती थी। जोधपुर के पुलिस महानिरीक्षक ने सरकार को सूचित करते हुए लिखा था कि जयनारायण व्यास, आनन्द राज सुराणा एवं भवर लाल सर्राफ एक प्रकार के बोल्शेविक आन्दोलनकर्ता हैं एवं सरकार को इनके विरुद्ध गम्भीर उपाय करने चाहिए।¹⁵

मारवाड़ हितकारिणी सभा ने 11 एवं 12 अक्टूबर 1929 को जोधपुर में मारवाड़ स्टेट्स पीपुल कान्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन आयोजित करने का निर्णय लिया। ग्रामीण जनता को प्रेरित करने लिए भारी संख्या में ग्रामीण प्रतिनिधियों को निःशुल्क सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई।¹⁶ सम्मेलन की सभी तैयारियाँ पूरी हो चुकी थी, किन्तु सरकार ने अचानक ही इस सम्मेलन के आयोजन पर रोक लगा दी थी।¹⁷ सभा ने सरकारी आदेशों का जमकर विरोध किया। सरकार ने यह भापते हुए कि स्थिति अधिक बिगड़

सकती है, सभा के नेताओ जयनारायण व्यास, आनन्दराज सुराणा एव भवर लाल सराफ को गिरफ्तार कर लिया। 23 सितम्बर, 1929 को ये नेता गिरफ्तार किए गए थे तथा इन पर एक विशेष न्यायालय में मुकदमा चलाया गया था। 20 जनवरी, 1930 को इस न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया जिसके अनुसार जयनारायण व्यास को 5 वर्ष का कठोर कारावास व 1000 रुपए का जुर्माना अथवा भुगतान न करने की रिश्ति में एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। भवर लाल सराफ एव आनन्दराज सुराणा को चार वर्ष का कठोर कारावास व 1000 रुपये का जुर्माना अथवा एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा दी गई।¹⁸ मार्च, 1931 में ब्रिटिश भारत के राजनीतिक बन्धियों को रिहा किया गया था। जोधपुर राज्य ने भी गाँधी इरविन समझौते के अनुसार 9 मार्च, 1931 को इन नेताओं को रिहा कर दिया था। साराशत यह कहा जा सकता है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा द्वारा 1929 में आरम्भ किया गया किसान आन्दोलन गतिशील नहीं हो पाया। फिर भी सभा द्वारा आरम्भ किए गए आन्दोलन ने ग्रामीण चेतना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

स्वस्फूर्त किसान आन्दोलन :

जोधपुर राज्य में अनेक सगठनों की राजनीतिक गतिविधियों ने राज्य की दोषपूर्ण व अन्यायपूर्ण नीतियों के विरुद्ध संघर्ष का मार्ग खोला। सन् 1930 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट ने सर्वाधिक गरीब कृषक जनता को प्रभावित किया था। 1930-31 का वर्ष जोधपुर राज्य में सूखे का वर्ष था जिसने किसानों की दशा को और भी दयनीय बना दिया था। वर्ष 1928 में खालसा क्षेत्रों में भू-राजस्व की नई दरें लागू हुई थी, जिसके अन्तर्गत किसानों पर भू-राजस्व का भार अत्यधिक बढ़ गया था। असल में 1921-26 के दौरान खालसा भूमि के बन्दोबस्त के पश्चात् भू-राजस्व की नकदी भुगतान की व्यवस्था की गई थी जिसे बीघोड़ी के नाम से जाना जाता था।¹⁹ इस पद्धति के अन्तर्गत निर्धारित राजस्व की दरें निरिक्त रूप से लटाई पद्धति से भी अधिक थी। 8 जुलाई, 1931 को माली जाति के किसानों ने मन्डोर के समीप चीना का बहिया नामक स्थान पर एक सभा में यह निर्णय लिया कि नकदी राजस्व पद्धति के अन्तर्गत 50 प्रतिशत छूट के लिए सरकार से निवेदन करेंगे। किसानों ने 14 से 18 जुलाई, 1931 के दौरान राजस्व अधिकारियों के पास दिनती पत्र भेजे किन्तु उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।²⁰ तत्पश्चात् किसानों ने विभिन्न गावों में सभाएँ करके यह निर्णय किया कि यदि कोई राज्य को राजस्व देगा तो उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा।²¹ इस प्रकार मन्डोर व इसके आसपास के माली किसानों ने अधोपित कर बन्दी आन्दोलन आरम्भ कर दिया था। जैसा राजनीतिक माहौल सम्पूर्ण देश में व्याप्त था उससे प्रेरित होकर राज्य ने शीघ्र कदम उठाए। अतः समय की नजाकत को देखते हुए राज्य ने मन्डोर, चैनपुरा, गवान, बेगान आदि गावों के कुल राजस्व 2597 रुपये की छूट प्रदान कर दी।²² इस निर्णय ने किसानों को पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं किया था क्योंकि उनकी मांग बीघोड़ी पद्धति के अन्तर्गत निर्धारित राजस्व में आधी छूट प्राप्त करना था। किन्तु किसानों की सीमित शक्ति के कारण यह आन्दोलन आगे जारी नहीं रह सका।

राज्य द्वारा दी गई छूट को इस आन्दोलन की आशिक सफलता कहा जा सकता है। इस सब के उपरान्त सारांशत यह कहा जा सकता है कि बीघोड़ी पद्धति के मुद्दे ने जोधपुर राज्य के राजनीतिक कार्यकर्ताओं व किसानों का ध्यान आकर्षित अवश्य किया था।

मारवाड स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अन्तर्गत आन्दोलन 1931

मारवाड स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के गठन ने जोधपुर राज्य में किसान आन्दोलन के नए युग का शुभारम्भ किया। इस कॉन्फ्रेंस के प्रथम सम्मेलन 24-25 नवम्बर 1931 को चादकरण शारदा की अध्यक्षता में अजमेर के निकट पुष्कर में आयोजित किया गया।¹ यह सगठन प्रजामण्डल का ही प्रारम्भिक रूप था। इसी सभा के आयोजन के सम्बन्ध में 1929 में जयनारायण व्यास आनन्दराज सुराणा, भवर लाल सर्राफ गिरफ्तार किए गए थे। उन्हें 9 मार्च, 1931 को जेल से मुक्त कर दिया था किन्तु अभी भी इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन पर राज्य की ओर से पाबन्दी थी। वास्तव में इसका आयोजन अक्टूबर, 1929 में जोधपुर में होने वाला था जिस पर राज्य ने प्रतिबन्ध लगा दिया था। अभी भी राज्य की ओर से इसकी राह में अनेक अवरोध उत्पन्न किए जाने की सम्भावना थी तथा इससे बचने के लिए राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पुष्कर को ही उपयुक्त स्थान माना। अध्यक्ष चादकरण शारदा ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में जोधपुर महाराजा से बेगार, लाग-बाग व समाचार पत्रों पर रोक समाप्त करने हेतु निवेदन किया। उसने प्रशासनिक सुधारों की भी मांग की।² इस सम्मेलन में किसानों से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रस्ताव पास किए गए थे—

- 1 बेगार प्रथा तुरन्त समाप्त की जाए।
- 2 किसानों के कल्याण हेतु एक समिति गठित की जाए।
- 3 सभी जागीरदारों को उनकी न्यायिक शक्तियों से वंचित किया जाए।
- 4 गावों में अनिवार्य तौर पर पचायतों का गठन किया जाना चाहिए।
- 5 बीघोड़ी पद्धति के अन्तर्गत बढ़े हुए राजस्व को अविलम्ब कम किया जाए।
- 6 किसानों को भू-स्वामित्व प्रदान किया जाए।

मारवाड स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस द्वारा अनुमोदित उपरोक्त प्रस्तावों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी मारवाड हितकारिणी सभा ने ली। दिसम्बर 1931 के प्रथम सप्ताह में भारी सख्खा में किसान मारवाड हितकारिणी सभा के नेतृत्व में जोधपुर में एकत्रित हुए। सभा के निर्देशन में विभिन्न जिलों से आए हुए किसानों ने राजस्व अधिकारियों को अपनी माँगों के सन्दर्भ में माँग पत्र प्रस्तुत किए।³ इस अभियान में किसानों की सहभागिता उत्साहजनक थी एवं किसानों ने अग्रिम पवित्र में रहकर अपनी भूमिका निभाई। 1931 में मारवाड यूथ लीग नामक सगठन स्थापित हुआ। इसने भी किसानों के इस अभियान में पूर्ण सहभागिता निभाई। किसानों ने पुन 9 फरवरी से 2 मार्च 1932 के दौरान माँग पत्र प्रस्तुत किए। इनमें प्रमुख माँगें लाग-बाग समाप्त करने तथा बीघोड़ी पद्धति के अन्तर्गत राजस्व की राशि कम करने से सम्बन्धित थी।⁴ इस किसान आन्दोलन के विस्तार को रोकने के लिए सरकार ने कठोरता बरतना आरम्भ कर दिया था। 5 मार्च 1932 को

सरकार ने मारवाड़ हितकारिणी सभा एव मारवाड़ यूथ लीग को गैर कानूनी संगठन करार दे दिया था।²⁹ इस प्रकार पुष्कर सम्मेलन से उपजे किसान आन्दोलन को सरकार ने कुचल दिया। इरासे मारवाड़ हितकारिणी सभा को भारी धक्का लगा।

मारवाड़ लोक परिषद के नेतृत्व में आन्दोलन :

सन् 1932 के पश्चात् जोधपुर राज्य में किसान आन्दोलन लम्बे समय तक सरकारी दमन के कारण नियंत्रित रहे। वैसे 1932-34 के मध्य नागौर परगने के कुछ क्षेत्रों में छिटपुट आन्दोलन हुए। इस समय के आन्दोलन कोई खास महत्त्व नहीं रखते क्योंकि ये किसानों की समस्याओं के समाधान में सफल नहीं हो सके थे। वास्तव में इन दो वर्षों के दौरान राज्य की दमनात्मक नीति के कारण राजनीतिक गतिविधियों में ठहराव आ गया था। सन् 1934 में जोधपुर प्रजामण्डल व 1936 में सिविल लिबरटीज यूनियन नामक संगठन अस्तित्व में आए। इनकी गतिविधियाँ भी शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रही। सन् 1937 में राज्य ने इन दोनों संगठनों को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया। मई, 1938 में मारवाड़ लोक परिषद नामक नए संगठन की स्थापना हुई। यह संगठन अनुकूल राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति के अन्तर्गत स्थापित हुआ था। सन् 1938 के पूर्व अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देशी रियासतों में किसी भी प्रकार के आन्दोलन के पक्ष में नहीं थी, किन्तु 1938 से कांग्रेस की नीति में परिवर्तन आया। कांग्रेस के समर्थन के बिना भी भारत की देशी रियासतों में जन आन्दोलन चल रहे थे। राजस्थान में देशी रियासतों के जन आन्दोलन अपनी घरम सीमा पर थे। मेवाड़ में विजौलिया किसान आन्दोलन राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। असहयोग आन्दोलन के दौरान मेवाड़ एव सिरोंही के किसान एव आदिवासी आन्दोलन अपनी घरम सीमा पर थे। इसके पश्चात् जोधपुर राज्य के शेखावाटी क्षेत्र में किसान आन्दोलन 1936 तक काफी लोकप्रिय हो चुके थे जिनकी गूज ब्रिटिश ससद तक में सुनाई पड़ी थी। सन् 1931 के पश्चात् जहाँ लगभग एक दशब्दी तक ब्रिटिश भारत में कोई आन्दोलन दिखाई नहीं देता, वहीं राजस्थान इस समय सामन्त व साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनों का केन्द्र बना हुआ था। सन् 1934 में शेखावाटी का किसान आन्दोलन अपने पूर्ण वेग के साथ आरम्भ हुआ था। अनेक स्थानों पर हिंसात्मक कार्रवाइएँ हुईं जिनमें प्रमुख तौर पर जागीरदारों व उनके भाड़े के लोगों के अतिरिक्त राज्य पुलिस व सेना का हाथ रहा। इसी प्रकार की घटनाएँ अलवर, अजमेर आदि स्थानों पर भी घटित हुईं। कांग्रेस अभी तक देशी रियासतों के मामलों में अहस्तक्षेप की नीति अपनाएँ हुए थी। सन् 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय राज्य प्रजा परिषद के पाचवें सत्र (सम्मेलन) को सम्बोधित किया जिसे कांग्रेस की नीति में परिवर्तन का आरम्भ कहा जा सकता है। नेहरू ने अपने सम्बोधन में मात्र याचनाओं के स्थान पर जनसम्पर्क पर बल दिया। इसी का परिणाम था कि पहली बार इस सत्र में कृषकों के सम्बन्ध में एक कार्यक्रम तैयार करते हुए भू-राजस्व में एक तिहाई की कमी, ऋणों को कम करने तथा कश्मीर, अलवर, सीकर एव लोहार की घटनाओं के सन्दर्भ में किसानों की समस्याओं के सन्दर्भ में जाँच करने की माग की।³⁰ सन् 1937-39 के मध्य किसान

श्रमिक एव अन्य जन आन्दोलनों ने भी कांग्रेस को अपनी नीति में परिवर्तन के लिए बाध्य कर दिया था। फरवरी 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हरिपुरा सत्र में देशी रियासतों के आन्दोलनों का समर्थन करने का निर्णय लिया। जोधपुर में मारवाड लोक परिषद् की स्थापना उपरोक्त राजनीतिक विकास से प्रेरित व उत्साहित थी।

वर्ष 1938-39 के दौरान जोधपुर राज्य में भयकर सूखा व अकाल पड़ा था। इससे किसान सर्वाधिक प्रभावित थे। राज्य की ओर से अकाल राहत कार्य अपर्याप्त व अनुपयुक्त थे। मारवाड लोक परिषद् ने अपनी स्थापना के आरम्भ से ही अकाल पीड़ित किसानों की सेवा का कार्य आरम्भ कर दिया था जिससे शीघ्र ही यह सस्था ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक लोकप्रिय हो गई थी। जयनारायण व्यास जो जोधपुर में राजनीतिक चेतना के जनक थे, अभी तक राज्य से निर्वासित थे। परिषद् की कार्यकारिणी ने अपने नेता के निर्वासन आदेश वापस लेने के लिए राज्य से माँग की। फरवरी 1939 में राज्य ने जयनारायण व्यास के जोधपुर प्रवेश पर प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया था।¹⁰ इसी के साथ परिषद् काफी सक्रिय हो गई थी। परिषद् ने जुलाई-अगस्त 1939 के मध्य नागरिक अधिकारों 1923 के समाचार पत्र अधिनियम में सुधार अनिवार्य शिक्षा इत्यादि विषयक 28 प्रस्ताव पास किए। सर्वाधिक प्रस्ताव जयनारायण व्यास ने ही रखे थे। उसने गावों में भारी सुधारों के सन्दर्भ में विस्तृत योजना भी प्रस्तुत की थी।¹¹ मारवाड लोक परिषद् ने सितम्बर से दिसम्बर, 1939 के मध्य मुख्य रूप से तीन मुद्दों पर आधारित एक शक्तिशाली जनान्दोलन तैयार करने का प्रयास किया। पहला मुद्दा अकाल की स्थिति एव अकाल-राहत नीति से जुड़ा हुआ था। परिषद् के कार्यकर्ताओं ने प्रचारित किया कि अकाल का मुकाबला करने में किसान की असमर्थता उसकी दरिद्र आर्थिक दशाओं के कारण थी जो राज्य एव जागीरदारों द्वारा किसानों के निर्दयी शोषण का परिणाम था। 1939 का अकाल अत्यधिक भयानक था, जो कई दशकियों बाद किसानों व ग्रामीण जनता ने अनुभव किया था। इस समय जोधपुर राज्य के गावों में खाद्यान्नों चारे व पीने के पानी का भारी अभाव था। राज्य की ओर से कुछ राहत कार्य अवश्य आरम्भ किए गए थे किन्तु वे भाग के अनुरूप न होकर अपर्याप्त थे। जोधपुर राज्य के बहुत बड़े भू-भाग जो जागीरदारों के अधिकार क्षेत्र में थे में तो राहत कार्यों का नितान्त अभाव था। इसके अतिरिक्त भ्रष्ट व अकुशल प्रशासनिक व्यवस्था के कारण जो कुछ राहत व्यवस्था उपलब्ध थी वह अकाल पीड़ित लोगों तक नहीं पहुँच पा रही थी। ऐसी स्थिति में एक ओर मारवाड लोक परिषद् ने राज्य की अकाल नीति की खुलकर आलोचना की वहीं दूसरी ओर पीड़ित जनता को सभी प्रकार की सहायता पहुँचाने का कार्य किया। अपने इन कार्यों से लोक परिषद् की न केवल लोकप्रियता बढ़ी बल्कि यह एक वास्तविक जन नेतृत्व के रूप में उभरी।

दूसरा, सितम्बर, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरम्भ हो गया था एव परिषद् ने राज्य द्वारा युद्ध की सहायता करने की नीति का भारी विरोध किया। राज्य सरकार ने न केवल सैनिक समर्थन दिया बल्कि अग्रेजों के युद्ध कोष में भारी धन अनुदान के तौर पर दिया था। परिषद् द्वारा इसके विरोध का उद्देश्य स्पष्ट था कि एक ओर राज्य में लोग

भुखमरी का शिकार थे वही दूरी और भारी धन युद्ध जैसे विचित्रतात्मक कार्यों में लगाया जा रहा था।

तीसरा, परिषद ने जागीरदारों के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा था जैसा कि विदित है कि जोधपुर राज्य का 87 प्रतिशत भाग जागीरदारों के अधीन था। जनसमर्थन जुटाने के उद्देश्य से परिषद ने जागीरों में रहने वाली जनता के मुद्दे उठाना आरम्भ किया। सन् 1936 में राज्य ने अनेक लागू-बागे समाप्त कर दी थी, किन्तु जागीरदार इन्हें अभी भी निरन्तर वसूल कर रहे थे। जागीर क्षेत्रों में भारी बेगार प्रचलित थी। वहाँ भूमि कानूनों का सर्वथा अभाव था एवं किसान जागीरदार की दया पर निर्भर थे। वे किसानों से मनमाना राजस्व वसूल करते थे तथा कोई भी बहाना बनाकर किसानों को उनकी ज़ोतों से बेदखल कर देते थे। अतः जागीरदारों की सत्ता व जुल्मों के विरुद्ध परिषद ने किसानों को सघर्ष के लिए प्रेरित किया।

जयनारायण व्यास को जोधपुर आगमन के पश्चात् राज्य ने परिषद के प्रतिनिधि के रूप में अनेक सरकारी समितियों में सदस्य मनोनीत किया था। राज्य की जन विरोधी नीतियों के विरोध में जयनारायण व्यास ने दिसम्बर, 1939 में सभी समितियों से त्याग पत्र दे दिया।¹⁷ त्याग पत्र का उद्देश्य जनहित में इन समितियों की असलियत उजागर करना था। इन समितियों में सरकारी सदस्यों का बहुमत होने के कारण जयनारायण व्यास जनहित में निर्णय करवाने में असमर्थता महसूस कर रहे थे। अतः व्यास के त्याग पत्र से लोक परिषद की लोकप्रियता और अधिक बढ़ गई थी। सरकार परिषद की बढ़ती हुई गतिविधियों से भयभीत थी तथा राज्य के प्रधानमंत्री ने परिषद के सदस्यों के विरुद्ध भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने की धमकी दी थी। अन्त में राज्य सरकार ने 28 मार्च 1940 को भारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया था।¹⁸ इसी दिन राज्य पुलिस ने परिषद के विभिन्न नेताओं को बन्दी बना लिया था। इन्हें राज्य के विभिन्न किलों में बन्दी रखा गया था। उन्हें एक वर्ष तक बगैर किसी मुकदमा चलाए बन्दी रखा गया।

भारवाड़ लोक परिषद के विरुद्ध राज्य की दमनात्मक नीति का कारण परिषद की ग्रामीण क्षेत्रों में पैठ थी। परिषद ने पहले से ही किसानों को जागीरदारों के विरुद्ध क्रान्ति के लिए आह्वान किया हुआ था। जोधपुर के प्रधानमंत्री कर्नल डी एम फील्ड ने मार्च, 1940 को राज्य के सभी जागीरदारों व जिला अधिकारियों को एक परिपत्र जारी किया। इसमें सम्पूर्ण मामले में राज्य का मत उजागर होता है। उसने लिखा था कि 'महाराजा की सरकार आपको सूचित करना चाहती है कि जोधपुर में लोक परिषद नामक राजनीतिक संगठन के सदस्य क्रान्तिकारी विचारों का प्रचार कर रहे हैं एवं वे भारवाड़ के विभिन्न ठिकानों व जिलों में अपने संगठन की शाखाएँ स्थापित करने में व्यस्त हैं। वे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न जागीर करने व गावों का भ्रमण कर रहे हैं जिससे वि: जागीरदारों व जनता के मध्य अशान्ति उत्पन्न की जा सके। इसलिए आपको सलाह देता हूँ कि आप अपने अधिकारी व कर्मचारियों को लोक परिषद के सदस्यों की गतिविधियों की बड़ी

निगरानी रखने का निर्देश दें एव इस आशय की टिप्पणी तैयार करें कि वे जनसभा आदि में क्या करते हैं व क्या कहते हैं। अपने जागीर के गावों में लोक परिषद के सदस्यों की गतिविधियों व भाषणों की विस्तृत रिपोर्ट मुझे प्रेषित करें।

उपरोक्त परिपत्र से स्पष्ट होता है कि सरकार परिषद की जागीरदार विरोधी नीतियों व गतिविधियों से भयभीत थी। हाल में चल रही परिषद की जागीरदार विरोधी एव युद्ध विरोधी गतिविधियों की गम्भीरता को देखते हुए स्वयं महाराजा सरकार की नीति को न्यायोचित ठहराने के लिए आगे आया। महाराजा ने एक वक्तव्य जारी करते हुए स्पष्ट किया कि "मैं ब्रिटिश सरकार के वफादार सहयोगी के रूप में इसे अपने कर्तव्य के अनुकूल नहीं मानता कि युद्ध के समय अपने राज्य में आधारहीन राजनीतिक आन्दोलन को उत्पन्न होने दें व फैलने दें न ही मैं अपने किसानों को क्रान्ति के लिए उत्साहित करने व अपने युवाओं को भ्रष्ट करने वाले विद्रोही आन्दोलन के खुले अभियान को लम्बे समय तक चलने देने के पक्ष में हूँ।" महाराजा के इस वक्तव्य से परिषद की बढ़ती हुई राजनीतिक गतिविधियों का क्रान्तिकारी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इस समय तक मारवाड लोक परिषद एक मजबूत सगठन के रूप में प्रगट हो गई थी। राज्य द्वारा दमनात्मक कदम उठाने के पश्चात् भी परिषद का अभियान निरन्तर चलता रहा। अपने नेताओं की अनुपस्थिति में परिषद के कार्यकर्त्ताओं ने राज्य को अपने सगठन से प्रतिबन्ध हटाने व नेताओं को मुक्त करने के लिए मजबूर कर दिया था। राज्य सरकार ने जून, 1940 में सभी नेताओं को रिहा कर दिया था एव लोक परिषद को मान्यता प्रदान कर दी थी। इस प्रकार मारवाड लोक परिषद ने जागीरदार विरोधी कृषक अभियान छेड़कर अपने राजनीतिक उद्देश्य में सफलता प्राप्त की।

फरवरी, 1941 में मारवाड लोक परिषद ने लागू-बाग बेगार एव भू-राजस्व के सम्बन्ध में जाघ हेतु एक जागीर कमेटी गठित की। इस कमेटी ने इन मुद्दों की विस्तृत जाँच की। इसकी स्पष्ट मान्यता थी कि भू-राजस्व निर्धारण व सग्रह की पद्धति अत्यधिक दोषपूर्ण थी। अत्यधिक प्रचलित पद्धति लटाई थी। इस पद्धति के अन्तर्गत जागीर के कर्मचारियों द्वारा खड़ी फसल के उत्पादन का आकलन किया जाता था एव एक मोटे अनुमान के द्वारा जागीर का भाग तय किया जाता था। वास्तव में यह बटाईदारी व्यवस्था थी जिसके अन्तर्गत किसान को भू-स्वामित्व के कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। इस व्यवस्था के अन्तर्गत किसान की स्थिति जागीरदार की इच्छा पर निर्भर किराएदार से अधिक कुछ नहीं थी। लटाई पद्धति के अन्तर्गत भू-राजस्व के अतिरिक्त किसानों से भारी सख्खा में लागू-बाग ली जाती थी। कभी-कभी इन लागू-बागों की राशि भू-राजस्व की राशि से भी दुगुनी होती थी। अकाल के दौरान भी राजस्व से मुक्ति नहीं मिलती थी तथा सूखा व अकाल के दौरान का शेष राजस्व भुगतान सामान्य वर्षों में वसूल कर लिया जाता था। भू-राजस्व अदा न करने की स्थिति में किसानों के गहने बर्तन बैल गाय कृषि उपकरण इत्यादि जब्त कर नीलाम कर दिए जाते थे। इन सबके अतिरिक्त अमानवीय मूल्यों पर आधारित बेगार प्रथा का प्रचलन था। यह दासता से कम नहीं थी।

मारवाड़ लोक परिषद् द्वारा गठित उपरोक्त जागीर कमेटी की जाँच ने जागीरों के मुद्दे को एक सार्वजनिक मुद्दा बना दिया था। 1941-42 के दौरान परिषद् जागीर मुद्दे पर ही केन्द्रित रही। मार्च, 1941 में परिषद् ने जागीरदार विरोधी अभियान छेड़ा। परिषद् के कार्यकर्ता सभी जागीर गावों में फ़ैल गए थे जिन्होंने जगह-जगह सभाएँ सगठित कर किसानों को लागू-बाग न देने व बेगार न करने के लिए तैयार किया। इसके साथ-साथ किसानों ने अपनी ज़ोरों पर रथाई स्वामित्व के अधिकार देने की भी माँग की। किसानों के उत्साह व नैतिक बल को ऊँचा उठाने के लिए मारवाड़ लोक परिषद् के कार्यकर्ताओं ने जागीर मुख्यालयों पर प्रभात फेरियों का आयोजन किया। आन्दोलनकारियों द्वारा उन्हीं लागू-बागो का मुद्दा हाथ में लिया था जो राज्य द्वारा पहले से ही प्रतिबन्धित थी जबकि जागीरदार उनकी वसूली लगातार कर रहे थे। उदाहरणार्थ किसान के घर कोई जीवण (दावत) होता था तो जागीरदार किसान से कासा लागू लेता था। यह लागू 17 मार्च, 1938 को मुख्य न्यायालय ने एक फैसले के द्वारा गैर कानूनी करार दे दी थी किन्तु जागीरदार यह लागू निरन्तर रूप से ले रहे थे। जयनारायण व्यास ने "गैर कानूनी लागू" शीर्षक से दो भागों में एक पुस्तिका प्रकाशित की। इस पुस्तिका के आरम्भ में उन्होंने लिखा कि ऐसी अनेक लागू हैं जो मारवाड़ में प्रतिबन्धित हैं किन्तु कुछ लागू न्यायालयों द्वारा गैर कानूनी करार दी गई हैं किन्तु वे अभी भी अनेक जागीरदारों द्वारा उसी तरीके से वसूल की जा रही हैं जैसे कि वे कानूनी हों। जब तक उन जागीरदारों को जो लागू वसूल कर रहे हैं कानूनी कार्यवाही द्वारा दण्डित नहीं किया जाता तब तक प्रतिबन्धित व गैर कानूनी लागू के मुद्दे पर सरकार के आदेशों को लागू करना असम्भव है। उसने शिक्षित युवाओं या जोरदार आह्वान किया कि वे गैर कानूनी लागू के भुगतान न करने के लिए भोले ग्रामीणों को जागृत करें।¹⁷

मारवाड़ लोक परिषद् द्वारा छेड़ा गया लागू विरोधी आन्दोलन जोधपुर राज्य के सभी जागीर गावों में फ़ैल गया था। लोक परिषद् ने जागीर प्रथा का सीधे तौर पर कोई विरोध नहीं किया था। अर्थात् जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त करने की न तो सरकार से माँग की एव न ही जनता को जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सघर्ष हेतु उकसाया। 6 जून, 1941 को मारवाड़ लोक परिषद् के अध्यक्ष मथुरादास मथुर ने जोधपुर गटाराजा के कौन्सलर (वकील / सलाहकार) को एक पत्र लिखते हुए परिषद् की नीति का खुलासा किया। उसने लिखा "लोक परिषद् ने कभी भी जागीरदारी की समाप्ति को अपनी नीति घोषित नहीं किया एव न ही जागीरदारों व उनकी जनता के मध्य रथाई पैदा करने की कोशिश की है। परिषद् का स्पष्ट पक्ष यह रहा है कि जागीरों में रहने वाले गरीब किसानों व जनता का गैर कानूनी तरीके से शोषण नहीं किया जाए।"¹⁸

उपरोक्त आन्दोलन का विस्तार तीव्र गति से हो रहा था। आन्दोलन की बढ़ती लोकप्रियता व इसके विस्तार से जागीरदारों को भयभीत कर दिया था। यह तथ्य एकदम सही है कि मारवाड़ लोक परिषद् ने जागीर व्यवस्था की समाप्ति की माँग तो कभी नहीं की किन्तु उसका यह आन्दोलन जागीरदारी व्यवस्था की जड़ों पर भारी प्रहार साबित हो

रहा था। चाहे सीधे तौर पर परिषद् जागीरों का विरोध नहीं कर रही थी किन्तु जनता के सामन्ती शोषण की सार्वजनिक आलोचना की जा रही थी जो अपने आपमें जागीर व्यवस्था की समाप्ति का अभियान बन गया था। जागीरदारों ने भयभीत होकर 15 अप्रैल 1941 को एक गुप्त सभा कर लोक परिषद् के विरुद्ध एक सगठन बनाने का निर्णय किया।¹⁷ इस निर्णय के अनुसार जागीरदार सभा नामक सगठन अस्तित्व में आया।¹⁸ सन् 1935 में स्थापित राजपूत सभा नामक जातीय सगठन भी जागीरदारों के बचाव में आया क्योंकि लगभग सभी जागीरदार इसी जाति से सम्बन्धित थे। दोनों सगठनों ने लोक परिषद् के विरुद्ध मोर्चा कायम कर लोक परिषद् विरोधी अभियान आरम्भ किया। इन सगठनों ने परिषद् के विरुद्ध सभी प्रकार का अभियान चलाया जिसमें मार-पीट व अन्य शारीरिक यत्रणा भी सम्मिलित थी। इन्होंने केवल परिषद् के कार्यकर्ताओं पर ही नहीं बल्कि किसानों पर भी अनेक जुल्म ढाए। कुल मिलाकर आतक का माहौल बनाने का प्रयास किया गया था। उन्होंने लोक परिषद् के जयनारायण व्यास व मथुरादास माथुर जैसे नेताओं को गम्भीर परिणाम भुगतने की धमकी दी यदि उनके अनुयायी जागीर व गावों में प्रवेश करेंगे। राजपूतों व जागीरदारों के दोनों सगठन राज्य के निर्देशन व सहायता से कार्यरत थे। इसके उपरान्त भी ये सगठन लोक परिषद् के आन्दोलन का मुकाबला करने में असफल रहे क्योंकि इन्हें कतई जनसमर्थन प्राप्त नहीं था। इस स्थिति में जागीरदारों में भारी झुझलाहट व्याप्त थी। अतः जागीरदारों ने उत्तेजित होकर लटाई (राजस्व निर्धारण) रोक दी एवं यह स्पष्ट रूप से घोषित किया कि बिना लटाई के वे किसानों को उनकी पैदावार घर नहीं ले जाने देंगे। यह निर्णय जागीरदारों ने मार्च 1941 में कर लिया था।¹⁹ जागीरदारों के इस निर्णय ने भारी गतिरोध उत्पन्न कर दिया था। किसान बुरी स्थिति में फस गए थे क्योंकि किसानों को फसल के तुरन्त परचाट याद्यानो व आर्थिक आवश्यकताओं हेतु उत्पादन घर ले जाना जरूरी था किन्तु जागीरदारों द्वारा राजस्व का आकलन न करने एवं राजस्व अदा किए बिना किसानों को फसल घर ले जाने की रोक ने उन्हें बुरी तरह प्रभावित किया। अभी भी जागीरदार लाग-बागों सहित राजस्व वसूल करना चाहते थे, जबकि किसान लाग-बाग नहीं देना चाहते थे। किसानों की कठिनाई को देखते हुए लोक परिषद् ने राज्य सरकार को जागीरदारों को शिकायत की। जोधपुर राज्य में किसानों व लोक परिषद् की शिकायतों के आधार पर 20 मई 1941 को आदेश प्रसारित किया कि जागीरदार 15 दिन के अन्तर्गत लटाई कार्य पूर्ण कर लें वरना सम्बन्धित परगने का हाकिम लटाई करके किसानों को उनका हिस्सा दे देगा।²⁰ जागीरदारों को यह आशंका उत्पन्न हो गई कि यदि वे लटाई नहीं करेंगे तो उन्हें युगो पुराने अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा।

राजपूत सभा एवं जागीरदार सभा से 6 जून 1941 को संयुक्त अधिवेशन में एक समिति गठित की जिसका कार्य लोक परिषद् की गतिविधियों का सामूहिक विरोध करना था। उन्होंने व्यक्तिगत जागीरदारों को लाग-बाग भुगतान से आम इन्कारों के विरुद्ध सहायता देने का भी वचन दिया।²¹ जागीरदारों ने 8 जून 1941 को सरकार के समक्ष

ज्ञापन प्रस्तुत किया कि आन्दोलनकारी जो बाहरी तत्व थे वे हमारे प्रति जिम्मेदार नहीं थे उन्होंने जनता की अज्ञानता का शोषण करते हुए करबन्दी अभियान इस आशय से आरम्भ किया था कि वे आन्दोलन के दौरान किसानों का नेतृत्व प्राप्त कर हमेशा के लिए अपना प्रभाव स्थापित कर सकें।¹⁴ लटाई के सन्दर्भ में 1941 के राज्य आदेशों को 30 जून 1941 को सरकार ने वापस ले लिया, क्योंकि सरकार की ऐसी मान्यता बनी कि इन आदेशों ने जागीरदारों की भावनाओं को ठेस पहुँचाई है।¹⁵ इसके पश्चात् जागीरदारों ने बलपूर्वक किसानों से लागू-बागो सहित भू-राजस्व बसूल किया। अनेक स्थानों पर किसानों व जागीरदारों के मध्य हिंसात्मक घटनाएँ घटीं। वास्तव में जागीरदार सरकार को यह जताना चाहते थे कि यदि राज्य उन्हें समर्थन प्रदान करे तो वे इस किसान स्थिति का मुकाबला करने में सक्षम हैं।

जोधपुर सरकार किसान आन्दोलन को नियन्त्रित करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। सरकार ने एक ओर जागीरदारों को किसानों के दमन की पूरी छूट प्रदान की तथा दूसरी ओर मामले को शान्तिपूर्ण समझौते द्वारा सुलझाने का प्रयास किया। महाराजा के कौन्सलर (वकील/ सलाहकार) ने मारवाड़ लोक परिषद, राजपूत सभा एव जागीरदार सभा के प्रतिनिधियों के साथ साक्षात्कार कर मामले को निपटाने के लिए केन्द्रीय व जिला समझौता बोर्डों के गठन का प्रस्ताव रखा। जिला बोर्डों को जागीरदारों व किसानों के मध्य मुद्दों को निपटाने हेतु अधिवृत्त किया गया। केन्द्रीय बोर्ड को जिला बोर्डों द्वारा नहीं निपटाये जा सकने वाले मामलों का निरीक्षण कर निर्णय देने का अधिकार दिया गया तथा जिला बोर्डों द्वारा निपटाए गए मामलों में असन्तुष्ट पक्ष की अपील चुनने का अधिकार केन्द्रीय समझौता बोर्ड सरकार ने इस प्रस्ताव को राहगति देते हुए 30 जून, 1941 को समझौता बोर्डों की स्थापना के आदेश प्रसारित किए।¹⁶ इन बोर्डों के स्थापना के पीछे राज्य का वास्तविक उद्देश्य जागीरदारों की मदद करना व किसानों को झूठी राहत प्रदान करना था। इसका उद्देश्य किसान आन्दोलन को अग्रभावी करते हुए मारवाड़ लोक परिषद के किसान आघार को तोड़ना था। प्रत्येक समझौता बोर्ड का गठन 5 सदस्यों के द्वारा किया गया था। प्रत्येक बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्तियों को रखा गया -

- अ अध्यक्ष के रूप में परगने (जिले) का हाकिम।
- ब समन्वित परगने के दो जागीरदार जिनका चयन जागीरदार सभा द्वारा एव अनुमोदन सरकार द्वारा किया गया हो।
- स विवाद ग्रस्त गावों से परगने के दो अच्छी हैसियत के किसान। हाकिम को इन किसानों के चयन का अधिकार दिया गया।

उपरोक्त बोर्डों के गठन से यह स्पष्ट होता है कि इनकी स्थापना जागीरदारों को बल प्रदान करने के लिए की गई थी। मारवाड़ लोक परिषद जो किसान आन्दोलन की जननी थी व किसानों के हितों की रक्षक थी वो सरकार ने इन बोर्डों से दूर रखते हुए पूर्ण उपेक्षा की थी। यह भी तर्कपूर्ण था कि लोक परिषद की उपेक्षा कर इस आन्दोलन के मामले में कोई रथाई स्वरूप का निर्णय लिया जाना सम्भव नहीं था। सरकार व

जागीरदारों के अनेक प्रयासों के उपरान्त भी अनेक कारणों से समझौता बोर्ड समस्या के समाधान में सफलता प्राप्त नहीं कर सका। पहला इनमें सरकार व जागीरदार समर्थक सदस्यों की संख्या अधिक थी तथा वे किसी भी प्रकार के भूमि व कृषि सुधार के पक्ष में न होकर यथास्थिति बनाए रखने के पक्षधर थे। दूसरा विवादों की संख्या इतनी अधिक थी कि जिनका निपटारा इन बोर्डों के द्वारा एक या दो दशकियों की अवधि में भी किया जाना सम्भव नहीं था। तीसरा, इन बोर्डों के निर्णय मारवाड़ लोक परिषद के सम्मिलित हुए बिना किसानों को सामूहिक रूप से स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि उनका अधिक भरोसा और विश्वास इन बोर्डों के स्थान पर लोक परिषद में अधिक था। वैसे तो ये बोर्ड अर्धहीन हो गए थे किन्तु वे किसानों में भ्रान्ति उत्पन्न करने में सफल रहे तथा कुछ माह के लिए किसान आन्दोलन कमजोर हो गया था। किसानों का यह आम सोच बन गया था कि इन तथाकथित समझौता बोर्डों के गठन के माध्यम से सरकार व जागीरदारों ने उन्हें धोखा दिया है। अतः किसानों ने अपने आन्दोलन को पुनः सगठित कर और अधिक शक्ति के साथ आन्दोलन आरम्भ करने का निर्णय लिया। जब यह आन्दोलन पुनःसगठित होकर आरम्भ हुआ तो यह अधिक तीव्र व कड़ा साबित हुआ।

किसानों को उद्देश्य को हानि पहुँचाने की दिशा में सरकार का दूसरा शरारतपूर्ण कदम था मारवाड़ किसान सभा की स्थापना को प्रोत्साहित करना। सरकार लोक परिषद के किसान आधार को कम करना चाहती थी। अतः किसानों में लोक परिषद की स्थिति को नगण्य बनाने के ध्येय से ही राज्य ने मारवाड़ किसान सभा की स्थापना को प्रोत्साहित किया था जो 22 मार्च, 1941 को अस्तित्व में आई।¹⁹ इसका प्रमुख सगठनकर्ता व संरक्षक बलदेव राम मिर्धा था जो जोधपुर राज्य की पुलिस में अधीक्षक था तथा जाट समुदाय का था। वह राज्य का विनम्र व विश्वसनीय सेवक था जो एक वलर्क की स्थिति से उठकर 1943 में जोधपुर राज्य के पुलिस महानिरीक्षक के पद तक पहुँचा था।²⁰ किसानों ने जाट समुदाय की संख्या सर्वाधिक थी एवं मिर्धा ने उनका शोषण अपने व्यक्तिगत लाभ में किया। वह इस सकट की घड़ी में वफादार सेवक की तरह अपने स्वामी की रक्षा में उपस्थित हुआ। किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष मंगल सिंह कछावा को बनाया गया था जो व्यवसाय से ठेकेदार था।²¹ मारवाड़ किसान सभा भी लागू-बाग बेगार एवं लटाई पद्धति के विरुद्ध थी किन्तु इसने मारवाड़ लोक परिषद की कार्य शैली का विरोध किया। किसान सभा ने किसानों को लोक परिषद के आन्दोलनकारियों से दूर रहने की सलाह भी दी।²² किसान सभा के नेताओं में खुलकर यह दुष्प्रचार किया कि लोक परिषद उच्च जाति का एक सगठन है तथा इसका किसान जातियों से कुछ लेना-देना नहीं है। यदि वे तथाकथित 'जिम्मेदार सरकार' प्राप्त करने में सफल होते हैं तो राजनीतिक सत्ता पर उनका एकाधिपत्य होगा एवं वे किसानों व दलित जातियों की उपेक्षा करेंगे। समझौता बोर्डों की स्थापना समस्या का समाधान नहीं कर सकी। सितम्बर 1941 में जागीरदारों द्वारा किसानों के उत्पीड़न की अनेक घटनाएँ घटीं।²³ जागीरदारों के अमानवीय व गैर कानूनी कार्य निरन्तर रूप से जारी रहे। उन्होंने भू-राजस्व वसूली के अन्तर्गत किसानों

के पशु, बरतन इत्यादि जब्त कर नीलाग किए। उनके द्वारा उत्पादित अनाज को सील कर दिया गया तथा उन्हें भूमि जोतने से रोका गया। उनके घर तूटे गए तथा जलाकर राख कर दिए गए। जागीरदारों द्वारा दमन किसानों तक सीमित नहीं रहा बल्कि उन्होंने मारवाड़ लोक परिषद् के नेताओं व कार्यकर्त्ताओं का अपमान व दमन भी किया। परगना सोजत, विलाड़ा एवं जैतारण के जागीरदारों ने सामूहिक निर्णय लिया कि यदि लोक परिषद् का कोई सदस्य उनके गावों में आये तो उन्हें पीटकर गावों से बाहर फेंक दिया जाना चाहिए तथा उनकी सभा को तितर-बितर कर दिया जाना चाहिए। कुछ नेता जैसे चौधरी रामाराम, छगनराज चौपासीनी वाला, कन्हैया लाल वैद्य, इन्द्रमल, मोहन लाल जोशी एवं स्वामी चैन दास को अनेक स्थानों पर अपमानित कर हमला किया गया।¹² इस प्रकार जागीर गावों में आतंक स्थापित हो गया था।

मारवाड़ किसान सभा ने भ्रान्ति उत्पन्न करने का पूर्ण प्रयास किया, किन्तु जनसमर्थन के अभाव में इसे कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। लोक परिषद् के कार्यकर्त्ता अत्याचारों का साहस से सामना कर रहे थे। कुछ क्षेत्रों में किसानों ने भी अपने आपको समर्पित करना आरम्भ कर दिया था जागीर परगने के जाट किसान "जाट कृषक सुधारक संघ" के नेतृत्व में उठ खड़े हुए थे। यह संगठन 1938 में स्थापित हुआ था।¹³ वास्तव में यह एक समाज सुधारक संगठन था जो जाट समुदाय में उनके उत्थान हेतु कार्य कर रहा था। जब जागीरदारों ने किसानों पर जुल्म करना आरम्भ किया तो जाट समुदाय के लोग सबसे अधिक पीड़ित थें। ऐसी स्थिति में जाट कृषक सुधारक सभा जाटों की रक्षा में आगे आई। यह राजनीतिक संगठन नहीं था एवं स्वाभाविक तौर पर इसकी गतिविधियाँ लोक परिषद् के विरुद्ध नहीं थीं। 19 सितम्बर, 1941 को जाट कृषक सुधारक सभा ने एक किसान सभा का आयोजन कर जागीर क्षेत्रों में भूमि बन्दोबस्त व किसानों को स्थाई भू स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने की माँग की। इसके अतिरिक्त इसमें अधिक राजस्व को समाप्त करने लाग-वाग व बेगार समाप्त करने तथा जागीरदारों को उनकी निरकुश शक्तियों से वंचित करने की माँग भी की गई।¹⁴

उपरोक्त गतिविधियों ने किसानों के पक्ष को मजबूत करते हुए पहले से ही छेड़े गए किसान आन्दोलन को बल प्रदान किया। अब बदलती हुई परिस्थिति में मारवाड़ लोक परिषद् व जाट कृषक सुधारक संघ (सभा) के साथ राजनीतिक व सामाजिक प्रतिस्पर्धा होने के कारण किसान सभा के लिए यह एक मजबूरी बन गई थी कि वह किसान हित के मुद्दों को अपने हाथ में ले। किसान सभा ने किसानों की उन माँगों के सन्दर्भ में अनेक बुलेटिन जारी की जिनके लिए लोक परिषद् व जाट कृषक सुधारक सभा संपर्क कर रहे थे। किसान सभा द्वारा जारी बुलेटिनों में मुख्य जोर लाग-वाग, बेगार व अधिक भू-राजस्व की समाप्ति पर दिया गया था।¹⁵ जोधपुर सरकार ने किसानों में किसान सभा की लोकप्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से 16 अक्टूबर, 1941 को एक विशेष भू-राजस्व एवं लाग-वाग समिति नियुक्त की। इस समिति द्वारा बुलेटिनों के माध्यम से किसान सभा द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायतों की जाँच करना तय हुआ।¹⁶ इस समिति के

गठन के साथ ही राज्य के प्रत्येक कौने से किसानों ने भारी सख्खा में अर्जिया प्रस्तुत की। यह समिति भी बेकार सिद्ध हुई क्योंकि इसने वास्तव में कोई सारगर्भित कार्य नहीं किया। वास्तव में इस नई समिति ने भ्रान्तिया उत्पन्न की तथा किसान आन्दोलन को कमजोर करने के लिए मामले को अनावश्यक रूप से लम्बा खींचा। जनवरी, 1942 के अन्त तक किसान सभा भी राज्य की ओर से पूरी तरह निराश हो चुकी थी एव ऐसी स्थिति में किसान सभा ने अवैध करो का मुकाबला करने के लिए किसानों का खुला आह्वान किया। जिस सगठन की स्थापना सत्ता की सेवा व समर्थन के लिए हुई थी वह अब वास्तविक जनसगठन के रूप में परिवर्तित हो रहा था। किसान सभा की ध्वनि परिवर्तन का कारण जागीरदारों की दमनात्मक नीतिया थी। जागीरदारों ने किसान सभा के नेताओं व कार्यकर्त्ताओं को भी नहीं छोड़ा तथा उन्हें जागीरदारों के गुण्डों ने निर्दयतापूर्वक पीटा एव उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया।

जागीरदारों ने राजपूतों को जातीय आधार पर सगठित कर किसानों पर जो मुख्यतः जाट थे, खुले आक्रमण आरम्भ कर दिये। सन् 1942 में जाट राजपूत संघर्ष आरम्भ हो गए थे एव दोनों समुदायों के मध्य बड़े पैमाने पर दंगे हुए। इन परिस्थितियों में किसान सभा का चुप रहना सम्भव नहीं था। किसान सभा ने सरकार के समक्ष बुलेटिनो के माध्यम से किसानों का पक्ष रखते हुए जागीरदारों के अत्याचारों को उजागर किया। सन् 1942 की बुलेटिन सख्खा 2 में नागौर परगने के अन्तर्गत गाज नागक जागीर के गाव के बारे में इस प्रकार उल्लेख किया गया "इस गाव में लगभग 30 या 40 किसान थे किन्तु भारी कर एव अन्य कारणों के कारण यहाँ केवल 18 किसान हैं। किन्तु खरदा लाग की राशि यही है जो 40 के स्थान पर 18 द्वारा दी जा रही है। कोर्ट ऑफ वार्डस एव हैसियत के अधिकारी सभी जागीरदार हैं, यू तो अच्छे पढे लिखे हैं किन्तु वे असहाय किसानों के कल्याण पर कोई ध्यान नहीं देते।"

बुलेटिन सख्खा 4 में ठिकाना आसोप के बारे में शिकायत की गई कि "इस वर्ष विभिन्न लागों की दो वर्षों की नगद राशि किसानों द्वारा निरन्तर अकालों एव परिवारों में विवाहों के कारण जमा नहीं करायी जा सकी किन्तु ठिकाने के सशस्त्र दलों ने प्रमुख किसानों को बन्दी बनाया उन्हें आसोप के कोर्ट में बन्दी रखा गया सख्खी बरतते हुए अगस्त 26, 1941 तक 500 रुपये ऐंठे। यह राशि किसानों के 60 प्रतिशत उत्पादित अनाज की वसूली के अतिरिक्त थी। यह अगस्त में आसोप कोर्ट में 200 जागीरदारों व राजपूतों की विशाल सभा का सीधा व तात्कालिक परिणाम था जहा आसोप के ठाकुर साहब को बल प्रयोग हेतु उकसाया गया था।"

किसान सभा ने जनवरी, 1942 के आगे भी अपने जागीरदार विरोधी अभियान को जारी रखा। किसान सभा ने लोक परिषद को सहयोग नहीं किया किन्तु इसकी गतिविधियों से परिषद को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिला क्योंकि दोनों के मुद्दे समान थे। कुल मिलाकर 1942 में जोधपुर राज्य का किसान आन्दोलन एक नए युग में प्रवेश कर चुका था।¹⁹ वैसे किसान आन्दोलन अगले कई वर्ष तक विभाजित ही रहा किन्तु किसानों

के समर्थको क्रमशः लोक परिषद व किसान सभा के मध्य कोई विरोध नहीं रह गया था।

मारवाड़ लोक परिषद एवं चन्द्रावल की दुःखद घटना 1942 :

मारवाड़ लोक परिषद जोधपुर राज्य में किसान आन्दोलन का संचालन करने वाली प्रमुख संस्था बनी रही। परिषद का मुख्य उद्देश्य जोधपुर राज्य में जिम्मेदार सरकार स्थापित करना था, किन्तु यह तभी सम्भव था जब उरो अधिक से अधिक जनसमर्थन प्राप्त हो। अतः जनसमर्थन प्राप्त करने व राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के ध्येय से लोक परिषद किसान आन्दोलनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पूरा ध्यान केन्द्रित कर रही थी। 8 फरवरी, 1942 को मारवाड़ लोक परिषद का खुला अधिवेशन लाडनू में आयोजित हुआ जिसमें सभी भागों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं व सगठनों ने भाग लिया। इस अधिवेशन में जागीरों के किसानों की समस्याओं पर खुलकर चर्चा हुई तथा जागीर क्षेत्रों में किसानों पर हो रहे अत्याचारों की कड़ी निन्दा की गई। लोक परिषद ने विशेष भू-राजस्व एवं लागू-बाग समिति द्वारा लागों व बेगार समाप्ति की दिशा में कुछ न करने के लिए भर्त्सना की एवं इनकी तुरन्त समाप्ति की माँग की। परिषद ने जोधपुर सरकार से माँग की कि इन जागीरी अत्याचारों का अन्त हो, गैर कानूनी लागू-बाग व बेगार पर रोक लगाई जाए तथा महाराजा की छत्रछाया में राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना की दिशा में तुरन्त कारगर कदम उठाए जाएँ।¹⁰ रणछोड़दारा गट्टानी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में समसामयिक स्थितियों का मूल्यांकन व विश्लेषण किया। उसने टिप्पणी की कि बेरोजगारी निरन्तर बढ़ती जा रही है तथा किसानों की आय बहुत थोड़ी है। आम जनता धानेदार हथेलदार एवं जागीरदारों के जुल्मों का शिकार है। उसने आगे जोर देकर कहा कि जब तक परिषद उत्तरदायी शासन प्राप्त नहीं कर लेती है तब तक मन्त्री लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे तथा प्रशासन अपने आपको जनसेवक नहीं मानेगा, जब तक यह सम्भव नहीं होगा तब तक किसानों, मजदूरों व बेरोजगारों के दुःख समाप्त नहीं होंगे।¹¹ अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने मारवाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचकर लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे राज्य के अधिकारियों व जागीरदारों के अत्याचारों के विरुद्ध अहिंसात्मक ढंग से संघर्ष के लिए तैयार रहें।

लाडनू अधिवेशन के पश्चात् किसानों के बीच परिषद की गतिविधियाँ काफी तीव्र हो गई थीं जिससे विशेष रूप से जागीरदार बीखला गए थे। जागीरदारों ने खुलकर किसानों पर हिंसक जुल्म डालना आरम्भ कर दिया था। इस प्रकार मारवाड़ के जागीरदारों ने समय की माँग को दुबसाकर आतंक व अत्याचार का रास्ता अपनाया। इस आतंक व अत्याचार की चरम परिणति चन्द्रावल की दुःखद घटना के रूप में हुई। इस घटना के पूर्व रोडू व मीठड़ी ठिकानों में जागीरदारों के अत्याचारों की घटनाएँ घट चुकी थीं। रोडू के जागीरदार द्वारा चौधरी उमराम के घर को जला दिया गया था तथा मीठड़ी ठिकाने में मारवाड़ लोक परिषद के कर्मठ नेता स्वामी चैनदास की पिटाई की। सबसे शर्मनाक घटना रोडू ठिकाने में घटी जब रोडू के जागीरदार के द्वारा उमराम चौधरी के

घर के जलाने की घटना की जाँच करने हेतु लोक परिषद् का वरिष्ठ नेता छगनराज चौपासनी वाला रोड़ू ग्राम में पहुँचा तो वहाँ के जागीरदार ने उसे औरतो द्वारा झाड़ुओं से पिटा कर अपमानित किया।⁶⁰

मारवाड़ लोक परिषद् व जागीरदारों के मध्य खुला सघर्ष आरम्भ हो गया था। परिषद् के लोकप्रिय नेता जयनारायण व्यास ने उग्र रूप धारण कर लिया था। राजशाही और सामन्तशाही का उन्होंने खुलकर तीखा विरोध किया। सन् 1942 में सामन्तशाही की आलोचना करते हुए व्यास ने क्रान्तिकारी भावना से औत्प्रेत एक कविता लिखी, उसका एक अंश यहाँ प्रस्तुत है -

“भूखे की सूखी हड्डी से, बज्र बनेगा महाभयकर।
ऋषि दधीचि को ईप्या होगी नेत्र नया खोलेंगे शकर।
कल ही तुझ पर गाज गिरेगी तेरा सभी समाज गिरेगा।
तख्त गिरेगा ताज गिरेगा नहीं रहेगी सत्ता तेरी,
बस्ती तो आबाद रहेगी जालिम तेरे सब जुल्मों की
उसमें कायम याद रहेगी।”

व्यास की कविता व वाणी ओजस्वपूर्ण थी एव इसे लोक परिषद् की नीति माना जाता था। किसानों में घेतना उत्पन्न करने में जयनारायण व्यास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जोधपुर राज्य में 1942 का आन्दोलन एक अनूठा ही आन्दोलन था। न केवल राजपूताना की देशी रियासतों में ही बल्कि सम्पूर्ण भारत में इस आन्दोलन का पृथक स्थान है। जहाँ अन्य क्षेत्रों में 1942 में अगस्त माह के दौरान भारत छोड़ो आन्दोलन के साथ अन्य जन आन्दोलन भी हुए थे वहीं जोधपुर राज्य में जन आन्दोलन 1942 के प्रारम्भ में ही अपनी घरम सीमा पर थे। जोधपुर राज्य में जागीरदारों व राज प्रशासन के दमनात्मक प्रयासों व अत्याचारों के उपरान्त भी लोक परिषद् का जागीर विरोधी आन्दोलन तीव्र होता जा रहा था। लोक परिषद् के नेता कार्यकर्ता व अनुयायी सत्ता पक्ष के जुल्मों का सहसपूर्वक मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मार्च 1942 में लोक परिषद् ने आन्दोलन तेज कर दिया था।

28 मार्च, 1942 को मारवाड़ लोक परिषद् ने सम्पूर्ण जोधपुर राज्य में उत्तरदायी सरकार दिवस मनाया।⁶¹ लोक परिषद् के कार्यकर्ताओं ने बड़े गाँवों व कस्बों में प्रभात फेरियों निकाली सभाएँ आयोजित कीं तथा सत्ता विरोधी भाषण दिए। इसी शृंखला में मारवाड़ लोक परिषद् की चण्डावल शाखा ने 28 मार्च, 1942 को उत्तरदायी सरकार दिवस मनाने की योजना बनाई। चण्डावल सोजत परगने के अन्तर्गत एक जागीर गाव था। सम्पूर्ण परगने से लोक परिषद् के कार्यकर्ताओं व नेताओं को इस दिवस के आयोजन में भाग लेने हेतु चण्डावल आमन्त्रित किया गया था। भारी संख्या में कार्यकर्ता चण्डावल पहुँचे। इस आयोजन से चण्डावल का जागीरदार अत्यधिक दौखलाया हुआ था। क्रोधित जागीरदार ने अपनी पुलिस, नौकरों एव गुण्डों को मारवाड़ लोक परिषद् के कार्यकर्ताओं

पर हमला करने का आदेश दिया। ठिकाने के लोगो ने परिषद् के कार्यकर्ताओं पर लाठिया एव भालो से हमला कर दिया जिसमे परिषद् के 25 कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हुए।¹ वास्तव में लाडनू सम्मेलन के पश्चात् जागीरदार अत्यधिक क्रोधित हो गए थे एव 28 मार्च 1942 को निमाज, गुन्दोज, रोडू व धामली ठिकानो में भी चन्डावल जैसी घटनाएँ घटीं।

अप्रैल 1942 में उपरोक्त घटनाओं के विरोध में लोक परिषद् ने सत्याग्रह आरम्भ कर दिया था। इन घटनाओं की राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई। 10 मई 1942 के "हरिजन" में महात्मा गाँधी ने जागीर क्षेत्रों में घटी इन घटनाओं की निन्दा की थी। चन्डावल में 28 मार्च 1942 के पश्चात् लोक परिषद् के नेता जयनारायण व्यास के चन्डावल प्रवेश पर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी थी।² सरकार ने अपराधी जागीरदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की थी। मई 1942 में परिषद् के आन्दोलन ने नया स्वरूप धारण कर लिया था। अब आन्दोलन जोधपुर शहर में केन्द्रित हो गया था। लोक परिषद् की प्रतिनिधि सभा के निर्णयानुसार 11 मई 1942 को जयनारायण व्यास को आन्दोलन संचालन हेतु डिक्टेटर नियुक्त किया गया था।³ इस आन्दोलन को मारवाड़ में उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए आरम्भ किया गया था क्योंकि 28 मार्च, 1942 की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया था कि राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था थी ही नहीं। लोक परिषद् ने मई 1942 के आन्दोलन में प्रमुख जोर मारवाड़ में उत्तरदायी शासन की स्थापना की माँग पर दिया। प्रशासन ने अपना दमनात्मक रवैया जारी रखा। मई, 1942 के अन्त तक परिषद् के प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। तत्पश्चात् जोधपुर के बाहर जोधपुर के मूल निवासी राजनीतिया कार्यकर्ताओं ने भी जोधपुर पहुँचकर सत्याग्रह किया और गिरफ्तारियाँ दीं। इस आन्दोलन के दौरान लोक परिषद् की किसान समर्थन नीतिया प्रमुखता से प्रचारित हुईं। गाँधीजी स्वयं इस आन्दोलन के प्रति सजग रहे थे। महात्मागाँधी ने एक बार फिर अपने प्रतिनिधि श्री प्रकाश को जोधपुर भेजा। प्रथम बार उसे जोधपुर में आन्दोलन के फलस्वरूप जो स्थिति बनी थी, उसका अध्ययन करने भेजा था। इस बार उसे जोधपुर सरकार और लोक परिषद् के बीच समझौते के लिए बातचीत करने का कार्य सौंपा था। गाँधीजी ने आन्दोलन आरम्भ होने के पूर्व अपने समाचार पत्र हरिजन में लोक परिषद् की माँगों का उल्लेख किया था। ये इस प्रकार थीं -

- 1 सन् 1940 के लोक परिषद् और दरवार के बीच समझौते को फिर से दोहराना चाहिए।
- 2 जोधपुर राज्य में और विशेषकर जागीर क्षेत्र में कानून का राज्य स्थापित हो जिससे नागरिक स्वतंत्रता का उपभोग कर सकें।
- 3 सलाहकार सभा के रूप में जारी किए गए शासन सुधारों को रद्द किया जाए और उनके बदले में राज्य की कौंसिल ने जो वैधानिक सुधार स्वीकृत किए थे और उन्हें महाराजा के स्वीकार भी कर लिया था, उन्हें वापस खींच लिया जाए।
- 4 सन् 1940 के म्युनिसिपल एक्ट को लागू किया जाए।
- 5 जागीरो में नियमित लडाई का कारगर और सन्तोषजनक प्रबन्ध किया जाए।

- 6 गैर कानूनी लागू-बाग बन्द हों। जागीर क्षेत्र के लिए एक आयोग की नियुक्ति हो यह आयोग करो की वसूली आदि के सम्बन्ध में सिफारिश करे।
- 7 जागीरदारों के हथियारों का नियमन करे। हथियारों का मनमाना उपयोग रोक जाए।
- 8 चन्डावल, लाडनू, रोडू आदि काड लाठी चार्ज और अन्य ज्यादतियों की जाँच करवाई जाए।

महात्मा गाँधी ने इन माँगों पर अपनी टिप्पणी करते हुए 3 अगस्त 1942 के हरिजन अंक में लिखा था—

“इन माँगों में ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर किसी को कोई एतराज हो सके इसमें कोई व्यर्थ की बात नहीं है। इसमें राजस्थान रियासतों की मर्यादा का ध्यान रखा गया है। इन्हीं माँगों की पूर्ति के लिए जयनारायण घ्यास और उसके साथी आज जेल के अन्दर हैं और श्री बालमुकुन्द बिस्वा को अपनी जान गुमानी पड़ी है। यही वजह है कि बहुत से जोधपुरियों, जिनमें स्त्रिया भी शामिल हैं सविनय अवज्ञा करने का निश्चय किया है, जोधपुर के लिए एक अनोखा दृश्य है। मैं आशा करता हूँ कि जोधपुर दरबार लोक परिषद की इन मामूली माँगों को मजूर कर लेगे। मैं यह भी आशा करता हूँ कि जोधपुर की जिस प्रजा ने कष्ट सहन के द्वारा अपने ध्येय की प्राप्ति करने का निश्चय किया है वह उस वक्त तक दम नहीं लेगी जब तक अपने तात्कालिक ध्येय को सिद्ध न कर ले।”

लोक परिषद द्वारा जागीरदार विरोधी आन्दोलन व्यवहारिक तौर पर मई 1942 में समाप्त हो गया। तत्पश्चात् लोक परिषद का आन्दोलन जोधपुर शहर तक सीमित रह गया था। अब इसकी माँगें नागरिक अधिकारों, राजनीतिक नेताओं को रिहा करने एवं उत्तरदायी शासन की स्थापना रह गई थी। अपने प्रमुख नेताओं की अनुपस्थिति में परिषद के द्वितीय पवित के नेताओं ने आन्दोलन जारी रखा, क्योंकि सभी प्रमुख नेताओं को मई, 1942 के अन्त तक बन्दी बना लिया गया था। 8 अगस्त, 1942 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आन्दोलन छेड़ने का निर्णय लिया तथा 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को बन्दी बना लिया गया। इसी के साथ भारत छोड़ो आन्दोलन का सूत्रपात हुआ, जिसके अनुकरण में देशी रियासतों के राजनीतिक सगठन पीछे नहीं रहे थे। जोधपुर राज्य के आन्दोलन में मई 1942 के पश्चात् जो शिथिलता आई थी अब एक बार फिर तेजी का दौर आरम्भ हुआ। मई 1944 तक मारवाड लोक परिषद का आन्दोलन निरन्तर चलता रहा तथा इसके नेताओं की रिहाई के बाद ही समाप्त हुआ। मई, 1942 से मई 1944 अर्थात् 2 वर्ष तक मारवाड लोक परिषद की गतिविधियाँ जोधपुर शहर तक ही सीमित रही, किन्तु इसने कभी भी किसान हितों को नहीं भुलाया।

मारवाड किसान सभा के नेतृत्व में किसान आन्दोलन:

मई 1942 के पश्चात् मारवाड किसान सभा काफी सक्रिय हो गई थी, क्योंकि इसके पश्चात् लोक परिषद की गतिविधियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर पड़ गई थी। अवसर

का लाभ उठाते हुए अपना राजनीतिक व सामाजिक आधार विस्तृत करने के उद्देश्य से किसान सभा ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी गतिविधियाँ बढ़ा दी थीं। किसान सभा व जागीरदारों के मध्य भी भारी अन्तर्विरोध व्याप्त थे किन्तु कुछ कारणों से जोधपुर राज्य किसान सभा के प्रति अत्यधिक उदार था। प्रथम, राज्य किसान सभा के माध्यम से लोक परिषद् के राजनीतिक आधार को क्षीण करना चाहता था। दूसरा, किसान आन्दोलन ने जागीरदारों के अस्तित्व को गम्भीर चुनौती दी थी। निराशा के दौर में जागीरदार राज्य से मदद चाहते थे, जिससे लम्बे समय पश्चात् जागीरदारों पर राज्य का कड़ा नियंत्रण स्थापित हुआ था। अतः जोधपुर राज्य किसान सभा द्वारा घलाई जा रही गतिविधियों का विरोधी नहीं था।

9 जून, 1942 को मारवाड़ किसान सभा ने बुलेटिन जारी करते हुए गैर कानूनी लागू-बागों की समाप्ति व किसानों को कर न देने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए किसान आन्दोलन छेड़ने के लिए घन्यवाद आप्त किया, किन्तु दूसरी ओर किसान सभा ने उत्तरदायी शासन हेतु लोक परिषद् के आन्दोलन का विरोध भी किया। किसान सभा की मान्यता थी कि लोक परिषद् अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए किसान हितों की अनदेखी कर रही है। किसान सभा के विचार में यह किसानों के हित में नहीं था। जबकि लोक परिषद् 1942 के आन्दोलन के दौरान इस बात का पूर्ण अनुभव कर चुकी थी कि जब तक उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं होती तब तक किसानों की समस्याओं का समाधान सम्भव नहीं है। अतः राज्य के प्रति किसान सभा व लोक परिषद् के बीच भारी मतभेद व्याप्त था। किसान सभा यह मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि मारवाड़ की तात्कालिक सरकार गैर जिम्मेदार सरकार है। वास्तव में किसान सभा लोक परिषद् के आन्दोलन का खुला विरोध करते हुए परिषद् पर राज्य के हमले से उत्पन्न स्थिति का लाभ उठा रही थी। इस कथित बुलेटिन के माध्यम से किसान सभा ने लम्बे समय से लम्बित माँगें पुनः प्रस्तुत कीं। इसकी मुख्य माँगें निम्नानुसार थीं -

- 1 जागीर गावों में अमर्यादित व अन्यायपूर्ण लागू-बागों को तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जाए।
- 2 किसानों व जागीरदारों के बीच समझौतों व दोनों के अधिकार और विशेषाधिकार की व्याख्या करने के लिए एक कारगर अघिनियम पारित किया जाए।
- 3 जागीरों में भूमि बन्दोबस्त किया जाना चाहिए।

सरकार ने इन माँगों के प्रति सहानुभूति पूर्ण रुख अपनाया था, किन्तु मारवाड़ राजपूत सभा व जागीरदार सभा के विरोध के कारण इनको माना नहीं जा सका। इसके उपरान्त भी किसान सभा के अथक प्रयासों ने सरकार को जागीरों में भूमि बन्दोबस्त हेतु आदेश पारित करने के लिए बाध्य कर दिया था। 2 दिसम्बर, 1943 को राजस्व मन्त्री ने जागीर गावों में भूमि बन्दोबस्त का कार्य आरम्भ करने के आदेश प्रसारित किए।¹

जागीरदारों ने सरकार द्वारा जागीर बन्दोबस्त कार्य के बहिष्कार का निर्णय

लिया।¹⁰ जागीरदारों ने अपने सगठनों के माध्यम से इसका विरोध करने का निर्णय लिया। उन्होंने बन्दोबस्त कार्य में अवरोध उत्पन्न कर यह स्थिति पैदा कर दी थी कि वर्ष 1945 के अन्त तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया जा सका। महाराजा के प्रति वफादार होने के कारण किसान सभा आन्दोलन को पूरी ताकत से आगे बढ़ाने में असमर्थ थी। किसान सभा ने किसानों को न्याय दिलाने हेतु कुछ कानूनी प्रयास भी किए। किसान सभा द्वारा उठाए गए सभी कानूनी कदम किसानों को सामन्ती शोषण व दमन से निजाद दिलाने में असफल रहे। मारवाड़ किसान सभा ने 25 सितम्बर, 1945 को जोधपुर में किसान सम्मेलन का आयोजन किया। सभा ने भारत के अनेक प्रमुख किसान नेताओं को इस सम्मेलन में आमन्त्रित किया जो अधिकांश जाट थे। उस समय पंजाब के चौधरी छोटूराम उत्तरी भारत के प्रमुख जाट नेता थे। उसने भी इस किसान सम्मेलन में भाग लिया। स्वयं महाराजा ने अपने मन्त्रियों व अधिकारियों सहित इस सम्मेलन में भाग लिया था। जोधपुर राज्य के उपपुलिस महानिरीक्षक बलदेव राम मिर्धा के आमंत्रण पर महाराजा इसमें सम्मिलित हुआ था, जैसा कि विदित है कि मिर्धा किसान सभा के प्रमुख सगठनकर्ता व इस सम्मेलन के आयोजक थे।¹¹ बलदेव राम मिर्धा ने अपने सदेश में किसानों को कहा कि "आपको किसी भी प्रकार का हिंसात्मक आन्दोलन नहीं करना है। हम जागीरदारों के कतई खिलाफ नहीं है और पाप से घृणा करें, पापी से नहीं। हम जागीर व्यवस्था की बुराइयों के विरुद्ध हैं जो हमें मिटानी हैं। जागीर व्यवस्था की बुराइयों जो आपकी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं को न्यायालयों में लड़ा जाना चाहिए, आपको निश्चित रूप से न्याय मिलेगा।"¹²

किसान सभा का उपरोक्त सम्मेलन भी बेकार ही सिद्ध हुआ क्योंकि इसमें किसानों के हित में सघर्ष की कोई स्पष्ट भूमिका नहीं बनी थी। न्यायालयों में किसान हित के मामले ले जाना भटकाव के अलावा कुछ नहीं था। तार्किक दृष्टि से भी सामन्ती कानून व्यवस्था के अन्तर्गत कानूनी रूप से सामन्तवाद के विरुद्ध लड़ना सम्भव नहीं था अर्थात् सामन्तवाद के शोषण व दमन के हथियार से उसे ही मारा जाना तर्कसंगत नहीं जान पड़ता। प्रचलित कानून व न्याय व्यवस्था सत्ताधारियों के सुरक्षा कवच के रूप में कार्य कर रही थी एवं जागीरदार सत्ताधारियों में प्रमुख घटक थे। उदाहरणार्थ 1936 में राज्य ने अनेक लागों को समाप्त कर दिया था, किन्तु जागीरदारों ने इस निर्णय की पालना नहीं की। पुन 1938 में न्यायालयों ने भी अनेक लागों को गैर कानूनी करार दे दिया था। किन्तु 1945 तक जागीरदार लाग-बागों की वसूली निरन्तर रूप से करते रहे। इतना ही नहीं बल्कि 1945 में कुछ जागीरों में नई लाग-बागें आरम्भ की गई थी।

लोक परिषद् एवं किसान सभा का संयुक्त आन्दोलन एवं डाबरा काण्ड :

किसानों, 'दर जागीरदार, का, अत्याचार, एवं दमन दिनों-दिन बढ़ता जा रहा था। किसान सभा के अनुयायी इसकी नीतियों से निराश होते जा रहे थे। प्रारम्भ में किसान सभा लोक परिषद् द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु आन्दोलन चलाने के पक्ष में नहीं थी। जनवरी 1946 में किसान सभा की नीति में परिवर्तन आया। किसान सभा का

मत स्पष्ट हो गया था कि उत्तरदायी शासन की स्थापना के पश्चात् ही जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन सम्भव हो सकेगा। ऐसी स्थिति में किसान सभा लोक परिषद् के उत्तरदायी शासन की स्थापना के ध्येय की समर्थक हो गई थी। अतः जनवरी, 1946 में ही दोनों संगठनों ने उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु सयुक्त आन्दोलन आरम्भ कर दिया। किसान सभा और लोक परिषद् ने अपने सयुक्त आन्दोलन के अन्तर्गत जागीर प्रथा की समाप्ति हेतु सरकार के समक्ष मौँग प्रस्तुत की। दोनों संगठनों के कार्यकर्ता प्राणीय क्षेत्रों में पहुँचकर जनमानस तैयार कर रहे थे। जागीरदारों द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों की कोई सीमा नहीं रह गई थी। सयुक्त आन्दोलन ने जागीरदारों को चिंतित कर दिया था इसलिए वे और अधिक हिराक वारदातों पर उतर आए थे। इस समय तक किसान सभा को प्राप्त राज्य का समर्थन व सहयोग समाप्त हो चुका था। अतः सरकार स्वयं भी किसान व राजनीतिक आन्दोलन का दमन करना चाहती थी। सरकार के मूक समर्थन से प्रोत्साहित होकर जागीरदार किसानों को भूमि से बेदखल कर उन पर मनमाने ढंग से अत्याचार करने लगे। जागीर प्रथा की समाप्ति के उद्देश्य से चल रहे राजनीतिक आन्दोलन को कुचलने के लिए जागीरदारों ने अत्यधिक दमनात्मक हथकण्डे अपनाए। उन्होंने किसानों के बीच एक आतक का वातावरण उत्पन्न कर दिया था। न केवल साधारण किसानों बल्कि उनके नेताओं को भी आतक का शिकार बनाया जा रहा था। जागीरदारों व किसानों के मध्य गम्भीर टक्करें हो रही थी। जागीरदारों व परिषद् तथा किसान सभा के नेताओं के मध्य अन्तर्विरोध तीव्र हो गए थे। इनके मध्य सघर्ष अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया था। जागीरदारों द्वारा किसान नेताओं पर हो रहे हमलों की चरम परिणति 13 मार्च, 1947 को डाबरा गाँव में हुई जहाँ जागीरदारों ने एक किसान सम्मेलन पर ही हमला बोल दिया था।

13 मार्च, 1947 को डीडवाना परगने के डाबरा नामक गाँव में मारवाड़ लोक परिषद् व मारवाड़ किसान सभा ने एक सयुक्त सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया।" इस सम्मेलन की घोषणा ने जागीरदारों को विचलित कर दिया था एवं उन्होंने राजनीतिक आन्दोलनकर्ताओं को एक पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। 13 मार्च 1947 को प्रातः 9 बजे जब सम्मेलन की कार्यवाही आरम्भ हुई तो जागीरदारों ने अपनी जाति के लोगों के साथ मिलकर इस सम्मेलन को घेर लिया। इस सम्मेलन के नेताओं व सहभागियों को लाठियों व घातक हथियारों से निर्दयतापूर्वक पीटा। गाँव को जागीरदारों के गुण्डों ने घेर लिया तथा सम्मेलन के किसी भी सहभागी को बाहर नहीं निकलने दिया। इस गाँव में किसानों के घरों को लूटकर जला दिया गया तथा अनेक महिलाओं के साथ बलात्कार तक किया गया। इस घटना में 12 लोग मारे गए तथा सैकड़ों घायल हुए। नेताओं को बन्दी बनाकर रावले में ले जाया गया जहाँ उन्हें अपमानित किया तथा उन्हें मोलासर के सेठ दूगरजी के हस्तक्षेप के बाद मुक्त किया गया। इस घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन डा रामप्रसाद व्यास ने इस प्रकार किया है जिसका यहाँ विवरण प्रासंगिक रहेगा।

डा व्यास के अनुसार "सरकार की मूक साझेदारी से प्रोत्साहित होकर जागीरदार किसानों को भूमि विहीन करने लगे तथा मनमाने ढंग से उन पर अत्याचार किए। हर रोज किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों के समाचार लोक परिषद् के कार्यालय में आने लगे। परिषद् इन्हें अनदेखे नहीं कर सकती थी। उसने किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से जगह-जगह गावों में किसान सम्मेलनों का आयोजन किया। 13 मार्च 1947 ई को डाबरा (डीडवाना परगना) गाँव में किसान सभा और लोक परिषद् के तत्वाधान में एक किसान सम्मेलन करने का निश्चय किया था। लोक परिषद् के नेता मथुरा दास माथुर द्वारकादास पुरोहित, राधाकृष्ण बोहरा किशन लाल शाह नरसिंह कछवाह बशीधर पुरोहित (ज्वाला) हरीन्द्र कुमार चौधरी सी आर चौपासनी वाला आदि सम्मेलन में भाग लेने डाबरा पहुँचे और वे स्थानीय नेता मोती लाल चौधरी के घर पर ठहरे। जागीरदार इस किसान सम्मेलन को न होने देने के लिए कृत सकल्प थे। उन्होंने इसकी तैयारी कर रखी थी। जागीरदारों के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में राजपूत रावले में पहले से ही एकत्रित थे। जैसे ही लोक परिषद् के कार्यकर्ता व नेता यहाँ पहुँचे उन्होंने मोती लाल के घर पर लाठियों व तेज धार वाले हथियारों से घावा बोल दिया और नेताओं की नृशंसापूर्ण पिटाई की। मोती लाल की माता के पैर काट दिए। उसके पिता व भाई की हत्या कर दी। उसकी पत्नी के मुख को विरूप कर दिया सभी नेताओं को घायल की स्थिति में रावले में ले जाया गया। जहाँ छुड़साल में डाल दिया गया। जागीरदारों की ओर से आए हुए गुण्डों ने गाव के घरों को आग लगा दी स्त्रियों के साथ अमर व्यवहार किया। गाव में सर्वत्र आतंक छा गया।"

उपरोक्त घटना ने सम्पूर्ण राज्य में विरोधी आन्दोलन को और अधिक तीव्र कर दिया था। जन सभाओं व समाचार पत्रों के माध्यम से संघर्ष जारी रहा। इस घटना के पश्चात् उत्तरदायी शासन की स्थापना का आन्दोलन नए युग में प्रवेश कर गया था। इस समय तक यह तो निश्चित हो गया था कि शीघ्र ही भारत को ब्रितानी दासता से मुक्ति मिल जाएगी। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया था जिसके अन्तर्गत 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया था किन्तु देशी रियासतों का मामला उलझा हुआ ही छोड़ दिया गया। इन्हें यह विकल्प दिया गया कि वे चाहें तो भारत अथवा पाकिस्तान किसी के साथ मिल सकते हैं अथवा अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में 15 अगस्त 1947 के उपरान्त देश की बदलती हुई राजनीतिक स्थितियों में देशी रियासतों के आन्दोलन और भी अधिक तीव्र हो गए थे। जोधपुर राज्य में भी आन्दोलन तेज हो गया। महाराजा ने घोर प्रतिक्रियावादी सामन्ती व्यवस्था को पुनर्स्थापित कर अपनी स्थिति को मजबूत बनाने की नाकाम कोशिश की। उसने पाकिस्तान में जोधपुर राज्य को सम्मिलित करने का असाफल्य प्रयास भी किया था। जोधपुर में घट रही घटनाओं के मामले में भारत सरकार असावधान नहीं थी। भारत सरकार के राज्य के सचिव वी पी मेनन 28 फरवरी 1948 को जोधपुर आए। उसने महाराजा व आन्दोलनकारियों के बीच मध्यस्थता कर महाराजा को उत्तरदायी सरकार

की स्थापना के लिए राजी कर लिया। इसके अनुसार 3 मार्च, 1948 को एक अन्तरिम सरकार का गठन जयनारायण व्यास के नेतृत्व में हुआ। जिसमें 3 मंत्री सम्मिलित किए गए। पुन 17 जून, 1948 को अन्तरिम मन्त्रिमण्डल का गठन हुआ। जयनारायण व्यास प्रधानमंत्री तथा मारवाड़ किसान सभा के नाथूराम मिर्धा को कृषि मंत्री बनाया गया।¹² जागीरदारों ने मनमाने तरीके से किसानों को उनकी जोतों से बेदखल करना आरम्भ कर दिया था। 22 जून, 1948 को प्रधानमंत्री ने एक अधिसूचना जारी की कि जागीरदारों द्वारा की गई मनमानी बेदखली को सही नहीं माना जाएगा।¹³ 6 अप्रैल, 1949 को (जोधपुर राज्य के 30 मार्च, 1949 को राजस्थान में विलय के पश्चात्) मारवाड़ टेनेन्सी एक्ट पारित हुआ। इसके द्वारा किसानों को उनकी जोतों पर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिए गए। इस प्रकार लम्बा संघर्ष सफलता के साथ सम्पन्न हुआ।

संदर्भ

- 1 सौभाग्यल माथुर स्ट्रगल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन मारवाड़, जोधपुर, 1982 पृ 14
- 2 राजस्थान राज्य अभिलेखागार जोधपुर कॉन्फिडेंशियल रिकार्ड फाइल न 106-ए, पार्ट-प्रथम, 1922
- 3 वही एवं विशनपुरी मेमोरीज ऑफ मारवाड़ पुलिस जोधपुर 1936, पृ 142-43
- 4 राष्ट्रीय अभिलेखागार, फॉरेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, फाइल न 158 पी, 1925
- 5 जोधपुर स्टेट्स कन्ट्रोल सर्विस ब्यूरो न 8 29 अक्टूबर, 1923
- 6 पेमाराग एग्जिस्टिंग मूवमेंट इन राजस्थान जयपुर 1986 पृ 207
- 7 सौभाग्यल माथुर पूर्वोक्त, पृ 18
- 8 रिपोर्ट ऑन दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मारवाड़ 1923-24 एग्जिस्टिंग 22 एवं प्रिन्सली इण्डिया 30 मई 1925 पृ 5
- 9 सुखद्वार सिंह गहलोत का लेख 'मारवाड़ पॉलिटिकल पार्टीज फॉर दी इकॉनॉमिक अप्रिजिप्ट ऑफ बल्टीयेटर्स (1921-1949)'
- 10 सौभाग्यल माथुर पूर्वोक्त पृ 23-24
- 11 दी प्रिन्सली इण्डिया 19 अक्टूबर 1928
- 12 तरुण राजस्थान 25 मार्च, 1929
- 13 पेमाराग पूर्वोक्त पृ 209
- 14 वही
- 15 राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जोधपुर कॉन्फिडेंशियल रिकार्ड, फाइल न 3-एफ (एडमिनिस्ट्रेशन) द हिन्दुस्तान टाइम्स, 29 सितम्बर, 1929
- 16 तरुण राजस्थान 18 सितम्बर, 1929
- 17 राजस्थान राज्य अभिलेखागार जोधपुर जागीर रिकार्ड (जोधपुर शाखा फाइल न सी. 4/3 पार्ट द्वितीय 1932 (पैसले की प्रति) एवं दी बाम्बे ट्रांज़िक्ल 23 जनवरी 1930
- 18 फाइनल रिपोर्ट ऑन दी सेटलमेंट-ऑपरेशन ऑफ दी टालसा बिलिजेज इन द मारवाड़ स्टेट 1921-26 पृ 20-24
- 20 अर्जुन 1 अगस्त 1931

- 21 पेमाराम, पूर्वोक्त पृ 211
- 22 राजस्थान राज्य अभिलेखागार (जोधपुर शाखा) हवाला रिकार्ड फाइल न सी-6/1 पार्ट-तृतीय 1931
- 23 दी हिन्दुस्तान टाइम्स 14 नवम्बर 1931
- 24 राजस्थान राज्य अभिलेखागार (जोधपुर शाखा) महकमा खास फाइल न 8-एच 1920-1931
- 25 वही
- 26 वही जागीर रिकार्ड फाइल न 4/3 1932
- 27 वही
- 28 मारवाड़ गजट 7 मार्च 1932
- 29 सुमित सरकार पूर्वोक्त पृ 341
- 30 सीभाग माधुर पूर्वोक्त पृ 63
- 31 वही पृ 68
- 32 दी बाम्बे क्रानिकल, 30 दिसम्बर 1939
- 33 दी जोधपुर गवर्नमेन्ट गजेट (एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी) 28 मार्च 1940
- 34 दी टाइम्स ऑफ इण्डिया 1 अप्रैल 1940
- 35 दी हिन्दुस्तान टाइम्स 27 जून 1940
- 36 जयनारायण व्यास, गैर कानूनी लागें पृ 7
- 37 वही
- 38 घनरयाम लाल देवड़ा (सम्पादित) सोरयो-इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ राजस्थान जोधपुर 1996 में प्रकाशित सुखवीर सिंह गहलोत का लेख पृ 106-7
- 39 वीर अर्जुन 20 अप्रैल 1941
- 40 बृज किशोर शर्मा पीजेन्ट मूवमेन्ट्स इन राजस्थान पृ 155
- 41 मारवाड़ लोक परिषद बुलेटिन वर्ष 1 अंक 4 मार्च 1941
- 42 पेमाराम पूर्वोक्त पृ 219
- 43 राजस्थान राज्य अभिलेखागार जोधपुर ऑम्निडेंशियल रिकार्ड फाइल न 79 बस्ता न 8
- 44 सुखवीर सिंह गहलोत का पूर्वलिखित लेख
- 45 राजस्थान राज्य अभिलेखागार जोधपुर एडमिनिस्ट्रेशन रिकार्ड फाइल न सी-76 पार्ट-चतुर्थ 1941
- 46 वही
- 47 बलदेव राम मिर्धा एक जीवनी जोधपुर 1971 पृ 43
- 48 वही, पृ 15-19
- 49 वही पृ 43 एव 49
- 50 मारवाड़ लोक परिषद बुलेटिन वर्ष 1 अंक 8 जुलाई 1941
- 51 वही, अंक 10 सितम्बर 1941
- 52 वही अंक 8-9 1941
- 53 टाकुर देशराज रियासती भारत के जाट जन सेवक पृ 170-196
- 54 वही, पृ 202-203
- 55 राजस्थान राज्य अभिलेखागार महकमाखास फाइल न 11 जनवरी 1942

- 56 वही जोधपुर एडमिनिस्ट्रेशन रिकार्ड फाइल न सी-76 पार्ट-पद्यम 1941
- 57 1942 में जयनारायण व्यास ने किसानों की ओर राज्य का ध्यानाकर्षण करते हुए "सुण" शीर्षक से एक कविता लिखी जो सामन्तावादी शोषण और किसानों की वेदना को प्रकट करती है
धान घणो उपजावे कुण
पेट नहीं भर पावे कुण
फिर नागी रह जावे कुण
सबणे सुख पहुँचावे कुण
उण करसे री बाता सुण।
- 58 रामप्रसाद व्यास राजस्थान के लोक नायक जयनारायण व्यास जोधपुर 1998 पृ 72
- 59 सीमान्त माधुर पूर्वोक्त पृ 100-101
- 60 रामप्रसाद व्यास पूर्वोक्त पृ 72
- 61 जोधपुर आन्दोलन की हकीकत जोधपुर सरकार द्वारा 1942 में प्रकाशित पुरितवा पृ 2-3
- 62 प्रजा सेवक 30 मार्च 1942
- 63 रामप्रसाद व्यास पूर्वोक्त पृ 73
- 64 वही पृ 74
- 65 वही पृ 83-84
- 66 गारवाड़ किसान राभा की बुलेटिन 9 जून 1942.
- 67 जोधपुर गवर्नमेन्ट गजेट 11 दिसम्बर व 15 दिसम्बर 1943
- 68 राजस्थान राज्य अभिलेखागार जोधपुर कॉन्फिडेंशियल रिकार्ड फाइल न 76 पार्ट-18
- 69 बलदेव राम मिर्धा एक जीवनी पृ 49
- 70 वही पृ 51
- 71 प्रजा सेवक 15 मार्च 1947
- 72 रामप्रसाद व्यास पूर्वोक्त पृ 96
- 73 जोधपुर गवर्नमेन्ट गजेट (एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी) 19 जून 1943
- 74 वही 26 जून 1943

अध्याय - 6

जयपुर राज्य में किसान आन्दोलन

जयपुर राज्य में किसान आन्दोलन का सूत्रपात 1920 के पश्चात् हुआ। जयपुर राज्य के शेखावाटी क्षेत्र में नेतृत्वकारी किसान आन्दोलन हुए। इस क्षेत्र का सम्पूर्ण भू-भाग बड़े ठिकानो व छोटी जागीरो के नियंत्रण में था। भू-अधिकारो की अनिश्चितता ने किसान असन्तोष को जन्म दिया। अन्य राज्यों के जागीर क्षेत्रों की तरह शेखावाटी के किसान घोर प्रतिक्रियावादी सामन्ती शोषण के शिकार थे। सामन्ती शोषण कोई नवीन बात नहीं थी, किन्तु अंग्रेजी सरक्षण में सामन्ती शोषण अत्यधिक बढ़ गया था तथा उसमें से मानवता व नैतिकता का तत्त्व समाप्त हो गया था। अनेक राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय व स्थानीय घटनाओ ने शेखावाटी में किसान आन्दोलनों को प्रोत्साहित किया। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं में प्रथम विश्व युद्ध (1914-18) एव 1917 की रूस की क्रान्ति प्रमुख हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय घटनाओ में चम्पारण (बिहार) व खेड़ा (गुजरात) के किसान आन्दोलन तथा 1920 का असहयोग आन्दोलन प्रमुख घटनाएँ थीं जिन्होंने शेखावाटी किसान आन्दोलन के उदय व विकास में योगदान दिया था। स्थानीय घटनाओ में बिजौलिया का किसान आन्दोलन प्रमुख था। बिजौलिया किसान आन्दोलन के एक प्रमुख नेता एव राजस्थान के पत्रकार राम नारायण चौधरी ने शेखावाटी के किसान जागरण का कार्य आरम्भ किया था। 'एजेन्ट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना' ने स्पष्ट रूप से लिखा था कि रामनारायण चौधरी ने सीकर के अशिक्षित किसानो में इस उद्देश्य से कार्य आरम्भ किया जिससे यहाँ भी बिजौलिया जैसा किसान आन्दोलन खड़ा हो सके।'

शेखावाटी में संगठित जनसघर्ष का आरम्भ 1921 में हुआ। सर्वप्रथम 'चिडावा सेवा समिति' नामक संगठन ने 1921 में शेखावाटी में जनसघर्ष अखिल भारतीय असहयोग आन्दोलन के राजनीतिक प्रभाव के अन्तर्गत आरम्भ किया था। सितम्बर 1921 में चिडावा सेवा समिति ने स्वदेशी वस्त्र पहनने एव विदेशी का बहिष्कार करने शराब की दुकाने बन्द कराने तथा दरबार एव जागीरदारो के आदेशो की अवहेलना करने आदि कार्यक्रमों के आधार पर आन्दोलन आरम्भ किया था। खेतडी के राजा ने जनता के दिमाग पर आतंक स्थापित करने एव चिडावा सेवा समिति के प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से इस आन्दोलन के खिलाफ दमनात्मक उपायो का सहारा लिया। समिति के 40 स्वयं सेवको को गिरफ्तार कर उन्हें अमानवीय व गैर-कानूनी तरीकों से उत्पीडित किया गया। गिरफ्तार लोगो को बिना कोई आरोप लगाए एक

पखवाड़े तक गैर-कानूनी रूप से जेल में बन्दी रखा गया। उनको 'ऑल इण्डिया मारवाड़ी ट्रेडर्स एसोसियेशन' (मारवाड़ी व्यापारी सघ) कलकत्ता तथा बम्बई के हस्तक्षेप के उपरान्त ही रिहा किया गया था। इस समय ताराचन्द डालगिया अखिल भारतीय मारवाड़ी व्यापारी सघ के अध्यक्ष थे एवं बिडावा के मूल निवासी थे। इनके प्रयासों से गवर्नर जनरल के हस्तक्षेप के उपरान्त ही गिरफ्तार लोग रिहा हुए थे।

बिडावा सेवा समिति का आन्दोलन किसान आन्दोलन तो नहीं था, किन्तु इसे शेखावाटी के जनसघर्ष की प्रथम कड़ी कहा जा सकता है। यह प्रथम अवसर था जब जागीरदारों की निरकुश सत्ता को चुनौती दी गई। शेखावाटी के किसानों को इस आन्दोलन से भारी साहस एवं उत्साह प्राप्त हुआ। शेखावाटी के किसान आन्दोलन को मुख्य तौर पर क्रमशः तीन चरणों - प्रथम चरण (1922-1930), द्वितीय चरण (1931-1938) एवं तृतीय चरण (1939-1947) में बाटा जा सकता है।

प्रथम चरण (1922-1930) :

प्रथम चरण में किसान आन्दोलन की शुरुआत सीकर ठिकाने से आरम्भ हुई। 28 जून, 1922 को सीकर ठिकाने के राव राजा माधो सिंह की मृत्यु के बाद उसका भतीजा ठाकुर कल्याण सिंह 36 वर्ष की आयु में सीकर के राव राजा पद पर आसीन हुआ था। नए राव राजा कल्याण सिंह ने मृत राव राजा के मृत्यु सस्कार एवं अपनी गद्दी नशीनी के समारोहों में अधिक राशि व्यय होने के बहाने से प्रचलित भू-राजस्व दर में सवाई अथवा डेट गुनी वृद्धि कर दी थी। किसानों ने भू-राजस्व में वृद्धि का विरोध करते हुए भू-राजस्व न देने का निर्णय किया। इस पर किसानों को ठिकाने के दमनात्मक उपायों से मुकाबला करना पड़ रहा था। राव राजा कल्याण सिंह अनुभवहीन व अकुशल प्रशासक था जिससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। निरन्तर दमन और उत्पीड़न, अराजकता, भू-राजस्व की वृद्धि एवं अन्याय से दुखी किसान जनवरी 1925 से जयपुर दरबार एवं अग्रेज रेजीडेन्ट के समक्ष अपना दुखड़ा सुनाने एवं न्याय माँगने हेतु जाते रहे थे। इन किसानों की शिकायत थी कि 'सीकर ठिकाने में कृषि भूमि के मापने के लिए कोई अधिकृत जरीय नहीं है, उपयुक्त भूमि दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, भू-राजस्व की कोई निर्धारित दर नहीं है एवं भू-राजस्व की माँग में निरन्तर वृद्धि होती रहती है तथा भू-राजस्व के अतिरिक्त उन्हें भारी सख्या में अनाधिकृत लाग-बाग देने पर मजबूर किया जाता है एवं भुगतान में असमर्थता व्यक्त करने पर उन्हें काठ में डाल दिया जाता है तथा अनेक तरीकों से उत्पीड़ित किया जाता है एवं उन्हें बलात उनकी जेतों से बेदखल कर दिया जाता है। उनसे बेगार ली जाती है जो दरबार के द्वारा प्रतिबन्धित है। ठिकाने के राजस्व अधिकारी उनसे रिश्वत लेते हैं।' वर्ष 1923 में सीकर के किसानों के प्रतिनिधि मण्डल निरन्तर जयपुर पहुँचते रहे। किसानों की यह भी शिकायत थी कि जब वे जयपुर दरबार के समक्ष अपनी परेशानियाँ प्रस्तुत करने आये तो उन्हें सीकर में अपने गाँवों में लौटने पर गिरफ्तार किया गया एवं बेरहमी से पीटा गया। जयपुर दरबार ने

मजदूर होकर एक अग्रेज अधिकारी को सीकर जाकर किसानों की शिकायतों की जाँच करने हेतु नियुक्त किया। इस अधिकारी ने जाँच में किसानों की शिकायतों व आरोपों को सही पाया तथा किसानों को आश्वासन दिया कि 1922 में की गई राजस्व की वृद्धि समाप्त कर दी जाएगी एवं भविष्य में भी भू-राजस्व में वृद्धि नहीं की जाएगी। राय राजा ने इस अधिकारी के भू-राजस्व सम्बन्धी समझौते की स्वीकृति प्रदान कर दी।

उपरोक्त समझौता स्थाई नहीं हो सका एवं जनवरी 1924 में अग्रेज अधिकारी की जयपुर वापसी के साथ ही रावराजा ने समझौते का उल्लंघन आरम्भ कर दिया। कुल मिलाकर यह समझौता भंग हो गया था। राजस्थान रोमा सघ के नेता राम नारायण चौधरी ने 1922 में बिजौलिया के समझौते के बाद सीकर को अपना कार्य क्षेत्र बना लिया था। चौधरी ने "तरुण राजस्थान" समाचार पत्र में सीकर के किसानों के पक्ष में प्रभावी वातावरण उत्पन्न किया। रामनारायण चौधरी का यह कार्य राजस्थान एवं भारत तक ही सीमित नहीं था। उसने लंदन से प्रकाशित होने वाले "डेली हेराल्ड" नामक पत्र में भी सीकर के किसानों की समस्याओं के सन्दर्भ में लेख लिखे एवं इंग्लैण्ड में भी सीकर के किसानों के समर्थन में वातावरण तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया।⁸ इतना ही नहीं बल्कि उसके प्रयासों से मई 1925 में इंग्लैण्ड के हाऊस ऑफ कॉमन्स में सदस्य मि० पैट्रिक लारेन्स ने सीकर के किसानों के मामले में प्रश्न पूछा।⁹ लंदन स्थित भारत सचिव को मजदूर होकर भारत सरकार के राजनीतिक सचिव को जाँच पड़ताल के आदेश देने पड़े। इस घटना ने सीकर के किसानों के हित में प्रभावी माहौल उत्पन्न किया। इंग्लैण्ड की संसद में प्रश्न उठने के उपरान्त सीकर के रावराजा ने 1925 में ही किसानों की शिकायतों के एक जाँच आयोग के गठन का भी नाटक रचा। इस जाँच आयोग में सीकर ठिकाने के चार अधिकारी व आठ किसान मुखियाओं (चौधरी-पटेल) को सम्मिलित किया गया। इस आयोग ने एक ओर मुख्यालय पर किसानों से शिकायतें एवं सुझाव आमंत्रित किए वहीं दूसरी ओर सीकर के भू-भागों का दौरा भी किया।¹⁰ इस आयोग से कुछ होने वाला तो नहीं था किन्तु किसानों में इसके गठन से भारी चेतना व उत्साह का संचार अवश्य हुआ।

अक्टूबर 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन अजमेर के समीप पुष्कर में आयोजित हुआ था।¹¹ इस सम्मेलन में शेखावाटी के जाट किसान भी भारी संख्या में सम्मिलित हुए थे एवं वहाँ से विशेष उत्साह लेकर लौटे थे। शेखावाटी में भी जाट सभा का गठन किया गया।¹² इस प्रकार जातीय आधार पर शेखावाटी में किसान संगठन आरम्भ हुआ। सन् 1925 का वर्ष शेखावाटी के किसान आन्दोलन का महत्वपूर्ण वर्ष था। सीकर में 1925 के जाँच आयोग के अनुसार भूमि की पैदाइश एवं बन्दोबस्त का कार्य आरम्भ हो गया था। सीकर के किसानों की प्रारम्भिक सफलता से उत्साहित होकर दिसम्बर, 1925 में शेखावाटी के अन्य ठिकानों मुख्यत

मण्डावा, डूडलोद, बिसाऊ एवं नवलगढ के किसानों ने अधिक राजस्व लागू-बाग बेगार, कृषि विकास शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के सन्दर्भ में ठिकानों व शेखावाटी के नाजिम के समक्ष अपनी माँगें रखना आरम्भ कर दिया।¹³ इस अभियान ने जागीरदारों को भयभीत कर दिया था। मण्डावा के ठाकुर इन्द्र सिंह ने 10 दिसम्बर 1925 को राज्य कौन्सिल के अध्यक्ष को तार द्वारा स्थिति से अवगत कराया एवं किसान असन्तोष को कुचलने के लिए जयपुर राज्य का समर्थन एवं सहयोग माँगा था। यह तार इस प्रकार था 'सागासी का मुडिया एवं दख्खारपुरा का रामसी जाट नेता मेरी प्रजा में गर्म उत्तेजना फैला रहे हैं एवं लूना हमेरी गोपालपुरा एवं जीसुख का बास गाव में गम्भीर असन्तोष फैला रहे हैं। शान्ति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन आन्दोलनकारियों को कुचलना आवश्यक है इसलिए मेरे ठिकाने ने इनको रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं एवं मेरा पक्का विश्वास है कि आप इनको रोकने हेतु शीघ्र आदेश प्रदान करेंगे।' जयपुर कौन्सिल के अध्यक्ष एल०डब्ल्यू० रेयनॉल्ड ने इस तार पर आदेश करते हुए राज्य के राजस्व मन्त्री को लिखा 'कृपया नाजिम को शीघ्र रिपोर्ट हेतु टेलीग्राम दिया जाए एवं पुत्तिस महानिरीक्षक से मिला जाए। या तो वह स्वयं वहाँ जाए अथवा किसी विश्वसनीय अधिकारी को भेजें। मैं ठिकाने को तब तक सहायता पहुँचाने नहीं जा रहा जब तक कि मुझे विश्वास न हो जाए कि ठिकाना सही है।'¹⁴

ठिकाना मण्डावा के तार पर जाँच की गई तो किसानों के पक्ष को राही माना गया तथा ठिकाने की शिकायत को अनुपयुक्त पाया गया।¹⁵ किसान संघर्ष का विस्तार हो रहा था। कुछ ही समय उपरान्त 17 दिसम्बर, 1925 को डूडलोद के ठाकुर हरनाथ सिंह ने भी मण्डावा के ठाकुर की तरह जयपुर राज्य कौन्सिल के अध्यक्ष को पत्र लिखा था एवं जयपुर राज्य से सहायता एवं समर्थन की माँग की थी। राज्य की ओर से ठिकानों को सहायता एवं समर्थन नहीं मिल रहा था। जयपुर राज्य कौन्सिल का अध्यक्ष मामले की पूरी जाँच किए बिना कुछ करना नहीं चाहता था।¹⁶ अभी तार की जाँच ठिकानों के स्थान पर किसानों के पक्ष में थी। शेखावाटी के नाजिम ने बतौर सावधानी के कुछ कानूनी कदम अवश्य उठाए। 15 दिसम्बर 1925 को नाजिम ने शेखावाटी जाट सभा के अध्यक्ष रामसिंह उपाध्यक्ष भूड़ा जाट एवं सचिव रतनसिंह को अपनी अदालत में तलब किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हम समाज सुधार के कार्य में लगे हैं एवं हमने ठिकानों द्वारा किसानों के उत्पीड़न के विरुद्ध राज्य की अदालत में शिकायत की है। हमारा इरादा किसी को भड़काना एवं उकसाना नहीं है। नाजिम ने उन्हें आदेश दिया कि यदि वे भविष्य में किसी को भड़काएँगे तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। नाजिम ने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से पाँच-पाँच सौ रुपए के मुचलके भी लिए।¹⁷

जयपुर राज्य कौन्सिल के अध्यक्ष ने जयपुर राज्य के परिचयी सम्भाग के दीवान को शेखावाटी के ठिकानों की माँके पर जाकर जाँच करने हेतु 19 दिसम्बर

1925 को आदेश प्रदान किए। जाटों की मुख्य शिकायतें व माँगें निम्नानुसार थीं—

- 1 पहले भू-राजस्व की दर दो आना से आठ आना प्रति बीघा के मध्य थी किन्तु 25 वर्षों के दौरान ठिकानों चौधरियों के साथ मिली भगत से राजस्व की दर 2 रुपये 8 आना प्रति बीघा तक बिना भूमि की उत्पादकता को ध्यान में रखे बढ़ा दी है एवं इसे बलपूर्वक वसूल किया जाता है।
- 2 यहाँ कोई निश्चित राजस्व की दर नहीं है एवं ठिकाने स्वेच्छा से किसानों पर अपनी इच्छा से कर लाद देते हैं।
- 3 जाटों को अपनी जोतो पर किसी प्रकार के अधिकार नहीं हैं एवं उन्हें उनकी जोतो से बेदखल कर दिया जाता है। ठिकाना कभी भी इन जमीनों को बेच सकता है व गिरवी रख सकता है तथा ठिकानो का प्राकृतिक उत्पादों व वृक्षों पर पूरा अधिकार रहता है।
- 4 ठिकाने राजस्व समझौते का पालन नहीं करते हैं यदि फसल अच्छी हो जाती है तो समझौते द्वारा पहले से निर्धारित राजस्व की राशि में वृद्धि कर दी जाती है एवं फसल बिगड़ जाने पर कोई छूट दिए बिना पूर्व समझौते के अन्तर्गत निर्धारित राजस्व की राशि वसूल कर ली जाती है।
- 5 ठिकाने तीन रुपये आठ आना प्रति वर्ष खूँटा बन्दी एवं छ आना पान चराई (प्रत्येक किसान से) राजस्व के अतिरिक्त वसूल करते हैं एवं किसानों को उसके भुगतानों की कोई रसीद नहीं दी जाती है।
- 6 जाटों की माग थी कि ठिकानों द्वारा केवल वास्तविक राजस्व नकदी में लिया जाना चाहिए। राजस्व की दर दो आना से आठ आना के बीच भूमि के स्वरूप के आधार पर निर्धारित की जाए एवं कोई अतिरिक्त लागू-बाग न ली जाए। उन्हें जोतों से बेदखल न किया जाए एवं उन्हें भूमि का स्वामित्व प्रदान किया जाए।

उपरोक्त बिन्दुओं की जाँच किसानों के पक्ष में थी। जयपुर राज्य कौन्सिल ने शेखावाटी के ठाकुरों को सलाह दी कि वे किसानों को सभी भुगतानों की नियमित रसीदें जारी करते रहें एवं किसानों के प्रति अपने व्यवहार में शालीनता बरते। उन्हें आगे सलाह दी गई कि वे अपने हित में किसानों की शिकायतों पर पूर्ण विचार कर उन्हें शीघ्र दूर करें एवं भविष्य में कृषि की शर्तें मित्रतापूर्ण तरीके से निर्धारित करें।² इस सलाह पर खेतड़ी मण्डावा, झुडलोद, बिसाऊ आदि ठिकानों ने जून 1926 में भू-राजस्व में वृद्धि न करने की घोषणा की।³

सीकर के किसानों के साथ 1925 में हुए समझौते के अनुसार सीकर ठिकाने में भूमि की पैमाइश एवं बन्दोबस्त कार्य चल रहा था। सीकर ठिकाने का किमान सघर्ष सम्पूर्ण शेखावाटी के ठिकानों के किसान आन्दोलन का अंगुवा था। शेखावाटी के अन्य ठिकानों के किसानों की उपलब्धियाँ 1926 तक सीकर के किसानों के समान ही थीं। कुछ ठाकुरों की घोषणा मात्र से इनका आन्दोलन स्थगित हो गया था। वे इस

बात के इतजार में थे कि सीकर के किसानों को 1925 के समझौते के अनुसार होने वाले भूमि बन्दोबस्त में क्या मिलने वाला है?²

सीकर के राजस्व अधिकारियों ने 1925 से 1928 के मध्य भूमि बन्दोबस्त के नाटक के माध्यम से किसानों को शान्त रखने में सफलता प्राप्त की। अप्रैल 1928 से सीकर के किसानों ने ठिकाने के खिलाफ जयपुर राज्य कौन्सिल के अध्यक्ष एवं अन्य अधिकारियों को पुनः शिकायतें करना आरम्भ कर दिया था। किसानों की शिकायतें थीं कि भूमि बन्दोबस्त का कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो रहा था तथा बन्दोबस्त कर्मचारियों का व्यवहार भी किसानों के साथ सम्मानजनक नहीं था। इतना ही नहीं बल्कि भू-राजस्व में वृद्धि भी कर दी गई थी।³ इन शिकायतों के आधार पर जयपुर राज्य कौन्सिल का अध्यक्ष सीकर ठिकाने पर दबाव डाल रहा था कि किसानों की न्यायोचित माँगों को अविलम्ब मान लिया जाए। सीकर के सीनियर आफिसर ने इस सन्दर्भ में कुछ स्पष्टीकरण दिया जिससे जयपुर कौन्सिल का अध्यक्ष सन्तुष्ट नहीं था। वास्तविकता यह थी कि सीकर में दो आना प्रति बीघा की दर से भू-राजस्व में वृद्धि की गई थी जिससे ठिकाने द्वारा अस्थाई वृद्धि बताया जा रहा था जिसका कारण अच्छी फसल का होना था। किसान अपने पुराने अनुभवों के आधार पर आशंकित थे कि यह अस्थाई वृद्धि एक बहाना है जबकि ठिकाने की इच्छा प्रतिवर्ष भू-राजस्व में वृद्धि की है। 31 मई 1928 को जयपुर राज्य कौन्सिल के अध्यक्ष ने सीकर ठिकाने के सीनियर आफिसर को पत्र लिखा जो इस प्रकार था—

“इन लोगों (किसानों) की निरन्तर शिकायतें इस मान्यता को आधार प्रदान करती हैं कि उनकी शिकायतें निराधार नहीं हैं, सीकर ठिकाने को अच्छी सलाह है कि वह इन शिकायतों से अविलम्ब निपटें। इन ग्रामीणों का कथन सही है कि भू-राजस्व की वृद्धि को अधिकारियों ने स्वीकार किया है, जो ठिकाने से नियुक्ति पाते हैं भू-राजस्व की वृद्धि को इन ग्रामीणों के द्वारा स्वीकृत नहीं कहा जा सकता। भू-राजस्व की माँग में मनमानी अस्थाई वृद्धि एक चालाकी है, जो नाम मात्र की है। स्वाभाविक तौर पर यह अत्यधिक अवाञ्छनीय है।”

उपरोक्त पत्र के पुराना बाद भू-राजस्व की वृद्धि को समाप्त कर दिया गया किन्तु किसानों की भूमि बन्दोबस्त सम्बन्धी शिकायतों पर कोई विचार नहीं किया गया था। 1930 के अन्त तक सीकर का किसान संघर्ष सतत रूप से चलता रहा। सीकर के अतिरिक्त अन्य ठिकानों के किसान भी 1926 की मात्र घोषणाओं से सन्तुष्ट नहीं थे एवं उनका असन्तोष भी बढ़ता जा रहा था। शेखावाटी के किसान आन्दोलन के प्रथम चरण (1922-30) का मूल्यांकन करें तो पाते हैं कि 1925-26 का वर्ष किसानों की भारी उपलब्धियों का वर्ष था। किन्तु ये उपलब्धियाँ क्षणिक मात्र सिद्ध हुईं। ठिकानों द्वारा किसानों को दी गई राहतें ऊपर के दबाव का परिणाम थीं एवं ठिकानों ने इन्हें मन से स्वीकार नहीं किया था। ठिकाने इतनी आसानी से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले नहीं थे। सदियों से चला आ रहा सामन्तवाद आसानी से पराजय

स्वीकार करने वाला नहीं था। किसानों व जागीरदारों के बीच व्याप्त अन्तर्विरोध मित्रतापूर्ण न होकर शत्रुतापूर्ण था जिसकी समाप्ति शान्ति के स्थान पर सघर्ष से ही सम्भव थी। प्रथम चरण इस सघर्ष का आरम्भ था जिसके दौरान किसान-सामन्त अन्तर्विरोध और तीव्र हो गए थे।

द्वितीय चरण (1931-1938)

सन् 1930 के पश्चात् भारत में भारी राजनीतिक उथल-पुथल आरम्भ हुई जिसकी पृष्ठभूमि में अनेक कारण थे। बदलते परिवेश में कांग्रेस की शिथिलता टूटी एव इसकी सक्रियता में भारी वृद्धि हुई। सन् 1923 के लाहौर सम्मेलन में कांग्रेस में भारी गरमा-गरमी थी। 26 जनवरी, 1930 को अंग्रेजों की खुली आलोचना का स्वर कांग्रेस के मंच से गूँजा। ब्रिटिश राज्य की आलोचना में कहा गया कि इसने (अंग्रेजी राज्य) भारत को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एव आध्यात्मिक रूप से कुचलकर बरबाद कर दिया है। अधिक समय तक ऐसे पापी राज्य के समक्ष आत्मसमर्पण मानव एव भगवान के विरुद्ध अपराध है। इस मंच से करबदी आन्दोलन सहित सविनय अवज्ञा का आह्वान भी कर दिया गया। शेखावाटी का किसान आन्दोलन कांग्रेस से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं रखता था किन्तु कांग्रेस का देशव्यापी आन्दोलन यहाँ के किसानों की प्रेरणा का स्रोत अवश्य था। महात्मा गाँधी ने 12 मार्च 1930 को दाण्डी यात्रा द्वारा सविनय अवज्ञा आन्दोलन विधिवत रूप से आरम्भ किया। इस आन्दोलन ने भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग में नई चेतना का संचार किया था। शेखावाटी के किसान जो सामन्तवाद के विरुद्ध सघर्ष छेड़ चुके थे, सन् 1930 के बाद अधिक साहस से उस सघर्ष का संचालन करने में मानसिक रूप से सक्षम हो गए थे। यहाँ के किसानों पर रूस की समाजवादी क्रान्ति एव कांग्रेस की अहिंसावादी नीति दोनों विचारधाराओं का प्रभाव समान रूप से पड़ा था। अतः वे सक्रिय विरोध के साथ-साथ निष्क्रिय विरोध का सहारा समान रूप से लेते रहे।

शेखावाटी के अन्य ठिकानों की किसान गतिविधियों का केन्द्र मण्डावा ठिकाना बनता जा रहा था। इन ठिकानों के किसान कांग्रेस के आन्दोलन से प्रभावित होकर अपने नए आन्दोलन की भूमिका तैयार कर रहे थे व अप्रैल 1930 को मण्डावा के ठाकुर इन्द्रसिंह ने जयपुर राज्य कौन्सिल के अध्यक्ष मि० बी०जे० ग्लान्सी को इस सन्दर्भ में एक पत्र लिखा जिसमें उल्लेख किया गया कि आपको शायद पुराने दस्तावेजों से ज्ञात होगा कि 1925 में कुछ अशान्तिकारक तत्त्वों ने शेखावाटी में एक आन्दोलन संचालित किया था जिसके पीछे शिकायतों का कोई उपयुक्त आधार नहीं था। उस समय मामले ने इतना गम्भीर मोड़ लिया था कि जनता की शान्ति एव व्यवस्था खतरे में पड़ गई थी। ब्रिटिश भारत का वर्तमान राजनीतिक माहौल हम सब जानते हैं, जिसका प्रभाव शेखावाटी के किसानों पर दिख रहा है। पुराने अशान्तिकारक तत्त्वों ने पुनः अपनी गतिविधियाँ आरम्भ कर दी हैं। ब्रिटिश भारत का रतन सिंह

वी०ए० वर्तमान में पिलानी में, खेतड़ी के वख्तावरपुर का रामसिंह वर्तमान में जाट वॉर्डिंग हाउस पिलानी, सागासी का भूडाराम एव अन्य देवी वक्सा सराफ के नेतृत्व में सम्पूर्ण शेखावाटी में राजनीतिक रोग फैला रहे हैं तथा ब्रिटिश भारत के आन्दोलनकारियों के तर्कों के आधार पर भोले किसानों को उत्तेजित कर रहे हैं। राज्य की सहायता के बिना अकेला ठिकाना इस आन्दोलन को दबाने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाने में सक्षम नहीं होगा। अतः इस खतरे को टालने की दृष्टि से आपकी सहायता की याचना करते हुए मैंने समय पर सूचित कर दिया है। क्या आप मुझे इससे अवगत करवाएँगे कि आपने इस मामले में क्या कार्यवाही की है? जयपुर राज्य कौन्सिल के अध्यक्ष ने शेखावाटी के पुलिस अधीक्षक को इस पत्र के आधार पर स्थिति की जांच के आदेश दिए। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार स्थिति अधिक गम्भीर नहीं थी। उसने अध्यक्ष को आश्चर्य किया कि वह शेखावाटी के किसानों पर निरन्तर नजर रखेगा एव यदि कोई शान्ति भंग करने के प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।”

सीकर के किसानों में असन्तोष बढ़ता जा रहा था। 1925-28 के बीच सीकर के किसानों को जो कुछ राहत प्रदान की थी उसे पुनः छीन लिया गया था। अक्टूबर, 1930 में जयपुर का महाराजा मानसिंह इंग्लैण्ड से लौट आया था एव उसे शीघ्र शासन के पूर्ण अधिकार दिए जाने की सम्भावना थी। सीकर ठिकाने की मान्यता थी कि अंग्रेजी शासन ने उसकी स्थिति अपमानजनक बना दी थी एव अब जयपुर महाराजा उसकी मान-प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करेंगे। किसान भी इस स्थिति से उत्साहित थे। अतः किसानों ने दिसम्बर, 1930 के अन्तिम सप्ताह में जयपुर दरवार के समक्ष सत्याग्रह आरम्भ किया। 400 किसानों का जत्था जयपुर के अनेक अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत होकर अपनी समस्याओं के सम्बन्ध में ज्ञापन दे चुका था। अन्त में इस जत्थे ने जयपुर राज्य कौन्सिल के अध्यक्ष को ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें लिखा था कि अब वर्तमान रावराजा के समय बाला वक्सा, श्योसिंह एव किशोर सिंह मुराहिबा की इच्छा ही सीकर का शासन है। राव राजा इन्हीं व्यक्तियों के हाथों पूर्णतः नियन्त्रित हैं एव वे सभी निष्पक्ष व दुष्ट हैं। उनकी शिक्षाओं के दुष्परिणाम सीकर की जनता को रही है। इन लोगों ने जमीन 72 हाथ से केवल 50 हाथ सीमित कर दी है एव यहाँ कर वसूली की कोई निरिक्त दर नहीं है। यह उनकी मधुर इच्छा से वसूल किया जाता है। अनेक मामलों में यह (राजस्व) दो रुपये ग्रीष्म की दर से वसूल की गई है। ठिकाना असाहनीय बढ़ी हुई दरों पर करों की वसूली बलपूर्वक कर रहा है, जैसे वे हमें वृक्षां पर लटकते हैं हमें पीटते हैं एव सभी प्रकार के अत्याचार करते हैं। इस दुर्व्यवहार से हम आकर हम (लगभग 400 किसान) सीकर से पिछली रात भाग आए हैं एव आपके समक्ष प्रतिनिधि मण्डल के रूप में अपनी शिकायतें पेश कर रहे हैं। हम आपसे सीकर में तुरन्त सामान्य स्थिति कायम करने की प्रार्थना करते हैं एव हमें हमारे वर्तमान घरों से उजड़ने से बचाएँ। लगभग 500 किसान पहले ही अपने घरों को बीरान कर बीरानेर एव जोधपुर राज्यों की ओर घले गए हैं।”

जयपुर राज्य कौन्सिल के अध्यक्ष ने किसानों को उनकी मागों पर शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन देकर सीकर लौटने की सलाह दी। किसानों को आशका थी कि लौटने पर उन्हें ठिकाना विभिन्न यातनाओं द्वारा तग करेगा। अतः किसानों ने तब तक जयपुर से नहीं लौटने का निर्णय लिया जब तक कि दरवार द्वारा उनकी माँगों को स्वीकार करते हुए उनको सुरक्षा का आश्वासन न मिल जाए। किसानों ने महाराजा के रास्ते में लेटकर सत्याग्रह आरम्भ कर दिया था।¹ जयपुर सरकार ने 1 अप्रैल, 1931 को किसानों को आदेश दिया कि वे 24 घण्टे के अन्तर्गत जयपुर छोड़ दें वरना उन पर जयपुर पैनल कोड की धारा 177 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जायेगा।² दूसरी ओर किसानों की समस्याओं के सम्बन्ध में जयपुर राज्य कौन्सिल के राजस्व सदस्य मि० सी० एल० एलेक्जेंडर से राय माँगी। उसने अपनी राय देते हुए स्पष्ट किया कि 'रावराजा ने प्रतिवर्ष राजस्व निर्धारित करने का एक मनमानी तरीका सृजित किया है और यह दिखाई देता है कि 287 गावों में से 220 गावों में राव राजा ने पिछले वर्षों के सामान्य राजस्व से अधिक राजस्व (रुपये पर दो आना या चार आना) इस वर्ष में प्रस्तावित किया है जब कम वर्षों तथा मूल्यों में गिरावट आई है तथा जयपुर राज्य एवं अन्य सरकारों, सामान्य राजस्व वसूल करने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं।'³ जयपुर राज्य की ओर से 13 अप्रैल 1931 को सीकर में एक भूमि बन्दोबस्त अधिकारी की नियुक्ति की गई। 16 अप्रैल, 1931 को सीकर का रावराजा जयपुर महाराजा से मिला।⁴ महाराजा ने रावराजा को सलाह दी कि 'किसानों को रुपये में दो आना की छूट दी जाए, यह कि सीनियर आफिसर को राजस्व कार्य का भार सम्भालना चाहिए कुवर किशोर सिंह इसका कार्यभार सीनियर ऑफिसर को सौंप दे।'⁵ सीकर के किसानों की यह पुनः भारी विजय थी। उन्हें भू-राजस्व की दर में तो छूट मिल गई थी किन्तु साथ ही सीकर के बदनाम राजस्व अधिकारी किशोर सिंह को पद मुक्त करना बहुत बड़ी घटना थी क्योंकि वह सीकर के रावराजा का चचेरा भाई था। वास्तव में यह किसानों की सांकेतिक विजय ही साबित हुई क्योंकि किशोर सिंह को तो पद मुक्त कर दिया गया था किन्तु अन्य शिकायतों को दूर नहीं किया गया एवं किसान लगातार जयपुर राज्य को अपनी अर्जियाँ समय-समय पर भेजते रहे। कुल मिलाकर यथास्थिति ही चल रही थी।

11-13 फरवरी 1932 में बसन्त पंचमी के अवसर पर झुझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के तेइसवें अधिवेशन के आयोजन से शेखावाटी के किसान आन्दोलन के इतिहास में नए युग का आरम्भ हुआ। इस अधिवेशन में लगभग 60 हजार स्त्री पुरुषों ने भाग लिया था। इस सभा ने सामाजिक एवं आर्थिक दोनों ही मुद्दों पर विचार करते हुए निम्नलिखित प्रस्ताव पास किए थे—

1 इस क्षेत्र (शेखावाटी) के जाटों को स्नेह एवं भाई चारे से सगठित हो जाना चाहिए।

- 2 जाटों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से उच्च शिक्षा के लिए स्कूल भेजे।
- 3 सभी जाटों के अच्छे नाम रखे जाने चाहिए एव वे अपने नामों के पीछे सिंह जोड़े।
- 4 सभी जाट बच्चों को यज्ञोपवीत पहनना चाहिए।
- 5 जाटों में बाल विवाह पर रोक लगाई जाए।
- 6 शादी एव गहनो पर कम धन व्यय किया जाना चाहिए।

उपरोक्त सामाजिक प्रस्तावों के अतिरिक्त अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर निम्नलिखित प्रस्ताव भी पास हुए -

- 1 सभा महाराजा द्वारा राजस्व में दी गई छूट के लिए घन्यवाद ज्ञापित करती है।
- 2 सभा महाराज से निवेदन करती है कि वह अपने जागीरदारों को आदेश दे कि वे भू-राजस्व पुरानी दरों के आधार पर ही लें।
- 3 सभा ठिकानेदारों से आग्रह करती है कि वे प्रतिवर्ष अपने राजस्व की 5 प्रतिशत राशि शिक्षा एव स्वास्थ्य पर खर्च करें।
- 4 सभा जयपुर महाराजा से प्रार्थना करती है कि पिछले दो वर्षों से अकाल की मार एव अनाज के मूल्यों में गिरावट को ध्यान में रखते हुए सभी दीवानी मुकदमों की कुर्की को समाप्त करें।
- 5 सभा आगे जयपुर महाराजा से सहयोगी बैंकों की स्थापना का निवेदन करती है, जिससे किसान ब्याज की बरबाद करने वाली दरों से बच सकें।
- 6 जयपुर दरवार की भाषा उर्दू के स्थान पर हिन्दी को बनाया जाए।

सीकर के किसानों ने झुझुनू के जाट सम्मेलन से प्रेरणा लेकर पलथाना में सितम्बर, 1933 में जाट सभा का आयोजन किया था।¹⁹ इस सभा में सीकर में जाट महायज्ञ आयोजित करने का फैसला किया गया। इस उद्देश्य हेतु सीकर में एक कार्यालय खोला गया एव ठिकाने की अनुमति के बिना महायज्ञ की तैयारिया आरम्भ की। जाटों की मान्यता थी कि यह शुद्ध रूप से एक सामाजिक आयोजन था तथा अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं थी, किन्तु कुछ समय पश्चात् ठिकाने के अधिकारियों के प्रयासों से जाट महायज्ञ की अनुमति लेने पर सहमत हुए। सीकर में 20 से 26 जनवरी, 1934 को जाट महायज्ञ का आयोजन हुआ।²⁰ जाटों ने ठिकाने से अपने महायज्ञ के अध्यक्ष का हाथी पर जुलूस निकालने के लिए हाथी मांगा।²¹ ठिकाने ने हाथी देने से इकार कर दिया क्योंकि यह उस समय की परम्परा एव ठिकाने की नीति के विरुद्ध था। जाटों ने ठिकाने की मनाही को बढ़ी गम्भीरता से लिया एव हाथी के मुद्दे पर इनके सम्बन्ध ठिकाने से काफी कटु हो गए थे। महायज्ञ के सहायक आयोजनों में ठिकाने के प्रति कटुता दिखाते हुए उत्तेजनापूर्ण भाषण दिए गए। सगाज सुभार के घोष में वर्ग कटुता एव वर्ग घृणा को बढ़ावा मिला, जिससे किसान आन्दोलन के अधिक तीव्र एव तीछे होने की सम्भावना बनी। जाटों के उभार को

कुचलने के लिए 26 जनवरी 1934 को ठिकाने ने एक आदेश द्वारा महायज्ञ समिति के सचिव मास्टर चन्द्रभान सिंह को अपराध प्रक्रिया संहिता (सी०पी०सी०) की धारा 144 के तहत 16 घण्टे के अर्न्तगत सीकर छोड़ने का आदेश दिया। इन आदेशों की अवहेलना के अपराध में मास्टर चन्द्रभान सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया एवं जयपुर पैनल कोड की धारा 177 के तहत मुकदमा घलाकर उसे 6 सप्ताह की कैद एवं 51 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया गया।¹⁰ जाट किसानों ने सीकर ठिकाने की इस कठोरता का बलपूर्वक विरोध किया एवं इसके विरोध में करबन्दी अभियान आरम्भ कर दिया। इस प्रकार सीकर महायज्ञ के उपरान्त ही सीकर के किसानों के संघर्ष का नया अध्याय आरम्भ हुआ।

फरवरी 1934 के पहले सप्ताह में सैंकड़ों की संख्या में सीकर के किसान जयपुर पहुँचे। लगभग 200 किसानों के शिष्टमण्डल ने 18 फरवरी 1934 को अपनी शिकायत एवं माँग पत्र जयपुर राज्य कौन्सिल के उपाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया। यह माग पत्र निम्नानुसार था¹¹ -

- 1 भूमि की किस्म जलवायु आदि के आधार पर भू-राजस्व स्थाई रूप से निर्धारित किया जाए।
- 2 अकाल अथवा सूखा के कारण उत्पादन में गिरावट या बाजार में कृषि उत्पादन के मूल्य में गिरावट की स्थिति में निर्धारित भू-राजस्व में छूट का प्रावधान रखा जाए।
- 3 भू-राजस्व के अतिरिक्त सभी लग्न बागों को अवैध घोषित किया जाए।
- 4 बेगार, जिसे सम्पूर्ण सभ्य सत्सार में बर्बर युग का चिन्ह माना जाता है को प्रचलित सभी रूपों में समाप्त किया जाए।
- 5 काठ में डालने की सजा जो सभ्य राष्ट्रों की दृष्टि में निन्दनीय है, को समाप्त किया जाए।
- 6 गाव के छोटे विवादों को निपटाने का न्यायिक अधिकार ग्राम पंचायतों को सौंपा जाए।
- 7 ठिकाने की कुल आय का कम से कम आठवा भाग किसान पंचायत के माध्यम से किसानों की शिक्षा पर व्यय किया जाए।
- 8 राज्य (जयपुर राज्य) के अतिरिक्त ठिकानों द्वारा ली जाने वाली कस्टम ड्यूटी (सीमा शुल्क या चुगी) समाप्त की जाए।
- 9 अन्य समुदायों की तुलना में जाटों के सामाजिक स्तर एवं उनके हितों के विपरीत आदेशों तथा दुराग्रहपूर्ण आचरण को समाप्त किया जाए।
- 10 जाटों को बड़ी सामाजिक स्तर एवं अन्य विशेषाधिकार प्रदान किए जाएँ जो राजपूतों को प्राप्त हैं।
- 11 ठिकाने की नौकरियों में जाटों को प्राथमिकता एवं उत्साह प्रदान किया जाए।

- 12 यदि कार्यकारी शक्तियाँ ठिकाने के पास रहती है तो न्यायिक शक्तियाँ राज्य के सीधे नियंत्रण में रहनी चाहिए दोनों शक्तियों का एक ही व्यक्ति के हाथ में रहना न्याय एव तर्क के सिद्धान्त के खिलाफ है एव यह हमारे ठिकाने में एक विसंगति बन चुकी है।
- 13 यदि किसी कारणवश इन माँगों को मानना कठिन प्रतीत होता है तो नवगठित चुनी हुई पचायत जिसमें सीकर के निवासी सभी समुदायों की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व हो की सलाह पर ठिकाना इन पर विचार करें।
- 14 मास्टर चन्द्रभान सिंह को बिना शर्त रिहा किया जाए।

किसानों ने जयपुर सरकार पर लफातार दबाव बनाए रखा जिससे मजबूर होकर सरकार ने सीकर के रावराजा को इनकी माँगों पर शीघ्र विचार करने का निर्देश दिया। इसके परिणामस्वरूप अगस्त, 1934 में सीकर ठिकाने ने निम्नलिखित सुधारों की घोषणा की¹⁰ -

- 1 लागू-बाग समाप्ति-किसानों पर सभी लागू-बाग समाप्त की जाती है।
- 2 सीकर ठिकाने की खालसा भूमि पर जयपुर राज्य के कानून लागू होंगे।
- 3 हिन्दी-जनता एव प्रशासन के मध्य पत्र व्यवहार हिन्दी में होंगे।
- 4 आन्तरिक चुगी भविष्य में एक गाव से दूसरे गाव आने जाने वाली वस्तुओं पर कोई चुगी नहीं लगेगी।
- 5 लगान सन् 1991(1934 ई०) के बाद लगान की एक निश्चित समय के लिए दर निर्धारित कर दी जाएगी एव यह दर सीकर जाट पचायत के साथ बातचीत करके निर्धारित होगी। भूमि का वर्गीकरण जितनी जल्दी सम्भव हो सकेगा किया जायेगा एव इस वर्गीकरण का उल्लेख किसानों के पट्टे में किया जायेगा।
- 6 किसान हितों से सम्बन्धित मामलों पर सीनियर आफिसर को सलाह देने के लिए सीकर जाट पचायत प्रत्येक तहसील में दो या तीन किसान प्रतिनिधियों की समिति का गठन करें।
- 7 बेगार-सभी बेगार समाप्त की जाती है।
- 8 शिक्षा- यह स्पष्ट रूप से समझा जाए कि सीकर ठिकाने द्वारा संचालित एव सहायता प्राप्त विद्यालय तथा छात्रवृत्तियाँ बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के सभी को उपलब्ध होंगी।
- 9 गौचारा भूमि-गौचारा भूमि का निःशुल्क उपयोग करने का अधिकार सभी को है।
- 10 यह अत्यधिक अवांछित है कि सीकर में भू-राजस्व की विभिन्न दरें हैं। यह भविष्य के लिए सूचित किया जाता है कि जागीरदार, बंधदार एव अन्य अपने किसानों से उरासे अधिक दर पर पर भू-राजस्व वसूल नहीं कर सकते जो सीकर प्रशासन अपने किसानों से लेता है। किसानों, जागीरदारों, बंधदारों एव अन्य के बीच अगर विवाद होता है तो राजस्व न्यायालय ही उनका निपटारा करेगा।

याँदे लगान वसूल करने में भू-स्वामी अथवा सीकर के कर्मचारी अवैध तरीकों (काठ में डालना पेड़ों पर लटकाना आदि) का सहारा लेगे तो उन्हें गम्भीर सजा दी जायेगी। इस स्थिति में जागीरदारों एवं अन्य भू-स्वामियों की जमीन भी जब्त की जा सकती है।

- 11 नजरें (भेंट या उपहार) यह आरोप लगाया गया है कि सीकर के अधिकारी एवं भूमियाँ विभिन्न अवसरों पर नजर लेते हैं। यह पूर्णतः प्रतिबन्धित है। जनता को इनके न देने हेतु निवेदन किया जाता है।
- 12 स्वास्थ्य-गाँवों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सुविधायें अविलम्ब उपलब्ध करवायी जायेगी।

जाटों ने इन सुधारों को स्वीकार करने से इकार कर दिया किन्तु कुछ अतिरिक्त राजस्व की छूट एवं सीनियर आफिसर के भारी प्रयासों के बाद किसानों ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इसे सीकर के किसान आन्दोलन का एक पड़ाव कहा जा सकता है।

शेखावाटी के अन्य ठिकानों खेतड़ी डूडलोद नवलगढ़ बिसाऊ सूरजगढ़ ईसमाइलपुर, दिरवा, जाखारा मडरेला खण्डेला मलसीसर, पाटन आदि में भी किसान आन्दोलन चल रहे थे। सीकर के किसानों की तर्ज पर इन ठिकानों में मार्च 1934 में करबन्दी अभियान आरम्भ किया गया था। इन ठिकानों के किसानों को हतोत्साहित करने के ध्येय से गावों पर जागीरदारों ने आक्रमण आरम्भ कर दिए थे जिनका किसानों ने साहस के साथ मुकाबला किया।

सर्वप्रथम हिरवा ठिकाने का हनुमानपुरा गाव जागीरदारों के आक्रमण का शिकार हुआ था। 16 मई 1934 को सायंकाल में जब हनुमानपुरा गाव के अधिकांश पुरुष एक बारात में गए हुए थे तो हिरवा का ठाकुर कल्याण सिंह ऊँटों पर सवार होकर अपने आदमियों सहित यहाँ पहुँचा एवं चौधरी गोविन्द राम के नोहरे में आग लगा दी। गाव इस आग की चपेट में आ गया एवं लगभग 33 घरों को जलाकर राख कर दिया गया। इस आग से हजारों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो गई अनेक बच्चे घायल हो गए, दो गावें जलकर मर गईं एवं चार हरे वृक्ष जलकर राख हो गए थे।¹¹

हनुमानपुरा के समान घटना डूडलोद ठिकाने के जयसिंहपुरा गाव में घटी। 21 जून 1934 को डूडलोद के ठाकुर हरनाथ सिंह के भाई ईश्वर सिंह ने अपने आदमियों के साथ जो लाठी भाले एवं बन्दूकों से लैस थे जयसिंहपुरा के किसानों पर आक्रमण कर दिया जब वे अपने खेतों पर टहल रहे थे। इस घटना में चार लोग (किसान) मारे गए एवं 23 बुरी तरह घायल हुए।¹² ठिकानेदारों की बर्बरता एवं आतंक दिनोदिन बढ़ता जा रहा था तथा किसान इसका साहस के साथ मुकाबला कर रहे थे। 15 सितम्बर, 1934 को शेखावाटी के जाट किसानों ने ढाणी खिचन की एक सभा में भू-राजस्व एवं अन्य लाग-बागों के भुगतान न करने का निर्णय लेते हुए सभी

जाटों को आगाह किया कि यदि कोई भुगतान करेगा तो उसे जाति से बाहर कर दिया जाएगा।¹⁰ इस नए आन्दोलन से पंचपाना ठिकानों के जागीरदार घिबित होकर 1 अक्टूबर, 1934 को जयपुर राज्य कौन्सिल के उपाध्यक्ष से शिष्ट मण्डल के रूप में मिले एवं किसान आंदोलन के दमन की माग की।¹¹ राज्य की ओर से कोई विशेष मदद मिलने के स्थान पर उन्हें समझाया गया कि किसानों के साथ मित्रतापूर्ण समझौता ही किसान आन्दोलन की समस्या का समाधान है।

पंचपाना ठाकुरों के प्रतिनिधि मण्डल के पश्चात् 9 अक्टूबर, 1934 को शेखावाटी के किसानों का एक शिष्ट मण्डल जयपुर राज्य कौन्सिल के उपाध्यक्ष से मिला एवं अपनी मागों व समस्याओं का ज्ञापन निम्नानुसार प्रस्तुत किया¹²—

- 1 ठिकाने साधारण सी गलती पर किसानों को जोत (भूमि) से बेदखल कर देते हैं।
- 2 ठिकाने लगातार भू-राजस्व में वृद्धि कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप पिछले 20 वर्षों में भू-राजस्व की राशि में 100 प्रतिशत या इससे भी अधिक वृद्धि हुई है।
- 3 भूमि की पैगाइश की नाप धीरे-धीरे घटती जा रही है एवं जयपुर राज्य की 165 फीट लोहे की जरीब के स्थान पर यहाँ लगभग 82.50 फीट की सूती रस्सी है।
- 4 यद्यपि राज्य ने बेगार समाप्त कर दी है लेकिन यह अभी भी ठिकानों द्वारा किसी न किसी रूप में ली जाती है।
- 5 भू-राजस्व के अतिरिक्त किसानों को असख्य लाग-बागों का भुगतान करना पड़ता है जिनमें जागीरदारों की शहिया, मेहमान, यात्राएँ, पिकनिक एवं शिकार आदि का खर्चा भी शामिल है।
- 6 फसल एवं किसानों के हलातों के आधार पर भू-राजस्व में कोई छूट नहीं दी जाती है।
- 7 यदि किसान यह अदा करने में असफल रहते हैं तो उन्हें काठ में डाल दिया जाता है एवं उन्हें सभी प्रकार से उत्पीड़ित किया जाता है।
- 8 जकात या घुगी शुल्क सभी प्रकार के आयात एवं निर्यातों पर लगता है एवं इसमें वे मद भी शामिल है जिन पर राज्य की ओर से छूट है।
- 9 भू-राजस्व एवं अन्य भुगतानों की कोई रसीदे नहीं दी जाती है।
- 10 पंचपाना ठिकानों पर अदालत शुल्क माफ है एवं उनके निजी वकील किसानों के खिलाफ मुकदमें चलाते रहते हैं।
- 11 मोहराना (पजीकरण शुल्क) अब किसानों से भी लिया जाता है, जो वंचल महाजनों तक ही सीमित था।
- 12 ठिकानों के चहेते एक या दो व्यक्ति चारागाह भूमि पर अधिकार जगाए रहते हैं, जबकि अन्य किसानों के पास अपने पशुओं को चराने का कोई स्थान नहीं है। यहाँ तक कि बिना कुछ राशि दिए किसान अपने रेतों में उगने वाले दूधों की पतियों का उपयोग भी नहीं कर सकते।

13 जागीरदार किसानों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर कुछ भी व्यय नहीं करते हैं एवं यदि किसान आपसी सहयोग से विद्यालय आरम्भ करते हैं तो वे जागीरदारों द्वारा बन्द कर दिए जाते हैं।

इस ज्ञापन के अन्त में प्रतिनिधि मण्डल ने सभी विवादों के निपटारे हेतु राज्य के हस्तक्षेप की माँग की। यह भी सुझाव दिया गया कि पूरा मामला पचायत बोर्ड को सौंपा जाए, जिसका गठन दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के द्वारा हो। यह पचायत बोर्ड पूरे मामले की जाँच कर जयपुर राज्य कौन्सिल के अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत करे। जयपुर राज्य कौन्सिल के उपाध्यक्ष ने इस प्रतिनिधि मण्डल को सूचित किया कि दरबार ने किसानों की समस्या की जाँच हेतु सीकर के सीनियर आफिसर कैप्टन वैब को नियुक्त कर दिया है। इस अधिकारी की जाच रिपोर्ट के आधार पर ही किसानों की समस्याओं पर विचार किया जाएगा। जब तक जाँच पूरी न हो जाए तब तक किसानों को सभाएँ न करने साधारण भू-राजस्व का भुगतान करने एवं बाह्य आन्दोलनकारियों के दिचारों को न सुनने की चेतावनी दी।¹ किसान इस निर्णय से सतुष्ट नहीं थे। किसान राज्य के प्रति गहरे रोष की भावना लेकर लौटे एवं उन्होंने लौटकर जागीरदारों के सभी भुगतानों को रोकने का निर्णय लिया। 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर राज्य कौन्सिल के उपाध्यक्ष को ज्ञापन देने के पश्चात् ही शेखावाटी जाट किसान पचायत ने सघर्ष तीव्र करने के प्रयास आरम्भ कर दिए थे। इसके अन्तर्गत ठिकानों के कर्मचारियों को भू-राजस्व का आकलन तक करने में किसानों ने बाधा उत्पन्न की।

नवम्बर, 1934 तक यह आन्दोलन और तीव्र हो गया था। शेखावाटी में स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। ठिकानों व किसानों के मध्य हिंसक घटनाएँ बढ़ रही थी। राज्य की ओर से कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी निरन्तर रूप से जयपुर राज्य को आगाह कर रहे थे कि यदि शीघ्र कदम नहीं उठाए गए तो शेखावाटी में गम्भीर अशान्ति फैल सकती है। मजबूर होकर जयपुर राज्य कौन्सिल ने 24 दिसम्बर 1934 को एक प्रस्ताव पास कर स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए—

- 1 (अ) एक यूरोपीय अधिकारी एवं राजस्व तथा बन्दोबस्त का अनुभव प्राप्त दो सदस्यों की समिति शेखावाटी का दौरा करे एवं दोनों पक्षों में आपसी समझौते हेतु एक बन्दोबस्त का सुझाव दे तथा जिन मामलों में समझौता सम्भव न हो उनकी सूचना दे।
- (ब) चार आना प्रति रुपए की छूट के बाद यदि कोई किसान भुगतान करने से इकार करता है तो राज्य के राजस्व अधिकारी राशि बसूल करें।
- (स) सभी भुगतानों के बदले ठाकुर किसान को छपी रसीदें दें।

2. ताहसील के माध्यम से वसूली पर 5 प्रतिशत कमीशन वर्तमान खरीफ पर माफ किया जाए।
3. राजस्व का भुगतान न करने हेतु उकसाने को रोकने के लिए बाह्य हरतक्षेप के विरुद्ध निश्चित नियम बनाए जायें।*

राज्य सरकार ने उपरोक्त सुझाव प्रचारित कर किसानों को शान्तिपूर्ण तरीके से राजस्व जमा कराने के लिए प्रेरित किया। 24 दिसम्बर 1934 को दूसरी अधिसूचना उस रागिति के गठन के बारे में जारी की गई जिसमें एक यूरोपीय अधिकारी एव दो रादस्वो को नियुक्त किया गया था। सरकार चाहती थी कि एक बार खरीफ के राजस्व का भुगतान हो जाए तभी यह समिति कार्य करे। इस हेतु जयपुर राज्य ने ठाकुरों एव किसान प्रतिनिधियों को बुलाकर विचार विमर्श किया। ठाकुर राजस्व में रुपए पर चार आना की छूट देने के लिए सहमत हो गए थे एव किसान प्रतिनिधियों ने इसे स्वीकार करते हुए जनवरी 1935 के अन्त तक राजस्व जमा कराने का दावा किया।**

उपरोक्त समझौते के उपरान्त भी राजस्व भुगतान के मामले में विशेष प्रगति नहीं हुई। इसका कारण ठिकानों द्वारा समझौते के अनुसार राजस्व की माँग का निर्धारण न करना था।** किसान चार आना प्रति रुपए की छूट के बाद केवल भू-राजस्व का ही भुगतान करना चाहते थे। वैसे भी किसान राजस्व का भुगतान निजामत के माध्यम से करना चाहते थे। ठाकुर इस स्थिति को अपने परम्परागत अधिकारों का हनन मानते थे। वास्तव में किसानों द्वारा निजामत कार्यालय में भू-राजस्व जमा कराना ठिकानों के परम्परागत अधिकारों को खुली धुनीती थी। अतः शेखावाटी के अन्य ठिकानों में पुनः विवाद उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावना थी। जयपुर राज्य कौन्सिल के उपाध्यक्ष ने 14 मार्च, 1935 को जाट नेताओं चिम्मनराम, देवाराम, नेतराम हरलाल एव पोटरराम की बैठक बुलाई जिसमें ठाकुरों को भी बुलाया गया था।** इस बैठक में दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गए कि शेखावाटी में एक नियमित भू-सर्वेक्षण एव बन्दोबस्त करवाया जाए एव इस कार्य के लिए ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त किया जाए। इस बन्दोबस्त के होने तक राजस्व के निर्धारण की अस्थाई व्यवस्था की जाए एव प्रत्येक फसल के राजस्व का निर्धारण राजस्व अधिकारियों की समिति द्वारा किया जाए। किसानों को उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन देते हुए भविष्य में आन्दोलन न करने की चेतावनी दी गई।**

सीकर की घटनाएँ (1935-38) :

सीकर के किसान आन्दोलन का अभी तक अन्त नहीं हुआ था। अगस्त 1934 में अनेक छूटों सम्बन्धी घोषणा तो कर दी गई थी, किन्तु उनका पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा था। ये छूटें सीकर के खालसा क्षेत्र के किसानों को ही दी गई

थी। अतः किसानों ने भूमियाँ एवं छोटे जागीरदारों के क्षेत्र में भी समाज सुविधाओं की माँग पर जोर दिया। किसानों ने जगह-जगह राजस्व अधिकारियों को अपमानित किया एवं राजस्व की वसूली में अनेक बाधाएँ उत्पन्न कर दीं। दिनों-दिन स्थिति गम्भीर होती जा रही थी। इस स्थिति से निपटने के लिए सीकर के सीनियर ऑफिसर के आग्रह पर जयपुर सशस्त्र पुलिस की एक टुकड़ी फरवरी 1935 में सीकर पहुँची।¹² इस पुलिस बल के द्वारा किसानों का दमन आरम्भ कर दिया। दूसरी ओर जागीरदारों ने जातीय आधारों पर राजपूतों को संगठित कर उनके दिमागों में यह बात भर दी थी कि जाट शक्ति का उदय राजपूतों की सामाजिक स्थिति को चुनौती है। जाट पहले से ही जातीय आधार पर संगठित थे। अतः अब जाट राजपूतों के मध्य जातीय साम्प्रदायिकता बढ़ने लगी थी।

उपरोक्त जाट राजपूत साम्प्रदायिकता की चरम परिणति 22 मार्च 1935 की खुड़ी गाँव की एक हिंसक घटना के रूप में हुई। 22 मार्च 1935 को खुड़ी नामक गाँव जो आधा जाट एवं आधा राजपूतों से आबाद था, में जाटों की बारात दूल्हे को घोड़े पर बिठा कर निकाली कर रही थी। जब यह बारात गाँव के राजपूत आबादी वाले हिस्से से गुजर रही थी तो राजपूतों ने जाटों की इस गतिविधि को परम्परा के विपरीत मानकर इसका कड़ा विरोध किया। इस घटना की दोनों ही जातों के लोगों को पूर्ण आशंका थी, अतः पहले से ही इस गाँव में भारी सख्खा में जाट एवं राजपूत पड़ोस के गाँवों से आकर एकत्रित हो गए थे। इस बारात की निकाली के समय दोनों जातों के लोगों के बीच सशस्त्र झगडा हुआ जिसमें एक जाट मारा गया।¹³ सीकर का सीनियर ऑफिसर पुलिस बल सहित स्थिति को नियंत्रण में लाने के उद्देश्य से खुड़ी पहुँचा एवं पुलिस को जाटों पर लाठी चार्ज का आदेश दिया। इस पुलिस कार्यवाही में 4 जाट मारे गए एवं सैकड़ों की सख्खा में घायल हुए।¹⁴ इस घटना ने जाट राजपूत सम्बन्धों को और अधिक तनावपूर्ण व कटु बना दिया था। किसानों ने इस घटना से उपजे आक्रोश के अन्तर्गत एक करबन्दी आन्दोलन आरम्भ कर दिया था। सीकर ठिकाने के 15 गाँवों के किसानों ने एक शपथ ली कि यदि कोई जाट ठिकाने को राजस्व का भुगतान करेगा तो उसे जाति बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही किसानों ने राजपूतों एवं उनका समर्थन करने वाली जातियों के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा भी की।¹⁵ ठिकाने ने बलपूर्वक राजस्व वसूली का कार्यक्रम बनाया। ठिकाना पुलिस बल की सहायता से अनेक गाँवों से राजस्व वसूल करने में सफल रहा किन्तु कूदण गाँव में ठिकाने को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा था।

सीकर ठिकाने से राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी 25 अप्रैल 1935 को पुलिस बल सहित कूदण पहुँचे। किसानों ने इन पर धावा बोल दिया। दूसरी ओर पुलिस ने किसानों पर आक्रमण कर दिया जिसमें पुलिस के अनुसार चार किसान मारे गए चौदह घायल हुए एवं 175 गिरफ्तार किए गए।¹⁶ मामला यहाँ तक ही नहीं रुका बल्कि ठिकाने ने कूदण के आस-पास के गाँवों में भी पुलिस बल के सहारे आतंक कायम कर दिया था। अधिकारियों

ने आन्दोलन को कुचलने के लिए सभी दमनात्मक उपायों का सहारा लिया। सीकरवाटी जाट किसान पचायत एव जाट किसान सभा जो सीकर ठिकाने में राजनीतिक सगठन के रूप में कार्य कर रही थी, को अपैधानिक सगठन घोषित कर दिया गया।¹ राजपूताना जाट सभा के अध्यक्ष एव मन्त्री को सीकर से बाहर निकल जाने का आदेश दिया गया। शेखावाटी शिक्षा मण्डल अथवा स्वयं जाटों द्वारा संचालित सभी विद्यालयों को अनिवार्य रूप से बन्द कर दिया गया। इन विद्यालयों के प्रभारी अध्यापकों को अधिकतर मागलों में बन्दी बना लिया गया। इस अभियान में पलसाना गाव के विद्यालय भवन को पूर्णतः गटियागेट ही कर दिया गया था। समूचे गाव के भू-राजस्व की बकाया राशि एक ही व्यक्ति से वसूल की गयी। किसानों की सम्पत्ति जब्त कर ली गई एव उन्हें उनकी वास्तविक कीमत के 25 या 30 प्रतिशत दामों पर नीलाम कर दिया गया था।²

कूदण की घटना के बाद किसानों के आन्दोलन एव ठिकानों के दमन दोनों में काफी तीव्रता आ गई थी। शेखावाटी के पूजीपतियों ने जो कलकत्ता में व्यापार करते थे ने किसानों को धन की सहायता देना आरम्भ कर दिया था। जयपुर राज्य कौन्सिल के उपाध्यक्ष ने जयपुर के पुलिस महानिरीक्षक मि एफ एस यंग को 12 जून, 1935 के एक पत्र में सलाह दी थी कि वह सेठ राधाकृष्ण चमरिया से सम्पर्क स्थापित करें। उसका किसानों पर अछा प्रभाव है एव वह सीकर में शान्ति स्थापना में अवश्य सहायता करेगा।³ सीकर एव जयपुर के अधिकारियों ने किसानों एव उनके सहयोगी व सहानुभूति रखने वालों को शान्तिपूर्ण समझौते के लिए फुसलाना आरम्भ किया, किन्तु किसान कूदण की घटना से अत्यधिक क्रुद्ध थे एव कूदण की घटना की जाच कर दोषी अधिकारियों की गिरफ्तारी की माग कर रहे थे। सीकर के किसानों ने 12 जुलाई, 1935 को जयपुर राज्य कौन्सिल के उपाध्यक्ष के समक्ष विशाल प्रदर्शन किया जिसमें भारी संख्या में स्त्रियों ने भी भाग लिया। पुलिस बल से इस प्रदर्शन को तितर-बितर कर दिया गया।⁴ किसानों ने सीकर लौटकर अपनी आन्दोलनात्मक गतिविधियों को तीव्र कर दिया। जयपुर राज्य ने अब किसानों के प्रति सन्तुष्टिकरण की नीति का सहारा लिया। 29 जुलाई को जयपुर सरकार में सभी जाट नेताओं के खिलाफ समय-समय पर जारी किए सभी गिरफ्तारी वारंटों को गिरस्त कर दिया एव कूदण की घटना तथा अन्य प्रदर्शनों के समय गिरफ्तार किए गए किसानों को रिहा कर दिया गया। किसान नेताओं से लिखित में वायदा करवाया कि वे भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे।⁵ इस प्रकार लम्बे समय से चला आ रहा सीकर का किसान संघर्ष कुछ समय के लिए रुका। दिसम्बर 1935 तक सीकर के खालसा क्षेत्र का भूमि बन्दोबस्त पूर्ण हो गया था एव भू-राजस्व की दरें कुल उत्पादन के 1/2 भाग के स्थान पर 2/5 भाग निर्धारित की गयी।⁶ सन् 1938 के आरम्भ तक सीकर के किसानों में शान्ति बनी रही।

शेखावाटी के अन्य ठिकानों के किसान संघर्ष का घटनाक्रम (1935-36):

14 मार्च, 1935 के समझौते के बाद भी शेखावाटी के अन्य ठिकानों एव किसानों के मध्य घला आ रहा विवाद शान्त नहीं हुआ था। अप्रैल 1935 तक लगभग 70 प्रतिशत

किसानों ने राजस्व निजामत कार्यालय में जमा करा दिया था जिससे ठिकानों को सन्तुष्टि नहीं थी।¹⁷ जो राजस्व निजामत में जमा कराया गया था उसका निर्धारण किसानों ने स्वयं किया था। जागीरदारों की माँग थी कि जब तक प्रस्तावित भूमि बन्दोबस्त हो तब तक भू-राजस्व की पुरानी पद्धति को ही जारी रखा जाए।¹⁸ किसानों को पुलिस के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में किसान नेताओं ने खुले सघर्ष के स्थान पर गुप्त रूप में आन्दोलन का संचालन आरम्भ कर दिया था, क्योंकि खुला सघर्ष ठिकानों द्वारा पुलिस बल के माध्यम से कुचला जा सकता था। किसान नेता गुप्त रूप से किसानों में व्याप्त निराशा को समाप्त कर सगठित करना चाहते थे। वर्ष 1934-35 के राजस्व का भुगतान तो किसानों ने स्वेच्छा से निजामत कार्यालय में कर दिया था, किन्तु वर्ष 1935-36 की राजस्व वसूली ठिकाने स्वयं मनमाने तरीके से करने लगे। किसानों को विभिन्न तरीकों से डराया धमकाया जा रहा था। मार्च 1936 में शेखावाटी के अन्य ठिकानों का आन्दोलन पुनः आरम्भ हो गया था। 22 मार्च, 1936 को पचनामा के गावो दलसर, पटूसरी कुम्भावास, घिघल एव सिसियान के किसानों ने जयपुर राज्य कौन्सिल के उपाध्यक्ष के समक्ष एक ज्ञापन द्वारा अपनी समस्याओं को प्रस्तुत किया।¹⁹ 1 अप्रैल 1936 को शेखावाटी जाट किसान पंचायत के नेताओं हरलाल सिंह (हनुमानपुरा) एव हरलाल सिंह (मडासी) ने दो ज्ञापन क्रमशः उपाध्यक्ष जयपुर राज्य कौन्सिल एव राजस्व सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किए।²⁰ उपाध्यक्ष को दिए ज्ञापन में शेखावाटी में चल रहे भूमि बन्दोबस्त में बरती जा रही अनियमितताओं की ओर ध्यानाकर्षित किया गया था। उनका आरोप था कि ठिकानों द्वारा खेत विशेष पर अपना निजी स्वामित्व बताकर किसानों को उनके खेतों से दूधित किया जा रहा था। जौहड़ जो गोबर भूमि के रूप में गावो की समुक्त सम्पत्ति थी, ठिकाने अनीनों एव अन्य सहायक अधिकारियों को पटाकर जौहड़ों को अपनी निजी सम्पत्ति के रूप में दर्ज करवा रहे हैं। शेखावाटी के अधिकार कुँओं में पानी अधिक नहीं है, किन्तु इनके आस पास की जमीन को बिना यह जाँच किए कि कुँओं से सिचाई सम्भव है अथवा नहीं सिंचित भूमि की श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। आवादी क्षेत्र की आयासीय भूमि को भी ठिकानों की निजी सम्पत्ति के रूप में दर्ज किया जा रहा है। खेतों में उगे हुए वृक्षों का स्वामित्व भी ठिकानों का माना जा रहा है। खेतों की सख्या निश्चित करने में भारी चालाकी बरती जा रही है जिससे ठिकाने किसानों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। राजस्व सदस्य को दिए गए ज्ञापन में 1935-1936 के राजस्व निर्धारण में बरती जा रही अनियमितताओं तथा ठिकानों द्वारा किसानों के साथ की जा रही कठोरताओं की ओर ध्यानाकर्षित किया था। किसान नेताओं की शिकायत थी कि ठिकाने किसानों पर अपना अनाधिकृत प्रभाव स्थापित करने के उद्देश्य से किसानों से एक मुद्रित पत्र भरवा रहे हैं। इस पत्र की भाषा इस प्रकार थी

“मैं निम्नांकित से सहमत हूँ -

अ मैं ठिकाने को अनाज, चारा एव सभी उपजों का आधा भाग दूँगा।

ब मैं लाग-बाग एव अन्य सभी बकाया राशि का भुगतान करूँगा।

- रा मैं सभी वृक्षों को सुरक्षित रखूंगा एव ठिकाने की अनुमति के बिना किसी प्रकार का वृक्ष नहीं काटूंगा तथा यदि वृक्ष कटता है अथवा किसी के द्वारा ले जाया जाता है तो मैं ठिकाने के प्रति जिम्मेदार हूंगा।
- द राजस्व की राशि बकाया रहने की स्थिति में एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से सूद दूंगा।
- य ठिकाने को मुझे अपनी जोस से बेदखल करने का (नि शर्त) पूर्ण अधिकार है एव मुझे इस बेदखली के खिलाफ विरोध करने का कोई अधिकार नहीं होगा।'

उनका आगे आरोप था कि इन पत्रों पर कोई तारीख अंकित नहीं की जा रही थी। इसके पीछे ठिकाने का उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि किसानों को लम्बे समय से किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे। ठिकाने किसानों के विरुद्ध दमनात्मक कार्यवाही कर रहे थे। नेताओं का आरोप था कि उनके खिलाफ वृक्ष काटने के झूठे फौजदारी मुकदमों को वापस लेने का आश्वासन पूरा नहीं किया जा रहा है। अन्त में कहा कि ठिकानों ने झूठे बकाया राशि के मुकदमों में अदालत में दायर कर दिए हैं, जिनका उद्देश्य किसानों को उत्पीड़ित करना है। इस वर्ष फसल की उपज रुपये में 8 आना होने के उपरान्त भी ठिकाने राजस्व की भारी राशि किसानों पर थोप रहे हैं। जयपुर राज्य कौन्सिल के राजस्व सदस्य ने 15 अप्रैल, 1936 को शेखावाटी के नाजिम को किसानों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के आदेश जारी किए।¹⁹ किसान नाजिम द्वारा ही भू-राजस्व का निर्धारण चाहेते थे। राजस्व सदस्य ने नाजिम को राजस्व निर्धारण का अधिकार प्रदान कर दिया था। ठिकानों को नाजिम द्वारा भू-राजस्व का निर्धारण स्वीकार्य नहीं था। अतः ठिकानों ने इसके विरुद्ध राजस्व विभाग में याचनाएँ प्रस्तुत की, किन्तु राजस्व सदस्य ने इन याचनाओं को निरस्त करते हुए आदेश दिया कि पूर्व निर्धारित मामलों पर कोई पुनर्विचार नहीं होगा एव किसानों से भू-राजस्व के अतिरिक्त ठिकाने कोई अन्यायपूर्ण लागू-बाग नहीं लेगे।²⁰ जयपुर सरकार ने शेखावाटी के ठिकानों के भूमि बन्दोबस्त को तेज कर दिया जिससे लम्बे समय से चले आ रहे किसान असन्तोष को शान्त किया जा सकता था। राजस्व सदस्य ने यह भी स्वीकार्य कर लिया था कि किसान इच्छानुसार ठिकाने अथवा निजामत में राजस्व जमा करा सकते थे। राजस्व सदस्य द्वारा दिए गए आदेश समझौते का ही रूप थे।

सन् 1936 के अन्त तक शेखावाटी के अन्य ठिकानों के किसान आन्दोलन सफलता के एक निश्चित सोपान पर पहुँच गए थे। किसान राजस्व सदस्य द्वारा घोषित नई व्यवस्था से सन्तुष्ट थे। भूमि बन्दोबस्त होने तक यह व्यवस्था निरन्तर रूप से जारी रखने का आश्वासन भी दिया गया था। यदि असन्तोष था तो ठिकानों में। ठिकाने निरन्तर उत्तेजित होते जा रहे थे एव अपने पुराने अधिकारों व शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयासरत थे। सन् 1938 के आरम्भ तक शेखावाटी के ठिकानों के किसान शान्त बने रहे।

तृतीय चरण (1938-1947) :

शेखावाटी के किसान आन्दोलन का तीसरा चरण निर्णायक था, जिसमें किसानों ने सामन्ती एव औपनिवेशिक शोषण का जुआ उतार फेंका। इस चरण में किसान आन्दोलन का सामाजिक व राजनीतिक आधार काफी विस्तृत हो गया था। सन् 1938 के पूर्व तक जहाँ यह आन्दोलन अलग-थलग सा चला रहा था वहीं अब मुख्य राष्ट्रीय धारा से जुड़ गया था। अब तक किसान केवल आर्थिक एव सामाजिक मुद्दों को लेकर संघर्षरत थे किन्तु तीसरे चरण में राजनीतिक मुद्दे प्रमुख हो गए थे। इस समय जयपुर राज्य प्रजामण्डल ने किसानों को खुला समर्थन दिया। सन् 1938 के पूर्व अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रुख राजस्थान के जन आन्दोलनों के प्रति उपेक्षापूर्ण ही था, किन्तु सन् 1938 में देशी राज्यों के जनआन्दोलनों के प्रति कांग्रेस की नीति में परिवर्तन आया। सन् 1938 में ही अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के "हरिपुरा" अधिवेशन में देशी राज्यों के आन्दोलनों को कांग्रेस के अग के रूप में स्वीकार कर लिया था। जवाहर लाल नेहरू को अखिल भारतीय प्रजा परिषद् अध्यक्ष एव जयनारायण व्यास को महामंत्री नियुक्त किया गया था। इस अधिवेशन में देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को अपने-अपने राज्यों में स्वतंत्र संगठन बनाकर उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु जन आन्दोलनों के संचालन की सलाह दी थी।

जयपुर राज्य प्रजामण्डल की स्थापना तो 1931 में ही हो गई थी किन्तु अनेक अवरोधों के कारण यह आगे नहीं बढ़ सका। सन् 1938 में पुन जयपुर राज्य प्रजामण्डल की स्थापना हुई। इसने स्थापना के साथ ही शेखावाटी के किसान आन्दोलन का समर्थन व सहयोग करना आरम्भ कर दिया था। 8-9 मार्च 1938 को इसके प्रथम अधिवेशन में ठिकानों के सन्दर्भ में प्रस्ताव पास कर किसानों की सहानुभूति प्राप्त कर ली थी। यह प्रस्ताव इस प्रकार था

"जयपुर रियासत के अधिकांश ठिकानों में बसने वाली जनता के प्रति ठिकानेदारों का जो व्यवहार है वह अधिकांश में गैर-कानूनी कष्टदायक विकास अवरोधक तथा अशान्ति उत्पादक है। इससे न केवल जनता को बल्कि ठिकानों और ठिकानेदारों को भी अत्यन्त हानि है। जयपुर राज्य प्रजामण्डल की यह निश्चित राय है कि ठिकानों की जनता को वही कानूनी, आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत अधिकार व सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए जो राज्य की जनता के लिए आकांक्षित है।"⁹⁹

सन् 1936 के अन्त तक रीकर एव शेखावाटी के अन्य ठिकानों के किसान शान्त हो गए थे, किन्तु यह शान्ति टिकाऊ नहीं थी। ठिकानों की चालाकियों के कारण शेखावाटी में किसान असन्तोष बढ़ रहा था। इन आन्दोलनों के प्रमुख नेताओं ने प्रजामण्डल के पहले अधिवेशन में भाग लिया था। शेखावाटी के किसान नेताओं ने अपने संगठनों का विलय प्रजामण्डल में नहीं किया था। अब किसान नेता इस बात से सहमत थे कि व्यवस्था परिवर्तन के बिना किसानों की समस्याओं का समाधान सम्भव नहीं था।

शेखावाटी के किसान आन्दोलन के मुद्दों को प्रजामण्डल के कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया था, फिर भी किसान अपने सगठनों के माध्यम से स्वतंत्र रूप से भी सक्रिय रहे।

सीकर ठिकाने का आन्दोलन (1938-39)

प्रजामण्डल के समर्थन से किसान आन्दोलन में नया उत्साह आया। अप्रैल 1938 में सीकर के रावराजा एवं जयपुर दरबार के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया था। इस विवाद का कारण सीकर राव राजा के पुत्र हरदयाल सिंह को शिक्षा प्राप्ति हेतु जयपुर महाराजा इंग्लैण्ड भेजना चाहते थे जिसका रावराजा ने विरोध किया। इसके साथ ही जयपुर दरबार एवं सीकर ठिकाने के बीच सशस्त्र संघर्ष आरम्भ हो गया था। राव राजा के समर्थन में सभी ठिकानों से राजपूत हजारों की संख्या में सीकर में एकत्रित हो गए थे। 26 अप्रैल 1938 को जयपुर दरबार ने सैनिक अभियान द्वारा राजपूतों के इस विद्रोह को दबा दिया तथा 29 अप्रैल को जयपुर रेजीडेन्ट रावराजा को अपने साथ जयपुर ले गया एवं उसे देश निकाले का दण्ड देकर आबू भेज दिया गया।¹⁰ राव राजा के समर्थकों ने सीकर पब्लिक कमेटी नामक सगठन बनाकर राव राजा के पक्ष में आन्दोलन आरम्भ कर दिया था।

सीकर के नए राजनीतिक माहौल में जाट किसानों का महत्त्व अधिक बढ़ गया था। जयपुर दरबार का रुख किसानों के प्रति नरम हो गया था। राव राजा के निष्कासन के पश्चात् सीकर पर जयपुर दरबार का नियंत्रण स्थापित हो गया था। पब्लिक कमेटी नई प्रशासनिक व्यवस्था का विरोध कर रही थी, किन्तु किसान इसे अपने हित में देख रहे थे। किसान इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अपनी समस्याओं के समाधान हेतु पुनः सक्रिय हो गए थे। 1 मई 1938 को जाट पचायत सीकर के मन्त्री ने सार्वजनिक घोषणा की थी कि जाट किसानों का पब्लिक कमेटी द्वारा चलाए जा रहे आन्दोलन के साथ कोई सहयोग एवं सहानुभूति नहीं है। उसने यह भी स्पष्ट किया कि इस कमेटी का नेतृत्व उन लोगों के हाथ में है जो लम्बे समय से किसानों के शोषण दमन एवं उत्पीड़न में लगे हुए थे।¹¹ बदलती स्थितियों में सीकर जाट किसान पचायत ने 24 जून, 1938 को एक सभा का आयोजन किया। पचायत के अध्यक्ष चौधरी हरिसिंह, पलथाना निवासी के सभापतित्व में 2000 जाट किसानों ने भाग लिया। इस सभा में सीकर पब्लिक कमेटी के आन्दोलन के साथ जाट किसानों द्वारा सहयोग न करने के लिए सार्वजनिक निर्णय लिया।¹² इस सभा के मुख्य वक्ता भरतपुर के जाट नेता कुंवर रतन सिंह ने पब्लिक कमेटी की मांगों को स्वार्थपूर्ण बताया हुए कहा कि ये मांगें निःसन्देह किसानों की बरबादी लाने वाली हैं। इस सन्दर्भ में जाटों का सर्वोच्चसत्ता (अंग्रेजी सरकार) एवं जयपुर सरकार से निवेदन था कि सीकर में जयपुर राज्य का प्रशासनिक नियंत्रण जारी रखा जाए। कुल मिलाकर सम्पूर्ण प्रकरण में किसानों ने जयपुर राज्य का खुला समर्थन किया।

जुलाई, 1938 के अन्त तक सीकर पब्लिक कमेटी का आन्दोलन समाप्त हो गया था। यह सम्भावना प्रबल होती जा रही थी कि सीकर के किसानों के साथ जागीरदार एवं ठिकानों द्वारा कठोरता बरती जायेगी। यह सम्भावना सीकर के बन्दोबस्त अधिकारी

मगलचन्द मेहता ने 25 जुलाई 1938 को जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में व्यक्त की थी। इस अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया था कि ठिकाने के अधिकारी एवं छोटे जागीरदार सीकर के भूमि बन्दोबस्त में आरम्भ से ही बाधा डाल रहे हैं। यदि बन्दोबस्त ठीक प्रकार से हो जाए तो सीकर के किसानों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। वैसे किसानों के साथ सम्पर्क से मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि उनके दिल काफी मजबूत हैं।”

सितम्बर, 1938 में सीकर के किसानों ने पुनः सघर्ष आरम्भ कर दिया था। इस सघर्ष को आगे बढ़ाने, जाटों में एकता एवं सघर्ष की भावना विकसित करने एवं बाहर से जन समर्थन जुटाने के उद्देश्य से “जाट क्षत्रिय किसान पंचायत” का वार्षिक जलसा 11-12 सितम्बर 1938 को गोठरा नामक गाव में आयोजित किया। इस जलसे में 10-11 हजार के मध्य जाटों, 500 स्त्रियों एवं अन्य जाति के लोगों ने भाग लिया।” इस सम्मेलन में निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुए -

- 1 सन् 1934 में सीकर के जाट बोर्डिंग स्कूल हेतु भूमि देने के वायदे को पूरा किया जाए।
- 2 राज्य द्वारा जाट विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत की जानी चाहिए।
- 3 अन्य जातियों की सख्या के समान शिक्षित जाटों को उच्च पद दिए जाने चाहिए।
- 4 पिलानी के बिडला कॉलेज का स्तर डिग्री कॉलेज तक बढ़ाया जाना चाहिए।
- 5 गावों में विद्यालय एवं औषधालय खोले जाने चाहिए।
- 6 सीकर एवं जयपुर की अदालतों में बाहर के वकीलों को प्रस्तुत होने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- 7 वर्तमान प्रशासन में (सीकर के) कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कैप्टन वेब के कार्यालय से किसान लाभान्वित हुए हैं। उसे बन्दोबस्त पूरा होने तक यहीं रखा जाए।
- 8 जाटों को राजनीतिक एवं सामाजिक मामलों में अन्य जातियों के समान अधिकार दिए जायें।
- 9 सन् 1934 के समझौते के अनुसार बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा राजस्व के निर्धारण तक वर्तमान राजस्व की राशि आधी की जाए।
- 10 हाल के सीकर विद्रोह के सम्बन्ध में जाटों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को सजा दी जाए।
- 11 उन्हें वायदानुसार जमीन पर पैत्रिक अधिकार प्रदान किए जायें।
- 12 वायदानुसार सभी गैर कानूनी कर जैसे लाग-बाग समाप्त की जानी चाहिए।
- 13 उन किसानों से इस वर्ष लगान नहीं लिया जाए जिनकी फसलें नष्ट हो गई हैं।
- 14 प्रशासन द्वारा पशुओं के चारे की व्यवस्था की जाए।

15 सितम्बर, 1938 को एक प्रतिनिधि मण्डल ने उपरोक्त प्रस्तावों से युक्त ज्ञापन जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने किसानों को उनकी

समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन देते हुए सूचित किया कि मि ब्राउन, आइ सी एस को बन्दोबस्त आयुक्त नियुक्त किया गया है। यह नया अधिकारी लम्बे समय से चले आ रहे भू-स्वामित्व के विवाद को शीघ्र सुलझायेगा ऐसी सम्भावना भी व्यक्त की।¹⁵

जयपुर राज्य प्रजामण्डल की स्थापना के बाद से ही जयपुर राज्य ने सम्पूर्ण राज्य के भूमि बन्दोबस्त कार्य में तत्परता दिखाना आरम्भ कर दिया था। असन्तुष्ट किसानों को प्रजामण्डल सरलता से संगठित करता जा रहा था। जयपुर राज्य सभी प्रकार के राजनीतिक एवं जन आन्दोलन का समाधान भूमि बन्दोबस्त में देख रहा था किन्तु किसान मात्र आश्वासनों से शान्त होने वाले नहीं थे। दिसम्बर, 1939 तक सीकर के खालसा क्षेत्रों का बन्दोबस्त पूरा हो गया था जिसमें किसानों को कुछ भू-स्वामित्व के अधिकार प्रदान कर दिए थे। अब सीकर के जागीर क्षेत्रों का मुद्दा किसान आन्दोलन का आधार बन गया था। फिर भी सीकर के किसानों की हलचल कुछ समय के लिए शान्त हो गई थी।

शेखावाटी के अन्य ठिकानों के किसानों ने जयपुर राज्य प्रजामण्डल के सहयोग से सितम्बर, 1938 में आन्दोलन आरम्भ किया। इस आन्दोलन की माँगों में 1938-39 के राजस्व में छूट अकाल राहत कार्य, लागू-बागों की समाप्ति इत्यादि सम्मिलित थी। माँगों को मनवाने के लिए सबसे प्रभावशाली आन्दोलन "करबन्दी आन्दोलन" आरम्भ कर दिया था। करबन्दी आन्दोलन तब तक चलाया जाना निश्चित किया गया था जब तक कि ठिकानों की ओर से राजस्व में उपयुक्त छूट की घोषणा न की जाए। नवम्बर, 1938 के प्रथम सप्ताह में यहाँ के किसान नेताओं ताड़केरवर शर्मा, हरलाल सिंह एवं चौधरी लादूराम को गिरफ्तार कर लिया गया।¹⁶ 9 दिसम्बर, 1938 को जयपुर राज्य कॉन्सिल ने यह प्रस्ताव पास किया कि "24 दिसम्बर, 1934 की अधिसूचना को एक वर्ष के लिए लागू किया जाए जिसके द्वारा भू-राजस्व न देने के लिए उकसाने वालों को सजा का प्रावधान रखा गया है।" शेखावाटी के किसानों को प्रजामण्डल की गतिविधियों से अलग रखने के उद्देश्य से यह कानून पुनः लागू किया गया था। फिर भी राज्य शेखावाटी के किसानों को प्रजामण्डल आन्दोलन से अलग रखने में असफल ही रहा।

जयपुर सरकार ने 16 दिसम्बर 1938 को जयपुर राज्य प्रजामण्डल के अध्यक्ष सेठ जमनालाल बजाज के जयपुर प्रवेश पर रोक लगा दी थी। 1 फरवरी 1939 को जमनालाल बजाज के जयपुर पहुँचने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।¹⁷ जमनालाल बजाज की गिरफ्तारी के साथ ही जयपुर राज्य प्रजामण्डल ने उसकी मुक्ति एवं अपनी माँगों को मनवाने के लिए सत्याग्रह आरम्भ कर दिया। सत्याग्रह जयपुर शहर में आरम्भ किया गया था किन्तु कुछ समय परवात् यह शेखावाटी में भी चलाया गया। शेखावाटी किसान जाट पचायत के उप मंत्री चौधरी लादूराम ने 17 फरवरी, 1939 को एक जत्थे के साथ गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी के समय अपने सम्बन्धन में चौधरी लादूराम ने इस सत्याग्रह के विषय में कहा कि "जयपुर सत्याग्रह कॉन्सिल ने यह तय किया है कि शेखावाटी में भी सत्याग्रह का एक केन्द्र बनाया जाए और मुझे बड़ी खुशी है कि उसके

आदेशानुसार मैं पहला जत्था लेकर झुन्झुनू में सत्याग्रह करने आया हूँ। वैसे तो अभी यह सत्याग्रह इसलिए शुरू किया गया है कि जयपुर राज्य में प्रजा को नागरिक अधिकार यानी लिखने बोलने, सभा करने, जुलूस निकालने और सस्था कायम करने की आजादी नहीं है, वह मिले परन्तु हम भूल नहीं सकते कि जयपुर राज्य में प्रजा को और खासकर किसान भाईयों को कई तरह के कष्ट और दुख हैं और राज्य के हाकिम उनको तरह-तरह से सताते भी हैं।¹⁹

जयपुर राज्य प्रजामण्डल ने 1 मार्च, 1939 को किसान दिवस मनाया एव सम्पूर्ण राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जयपुर राज्य की किसानों के प्रति नीति का विरोध किया गया। इस आयोजन ने विशेष रूप से शेखावाटी के किसान आन्दोलन को नैतिक मजबूती प्रदान की। सन् 1939 का वर्ष शेखावाटी में अकाल का वर्ष था। अकाल के कारण पशुधन भारी सख्या में मर रहा था। किसानों की आर्थिक बढहाली और अधिक बढ चुकी थी। इस सबके बाद भी शेखावाटी के ठिकाने अकाल राहत के कार्य करने के स्थान पर किसानों से लगान वसूली की योजना बना रहे थे। दूसरी ओर शेखावाटी के ठिकाने किसानों को डरा धमका कर अथवा फुसलाकर किसी भी प्रकार के आन्दोलन से अलग रखने के प्रयास कर रहे थे। शेखावाटी किसान जाट पचायत ने अपनी पत्रिका के माध्यम से किसानों को ठिकानेदारों को धोखे में न आने एव सघर्ष को आगे बढाने का आहवान किया।

जून, 1939 के "पचायत पत्रिका" के अंक में पचायत ने शेखावाटी की ताजा स्थिति पर प्रकाश डालते हुए किसानों को अपने हितों के प्रति सचेत रहने की सलाह दी थी।²⁰ इसी प्रकार जुलाई, 1939 के "पचायत पत्रिका" के अंक में लाग-बागों का विरोध किया गया था। इसमें ठिकानों पर आरोप लगाया गया था कि जयपुर राज्य द्वारा लाग-बागों की समाप्ति के उपरान्त भी अनेक नए नामों से लाग-बाग किसानों पर थोपी जा रही थी। शेखावाटी किसान जाट पचायत के प्रधानमंत्री ताड़केश्वर शर्मा ने किसानों से अपील की कि "लाग-बाग हमारे लिए एक तरह का अभिशाप और कलक है। इनमें से कई तो ऐसी हैं जिनका देना-लेना दोनों मनुष्यता से गिराता है। इसलिए लेना-देना दोनों ही पाप कार्य है।"²¹ शेखावाटी किसान जाट पचायत ने पत्रिका एव परचों के माध्यम से अपना अभियान जारी रखा।

सरकार एव ठिकानों के दमन से बचने के लिए किसान पचायत के कार्यकर्ताओं ने गुप्त रूप से भी आन्दोलन का संचालन किया था। इसी समय गुप्त रूप से एक परचा निकला था जिसमें नीचे लिखा था, निवेदक, एक नवलगढ निवासी एव परचे का शीर्षक था "ठिकाना नवलगढ की नादिरशाही।"²² इस परचे में शेखावाटी के अकाल के सन्दर्भ में लिखा था कि "गत दो वर्षों से जबकि प्रजा दुष्काल से हाहाकार कर रही है, हजारों अनाथ पशुधन बेमौत मर रहे हैं लाखों गरीब भूखों तडप रहे हैं, दूसरी रियासतों में जहाँ लाखों करोड़ों रुपया लगान के छोडकर गरीब प्रजा को राहत दी जा रही है, वहा जयपुर दरबार मे दुष्काल पीडित प्रजा के ऊपर एक और बड़ा बोझ डाल दिया है। शेखावाटी में बहुत से छोटे ठिकाने हैं, जिनकी बागडोर निपुुर राजपूतों के हाथ में है, जो निरीह प्रजा

को केवल सताना ही अपना कर्तव्य समझते हैं।”

बढ़ते हुए किसान असन्तोष को शान्त करने के उद्देश्य से जयपुर सरकार के राजस्व विभाग ने ठिकानों के राहत उपायों के सम्बन्ध में 11 अक्टूबर, 1939 को निम्नलिखित अधिसूचना जारी की

“फसल खराबी एव अकाल की स्थितियों को ध्यान में रखकर राज्य कौन्सिल ने निम्नलिखित सुविधाओं का आदेश दिया है -

1. ठिकानों पर बकाया राशि को वसूल नहीं किया जाए एव स 1996 (1939 ई) की बकाया राशि पर ब्याज नहीं लिया जाए।
2. इस वर्ष देय मुआमला, सूखा एव मातमी की किरतें यदि पहले से निर्धारित हैं तो साधारण तरीके से वसूल किया जाए।
3. ठिकानों के खिलाफ दीयानी एव राजस्व अदालतों की कुर्की की कार्यान्विति एव बचत की वसूली सं 1996 (1939 ई) के लिए स्थगित कर दी जाए।
4. किसानों के लाभार्थ राहत उपाय अपनाने हेतु ठिकानों के ऋण प्रस्तावों पर पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा, किन्तु ऋण लेने वाले को इस बात की पर्याप्त गारंटी देनी होगी कि ऋण का गलत उपयोग नहीं होगा।
5. सम्पूर्ण राज्य के चुने हुए केंद्रों पर चालीस चारस भण्डार खोले हैं जहां निर्धारित दर पर चारा खालसा एव जागीर के किसानों को दिया जाए।
6. सिंचित भूमि पर चारा फसल बोने पर राजस्व माफ किया जाए।
7. जो इतने गरीब हैं कि वे कम दर पर चारा नहीं खरीद सकते, उन्हें 5 मन खाफला प्रति महीने मुफ्त में दिया जाए।”

11 अक्टूबर, 1939 की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त भी शेखावाटी के ठिकानों में न तो राजस्व में ही छूट दी एव न ही अकाल राहत कार्य आरम्भ किए। 19 अक्टूबर, 1939 को शेखावाटी किसान जाट पंचायत ने जयपुर के प्रधानमंत्री को ज्ञापन देकर ठिकानों की शिकायत की। कुल मिलाकर 1939 का वर्ष शेखावाटी के किसानों जयपुर सरकार एव ठिकानों के मध्य खींचतान में बीता। 1 जनवरी, 1940 को शेखावाटी जाट किसान पंचायत के गिरफ्तार नेताओं एव कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया था। जनवरी, 1940 में इस रिहाई के बाद शेखावाटी के किसान आन्दोलन के शान्त होने की सम्भावना थी, किन्तु इसी वर्ष जयपुर सरकार द्वारा लगाई गई जकातों (सीमा शुल्क) ने आग में घी का काम किया तथा इसके विरोध में जगह-जगह प्रदर्शन हुए। इस विरोध के परिणामस्वरूप जून, 1940 में जयपुर सरकार ने सीमा शुल्क को कम एव उधार कर दिया था तथा एक समिति का गठन भविष्य में सीमा शुल्क की नीति निर्धारण हेतु किया गया।

शेखावाटी का किसान आन्दोलन धीमी गति से चल रहा था। किसान भूमि बन्दोबस्त के पूर्ण होने का इन्तजार कर रहे थे। इसी धीमी गति के कारण प्रजामण्डल के कार्य में भी अधिक प्रगति नहीं हो पा रही थी। जयपुर राज्य प्रजामण्डल का द्वितीय वार्षिक

अधिवेशन 25-26 मई, 1940 को जयपुर में हुआ। इस अधिवेशन में ठिकानों के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया गया था—

“जयपुर राज्य के अधिकांश ठिकानों में बसने वाली जनता के साथ ठिकानेदारों का जो व्यवहार है वह अधिकांश में गैर-कानूनी कष्टदायक, विकास अवरोधक तथा अशान्ति उत्पादक है। इससे न केवल जनता की बल्कि ठिकानेदारों की भी अत्यन्त हानि है। जयपुर राज्य प्रजामण्डल की यह निश्चित राय है कि ठिकानों की जनता को भी वही कानूनी आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत अधिकार व सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए जो राज्य की जनता के लिए आकांक्षित है।

ठिकानेदारों के गावों में बसने वाले किसानों के बढ़ते हुए असन्तोष व उनकी तकलीफों को मिटाने के लिए किसानों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए नवीन पद्धति का भूमि बन्दोबस्त शीघ्र से शीघ्र किया जाए और खूटा बन्दी एवं पान चराई सहित कुछ लाग-बाग और कौड़ी चुगी को तुरन्त बन्द किया जाए।

प्रजामण्डल का यह अधिवेशन जयपुर दरबार से एक सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों का कमीशन नियुक्त करने की भी माँग करता है, जो जागीरों में बसने वाली जनता पर होने वाले अन्य अत्याचारों व उनके कारणों की जाँच करे और जागीरदारों के खिलाफ उनके अत्याचारों के लिए न्यायोचित कार्यवाही करे।¹⁰

प्रजामण्डल के खुले समर्थन से शेखावाटी के किसानों के हँसले बुलन्द हो गए थे। जयपुर राज्य प्रजामण्डल अभी तक मान्यता के लिए सघर्षरत था। जयपुर पब्लिक सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत प्रजामण्डल का पंजीकरण करने में सरकार आना-कानी कर रही थी। अप्रैल, 1941 में जयपुर महाराजा द्वितीय विश्व युद्ध में सक्रिय सेवा के लिए बाहर जाने वाला था एवं जन समस्याएँ यथावत पड़ी थी। 5-6 अप्रैल 1941 को जयपुर राज्य प्रजामण्डल का तीसरा वार्षिक अधिवेशन झुन्डुनू में आयोजित हुआ था।¹¹ इसमें एक ही प्रस्ताव पास हुआ था कि अब धैर्य की सीमा टूट गई है एवं मण्डल को मजबूर होकर अपनी मांगों के समर्थन में सत्याग्रह की योजना बनानी पड़ रही है। 24 अप्रैल 1941 को प्रजामण्डल की कार्यकारिणी के निर्णय पर अध्यक्ष हीरा लाल शास्त्री ने जयपुर महाराजा के नाम खुला पत्र भेजा जो 26 अप्रैल 1941 के “हिन्दुस्तान टाइम्स” के अंक में प्रकाशित हुआ था।¹² इस पत्र में अनेक प्रयासों के उपरान्त भी प्रजामण्डल के शिष्ट मण्डल से महाराजा की न मिलने की आलोचना की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिक अभियान में महाराजा के विदेश गमन का विरोध किया गया था। प्रजामण्डल के पंजीकरण की माँग की गई थी। आगे स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि “सरकार की जकात (सीमा शुल्क) नीति से जनता में असन्तोष बढ़ रहा है। किसान असन्तोष तीव्रता से बढ़ रहा है एवं अभी भी ऐसी अफवाहें हैं कि शेखावाटी के किसानों पर ठिकानों द्वारा अस्थीकार्य भूमि बन्दोबस्त थोपा जा रहा है। दमन की निरन्तर नीति के अनुसार निर्दोष लोगों को भारत सुरक्षा कानून एवं करबन्दी नियमों के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है

जेलों में राजनीतिक बन्दियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता।'

सीकर एव शेखावाटी के ठिकानों व जागीरों का भूमि बन्दोबस्त अगस्त 1941 तक पूरा हो गया था, किन्तु सरकार इसे घोषित करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। प्रजामण्डल एवं किसान नेताओं को इसकी जानकारी पहले ही मिल चुकी थी कि भूमि बन्दोबस्त में वया हुआ है। जयपुर के भूमि बन्दोबस्त के कार्यों को अन्तिम रूप देने के लिए 12 अप्रैल, 1941 को जयपुर राज्य कॉन्सिल ने एक समिति का गठन किया, जिसमें 7 व्यक्तियों में से 2 राजस्व विभाग के उच्चाधिकारी एव 5 ठिकानेदारों को सदस्य बनाया गया था।¹⁰ इस समिति ने किसानों को दिए जाने वाले स्थाई भू-स्वामित्व के अधिकार का विरोध किया। भू-राजस्व एव लाग-बाग में कमी की बात तो कुछ सीमा तक स्वीकार कर ली थी, किन्तु किसानों की स्थिति जागीरदार की इच्छा पर निर्भर किराएदार की ही रही। किसानों को जागीरदारों के चुगल से मुक्ति देने की ओर कोई विचार नहीं किया गया था बल्कि किसानों पर इनका शिकवा और अधिक कसने की कोशिश की गई थी। किसानों को प्राकृतिक उत्पादों जैसे खेजड़ा, कीकर, लूम, पातरा, पाना, पूला आदि पर कोई अधिकार नहीं दिया गया था। केवल भूमि की पैमाइश कर दी गई थी एवं भू-राजस्व का आकलन प्रति बीघा के हिसाब से नगदी में कर दिया गया था तथा किसानों के अधिकारों को दर्ज करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। 15 अगस्त, 1942 को जयपुर सरकार ने इस बन्दोबस्त के पूर्ण होने की औपचारिक घोषणा कर दी थी, क्योंकि इसके माध्यम से शेखावाटी के किसानों को 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन से अलग रखना था। इस बन्दोबस्त का किसानों ने सविधानिक एव शान्तिपूर्ण तरीकों से विरोध करना आरम्भ कर दिया था। 11 दिसम्बर, 1942 को पुर्नविचार कर जयपुर सरकार ने किसानों को कुछ अतिरिक्त छूट एव सुविधाएँ प्रदान की जो इस प्रकार थीं—

1. सभी किस्म की भूमि पर 6.25 प्रतिशत अर्थात् 1 रुपये पर एक आना छूट दी जाए एव भविष्य में भूमि के वर्गीकरण, राजस्व की दर व राजस्व के गठन के मामले में किराी भी पक्ष की ओर से की गई शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं होगी।
2. मलवा (गाव खर्च) एव पटवार लाग ठिकानों की आय का भाग नहीं है। मलवा शुद्ध रूप से गाव के कार्यों के लिए है एव यह लाग की तरह थोपी नहीं जाएगी।
3. पटवार लाग 6 पैसे प्रति रुपये राजस्व की दर से लगेगी जिसका उपयोग प्रशिक्षित पटवारियों के रखने के लिए किया जाएगा, जो उपयुक्त बन्दोबस्त के लिए आवश्यक है।
4. राज्य के अन्य भागों की तरह बन्दोबस्त की अवधि 1941 से 10 वर्ष तक निर्धारित की गई है।
5. पिछले समय की बकाया राशि की भाषी में वही तरीका अपनाया जाएगा जो खालसा क्षेत्रों में है।
6. किसानों को प्राकृतिक उत्पादों पर अधिकार होगा।

7 जोहड़ (घारागाह) के समान उपयोग के सन्दर्भ में यथास्थिति रहेगी।

उपरोक्त अतिरिक्त छूटों से किसान कुछ सीमा तक सन्तुष्ट थे किन्तु ठिकाने नए बन्दोबस्त को लागू करने के पक्ष में नहीं थे। ठिकाने नए बन्दोबस्त एवं राज्य की घोषणाओं को नजर अन्दाज कर मनमानी राजस्व थोपने का प्रयास कर रहे थे। किसान ठिकाने के स्थान पर भू-राजस्व नाजिम के कार्यालय में जमा कराना चाहते थे। किसानों को ठिकाने के हाथों से कोई न्याय मिलने की आशा नहीं थी। किसान एवं उनके नेता यह समझ चुके थे कि व्यवस्था परिवर्तन के बगैर उन्हें न्याय नहीं मिल सकता। किसान नेता हरलाल सिंह ने 12 फरवरी 1943 को पत्र लिखा जिरामें जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री का ध्यानाकर्षित निम्नांकित बातों पर किया था⁹⁸ -

- 1 राज्य ने शेखावाटी के ठिकानों के बन्दोबस्त के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय दे दिया है, किन्तु कुछ ठिकाने वाले राज्य के निर्णय को नजर अन्दाज कर मनमानी राजस्व वसूल करने के लिए कटिबद्ध हैं।
- 2 किसानों की कठिनाईयों को देखते हुए राज्य व्यवस्था करे कि जिन किसानों से ठिकाने बन्दोबस्त के अनुसार राजस्व स्वीकार न करें उनका राजस्व शेखावाटी के नाजिम द्वारा लिया जाए।
- 3 ठिकानेदार स्वयं द्वारा निर्धारित राजस्व की वसूली में उत्पीड़क तरीकों का सहारा ले रहे हैं एवं किसान उनके हाथों काफी पीड़ा भोग रहे हैं इसलिए आपसे निवेदन है कि -
 - अ यह कि ठिकानों को चेतावनी दी जाए कि वे निर्धारित राजस्व से अधिक राशि वसूल न करें एवं राज्य की अधिसूचना द्वारा प्रावधान रखा जाए कि जो निर्धारित राजस्व से अधिक वसूल करे उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही कर सजा दी जाएगी।
 - ब किसानों से राजस्व स्वीकार करने के शेखावाटी के नाजिम को स्पष्ट आदेश प्रसारित किए जायें।
 - स ठिकानों की कठोरता के खिलाफ किसानों की सुरक्षार्थ पुलिस को निर्देश दिए जायें।

13 फरवरी 1943 को एक अन्य पत्र द्वारा जयपुर के राजस्व मन्त्री को शिकायत की थी कि "आपने अभी तक अफ़सोस के लगे हुए छूट के सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की है एवं पुराने बकाया भुगतानों को रद्द करने का आदेश नहीं दिया है।"⁹⁹ इन पत्रों की प्राप्ति के तुरन्त बाद ही राजस्व मन्त्री ने शेखावाटी के नाजिम को स्पष्ट आदेश दिए कि किसानों से निजामत में राजस्व स्वीकार कर लिया जाए। इसके साथ ही पुलिस महानिरीक्षक को आदेश दिए कि किसानों के प्रति ठिकानों के दुर्यवहार एवं कठोरताओं के खिलाफ किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के आवश्यक कदम अविलम्ब उठाए जायें।¹⁰⁰

ठिकानों द्वारा इन आदेशों का विरोध किया गया। 2 मार्च 1943 को मण्डवा ठिकाने के वकील ने राजस्व मन्त्री को पत्र लिखा "अक्सर देहात के कारतकारान ठिकाने में लगान अदा न करके निजामत में माल दाखिल कर देते हैं और निजामत में माल जमा कर लिया जाता है इसमें ठिकाने का नुकसान है लिहाजा अर्ज है कि वनाम नाजिम जो हुकम सादिर फरमाया जाये कि कारतकारान ठिकाने का माल निजामत में न जमा करे और जिन कारतकारान ठिकाने से माल निजामत में जमा कर लिया गया है उनको वापस लौटा देवे।"¹

शेखावाटी के किसानों की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आ रहा था। ठिकानों व किसान अपने-अपने पक्ष पर डटे हुए थे। अतः शेखावाटी की समस्या यथावत बनी हुई थी। जयपुर सरकार ने समस्या के समाधान हेतु 3 दिसम्बर, 1943 को विशेष बन्दोबस्त आयुक्त नियुक्त किया। उसने 3 जून, 1944 की एक टिप्पणी में लिखा कि "शेखावाटी की दो समस्याएँ हैं। पहली छोटी जागीरों में बन्दोबस्त अभी तक नहीं हुआ है एवं जागीरदार किसानों से मनमाना राजस्व वसूल करते हैं, जो किसान देने के लिए सहमत नहीं हैं। दूसरी समस्या उन गावों के सम्बन्ध में है, जिनका बन्दोबस्त हो गया है एवं राजस्व की दरें निर्धारित कर दी गई हैं, किन्तु जागीरदार इन दरों से असहमति व्यक्त कर अधिक दर वसूल करने का प्रयास कर रहे हैं एवं किसान "बन्दोबस्त अधिकारी" द्वारा निर्धारित दर से अधिक कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है।"² जयपुर सरकार ने इस टिप्पणी पर कोई विचार किए बिना किसानों के खिलाफ दमनात्मक कानून लागू किए। 13 जून 1944 को आदेश प्रसारित किया गया कि यदि कोई किसानों को राजस्व अथवा लागू न देने के लिए प्रेरित करेगा अथवा उकरायेगा उसे भारत सुरक्षा नियम के तहत 5 वर्ष की सजा दी जा सकती है।³ जयपुर राज्य 1944 के पूर्व किसानों के प्रति उदारता बरत रहा था। किन्तु किसानों ने प्रजामण्डल आन्दोलन में सम्मिलित होकर राज्य के अस्तित्व को चुनौती दी थी अतः किसानों के प्रति राज्य की कठोर नीति स्वाभाविक थी।

जयपुर राज्य ने किसान दमन को और अधिक बढ़ा दिया। 24 अप्रैल, 1945 को जयपुर सरकार ने एक आदेश द्वारा बिना अनुमति के शेखावाटी में जुलूस निकालने, राभा करने एवं एकत्रित होने पर पाबन्दी लगा दी थी।⁴ 8 जून 1945 को शेखावाटी की स्थिति को भ्रान्तिपूर्ण बनाने के लिए जयपुर सरकार ने आदेश प्रसारित करते हुए ठिकानों की नई राजस्व एवं प्रशासनिक व्यवस्था की घोषणा की। इसके द्वारा ठिकानों की शक्ति बढ़ा दी गई एवं लम्बे सघर्ष के बाद किसानों को जो कुछ सुविधाएँ व अधिकार मिले थे वे सब वापस ले लिये गए।⁵ इस आदेश के पश्चात् जागीरदारों ने किसानों को अपनी इच्छानुसार जौतों से बेदखल करना आरम्भ कर दिया। बेदखली को कानूनी जामा पहनाने के उद्देश्य से जयपुर सरकार ने बेदखली अधिकारी (इजेक्टमेन्ट ऑफीसर) नियुक्त किया एवं उसकी अनुमति से की जाने वाली बेदखली को वैध करार दिया गया।⁶ ठिकानेदारों ने पिछले वर्षों के बकाया राजस्व को बलपूर्वक वसूल करना आरम्भ कर दिया था। सरकार ने ठिकानेदारों के इस कार्य में पूरी मदद की। प्रतिक्रियारूप शेखावाटी के

किसानों ने करबन्दी आन्दोलन को और तेज कर दिया था। इसी समय शेखावाटी के अन्य ठिकानों के साथ ही सीकर के किसानों ने भी आन्दोलन छेड़ दिया था। सीकर के खालसा क्षेत्रों का भूमि बन्दोबस्त तो 1940 तक पूरा हो गया था, किन्तु सीकर के जागीर क्षेत्रों के किसानों की समस्याएँ यथावत बनी हुई थी।¹⁷

कुल मिलाकर 1945 में सीकर एव शेखावाटी के अन्य ठिकानों का किसान आन्दोलन पुनः प्रभावशाली रूप में आरम्भ हो गया था। आन्दोलन का संचालन अब प्रजामण्डल के हाथ में पूरी तरह आ गया था। इसी समय सीकर की जागीरदार सभा ने प्रजामण्डल के नेतृत्व में किसान आन्दोलन का खुला मुकाबला करने का ऐलान किया। असल में अब जागीरदार सगठन बनाकर वैधानिक तरीके से आत्मरक्षा के लिए अभियान चला रहे थे। भाषणों सभाओं एव वक्तव्यों के माध्यम से किसानों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने का नाटक कर रहे थे तथा प्रजामण्डल को किसानों को भडकाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे।¹⁸ वास्तव में वे प्रजामण्डल एव किसानों के मध्य मतभेद उत्पन्न कर किसान आन्दोलन का दमन करना चाहते थे।

सन् 1945 के नवम्बर में प्रजामण्डल की झुन्झुनू जिला समिति ने किसान सघर्ष तीव्र कर दिया था। 20 नवम्बर से 10 दिसम्बर, 1945 तक जयपुर राज्य प्रजामण्डल के मुख्य नेता हीरा लाल शास्त्री लादूराम जोशी नरोत्तम लाल वकील हरलाल सिंह जाट एव लादूराम जाट ने झुन्झुनू में उपस्थित रहकर किसान आन्दोलन का संचालन किया।¹⁹ नेता लगान वसूली में बाधा डाल रहे थे। किसानों एव ठिकानों के मध्य हिंसक वारदातें आरम्भ हो गई थी। 26 दिसम्बर 1945 को मण्डावा ठिकाने के कर्मचारी पदमपुरा नामक गाव में कर वसूली के लिए पहुँचे। जब डरा धमकाकर किसानों से वसूली का कार्य आरम्भ किया तो जाटों ने बाधा उत्पन्न की एव कर्मचारियों को मार-पीट कर भगा दिया।²⁰ आन्दोलन की प्रगति को देखकर 14 जनवरी 1946 को 14 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। किसानों के बढ़ते हुए सघर्ष ने 22 अप्रैल 1946 को इन नेताओं की रिहाई के लिए सरकार को मजबूर कर दिया था।²¹

हरलाल सिंह ने प्रजामण्डल के माध्यम से जयपुर दरबार एव जागीरदार विरोधी अभियान को काफी तीव्र एव तीखा बना दिया था। किसान नेता अब केवल राजस्व आदि की छूट एव भूमि अधिकारों की लड़ाई न लडकर जागीरदारी व्यवस्था के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे थे। इस नई स्थिति का कारण भारत में तेजी से घटने वाला घटनाक्रम था। 15 मार्च 1946 को इंग्लैण्ड की संसद में भारत की आजादी का प्रस्ताव पास हो गया था एव भारत की आजादी का स्वरूप तथा अन्तरिम सरकार के गठन सविधान निर्माण आदि के बारे में जाँच पड़ताल कर रूपरेखा तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुँचा एव 16 मई 1946 को इस मिशन द्वारा निर्मित योजना की घोषणा कर दी गई। इस योजना के तहत केवल ब्रिटिश भारत की आजादी का प्रस्ताव स्वीकृत किया

गया था। देशी रियासतों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया गया था। देशी रियासतों के जन सघर्षों की यह परीक्षा भी घड़ी थी। अब इनकी लड़ाई का निशाना देशी रियासतों की व्यवस्था बन गई थी। अतः राजतंत्र एवं सामन्तवाद की समाप्ति कर प्रजातान्त्रिक सरकार की स्थापना देशी रियासतों के जन आन्दोलन का लक्ष्य बन गया था।

जागीरदारी व्यवस्था की समाप्ति के नारे ने किसानों को अत्यधिक आकर्षित किया था। 23 दिसम्बर, 1946 को जयपुर में महकमाखारा (सचिवालय) परिसर में प्रजामण्डल एवं किसान नेताओं ने शेखावाटी के किसानों की सभा का आयोजन किया। इस सभा में जागीरदारी व्यवस्था की पूर्ण समाप्ति की माँग की गई। हर लाल सिंह ने अपने भाषण में जागीरदारों द्वारा किसानों की हत्या एवं अत्याचारों पर प्रकाश डालते हुए जयपुर सरकार की आलोचना की। सभा के अन्त में "जागीरदारी प्रथा का नाश हो" "शीघ्र भूमि बन्दोबस्त हो" एवं "जागीरदारों के जुल्मों का नाश हो" आदि नारों से आकाश गूँज उठा।¹ जन आन्दोलन को शान्त कर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जयपुर महाराजा ने 30 दिसम्बर, 1946 को प्रजामण्डल के नेताओं के साथ समझौता कर लिया। जयपुर राज्य प्रजामण्डल ने 1 जनवरी, 1947 को महाराजा की छत्रछाया में जिम्मेदार सरकार का गठन किया, जिसका मुख्य मंत्री हीरा लाल शास्त्री एवं राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल को बनाया गया। राजस्व मंत्री ने शेखावाटी सहित सम्पूर्ण राज्य की जागीरों में शीघ्र भूमि बन्दोबस्त के आदेश दिए। इस सरकार ने 25 जनवरी, 1947 को "जयपुर जागीर लैण्ड टेनेन्सी एक्ट 1947" पारित किया जिसके द्वारा जागीरों के किसानों को भूमि अधिकार प्रदान कर दिए गए, किन्तु यह अधिनियम एक लोकप्रिय घोषणा ही बनकर रह गया था। एक ओर राजस्थान में राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी वहीं दूसरी ओर किसानों व जागीरदारों के मध्य सघर्ष चल रहा था। जागीरदार किसानों को उनकी जेतों से बेदखल करते जा रहे थे। 31 मार्च, 1949 को वर्तमान राजस्थान प्रदेश का गठन पूर्ण हो गया था। किसानों को बेदखली से बचाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने 6 जून, 1949 को "राजस्थान किसान सुरक्षा अधिनियम" पारित किया। 20 अगस्त, 1949 को भारत सरकार ने गोविन्द वल्लभ पंत की अध्यक्षता में राजस्थान मध्य भारत जागीर जांच समिति का गठन किया। इस समिति ने दिसम्बर, 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो जागीरदारी व्यवस्था के अन्त का आधार बनी। 1952 में राजस्थान सरकार ने जागीरदारी व जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पास किया जिसके साथ ही जागीरदारी व्यवस्था सदा के लिए समाप्त हो गई।

संदर्भ

- 1 राष्ट्रीय अभिलेखागार पॅरिन् एण्ड पॅरिडिटिवल डिपार्टमेंन्ट, फाइल नं. 88 (F)-पी 1925 पृ 7
- 2 वही
- 3 वही डिपॅरिजिट-इन्टरनेल प्रॅसीडिन्स जनवरी 1922 नं 27
- 4 वही

- 5 राजस्थान राज्य अभिलेखागार जयपुर रिकार्ड्स फाइल न जे-2-7483 भाग-7 बस्ता न 99
पृ 13
- 6 वही
- 7 वही पृ 15
- 8 राष्ट्रीय अभिलेखागार फॉरेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट फाइल न 99(7)-पी 1925 पृ 7
- 9 वही
- 10 वही पृ 9-10
- 11 राजस्थान राज्य अभिलेखागार जयपुर रिकार्ड्स फाइल न जे-2-2549 भाग-प्रथम बस्ता न
70 पृ 12
- 12 वही एव फाइल न जे-2-7483 भाग-9 बस्ता न 99
- 13 वही
- 14 वही फाइल न जे-2-2549 भाग-1 पृ 5
- 15 वही
- 16 बृज किशोर शर्मा सामन्तवाद एव किसान सघर्ष जयपुर 1992 पृ 68
- 17 इस समय जयपुर का शासन एक कॉन्सिल के हाथों में था जिसका अध्यक्ष अरोज अधिकारी
(जयपुर का पॉलिटिकल एजेन्ट) को बनाया गया था। इसका कारण 7 सितम्बर 1922 को जयपुर
महाराजा माधोसिंह की मृत्यु के उपरान्त उसके उत्तराधिकारी सवाई भानसिंह का अल्पवयस्क
होना था। इस समय सवाई भानसिंह को शिक्षार्थ इंग्लैण्ड भेजा हुआ था
- 18 राजस्थान राज्य अभिलेखागार फाइल न जे-2-2549 भाग-1 पृ 6
- 19 सम्पूर्ण जयपुर राज्य प्रशासनिक दृष्टि से दो सम्भागों क्रमशः पूर्वी एव पश्चिमी में बटा हुआ था एव
प्रत्येक सम्भाग का प्रभारी एक दीवान होता था
- 20 राजस्थान राज्य अभिलेखागार (जयपुर शाखा) फाइल न आर-6-5 भाग-1 1925-26
- 21 वही (बीजानेर) फाइल न जे-2-2549 भाग-1 पृ 22-25
- 22 वही भाग-6
- 23 बृज किशोर शर्मा सामन्तवाद एव किसान सघर्ष जयपुर 1992 पृ 73
- 24 राजस्थान राज्य अभिलेखागार जयपुर रिकार्ड्स फाइल न जे-2-7493 बस्ता न 96
- 25 वही फाइल न जे-2-7483 भाग-7 बस्ता न 99 पृ 16
- 26 वही फाइल न जे-2-2549 भाग-1 बस्ता न 70 पृ 31-33
- 27 वही पृ 34
- 28 वही फाइल न जे-2-7483 भाग-7 बस्ता न 99 पृ 19-20
- 29 वही पृ 22-23
- 30 वही
- 31 वही पृ 23
- 32 1 अप्रैल 1931 को जयपुर महाराजा को शासन के पूर्ण अधिकार मिल गए थे
- 33 राजस्थान राज्य अभिलेखागार जयपुर रिकार्ड्स फाइल न जे-2-7483 भाग-7, बस्ता न 99
पृ 24

- 34 देशराज शेखावाटी के जनजागरण एवं किसान आन्दोलन के चार दशक जयपुर 1961 पृ 13 एवं
बृज किशोर शर्मा, शेखावाटी का किसान आन्दोलन कृषक राजनीतिक घेतना का उदय एवं
विकास राज्य शास्त्र समीक्षा वर्ष 13 अंक 1 पृ 85
- 35 राजस्थान राज्य अभिलेखागार जयपुर रिकार्ड्स फाइल न जे-2-7483 भाग-9 बस्ता न 99
पृ 2
- 36 वही
- 37 वही
- 38 वही पृ 3
- 39 वही पृ 3-5
- 40 वही
- 41 राजस्थान राज्य अभिलेखागार जयपुर रिकार्ड्स फाइल न जे-2-2549 भाग-7 बस्ता न 70
एवं देशराज पूर्वोक्त पृ 25-26
- 42 देशराज पूर्वोक्त पृ 26-28
- 43 राजस्थान राज्य अभिलेखागार जयपुर रिकार्ड्स फाइल न जे-2-2549 भाग-4 बस्ता न 70
- 44 वही, फाइल न जे-2-7483 भाग-9 बस्ता न 99 पृ 14
- 45 वही पृ 15-16
- 46 राजस्थान राज्य अभिलेखागार जयपुर रिकार्ड्स, फाइल न जे-2-2549 बस्ता न 70, पृ 14
- 47 राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जयपुर रिकार्ड्स, फाइल न जे-2-7483 भाग-9 बस्ता न 99
पृ 17-18
- 48 बृज किशोर शर्मा सामन्तवाद एवं किसान संघर्ष पृ 101-102
- 49 वही
- 50 राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जयपुर रिकार्ड्स फाइल न जे-2-7483 भाग-9 बस्ता न 99
पृ 19
- 51 वही पृ 19-20
- 52 वही भाग-7 बस्ता न 99 पृ 26
- 53 वही भाग-9 बस्ता न 99, पृ 9-10
- 54 देशराज पूर्वोक्त पृ 22-23
- 55 राजस्थान राज्य अभिलेखागार जयपुर रिकार्ड्स फाइल न जे-2-7483 भाग-7, बस्ता न 99
पृ 27
- 56 वही
- 57 वही
- 58 हिन्दुस्तान टाइम्स, 29 मई 1935 पृ 9
- 59 राजस्थान राज्य अभिलेखागार जयपुर रिकार्ड्स फाइल न जे-2-7493 बस्ता न 99 पृ 27
- 60 दी हिन्दुस्तान टाइम्स 17 जुलाई 1935
- 61 अर्जुन 30 जुलाई 1935
- 62 राजस्थान राज्य अभिलेखागार शाखा जयपुर फाइल न आर-8-1728

- 63 राजस्थान राज्य अभिलेखागार जयपुर रिकार्ड्स फाइल न जे-2-7483 भाग-9 बस्ता न 99 पृ 20
- 64 वही
- 65 राजस्थान राज्य अभिलेखागार जयपुर रिकार्ड्स फाइल न जे-2-2549 भाग-5 बस्ता न 70 पृ 206-9
- 66 वही पृ 230-33 एवं 242-45
- 67 वही पृ 251
- 68 वही
- 69 जयपुर राज्य प्रजामण्डल प्रथम वार्षिक अधिवेशन जयपुर 1938 स्वीकृत प्रस्ताव संख्या 9 प्रस्तावों की प्रकाशित पुस्तिका पृ 10-11
- 70 बृज किशोर शर्मा सामन्तवाद एवं किसान सघर्ष पृ 124
- 71 राजस्थान राज्य अभिलेखागार जयपुर रिकार्ड्स फाइल न जे-2-7483 भाग-2 बस्ता न 97 पृ 195-196
- 72 वही भाग 4 पृ 359-360
- 73 वही भाग 5 पृ 372-374
- 74 वही भाग 6 बस्ता न 98 पृ 162-163
- 75 वही
- 76 राजस्थान राज्य अभिलेखागार जयपुर रिकार्ड्स फाइल न जे-2-2549 भाग-2 बस्ता न 70
- 77 वही फाइल न जे-2-7483 भाग-6 बस्ता न 48
- 78 वही फाइल न जे-2-2549 भाग 5 बस्ता न 98 पृ 386
- 79 पंचायत पत्रिका जून 1939
- 80 वही जुलाई 1939
- 81 राजस्थान राज्य अभिलेखागार जयपुर रिकार्ड्स फाइल न जे-2-5525 भाग-3 पृ 87
- 82 राजस्थान राज्य अभिलेखागार जयपुर शाखा फाइल न आर-12-79 1939 पृ 44-50
- 83 जयपुर राज्य प्रजामण्डल द्वितीय वार्षिक अधिवेशन जयपुर 1940 स्वीकृत प्रस्ताव संख्या 7 पृ 7
- 84 राजस्थान राज्य अभिलेखागार जयपुर रिकार्ड्स फाइल न जे-2-5525 भाग-2(आर) पृ 231-33
- 85 राष्ट्रीय अभिलेखागार पॉलिटिकल डिपार्टमेंट फाइल न 360-पी (सीक्रेट) 1941 पृ 15
- 86 वही फाइल न 139-पी (एस)/ 1911 पृ 61
- 87 राजस्थान राज्य अभिलेखागार जयपुर रिकार्ड्स फाइल न जे-2-2549 भाग-5 बस्ता न 70
- 88 वही पृ 391-92
- 89 वही पृ 393
- 90 वही पृ 400
- 91 वही पृ 401
- 92 राजस्थान राज्य अभिलेखागार शाखा जयपुर फाइल न आर-14-1944
- 93 दी जयपुर गजट 15 जून 1944

150/राजस्थान मे किसान एव आदिवासी आन्दोलन

- 94 जयपुर गजट, 26 अप्रैल 1945
- 95 जयपुर गजट 14 जून 1945
- 96 राजस्थान राज्य अभिलेखागार शाखा जयपुर डिपोजिटेड रिकार्ड रेवेन्यू सेटिलमेन्ट फाइल न 13/एन डब्ल्यू आर / सी 5
- 97 वही फाइल न 48/एन डब्ल्यू आर / सी 5 पृ 12-13
- 98 वही पृ 16-18
- 99 वही पृ 20
- 100 वही, पृ 64
- 101 राजस्थान राज्य अभिलेखागार जयपुर प्रजामण्डल रिकार्ड फाइल न 15/1947

बूँदी राज्य में किसान आन्दोलन

बिजौलिया के किसान आन्दोलन के प्रभाव में बूँदी में किसान आन्दोलन आरम्भ हुआ। बिजौलिया के पड़ोस में स्थित बूँदी का बरड क्षेत्र 1920-22 की अवधि में किसान आन्दोलन से प्रभावित था, अर्थात् मेवाड़ में उपजे किसान आन्दोलन का विस्तार बूँदी तक हुआ। आन्दोलन के दौरान बिजौलिया के किसानों का सामाजिक सम्पर्क बूँदी के बरड क्षेत्र में किसान आन्दोलन उत्पन्न करने में सफल रहा। 1922 के आरम्भ में बिजौलिया किसान आन्दोलन एक सफल मजिल की ओर अग्रसर था। फरवरी 1922 में बिजौलिया के आन्दोलित किसानों व वहाँ के राव के मध्य समझौता वार्ता आरम्भ हो गई थी। इस वार्ता के दौरान किसानों की अधिकांश माँगें स्वीकार कर ली गई थी। अतः बिजौलिया के किसानों की सफलता ने बूँदी के बरड क्षेत्र के किसानों को अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु सघर्ष के लिए प्रोत्साहित किया। राजस्थान सेवा सघ राजस्थान में राजनीतिक आन्दोलन खड़ा करना चाहता था। राजस्थान सेवा सघ ने बिजौलिया के किसान आन्दोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका प्रभाव कोटा एव बूँदी क्षेत्र में बढ़ रहा था। कोटा के नेता नयनूराम शर्मा हाडीती सेवा सघ के कर्ताधर्ता थे। बिजौलिया एव इसके सीमावर्ती बूँदी क्षेत्र में भी राजस्थान सेवा सघ का अच्छा प्रभाव था। बरड के किसान भी बिजौलिया की तरह बेगार एव लाग-बाग आदि के भार से पीड़ित थे। अतः बिजौलिया के प्रभाव में यहाँ के किसान भी आन्दोलन के लिए आतुर हो रहे थे इस क्षेत्र में 1922-1925 के मध्य किसान आन्दोलन हुआ जिसे बरड के किसान आन्दोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात् लम्बे समय तक कोई किसान आन्दोलन बूँदी राज्य में दिखाई नहीं देता। 1936 में गूजर समुदाय के लोगों का एक आन्दोलन आरम्भ होता है जो अत्यधिक सीमित ही रहा। गूजरों का आन्दोलन यूँ तो 1936 से आरम्भ होकर 1945 तक चला किन्तु इसका सामाजिक व राजनीतिक प्रभाव अधिक नहीं था। इस अध्याय में इन दोनों आन्दोलनों का विश्लेषण किया जाना प्रस्तावित है।

बरड का किसान आन्दोलन (1922-25) :

राजस्थान सेवा सघ व बिजौलिया किसान पंचायत की सफलता से प्रेरित व उत्साहित होकर बरड के किसानों ने अप्रैल 1922 में एक आन्दोलन आरम्भ किया। आरम्भ में यह शान्तिपूर्ण मुहिम थी, किन्तु राज्य के दमनात्मक व उपेक्षापूर्ण व्यवहार ने इस आन्दोलन को तीव्र कर दिया था। किसानों में सामाजिक व राजनीतिक चेतना

निरिधत रूप से असहयोग आन्दोलन के परिणामस्वरूप उपजी थी। अतः किसानों में रचनात्मक कार्यों की ओर भी रुचि बढ़ी। बरड क्षेत्र के अनेक गावों में किसानों की सभाएँ हुईं। इन सभाओं में ग्रामीण जनो ने खददर का उपयोग बढ़ाने व विदेशी कपड़ों का उपयोग रोकने, शराब नहीं पीने व अश्लील गीत न गाने आदि सम्बन्धी निर्णय किए थे।¹ वूँदी राज्य के अधिकारी इन घटनाओं को गम्भीरता से देख रहे थे तथा उन्हें भय था कि कहीं मेवाड़ जैसा किसान आन्दोलन वूँदी में न फैल जाए। अतः 1 मई, 1922 को वूँदी के शासक ने एक आदेश द्वारा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जनसभाओं पर रोक लगा दी।² किसानों को सम्बन्धित इन आदेशों का पता नहीं था अथवा उन्होंने इनकी अवहेलना की थी तथा किसानों की सभाएँ निरन्तर रूप से जारी रही। दिनों दिन इन सभाओं का हर तरह से विस्तार होता रहा जिसके साथ ही किसान आन्दोलन के मुद्दे भी स्पष्ट होते गये। मई, 1922 की विभिन्न किसानों की सभाओं में निम्नलिखित मुद्दे उभर कर सामने आए—

- 1 भू-राजस्व के अतिरिक्त अन्य कोई कर न दिया जाए।
- 2 बेगार का विरोधपूर्णक इन्कार किया जाए।
- 3 किसानों को राज्य के न्यायालयों में किसी भी प्रकार का दाव दायर करने से निरुत्साहित किया जाए।
- 4 किसानों की सभी शिकायतें रामझौता न्यायालयों में प्रस्तुत की जाए।
- 5 राज्य के अधिकारियों व कर्मचारियों को रिश्त न दें।

उपरोक्त मुद्दों से पता चलता है कि किसान अपने अधिकारों के प्रति काफी जागरूक हो रहे थे। निरन्तर सभाएँ करके वे राज्य के आदेशों की घञ्जिया उड़ा रहे थे। राज्य की ओर से किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किए जा रहे थे। फौरी तौर पर राज्य ने अपने सहायक राजस्व अधिकारी को बरड जिले में किसानों की समस्याओं की जाँच हेतु नियुक्त किया। उसने अपने प्रतिवेदन में इंगित किया कि किसानों की समस्याएँ मुख्यतः युद्धकर, बेगार, लाग-बाग एव राज्य कर्मचारियों द्वारा उनके उत्पीड़न से सम्बन्धित थी।³ किसानों में भारी उत्साह व्याप्त था। वे अपनी सभाओं में राज्य कर्मचारियों को आने से रोक रहे थे। सभाओं में लाठियों से लैस महिलाओं के जत्थे को आगे रखा हुआ था।

दिनों दिन स्थिति बिगड़ती जा रही थी। किसानों द्वारा राज्य के आदेशों की अवहेलना व अपमान के कारण राज्य का प्रशासनिक नियंत्रण बरड क्षेत्र में कमजोर होता दिखाई दे रहा था। अतः इस क्षेत्र में राज्य का पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने के लिए राज्य को कड़े कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। मई, 1922 के अन्त में राज्य कौन्सिल के दो सदस्यों को किसानों की शिकायतों की जाँच हेतु नियुक्त किया गया। उनके साथ पर्याप्त सैन्य दल भी भेजा गया था जिसमें तोपखाना, घुड़सवार एव पैदल सेना सम्मिलित थी।⁴ कुल मिलाकर 200-250 सैनिकों का लवाजमा उनके साथ था। इन्होंने जगह-जगह अपने कैंप लगाए तथा वहाँ लोगों को बुला-बुलाकर घट आदेश

सुनाए कि सभा करने पर राज्य की ओर से पाबन्दी है। इस कार्यवाही द्वारा उनका उद्देश्य किसानों को आन्दोलन न करने के लिए आतंकित भी करना था। किन्तु इन सबका किसानों कि आन्दोलनात्मक गतिविधियों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडा। मई 1922 के अन्तिम दिनों में किसानों की सभाओं का आकार और भी अधिक बढ़ गया था। 29 मई को लम्बाखोह नामक गाव में एक सभा आयोजित हुई जिसमें लगभग 1000 किसान सम्मिलित हुए थे। इस सभा में किसानों ने राज्य कौन्सिल के सदस्यों के सैनिक अभियान की खिलाफत का निर्णय लेते हुए यह निर्णय लिया था कि सभी स्त्री व पुरुष अगले दिन निमाना जायेगे जहाँ सैन्य दल सहित राज्य के उच्च अधिकारी पहुँचे हुए हैं। दूसरे दिन 30 मई, 1922 को निमाना में 4000 से 5000 के बीच किसान स्त्रियों सहित पहुँचे। यहाँ पहले से ही पहुँचे हुए राज्य कौन्सिल के सदस्यों द्वारा किसानों की सभा न होने देने के भारी प्रयासों के उपरान्त भी किसानों की सभा हुई। इस सभा के दौरान राजस्थान सेवा सघ के कार्यकर्ता बिजौलिया निवासी भँवर लाल सुनार, "प्रज्ञा चक्षु" को राज्य पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था किन्तु भीड़ उसे वापस छुड़ाने में सफल रही।*

मई के अन्त की उपरोक्त घटनाओं ने किसान आन्दोलन को और अधिक तीव्र कर दिया था। बिजौलिया किसान आन्दोलन के प्रमुख नेता विजय सिंह पथिक ने खुलकर इस आन्दोलन का समर्थन किया। अतः बिजौलिया पद्धति पर किसान पचायत का गठन किया गया। पचायत की साप्ताहिक बैठकें करने का प्रावधान रखा गया। किसानों की बढ़ती हुई गतिविधियों से भयभीत होकर राज्य ने किसान दमन को तीव्र कर दिया था। राज्य किसी भी कीमत पर बलपूर्वक तथाकथित व्यवस्था व कानून को बनाए रखना चाहते थे। 10 जून 1922 को डूबी में 18 किसानों को गिरफ्तार कर बूंदी जेल भेज दिया।* सैन्य दल के सदस्य अनेक गावों में ये धमकियाँ देते हुए घूमे कि यदि किसान (ग्रामीणजन) कोई सभा करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जायेगा। किसानों की गिरफ्तारी का क्रम वहीं नहीं रुका तथा 13 जून, 1922 को राजपुरा नारीली एवं लम्बाखोह में 17 लोग गिरफ्तार किए गए। किन्तु रास्ते में 300 महिलाओं के जत्थे ने इन किसानों को मुक्त करवा लिया। राज्य सैन्य दल ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी एवं बालों का खुलकर प्रयोग किया। इस घटना में काफी महिलाएँ घायल हुईं तथा अनेक को साधारण छोटे आई। राजस्थान सेवा सघ ने इस घटना का खुलकर विरोध किया। इस अवसर पर राजस्थान सेवा सघ ने एक परचा प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था "बूंदी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार"। इस परचे में महिला आन्दोलनकारियों पर पुलिस के अत्याचारों को उजागर करते हुए इसकी भर्त्सना की गई। राजस्थान सेवा सघ ने इसे लेकर काफी हंगामा खड़ा किया।

राज्य कौन्सिल के सदस्यों के सभी प्रयास बरड़ के किसान आन्दोलन का दमन करने में असफल रहे। दूसरी ओर बिजौलिया किसान आन्दोलन के 11 जून 1922 के समझौते के समाचार ने किसानों के उत्साह में और भी वृद्धि की थी।

अन्त में राजस्थान सेवा सघ के निरन्तर प्रयासों व हाड़ीती एवं टोक एजेन्सी के पॉलिटिकल एजेन्ट के हस्तक्षेप के बाद बूंदी राज्य किसानों को कुछ छूटे देने पर सहमत हुआ।¹⁰ इस दिशा में पहला कार्य था अशान्त क्षेत्रों से राज्य के सैन्य दलों को वापस बुलाना जिससे सामान्य वातावरण बन सके। राज्य ने इस आन्दोलन के प्रमुख केंद्र डाबी पर 40 बन्दूकधियों को छोड़ कर सम्पूर्ण सैन्य दल वापस बुला लिए थे। सभी गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को चेतावनी देकर रिहा कर दिया गया था। इसके पश्चात् राज्य ने किसानों व ग्रामीण शिल्पकारों कुटिर उद्यमियों आदि को लागू-वाग एवं वेगार में अनेक छोटे प्रदान की तथा किसानों को अनेक आर्थिक सामाजिक छूटे भी प्रदान की।¹¹

बरड़ क्षेत्र के ग्रामीणों ने राज्य द्वारा धोपित छूटों को अस्वीकार कर दिया तथा राजस्थान सेवा सघ के निर्देश पर पूर्ववत् आन्दोलन चलता रहा। 14 जुलाई 1922 को बूंदी से 14 मील दूर लोइचा नामक स्थान पर एक सभा हुई जिसमें 1200 स्त्री पुरुष एवं बच्चों ने भाग लिया। इस सभा में यह तय किया गया कि वे भारी सख्खा में बूंदी महाराजा के समक्ष पहुँचकर अपनी माँगों के समर्थन में अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार की सभाएँ गाव-गाव में चल रही थीं। सभी सभाओं में किसानों ने किराी भी रिथति में अपनी एक जुटता को बनाए रखने की शपथ ली। डाबी एवं गराडा में क्रमशः 28 जुलाई व 3 अगस्त, 1922 की सभाओं में किसानों ने यह निर्णय किया था कि वे राज्य के आदेशों की अवहेलना करेंगे तथा भुगतान करने पर भी राज्य कर्मचारियों को खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं कराएँगे। कुछ स्थानों पर लोगों ने भू-राजस्व एवं जगलात करों की अदायगी से इन्कार किया तथा सरकार सुरक्षित घास के बीड़ों (जगल) में अवैध कब्जे भी कर लिए गए थे।¹² इस प्रकार राज्य के खिलाफ ग्रामीण जन विभिन्न माध्यमों से अपना रोष प्रकट कर रहे थे।

जब कुछ स्थानों पर भू-राजस्व का भुगतान रोक दिया गया तो राज्य कॉन्सिल ने आन्दोलन के दो प्रमुख केंद्रों निमाना एवं गराडा में पुलिस बल भेजा। अगस्त 1922 में हाड़ीती एवं टोक एजेन्सी के पॉलिटिकल एजेन्ट ने बरड़ क्षेत्र का दौरा किया। अपने दौरे के पश्चात् पॉलिटिकल एजेन्ट ने सभी आन्दोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों से बात की तथा अधिकांश गिरफ्तार लोगों को या तो चेतावनी देकर अथवा भविष्य में अच्छे व्यवहार की जमानत देने पर रिहा कर दिया गया था।¹³ वास्तविकता यह थी कि बूंदी राज्य के अधिकारी इस आन्दोलन को सुलझाने में दिग्भ्रमित हो गए थे। कभी वे किसानों के प्रति अत्यधिक उदारता दिखा रहे थे तो कहीं भारी दमन का सहारा ले रहे थे। अतः जहाँ एक ओर बरड़ आन्दोलन के बन्दियों को रिहा किया गया वहीं दूसरी ओर बूंदी राज्य में राजस्थान कंसरी, नवीन राजस्थान एवं प्रताप समाचार पत्रों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी।¹⁴ इसी समय बूंदी राज्य ने अपने पुलिस व राजस्व प्रशासन का पुर्नगठन किया। अक्टूबर 1922 में बूंदी राज्य में नए अधिकारी नियुक्त किए जो मुख्यतः सयुक्त प्रान्त से आए थे।

अक्टूबर, 1922 में बरड़ का किसान आन्दोलन खेराड क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। बरुन्धान जिले के निवासियों ने राज्य के सुरक्षित घास बीड़ों में घराई हेतु अपने पशु हाक दिए थे तथा उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि जब तक उनकी माँगें नहीं मान ली जाती तब तक वे ऐसा अनवरत रूप से करते रहेंगे।¹⁵ 2 नवम्बर, 1922 को गोपालपुरा में आयोजित एक सभा में राजस्थान सेवा सघ के कार्यकर्ता हरिजी ब्रह्मचारी ने सभा में सम्मिलित लोगों को सलाह दी कि वे अपने आपसी विवादों को राज्य के न्यायालयों में ले जाने के स्थान पर पचायतों में ही फैसला करें। अब बरड़ के आन्दोलन का पूर्ण संचालन खुले रूप में राजस्थान सेवा सघ कर रहा था। 14 नवम्बर, 1922 को राजस्थान सेवा सघ की हाड़ौती शाखा के प्रमुख नेता नयनूराम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनके खिलाफ विशेष न्यायालय में मुकदमा चलाया गया।¹⁶ दिसम्बर 1922 के अन्त तक किसानों की सभाएँ निरन्तर होती रही। इन सभाओं में किसानों ने असहयोग की नीति अपनाने, न्यायालयों के बहिष्कार करने, जेलों में उत्पीड़न सहने एवं अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए अपने जीवन के उत्सर्ग हेतु तैयार रहने का निर्णय किया। इस आन्दोलन ने लगभग सम्पूर्ण बरड़ क्षेत्र में करबन्दी अभियान का श्री गणेश कर दिया था। वर्ष 1923 के प्रथम तीन महिनों में यहाँ का आन्दोलन सगठित व शक्तिशाली बन चुका था।

1923 के आरम्भ में जनवरी से मार्च के दौरान रणवीर सिंह नामक जागीरदार ने इस आन्दोलन का सक्रिय समर्थन किया। इसकी उपस्थिति में 12 फरवरी, 1923 को तीरथ नामक गाव में एक सभा आयोजित हुई जिसमें 3000 किसान एकत्रित हुए थे। इस सभा में उसने किसानों को कर बन्दी के लिए उत्साहित किया। 13 मार्च, 1922 को पराना नामक गाव में आयोजित एक सभा में निर्णय लिया गया कि गावों में आन्दोलन के सन्दर्भ में जाच करने के लिए आने वाले अधिकारियों के साथ केवल पचायत ही वार्ता करेगी। इस निर्णय से किसानों की एकता भविष्य के लिए भी सुरक्षित कर दी गई थी। अधिकारियों को भी यह निर्देश दे दिया गया कि वे आन्दोलन के सिलसिले में केवल पचायत से बात करें। इस प्रकार आन्दोलन दिनों-दिन मजबूत होता जा रहा था, जिससे किसानों के हौंसले काफी बलवन्त थे। इस आन्दोलन की चरम परिणिति 2 अप्रैल, 1923 को डाबी में एक अप्रिय घटना के रूप में हुई।

2 अप्रैल, 1923 को डाबी में आयोजित एक सभा में किसानों ने बगैर सीमा शुल्क दिए खाद्यान्नों को कोटा ले जाने, राजस्व के भुगतान रोकने तथा राज्य कर्मचारियों को खाद्य सामग्री न देने सम्बन्धी निर्णय लिया।¹⁷ इसी बीच सभा स्थल पर राज्य पुलिस पहुँची तथा इस सभा को रोकने का प्रयास किया। पुलिस के आदेशों की अवहेलना करने के अपराध में बूंदी के पुलिस अधीक्षक ने भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। इस गोलीकाण्ड में नानक नाम का भील किसान मारा गया।¹⁸ इस घटना के बारे में राजस्थान सेवा सघ ने जाच के लिए बूंदी दरबार पर जोर डाला।

बूंदी के शासक ने इसकी जाच हेतु विरोध आयोग भी नियुक्त किया। यह इस आन्दोलन की सबसे भीषण घटना मानी जाती है। इस घटना के सम्बन्ध में स्वतंत्रता सेनानी रामनारायण चौधरी ने अपने सस्मरण में लिखा

‘भीलो का किरसा खत्म हुआ ही था कि बूंदी के बरड इलाके से समाचार आए कि वहाँ की सेना ने किसानों और उनकी स्त्रियों तक पर हमला कर दिया है। नानक नामक एक भील मारा गया। कुछ गोलियों के घायल अजमेर भी पहुँचे। इस बार भी मैं और सत्य भक्त जी मौके पर भेजे गए। बरड की जनता से हमारा परिचय तो था ही। विजौलिया से लगे हुए बूंदी के इस बीहड इलाके में हम कई बार जा चुके थे हरि जी वहाँ कठोर तपस्या की स्थिति में काम कर चुके थे और प० नयनूराम जी वही से गिरफ्तार होकर बूंदी जेल में पहुँच चुके थे। हम जाच के लिए पहुँचे तो वातावरण बड़ा शुद्ध था। राज्य की घुडसवार सेना ने सत्याग्रही स्त्रियों पर घोड़े दौड़ाकर और भाले चलाकर पाशिवक हमले किए थे। इन बहादुर बहनों ने अपने मर्दों का साथ देकर बेगार, लाग-बाग और लगान की ज्यादाती का विरोध किया था। रिश्वत बूंदी का सबसे बड़ा अभिशाप था। ऊपर से नीचे तक प्रायः सभी राज कर्मचारी जनता को खुले हाथों लूटते थे। बरड की प्रजा ने इसकी भी खुली मुखालिफ्त की थी।’¹⁹

राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी माणिक लाल वर्मा ने उसी समय नानक भील की याद में एक गीत ‘अर्जी’ शीर्षक से लिखा।²⁰ नानक भील राजस्थान का एक प्रमुख शहीद कहलाया। वह न केवल बरड बल्कि सम्पूर्ण दक्षिणी राजस्थान के किसान व आदिवासियों के उत्साह का स्रोत बन गया था। किसान एवं आदिवासियों को जोश दिलाने के लिए बाद तक माणिक लाल वर्मा का यह गीत सभाओं में सुनाया जाता रहा।

डाकू की घटना के पश्चात् भी किसानों ने साहस नहीं छोड़ा था, किन्तु इसी समय 10 मई 1923 को प० नयनूराम शर्मा को 4 वर्ष की कैद की सजा दे दी गई जो पहले से ही जेल में थे। उनके साथ रोबा राध के एक अन्य कार्यकर्ता नारायण सिंह भी जेल में थे। दोनों को समान सजा सुनाई गई थी तथा सजा समाप्त होने के पश्चात् इन दोनों के बूंदी राज्य में प्रवेश पर पाबन्दी लगा दी गई थी। विजौलिया के सेवा राध के कार्यकर्ता भैरव लाल सुनार ‘प्रज्ञा चक्षु’ को भी बरड के किसान आन्दोलन के सिलसिले में दो वर्ष की कैद की सजा दे दी गई थी।’

इस आन्दोलन के पश्चात् बूंदी राज्य कॉन्सिल ने बरड जिले के प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया। एक ओर इस क्षेत्र में राजस्थान रोबा राध के प्रमुख नेताओं विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, अजना देवी, हरि जी ब्रह्मधारी एवं सत्यव्रत के प्रवेश पर रोक लगा दी थी वहीं दूसरी ओर बरड के किसानों को बकाया राजस्व पर छूट प्रदान की तथा किसानों के खाते में दर्ज पड़त भूमि को हटाने का वायदा किया।

वास्तव में किसान इन छूटों से अधिक सन्तुष्ट नहीं थे, किन्तु राजस्थान सेवा सघ के नेताओं व कार्यकर्ताओं के दिशा निर्देश के अभाव में आन्दोलन को आगे चलाना सम्भव नहीं हो पा रहा था। अतः किसान मजबूरन इस आन्दोलन की सीमित उपलब्धियों से सन्तुष्ट थे।

अक्टूबर 1923 में भैवर लाल सुनार तथा 24 सितम्बर, 1924 को नयनूराम शर्मा व नारायण सिंह जेल से रिहा हो गए थे।¹² जैसा कि नयनूराम शर्मा के प्रवेश पर पाबन्दी लगी हुई थी अब रिहाई के बाद वह बूंदी राज्य में रहकर आन्दोलन का संचालन करने में असमर्थ था। सन् 1925 में बरड़ के किसान आन्दोलन ने सभाओं जुलूसों घरनों प्रदर्शनो इत्यादि का रास्ता छोड़कर आवेदनों और अपीलों का रास्ता अपना लिया था। राजस्थान सेवा सघ द्वारा बूंदी की जनता की ओर से अनेक याचिका व निवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए थे। 27 सितम्बर, 1925 को राजस्थान सेवा सघ की हाडौती शाखा की सभा हुई जिसमें उच्च अधिकारियों एवं यदि सम्भव हो तो बूंदी के शासक से किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु मिलने के लिए प० नयनूराम शर्मा को अधिकृत किया था। यदि इन प्रयासों में सफलता नहीं मिली तो आन्दोलन आरम्भ करने के लिए आगे कदम उठाए जाएँगे।¹³ नयनूराम शर्मा ने हाडौती सेवा सघ के अध्यक्ष की हैसियत से जनवरी 1926 के दौरान बूंदी राज्य के अधिकारियों को अनेक पत्र लिखे किन्तु कोई विशेष परिणाम सामने नहीं आये। सन् 1927 के बाद राजस्थान सेवा सघ ही अन्तर्विरोधों के कारण बन्द हो गया था। अतः राजस्थान सेवा सघ के साथ ही बूंदी के बरड़ क्षेत्र का किसान आन्दोलन समाप्त हो गया।

बरड़ का आन्दोलन अल्पकालिक ही था किन्तु इसका महत्त्व कम करके नहीं आका जा सकता। यह आन्दोलन अधिक टिकाऊ भी सिद्ध नहीं हुआ किन्तु इसके उपरान्त भी इसकी उपलब्धियाँ पर्याप्त थी। इस आन्दोलन के दबाव में राज्य ने अनेक भ्रष्ट कर्मचारी व अधिकारियों को दण्डित भी किया था। बूंदी के लालची कर्मचारी व अधिकारियों की रिश्वतखोरी पर कुछ अकुश अवश्य लगा था। साथ ही किसानों को बेगार व करों के सम्बन्ध में अनेक छूटें भी प्रदान की गईं जो इसी आन्दोलन का परिणाम था। इन सबके उपरान्त इस आन्दोलन ने बूंदी राज्य में स्वतंत्रता आन्दोलन का मार्ग भी प्रशस्त किया।

गूज़रो का आन्दोलन (1936-45) :

यह आन्दोलन भी सर्वप्रथम बरड़ क्षेत्र से ही आरम्भ हुआ था। बरड़ क्षेत्र के गूजर समुदाय के लोग अधिकांशतः पशुपालन से अपना जीवन यापन करते थे। यूँ तो अधिकांश ग्रामीण जन पशुपालन व्यवसाय करते थे किन्तु गूजर व मीणा इन दो समुदायों के लोग पशुपालन पर अधिक निर्भर थे। गूजर समुदाय के लोगों में अनेक कष्टदायक करों व राज्य द्वारा उनके सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप को लेकर आक्रोश

व्याप्त था। सन् 1936 में नुक्ता (मृत्यु भोज) पर कानूनी पाबन्दी लगा दी गई थी। इससे गूजरो में असन्तोष व्याप्त था। पशु गिनती की सरकारी कार्यवाही में गूजरो के मन में यह आशका उत्पन्न कर दी थी कि उनके ऊपर चराई कर लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वे भारी राजस्व की दरों व गैर कानूनी लागों के विरोधी भी थे। गूजर राज्य की कृषि विस्तार नीति के विरुद्ध भी थे क्योंकि अधिक भूमि जोत में आने से पशु घराने के लिए कम भूमि उपलब्ध रहने की सम्भावना थी। इन कारणों को लेकर 5 अक्टूबर, 1936 को हिण्डौली में हुडेश्वर महादेव के मन्दिर पर गूजर, मीणा एव अन्य पशु पालकों व किसानों की एक सभा हुई जिसमें 90 गावों के लगभग 500 व्यक्ति सम्मिलित हुए थे। इस सभा के पटेलो ने अपना एक माँग पत्र तैयार कर हिण्डौली के तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार था—

- 1 ठेकेदारों के द्वारा ऊन सस्ती दरों पर 9 से 15 रुपए प्रति मन की दर से खरीदी जा रही है तथा वे इसे बूंदी राज्य के बाहर 50 से 60 रुपए प्रति मन की दर से बेच रहे हैं। इससे उनको (पशुपालकों) को भारी हानि हो रही है। अतः ठेकेदारों द्वारा उनके शोषण को रोका जाना चाहिए।
- 2 सिंचित भूमि पर उगने वाली लकड़ी का चौथा हिस्सा लिया जाना समाप्त किया जाना चाहिए। गाँव का ठेका गैर-कानूनी है एव यह समाप्त किया जाए।
- 3 महिलाओं के पुनर्विवाह के अवसर पर ली जाने वाली लाग तुरन्त रोकी जानी चाहिए।
- 4 जीरे पर कर 6 आना प्रति मन की दर से लिया जाता था। अब यह 3 रुपए प्रति मन तक बढ़ा दिया गया है, इसे पुरानी दर पर लिया जाए।
- 5 नुक्ता करने की अनुमति प्रदान की जाए।
- 6 बकरी पर चराई कर डेढ़ आना प्रति खोज तक कर दिया गया है जो पहले एव आना ही था। अतः यह पुरानी दर पर लिया जाए।
- 7 चराई कर या तो खालसा क्षेत्र में ही लिया जाए अथवा जागीर क्षेत्र में एव दोनों में न लिया जाए।
- 8 मरे जानवर के चमड़े पर सरकार द्वारा लगाई जाने वाली मुद्रा (सील) पर प्रति सील 1 रुपया वसूल किया जाता है, उसे समाप्त किया जाए।
- 9 विवाह के समय राज्य के बाहर से लाने वाले सामान और राज्य से बाहर जाने वाले सामान पर सीमा शुल्क समाप्त किया जाए।
- 10 पानी भरने के लिए किसान चमड़े के बर्तन नहीं रख सकते यह प्रथा समाप्त की जाए।
- 11 मिट्टी की छपरेलों द्वारा छत टकने पर भी कर लिया जाता है। यह समाप्त किया जाए।
- 12 राज्य द्वारा पैदा होने वाले कच्चे आगों का चौथा हिस्सा लिया जाता है यह रोकना चाहिए।

13 मेरा (रखवाली मदान) बनाने के काम में ली जाने वाली लकड़ी पर भी कर लिया जाता है जो समाप्त किया जाए।

कुल मिलाकर इनका जोर चराई करो को समाप्त करने कम करने व पशुचारण की सहूलियतें उपलब्ध कराने पर था। जब यह ज्ञापन प्राप्त हुआ तो इस पर राज्य ने जाँच कराई तथा इन भागों को सही पाया। दूसरी और किसी आन्दोलन की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए 21 अक्टूबर 1936 को बूंदी सरकार ने अपराध कानून सशोधन अधिनियम 1936 पारित किया जिसके अनुसार कोई व्यक्ति राज्य विरोधी गतिविधियों तथा सार्वजनिक सुरक्षा व शान्ति के विरुद्ध आन्दोलनात्मक गतिविधियों में सम्मिलित होगा तो वह अर्थदण्ड व एक वर्ष की कैद अथवा दोनों के द्वारा दण्डित किया जाएगा।¹⁵ 28 अक्टूबर 1936 को पुलिस का महानिरीक्षक कॉन्सिल का राजस्व सदस्य एव अधीक्षक जगलात हिण्डौली पहुँचे। इन्होंने वहाँ पहुँचकर राज्य की नीति का खुलासा करते हुए कहा कि शीघ्र ही बन्दोबस्त कार्य आरम्भ किया जा रहा है। किसान इस आश्वासन से सन्तुष्ट नहीं थे। ऐसी स्थिति में बूंदी के दीवान ने 7 नवम्बर 1936 को एक आयोग नियुक्त किया जिसमें राज्य कौन्सिल के न्याय राजस्व एव गृह सदस्य को सम्मिलित किया गया था। इस आयोग को हिण्डौली के गूजर किसानों की शिकायतों की जाच का दायित्व सौंपा गया था।¹⁶ राज्य के इन प्रयासों के उपरान्त आन्दोलन शान्त हो गया था। सम्भवतः इनकी अधिकारा शिकायतें दूर कर दी गई थी किन्तु 1939 में पुन गूजरों का आन्दोलन लाखेरी की तरफ आरम्भ हुआ। सम्भवतः 1936 के आन्दोलन के समय केवल बरड खेराड व इसके मध्य स्थित हिण्डौली के पशुपालकों की समस्याओं का ही समाधान हुआ था, सम्पूर्ण बूंदी राज्य के लिए नहीं। इसके अलावा 1939 में इनकी मांगे कुछ भिन्न थी।

3 सितम्बर 1939 को 40 गावों के लगभग 150 गूजरो ने लाखेरी में 'तोरण की बावरी' पर एक सभा की जिसमें भँवर लाल जनादार एक राज कर्मचारी गोवर्धन चौकीदार व सीमेन्ट फ़ैक्टरी के एक कर्मचारी राम निवास तम्बोली ने इसमें नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। उनकी मुख्य माँग राज्य के बाहर बकरियों के ले जाने पर पाबन्दी समाप्त करना था। पशुओं के राज्य के बाहर ले जाने पर कस्टम अधिकारियों द्वारा तग न किए जाने व इस पर सीमा शुल्क नहीं लिए जाने की मांग भी सम्मिलित थी। इस आन्दोलन को सरकार ने बलपूर्वक दबा दिया था।¹⁷

सन् 1943 में पुन हिण्डौली क्षेत्र में गूजरों का आन्दोलन आरम्भ हुआ। 5 जनवरी, 1943 को 60 गावों के गूजर किसानों ने भेड़-बकरी कर में वृद्धि को समाप्त करने के लिए बूंदी के महाराजा के समक्ष ज्ञापन भेजा। 10 जनवरी 1943 को हिण्डौली में राज्य की चराई शुल्क के विरुद्ध सभा की। नया प्रस्तावित चराई कर इस आन्दोलन का मुख्य निशाना था। अनेक गावों से इस कर को लागू करने के विरोध में ज्ञापन बूंदी के दीवान के समक्ष पहुँचे। 25 जनवरी 1943 को सावन्तगढ

खोड़ी, निमोद इत्यादि के पंचो ने नैनवा में उप आयुक्त को सूचित किया कि वे नई प्रस्तावित चराई कर का भुगतान करने में असमर्थ हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि यह कर थोपा गया तो उनके पशु भूख से मर जाएंगे एवं वे खाद के लिए गोबर प्राप्त करने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे।¹⁰ अतः नए प्रस्तावित चराई कर के विरुद्ध किसानों का अभियान जारी रहा।

आन्दोलन की प्रगति को देखकर प्रत्येक तहसील सलाहकार समिति ने इस पर विचार किया। 31 जनवरी, 1943 को कापरन तहसील की सलाहकार समिति ने यह प्रस्ताव पास किया।¹¹ "यदि नया चराई कर भेड बकरी भैंस इत्यादि पर लगाया जाता है तो पशुओं की संख्या में ही गिरावट आएगी, बल्कि घी, दूध इत्यादि की कीमत भी बढ़ जाएगी और इससे गोबर का अभाव उत्पन्न हो जायेगा। प्रस्तावित नया चराई कर नहीं थोपा जाए।"

11 अक्टूबर, 1943 को वूंदी के दीवान ने इस मुद्दे पर निर्णय लेते हुए यह अधिसूचना जारी की कि "यह आदेश करते हुए दरवार प्रसन्न हैं कि राज्य में सभी भैंसों पर 8 आना प्रति पशु चराई कर लिया जाएगा। एक किसान जो 40 बीघा बरानी भूमि अथवा 12 बीघा पीपल भूमि जोतता है तो उसे 2 भैंसों के रखने पर कर से मुक्ति दी जाएगी। आगे भी शुल्क मुक्त चराई की छूट किसान की जोत के अनुपात में प्रदान की जाएगी। एक वर्ष तक भैंसों के चछड़ों को कर मुक्त रखा जाएगा।"¹²

घरड़ में गूजरो एवं अन्य किसानों ने जनवरी, 1945 में पुनः हलवल आरम्भ की। यहाँ पर गूजर नए चराई कर से सन्तुष्ट नहीं थे क्योंकि उनके पास भैंसों के लेंहड़े रहते थे। उनकी अन्य शिकायतें जंगल से घास व लकड़ी प्राप्त करने में करों का भार पशुओं सहित हर प्रकार के सामान की राज्य में आवाजाही पर लगने वाले सीमा शुल्क से सम्बन्धित थी। किसान से राज्य शस्त्र कर मंडी कर एवं बिक्री कर भी वसूल करता था। इन सबके अतिरिक्त राजस्व की राशि पर 10 प्रतिशत की दर से युद्ध कर भी वसूल किया जा रहा था। इन सबके विरोध में किसानों ने वूंदी के दीवान को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें निम्नलिखित माँगें सम्मिलित की गई थीं—

- 1 युद्ध ऋण के रूप में लिया जाने वाला कर तुरन्त रोकवा जाए।
- 2 ईंधन की लकड़ी पर शुल्क समाप्त किया जाए।
- 3 घी के निर्यात एवं मुक्त बिक्री की अनुमति दी जाए।
- 4 भू-राजस्व सीधे पटवारी द्वारा वसूल किया जाए।
- 5 हथियार शुल्क नहीं लिया जाए।
- 6 चराई कर वसूलने में बल प्रयोग न किया जाए।

किसानों ने मेवाड़ प्रजामण्डल के नेता माणिक लाल वर्मा को अपनी मदद के लिए याद किया। माणिक लाल वर्मा ने वूंदी दरवार को पत्र भी लिखे तथा किसानों

को सगठित रूप से आन्दोलन चलाने के लिए दिशा निर्देश दिए। आन्दोलन को नियंत्रित करने के लिए 22 फरवरी 1945 को किसानों की सभा पर लाठी चार्ज कर गिरफ्तारिया की। इस आन्दोलन के केन्द्र गराड़ा नामक गाव में यह घटना घटी। अन्त में बूंदी कॉन्सिल के राजस्व सदस्य ने गूजरों को सन्तुष्ट करने के ध्येय से उनके क्षेत्रों का दौरा कर यह स्पष्ट किया कि युद्ध कर स्वैच्छिक है अनिवार्य नहीं। राजस्व सदस्य ने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए मार्च 1945 के अन्त तक आन्दोलन को शान्त कर दिया। सभी गिरफ्तार लोगों को भविष्य में अच्छे व्यवहार के व्यक्तिगत मुचलके देने पर रिहा कर दिया। इस प्रकार लम्बे समय से चल रहा किसान आन्दोलन शान्त हुआ।

साराशत यह कहा जा सकता है कि बूंदी का किसान आन्दोलन अत्यधिक उत्साहवर्धक रहा। बरड़ के किसानों ने लगभग 23 वर्षों तक अनवरत सघर्ष कर सामन्ती व औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस आन्दोलन को बूंदी के स्वतंत्रता आन्दोलन के अग के रूप में भी देखा जा सकता है। अनेक बार यह कहा जाता है कि ये किसान आन्दोलन स्वतंत्रता आन्दोलन का अग नहीं थे क्योंकि इनमें आजादी की बात नहीं कही गई थी किन्तु आजादी की परिभाषा दें तो ये पाते हैं कि किसी भी प्रकार की कठोरताओ से मुक्ति का सघर्ष स्वतंत्रता आन्दोलन की परिधि में आता है। ऐसा ही बूंदी के किसान आन्दोलन के अध्ययन से स्पष्ट होता है।

संदर्भ

- 1 राष्ट्रीय अभिलेखागार फॉरेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट फाइल न० 148-पी (कॉन्फिडेंशियल) 1924
- 2 वही होम पॉलिटिकल डिपार्टमेंट फाइल न० 18 1922
- 3 राजस्थान राज्य अभिलेखागार बूंदी इग्लिस रिकार्ड फाइल न० 252 पार्ट-1 1921-22
- 4 राष्ट्रीय अभिलेखागार होम पॉलिटिकल डिपार्टमेंट फाइल न० 18 1922
- 5 वही फॉरेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट फाइल न० 148-पी (कॉन्फिडेंशियल) 1924
- 6 वही
- 7 राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बूंदी इग्लिस रिकार्ड फाइल न० 252 पार्ट-1 1921-22
- 8 वही
- 9 नवीन राजस्थान 18 जून 1922
- 10 राजस्थान राज्य अभिलेखागार बूंदी इग्लिस रिकार्ड फाइल न० 252 पार्ट-1 1921-22
- 11 वही
- 12 वही
- 13 राष्ट्रीय अभिलेखागार फॉरेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट फाइल न० 148-पी (कॉन्फिडेंशियल) 1924
- 14 राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बूंदी इग्लिस रिकार्ड फाइल न० 80 1922-23

152/राजस्थान में किसान एव आदिवासी आन्दोलन

- 15 राष्ट्रीय अभिलेखागार होम पॉलिटिकल डिपार्टमेन्ट फाइल न० 18 1922
- 16 राजस्थान राज्य अभिलेखागार ब्रूटी इंग्लिश रिकार्ड फाइल न० 252 पार्ट-1 1921-22
- 17 वही पार्ट-111 1922-23
- 18 नवीन राजस्थान 22 अप्रैल 1923
- 19 राम नारायण चौधरी बीसवीं सदी का राजस्थान पृ० 75-78
- 20 शंकर राहाम सक्सेना जो देश के लिए जिए(यशोगाथा लोकन्यायक श्री माणिक्य ताल बणी) मुक्तवाणी प्रकाशन बीकानेर 1972 पृ० 288
- 21 नवीन राजस्थान 20 मई 1923
- 22 तरुण राजस्थान 19 अक्टूबर 1924
- 23 वही 25 अक्टूबर 1925
- 24 राजस्थान राज्य अभिलेखागार ब्रूटी कॉन्फिडेंशियल रिकार्ड फाइल न० 54/40-41 बस्ता न० 5
- 25 वही,
- 26 वही
- 27 वही
- 28 राजस्थान राज्य अभिलेखागार ब्रूटी इंग्लिश रिकार्ड फाइल न० 243 1942-43
- 29 वही
- 30 वही
- 31 वही ब्रूटी कॉन्फिडेंशियल रिकार्ड फाइल न० 45/ए, 1944-45

अध्याय-8

बीकानेर राज्य में किसान आन्दोलन

राजस्थान के अन्य राज्यों की तरह बीकानेर के किसान भी सामन्ती एव औपनिवेशिक शोषण से मुक्त नहीं थे। यहाँ की 687 प्रतिशत भूमि सामन्तों के अधिकार में थी जिन्हे ठिकाना अथवा जागीर कहा जाता था। कुल मिलाकर 313 प्रतिशत भूमि सीधे राज्य के अन्तर्गत थी। बीकानेर राज्य के किसान मनमाने राजस्व लागू-बाग, पशु कर एव बेगार के भार से दबे हुए थे। इस राज्य में घोर निरकुश सामन्ती शोषण प्रचलित था। सस्थाओं का विकास अत्यधिक सीमित था। बीकानेर राज्य में किसान आन्दोलन अन्य राज्यों की तुलना में विलम्ब से उत्पन्न हुए इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं की वहाँ किसानों की दशा अन्य राज्यों की तुलना में अच्छी थी। बल्कि यहाँ के किसानों की स्थिति अत्यधिक गम्भीर थी। एक ओर किसान सामन्ती शोषण के शिकार थे तो दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाएँ उनकी जीवन दशाओं को कष्टमय बना देती थी। बीकानेर के शासक गंगासिंह के शासन काल 1887-1943 में सिचाई व परिवहन के साधनों के अप्रत्याशित विकास ने बीकानेर राज्य में आर्थिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया था। इस नवीन परिवर्तन ने किसानों की दशा में मौलिक परिवर्तन नहीं किया था क्योंकि इनका लाभ सीधे तौर पर किसानों को न मिलकर सीधे शासक वर्गों को मिला था। किसान निरन्तर सामन्ती शोषण के शिकार बने रहे। यदि किसानों को भौतिक प्रगति का कुछ लाभ मिला भी था तो उसे सामन्तों ने लागतों (लागू-बाग) व राजस्व की दर में वृद्धि कर वापस छीन लिया था। बीकानेर राज्य के सदियों से चले आ रहे परम्परागत समाज में विकास व परिवर्तन की गति अधिक धीमी थी जिससे किसानों में घेतना का संचार विलम्ब से हुआ। 1929-30 के विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के दौर में किसान अत्यधिक आर्थिक भार से दब गए थे। अतः इस समय से किसानों में महाराजा व जागीरदार के आर्थिक शोषण के विरुद्ध हलचल आरम्भ हो गई थी। यहाँ एक बात और उल्लेखनीय है कि इस राज्य के पड़ोसी राज्यों जोधपुर व जयपुर में किसान आन्दोलन इस राज्य की सीमा से सटे क्षेत्रों में 1920 में ही आरम्भ हो गया था किन्तु इनके प्रभाव में बीकानेर में किसान आन्दोलन क्यों नहीं हुआ एक विचारणीय प्रश्न है। अनेक कारणों के उपरान्त इसका प्रमुख कारण महाराजा गंगासिंह की निरकुश प्रवृत्ति थी।

बीकानेर राज्य में सम्पूर्ण राजस्थान के राज्यों की तुलना में एक नवीन प्रवृत्ति दिखाई देती है जिसका प्रभाव एक क्षेत्र विशेष तक सीमित दिखाई देता है यह था

गगनहर का निर्माण। इस सिंचाई परियोजना का क्षेत्र गगानगर था जहाँ पर पंजाब से भारी सख्या में आकर किसानों ने खेती आरम्भ की थी। पंजाब प्रान्त में अनेक देशी रियासतों के बावजूद बहुत बड़ा भू-भाग अंग्रेजी नियंत्रण में था। पंजाब में राजनीतिक चेतना काफी आगे बढ़ी हुई थी किन्तु इसका सीधा प्रभाव भी बीकानेर राज्य के किसानों में दिखाई नहीं देता। जैसाकि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि बीकानेर में किसान आन्दोलन विलम्ब से आरम्भ हुए थे किन्तु बीकानेर के कृषि क्षेत्र में राजनीतिक हलचल गगानगर क्षेत्र से आरम्भ हुई थी। बीकानेर राज्य के अन्य शक्तिशाली किसान आन्दोलनों के अध्ययन के पूर्व गगानगर के आधुनिक कृषि क्षेत्रों की हलचल जानना प्रासंगिक होगा।

गगनहर क्षेत्र के आन्दोलन :

गगनहर परियोजना का शिलान्यास 5 दिसम्बर 1925 को स्वयं महाराजा गंगा सिंह ने किया था। इस नहर का नाम महाराजा के नाम पर ही 'गगनहर' रखा गया। यह नहर पंजाब की सतलज नदी से निकाली गई थी। यह नहर लगभग दो वर्ष की अवधि में बनकर तैयार हो गई थी तथा 26 अक्टूबर, 1927 को इसका विधिवत रूप से शुभारम्भ हो गया था जिसके साथ ही इससे सिंचाई आरम्भ हो गई। इस नहर के निर्माण के साथ ही पंजाब से अनेक किसान कृषि कार्य हेतु बस गए थे। एक ओर ये किसान बाहर से आए थे तथा दूसरी ओर नवनिर्मित नहर क्षेत्र में कृषि विकास की समस्याओं से जूझ रहे थे। ऐसी स्थिति में ये किसान आपसी सुरक्षार्थ, पहले से ही एकताबद्ध थे। अप्रैल 1929 में 'जमींदार एसोसिएशन' का गठन किया तथा दरबारा सिंह को अपना अध्यक्ष नियुक्त कर इसकी शाखाएँ श्रीगगानगर मुख्यालय सहित श्री करणपुर, पदमपुर, अनूपगढ़ एवं रायसिंह नगर में खोली गईं। इस संगठन के निर्माण के साथ ही इस क्षेत्र के किसानों ने आन्दोलन आरम्भ किया। सर्वप्रथम 10 मई, 1929 को श्रीगगानगर में आयोजित जमींदार एसोसिएशन की बैठक में अपनी समस्याओं का एक मॉग पत्र तैयार किया। इसके माध्यम से गगनहर क्षेत्र के किसानों ने सिंचाई की अधिक सुविधाओं, सिंचाई दर में कमी, भूमि की किराये कम करने तथा इस क्षेत्र में रेलवे स्टेशन व पोस्ट ऑफिस खोलने जैसी मांगें सम्मिलित की थीं। राज्य ने इनकी मांगों को तर्कसंगत मानते हुए स्वीकार कर लिया जिससे इन किसानों के होंसले ढूँट गए। 1929-30 के दौरान इस क्षेत्र के किसानों को अनेक सुविधाएँ मिलती गईं तथा किसानों का असन्तोष साथ ही साथ समाप्त होता चला गया। असल में यह समृद्ध किसानों का संगठन था तथा प्रतिवर्ष अपनी सामयिक समस्याओं के समाधान हेतु राज्य के समक्ष अपने मॉग पत्र प्रस्तुत कर छूटें व सहूलियतें प्राप्त करते रहे। ये किसान अपनी समस्याएँ पंजाब प्रान्त की विधानसभा के माध्यम से भी उठाते रहते थे। महाराजा गंगासिंह स्वयं भी इस क्षेत्र का दौरा करते रहते थे। जमींदार एसोसिएशन 1929 से आरम्भ होकर 1947 तक अपने सदस्यों के हितों को पूरा करती रही। अधिकांशतः इसकी गतिविधियाँ सौधामिक व शान्तिपूर्ण ही रही। अतः राजस्थान के

किसान आन्दोलन के सन्दर्भ में इस आन्दोलन का कोई विशेष महत्त्व दिखाई नहीं देता। इस सगठन के साथ स्थानीय बीकानेरवासियों का कोई सम्बन्ध दिखाई नहीं देता। इस सगठन के सदस्य व नेता पंजाब प्रान्त से आए हुए सिक्ख सरदार ही थे।

जागीर क्षेत्रों में किसान आन्दोलन :

राजस्थान के प्रमुख राज्यों मेवाड़ मारवाड़ व जयपुर राज्यों की भांति बीकानेर राज्य में भी किसान आन्दोलनों की शुरुआत जागीर क्षेत्रों से ही हुई। बीकानेर के अधिसंख्य निवासी जाट जाति के लोग ही थे। बीकानेर राज्य के पड़ोसी क्षेत्र शेखावाटी में भी जाट जाति के किसानों की प्रमुखता थी। शेखावाटी में किसान आन्दोलनों के साथ-साथ जातीय उत्थान व समाज सुधार की गतिविधियाँ काफी आगे बढ़ी हुई थी। बीकानेर राज्य के कॉन्फिडेरियल दरतावेजों से ज्ञात होता है कि शेखावाटी के जाट किसानों के सामाजिक व आर्थिक सघर्ष ने बीकानेर के जाट किसानों में भी नई चेतना का संचार कर उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। बीकानेर के किसान आन्दोलन में जाट जाति का ही वर्चस्व था किन्तु यह आन्दोलन जातिवाद से मुक्त ही था। एक आधुनिक शोधकर्ता ने बीकानेर के किसान आन्दोलन के सन्दर्भ में अपना विचार इस प्रकार व्यक्त किया है 'राज्य के किसान आन्दोलनों का अध्ययन करने पर यह तथ्य प्रकाश में आता है कि इन आन्दोलनों का नेतृत्व वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्यक जाति के हाथों में ही रहा। बीकानेर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जाट जाति का वर्चस्व था। अतः इन्होंने इसका नेतृत्व किया। परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं लगाया जा सकता कि यह राजपूत जागीरदारों और जाटों का सघर्ष था चूँकि गावों की अन्य सभी खेतीहर जातियाँ भी इन आन्दोलनों से जुड़ी दिखाई देती हैं जिनमें पिछड़ी और दलित जातियों के लोग भी थे। अस्तु कहा जा सकता है कि बीकानेर राज्य में कृषक असन्तोष एव आन्दोलन जातिगत नहीं थे।'

बीकानेर के जागीर क्षेत्रों में भी किसान लाग-बागों के भार से दबे हुए थे। ये लाग-बाग आधुनिक काल में और अधिक बढ़ गई थी। जागीरदारों के पास अन्य कोई कार्य नहीं रह गया था तथा वे किसानों से विभिन्न माध्यमों से धन एकत्रित कर मौज उड़ाते थे। आधुनिक काल में जागीरदारों ने नए-नए नामों से लाग-बाग लगा दी थी। जब किसान किसी कारण से इनकी अदायगी में असमर्थ रहते थे तो उन्हें विभिन्न तरीकों से उत्पीड़ित किया जाता था। इन क्षेत्रों में जागीरदार लगभग 37 प्रकार की लाग-बागें किसानों से लेते थे। इन लाग-बागों में अनेक लागें सम्मिलित थी जिनका उल्लेख यथास्थान आगे किया हुआ है। मूल रूप से लाग-बागों व बेगार के विरोध में ही किसान आन्दोलन आरम्भ हुए थे। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम 1937 में उदरासर के किसानों ने की थी जब उन्होंने गैर कानूनी लाग-बागों तथा बेगार के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई थी। यहाँ के किसानों के नेता जीवन चौधरी ने बीकानेर प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से किसानों की समस्याएँ बीकानेर के

महाराजा एवं अन्य अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की किन्तु इसमें कोई सफलता नहीं मिली तथा जीवन चौधरी एवं प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने धमकाया व बुरी तरह पीटकर अपमानित किया, किन्तु यह एक अच्छी शुरुआत थी।

महाजन ठिकाने का किसान आन्दोलन :

उदरासर 1937 के पश्चात् 1938 में बीकानेर राज्य के महाजन ठिकाने में किसान आन्दोलन आरम्भ हुआ। महाजन बीकानेर राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था जिसे विशेष प्रशासनिक अधिकार प्राप्त थे। वह अपने आपको सर्व शक्तिमान शासक समझता था। वह मनमाने तरीके से राजस्व में वृद्धि कर देता था। मई, 1938 में महाजन ठिकाने के किसानों ने नाजिम सदर तथा राजस्व आयुक्त के समक्ष जागीरदार द्वारा निरन्तर भू-राजस्व, चराई कर एवं अन्य लागों की राशि में वृद्धि की शिकायत की। जब महाजन के किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो उन्होंने 13 सितम्बर 1938 को बीकानेर के राजस्व मंत्री का ध्यानाकर्षित किया। किसानों ने वकील के माध्यम से अपनी शिकायत राजस्व मंत्री के समक्ष प्रस्तुत की। दूसरी ओर महाजन ठिकाने के जागीरदार ने 21 दिसम्बर, 1938 को राजस्व मंत्री को शिकायत की कि उसके क्षेत्र के किसानों को राजस्व अदा न करने के लिए भड़काया जा रहा है। बीकानेर के दीवान ने किसानों व जागीरदारों को साथ बुलाकर बातचीत की। इस वार्ता के दौरान जागीरदार भू-राजस्व एवं लागों के मामले में 1926 की स्थिति पुनः लाने के लिए सहमत हो गया, किन्तु किसान सहमत नहीं थे। यहाँ के किसानों ने दीवान (प्रधानमंत्री) को शिकायत की कि भू-राजस्व तथा चराई की दरें खालसा क्षेत्रों के समान निश्चित की जाए।

किसानों की समस्याओं के सन्दर्भ में बीकानेर राज्य की ओर से विशेष प्रगति नहीं हुई। कई गावों के जाट किसान महाजन पहुँचकर जागीरदार से प्रार्थना की कि चार आना छ पैसा के स्थान पर तीन आना तीन पैसा प्रति बीघा की दर से भू-राजस्व तथा एक रुपया बारह आना के स्थान पर एक रुपया छ आना व दस आना के स्थान पर क्रमशः ऊट, भैंस एवं गाय पर एक रुपया, बारह आना एवं चार आना प्रति पशु की दर से राजस्व लिखा जाए। साथ ही किसानों ने माग की कि पशुओं, अनाज एवं घी आदि की बिक्री पर 'खूटा फिराई' एवं मापा नामक कर नहीं लिया जाए। जागीरदार ने किसानों की माँगों पर कोई विचार किए बिना 1926 की दर से भू-राजस्व, चराई कर एवं अन्य लागों की वसूली के निर्णय से किसानों को अवगत कराया। किसानों ने पुनः 3 मार्च, 1939 को बीकानेर के गृहमंत्री के समक्ष आपन प्रस्तुत किए। काफी जद्दोजहद के बाद 21 जून, 1939 को दोनों पक्षों के मध्य एक समझौता हो गया। यह समझौता जागीरदार की यादा खिलाफी के कारण टूट गया तथा महाजन ठिकाने के किसानों की अशांति यथावत रही। किसानों ने दुःखी होकर पुनः 30 जनवरी, 1941 को अपनी याचिका गृहमंत्री, राजस्व मंत्री एवं प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की। किसानों ने महाराजा को भी अपनी बातें पहुँचाने का प्रयास

किया। बीकानेर सरकार ने किसानों की समस्याओं के समाधान के स्थान पर भादरा के तहसीलदार जगन्नाथ जोशी को भू-राजस्व लागू-बाग एव भूगा (चराई कर) वसूल करने के लिए महाजन के ठिकाने का कामदार नियुक्त करके भेजा। नए कामदार ने अनेक गावों के किसानों की सभा कर उनसे तीन वर्षों तक (वर्ष 1938-39 एव 40) के राजस्व व अन्य भुगतानों की शेष राशि के भुगतान हेतु कहा। उन्हें यह भी आगाह कर दिया गया कि यदि वे बकाया राशि नहीं जमा कराएँगे तो उनकी सम्पत्ति को नीलाम कर दिया जायेगा।'

कामदार ने आरम्भ से ही सख्ती बरतना शुरू कर दिया था। उसने कुछ किसान नेताओं की सम्पत्ति भी जब्त कर ली थी जो उसके निर्णय का विरोध कर रहे थे। इससे किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया था। इसी के साथ उन्होंने तब तक कोई भी कर अदा न करने का निर्णय लिया जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। किसानों ने यह भी निश्चय किया कि वे उन किसानों को जाति बाहर कर देंगे जो उनके निर्णय को तोड़ेगा।⁹ ऐसी स्थिति में कामदार की मदद हेतु बीकानेर राज्य ने एक पुलिस बल भेज दिया। उसने 30 अक्टूबर, 1941 को किसानों के नेताओं को गढ़ में बुलाकर समझौता करने का दबाव डाला, किन्तु कोई सफलता नहीं मिली।¹⁰ जब कामदार 2 नवम्बर, 1941 को किसानों की सम्पत्ति जब्त करने खनीसर गाव पहुँचा तो गाववासियों ने उसका खुला विरोध किया। किसान आन्दोलन व प्रतिरोध को बढ़ता हुआ देख अन्त में बीकानेर सरकार ने 1938-39 की बकाया राशि में 50 प्रतिशत तथा 1939-1940 की बकाया राशि में 25 प्रतिशत छूट की घोषणा की।¹¹ सरकार ने सावधानी बरतते हुए प्रमुख किसान नेताओं को ठिकाने से बाहर निकलने के आदेश दिए तथा अन्य नेताओं को भविष्य में अच्छे व्यवहार हेतु 500 रुपये के मुचलके प्रस्तुत करने के लिए मजबूर किया। इन्हीं कदमों के साथ इस आन्दोलन ने शक्ति छोड़ दी। सामान्य स्थिति पैदा होने पर ठिकाने ने बाहर निष्काशित नेताओं का निष्काशन रद्द कर दिया। इस प्रकार दिसम्बर 1942 के अन्त तक महाजन ठिकाने का किसान आन्दोलन पूर्णतः शान्त हो गया था।

अन्य ठिकानों में किसान प्रतिरोध

महाजन ठिकाने के किसान आन्दोलन को सीधे तौर पर एक सफल आन्दोलन नहीं कहा जा सकता, किन्तु तीन वर्ष की अवधि तक चले इस किसान आन्दोलन ने अन्य ठिकानों में भी किसानों को प्रभावित अवश्य किया था। अन्य ठिकानों के किसान आन्दोलन में कुम्भाणा ठिकाने का किसान आन्दोलन भी महत्वपूर्ण था। इस आन्दोलन का स्वरूप अधिकांशतः शिकायतों व याचिकाओं तक ही सीमित रहा। 9 मार्च 1939 को प्रथम बार कुम्भाणा के जागीरदार ठाकुर दौलत सिंह के विरुद्ध बीकानेर राज्य के उच्च पदाधिकारियों के समक्ष शिकायत की। उनकी प्रमुख शिकायत यह थी कि गम्भीर सूखे की स्थिति में ठिकाना उनसे भू-राजस्व चराई कर तथा गढ़ की चिनाई डेरा खर्च, न्यौता, धुआ इत्यादि लागें वसूल कर रहा है।¹² इसी क्रम में 14 मार्च 1939

को कुम्भारणा के किसानों ने भू-राजस्व लागू-बाग व अन्य किसी प्रकार का कर न देने का निर्णय लिया। अनेक गावों में राजस्व संग्रह नहीं हो सका। जागीरदारों के दमन के भय से किसानों का एक प्रतिनिधि मण्डल बीकानेर पहुँचा एवं अपनी शिकायत प्रस्तुत की।¹² यह आन्दोलन क्षणिक बुलबुला बनकर रह गया था। इसी प्रकार का एक आन्दोलन जसाणा ठिकाने के ठाकुर जीवराज सिंह के विरुद्ध उत्पन्न हुआ जिसका निर्दयतापूर्वक दमन कर दिया गया और किसानों की अपील तक नहीं सुनी गई।¹³ इसी प्रकार कुदुम और सबतसर ठिकानों में भी जागीरदारों के विरुद्ध 1939-40 के दौरान आन्दोलन हुए। 1940 में ठिकाना पूगल के किसानों ने बीकानेर के प्रधानमंत्री को शिकायत की थी कि 1938-39 के दौरान अकाल के समय भू-राजस्व, भूगा आदि की पूर्ति के लिए उनका सामान छीन लिया गया था। उसी वर्ष बरसात होने पर जब किसानों ने अपने खेतों को जोतने का कार्य आरम्भ किया तो उसने उन किसानों को खेत नहीं जोतने दिया जिन्होंने राजस्व का भुगतान नहीं किया था।¹⁴ इसी तरह 1940 में ही काकू गाव के किसानों ने बीकानेर के प्रधानमंत्री को जागीरदार के कठोर व्यवहार व मनमाने कर वसूली की शिकायत की थी।¹⁵

ये सभी आन्दोलन 1940 के आसपास उत्पन्न हुए जिसका प्रमुख कारण अकाल होने पर भी जागीरदारों द्वारा राहत कार्य आरम्भ करने के स्थान पर बलपूर्वक कर वसूली था। इन आन्दोलनों को बहुत अधिक सफलता तो नहीं मिली किन्तु इनसे बीकानेर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक चेतना का उदय अदृश्य हुआ था। ऐसा भी नहीं है कि इनसे किसानों को सीधे तौर पर लाभ नहीं हुआ ? इन आन्दोलनों के दौरान किसानों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर बीकानेर सरकार ने जागीर क्षेत्रों में प्राथमिकता के तौर पर कुछ लागू-बागों को समाप्त करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में बीकानेर सरकार ने 4 अक्टूबर 1940 को जागीर गावों में 29 लागू-बागों को समाप्त कर दिया था।¹⁶ इसे उपरोक्त किसान आन्दोलनों की उपलब्धि कहा जा सकता है। इस सफलता से उत्साहित होकर किसानों ने भारी संख्या में भू-राजस्व की उच्च दरों व लागू-बागों की वसूली की शिकायतें भेजीं। तत्पश्चात् बीकानेर राज्य के अधिकारियों की यह स्पष्ट मान्यता बनी कि जागीर क्षेत्रों में भूमि बन्दोबस्त के बिना ग्रामीण क्षेत्रों में शान्ति स्थापित नहीं की जा सकती। इसी क्रम में जनवरी 1942 से राजगढ़ तहसील के जागीर क्षेत्रों का भूमि बन्दोबस्त कार्य आरम्भ हो गया था जिसका श्रेय 1941 तक के किसान आन्दोलनों को जाता है।

दूधवाद्यारा किसान आन्दोलन :

बीकानेर के किसान आन्दोलन के इतिहास में दूधवाद्यारा के किसान आन्दोलन को सबसे अधिक महत्त्व प्राप्त है। जिस प्रकार मेवाड़ के बिजौलिया तथा जयपुर के शोयावाटी, रूँदी के बरड़ तथा अलवर के नीमूवाणा आन्दोलनों ने सम्पूर्ण देश का ध्यान आकर्षित किया था उसी प्रकार बीकानेर राज्य के दूधवाद्यारा के किसान आन्दोलन ने सम्पूर्ण देश का ध्यान आकर्षित किया था। इस आन्दोलन का वास्तव

किसानों का सामन्ती शोषण व उत्पीडन था। वर्ष 1944 के आरम्भ में यहाँ का जागीरदार ठाकुर सूरजमल सिंह दूधवाखारा पहुँचा तथा उसने किसानों पर पुरानी बकाया राशि के भुगतान का बहाना कर अनेक किसानों को उनकी जोत से बेदखल कर दिया था।¹⁷ 3 फरवरी 1945 को जब बीकानेर का महाराजा सादुल सिंह भादरा कैम्प में था तो दूधवाखारा के किसानों ने वहाँ के जागीरदार के अत्याचारों तथा किसानों की बलपूर्वक बेदखली की शिकायतें की। इन शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसका कारण यह था कि यहाँ का जागीरदार सूरजमल सिंह बीकानेर राज्य के जनरल सेक्रेटरी पद पर कार्यरत था। अतः उसके प्रभाव के कारण किसानों की शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उल्टे इन शिकायतों के पश्चात् सूरजमल सिंह के किसानों पर अत्याचारों में वृद्धि ही हुई थी। उसने किसानों के विरुद्ध चोरी और झूठ के झूठे मुकदमें दर्ज करवा दिए थे। इन बढ़ते अत्याचारों के विरुद्ध चौ० हनुमानसिंह के नेतृत्व में किसान स्त्री-पुरुषों का एक प्रतिनिधि मण्डल 2 जून 1945 को माउन्ट आबू जाकर महाराजा सादुल सिंह से मिला।¹⁸ इसी दौरान बीकानेर राज्य प्रजापरिषद् के अध्यक्ष प० मधाराम स्वयं दूधवाखारा पहुँचकर किसानों पर हो रहे अत्याचारों का पूर्ण विवरण प्राप्त कर बीकानेर लौटे। प० मधाराम ने इन अत्याचारों को उजागर करते हुए कटु आलोचना की एवं दूधवाखारा के किसानों के पक्ष में प्रभावी माहौल बनाया।

जब हनुमानसिंह एवं उसके किसान साथी माउन्ट आबू में महाराजा से मिलकर वापस दूधवाखारा लौट रहे थे तो उन्हें रतनगढ में गिरफ्तार कर लिया गया था।¹⁹ उसे बीकानेर जेल में भेज दिया गया जहाँ उसे भारी यातनाएँ दी गईं। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद् का हनुमानसिंह के नेतृत्व में किसान आन्दोलन को खुला समर्थन मिल रहा था। 2 जुलाई, 1945 को दूधवाखारा व राजगढ के सैकड़ों किसान बीकानेर पहुँचे तथा हनुमानसिंह की तुरन्त रिहाई की मांग की। चौ० हनुमानसिंह ने यातनाओं के विरुद्ध जेल में आमरण अनशन आरम्भ कर दिया था। 6 जुलाई 1945 को दूधवाखारा के किसानों ने अपनी महिलाओं व बच्चों सहित बीकानेर की सड़को पर चौ० हनुमानसिंह की रिहाई के लिए बीकानेर राज्य प्रजा परिषद् के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला। इस जुलूस के फलस्वरूप सरकार का दमन घटकर और अधिक तीव्र हो गया था। इसके तुरन्त पश्चात् प० मधाराम और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।²⁰ उसी दिन किसानों ने भी गिरफ्तारियाँ दीं। 9 जुलाई, 1945 को बीकानेर राज्य के बड़े अधिकारियों ने गिरफ्तार किसानों को डराया, धमकाया और उन्हें आन्दोलन त्यागने के लिए मजबूर किया। 8 जुलाई को प० मधाराम के छोटे भाई शेराराम को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया था कि उसने किसानों के भोजन आदि की व्यवस्था की थी। 14 जुलाई तक गिरफ्तार सभी किसानों को समझा बुझाकर और डरा धमकाकर उनके गाँव वापस भेज दिया।

राज्य का दमन चक्र शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में निरन्तर जारी रहा। बीकानेर

शहर में प्रजा परिषद व इसकी सहयोगी सस्थाओं जैसे खादी मन्दिर सार्वजनिक वाचनालय आदि पर ताले लगा दिए गए थे। इस सबके उपरान्त भी सरकार शान्ति स्थापित करने में असफल सिद्ध हो रही थी। बीकानेर शहर में दमन चक्र के बारे में यह घृतान्त इस प्रकार मिलता है पुलिस और प्रशासन ने किसान आन्दोलन के समर्थकों के विरुद्ध अपना दमन चक्र बीकानेर में तेज कर दिया। खादी मन्दिर बीकानेर और बीकानेर राज्य प्रजा परिषद द्वारा संचालित कार्यालय पर पुलिस ने पहसा लगा दिया। 15 जुलाई को वाचनालय का तिरगा उतारकर उस पर ताला लगा दिया गया। गिरफ्तार प्रजा परिषद कार्यकर्ताओं को 21 जुलाई को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया और दफ्तर 147 151 ताजी रात हिन्द के तहत चालान पेश कर केन्द्रीय कारागृह में भेज दिया गया।¹⁷

चौ० हनुमानसिंह के विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा 50 दिनों तक चला। हनुमानसिंह ने 50 दिन तक मुकदमें की सुनवाई के साथ सहयोग इस आधार पर नहीं किया कि यह निष्पक्ष सुनवाई नहीं थी। उसके अनुसार राज्य की ओर से न्याय का एक नाटक किया जा रहा था। 50 दिन की मुकदमें की सुनवाई के दौरान हनुमानसिंह अनशन पर रहा। उसे 9 अगस्त, 1945 को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई,¹⁸ किन्तु उसका स्वास्थ्य गिरने के कारण 10 अगस्त 1945 को महाराजा ने उसे माफी प्रदान कर कैद से मुक्त करवा दिया।¹⁹ ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि महाराजा बीकानेर ने हनुमानसिंह को गगानगर में 100 मुरब्बा भूमि देने का प्रस्ताव रखा जिसे हनुमान सिंह ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वह इसके स्थान पर दूधवाखारा में अपने लोगों के साथ इज्जत सहित रहने को प्राथमिकता देगा।²⁰ इस रिकार्ड के साथ महाराजा किसानों को राज्य की ओर से क्षतिपूर्ति हेतु सहमत हो गया था।

चौ० हनुमानसिंह की रिहाई के परचात भी किसानों पर अत्याचार बन्द नहीं हुए थे। अखिल भारतीय प्रजा परिषद ने हरिभाऊ उपाध्याय को दूधवाखारा की घटना की जाँच हेतु भेजा था किन्तु उसे यहाँ नहीं जाने दिया और उसे लौटने पर मजबूर कर दिया था।²¹ दूधवाखारा के किसानों ने पुनः आन्दोलन आरम्भ कर दिया था। 20 मार्च 1946 को चौ० हनुमान सिंह एवं उसके साथी नरसाराज को बीकानेर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया था कि वे दूधवाखारा के किसानों को आन्दोलन हेतु उकसा रहे हैं।²² इसी दौरान राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों ने इस आन्दोलन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया। हनुमानसिंह के साथ पुनः बुरा व्यवहार किया गया किन्तु उसके गिरते स्वास्थ्य के कारण उसे महाराजा के आदेशों से पुनः 27 जुलाई 1947 को रिहा कर दिया गया।²³ जेल से रिहा होने के परचात उतारने पुनः किसानों में एकता स्थापित कर राज्य के विरुद्ध आन्दोलन का आह्वान किया। उसने अनेक किसान सभाओं में भाषण दिए। सरकार ने उसी गिरफ्तार करने की कोशिश की किन्तु वह बच निकला। सरकार ने इस पर

उसकी सम्पत्ति जब्त कर नीलाम कर दी। अन्त में पुलिस ने उसे 7 अप्रैल 1947 को बन्दी बना लिया। उसने बीकानेर जेल में 65 दिन तक भूख हड़ताल की और जब बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार बनी तो उसे 4 जनवरी, 1948 को जेल से रिहा कर दिया गया। इसी के साथ उस पर व उसके परिजनों पर लगाए गए सभी मुकदमों भी वापस ले लिए गए थे।¹⁹ इस प्रकार दूधवाखारा के किसान आन्दोलन का निर्णायक अन्त हुआ।

बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व में किसान आन्दोलन :

बीकानेर राज्य प्रजा परिषद् राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु सघर्षरत थी। दूधवाखारा के किसान आन्दोलन के समय प्रजा परिषद् ने उस आन्दोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अतः प्रजा परिषद् का राज्य के सभी किसानों व किसान आन्दोलनों को समर्थन प्राप्त था, किन्तु 1946 में कुम्भाराम आर्य द्वारा प्रजा परिषद् की सदस्यता स्वीकार करने के पश्चात् इसकी ओर से स्वतंत्र रूप से किसान आन्दोलन चलाया गया था। परिषद् ने मुख्य रूप से गैर कानूनी लागू-बागो, देगार, भारी राजस्व एवं अन्य करों का मुद्दा अपने हाथों में लिया। 7 अप्रैल, 1946 को कुम्भाराम आर्य की अध्यक्षता में राजगढ़ तहसील के ललाणा में प्रजा परिषद् की एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में जागीरदारों के जुल्म व अत्याचारों पर खुलकर चर्चा हुई थी। राज्य ने इस सभा के नेताओं की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए थे। 1 मई, 1946 को कुम्भाराम आर्य को गिरफ्तार कर लिया गया। 20 मई, 1946 को राजगढ़ कस्बे में किसानों के जुलूस पर लाठी चार्ज हुआ तथा काफी किसानों को गिरफ्तार किया गया। 2 जून, 1946 को प्रजा परिषद् ने ललाणा में पुनः एक सभा आयोजित की जिसमें 5000 किसान सम्मिलित हुए।²⁰ किसानों के बढ़ते हुए आन्दोलन को शान्त करने के ध्येय से राज्य सरकार ने 24 जून 1946 को किसानों व जागीरदारों के मध्य समझौता करवाने के लिए एक समिति गठित की जिसमें एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया गया तथा जागीरदारों व जाटों के दो-दो प्रतिनिधि सदस्य बनाए गये।²¹ इस समिति का गठन एक नाटक ही सिद्ध हुआ। 1 जुलाई को चौ० कुम्भाराम को रिहा कर दिया गया।

प्रजा परिषद् के नेतृत्व में दूसरा किसान आन्दोलन रायसिंह नगर की घटना को लेकर हुआ। जब 1 जुलाई, 1946 को प्रजा परिषद् के नेतृत्व में रायसिंह नगर में एक जुलूस निकल रहा था तो पुलिस व सेना के बल पर इसे कुचलने की नाकाम कोशिश की गई। इस सैनिक कार्यवाही में एक कार्यकर्ता बीरबल सिंह की मृत्यु हो गई थी।²² प्रजा परिषद् ने 6 जुलाई, 1946 को सम्पूर्ण बीकानेर राज्य में किसान दिवस मनाया। राज्य में सभी जगह रायसिंह नगर गोली काण्ड को लेकर राज्य की भर्त्सना की गई तथा दूधवाखारा एवं राजगढ़ के किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलन्द की गई।²³ 1946 के पश्चात् भारी संख्या में जाट नेताओं

का प्रवेश प्रजा परिषद् में हुआ। इससे एक ओर किसानों को बल मिला वहीं दूसरी ओर राज्य प्रजा परिषद् के सामाजिक आधार में वृद्धि हुई जो अपने उत्तरदाई शासन की स्थापना के ध्येय को प्राप्त करने में सफल रही।

3 सितम्बर, 1946 को गोगामेडी में प्रजा परिषद् की एक विशाल सभा हुई जिसमें लगभग 3000 किसान एकत्रित हुए थे। इस सभा में किसानों की भू-राजस्व व लाग-बाग सम्बन्धी समस्याओं पर विचार हुआ। इसमें किसानों पर जागीरदारों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया। पहली बार इस सभा में जागीरदारी व्यवस्था की समाप्ति की माँग प्रजा परिषद् के मंच से की गई थी।”

कागड काण्ड :

बीकानेर के किसान आन्दोलन के इतिहास की अन्तिम महत्वपूर्ण घटना कागड काण्ड थी। यह आन्दोलन जागीरदारों के अत्याचारों से उपजा स्वस्फूर्त किसान आन्दोलन था। कागड रतनगढ तहसील का एक गांव था जो जागीरदार के अधिकार में था। 1946 में खरीफ की फसल नष्ट होने के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कागड के जागीरदार ने ऐसी स्थिति में किसानों से कर वसूली का प्रयास किया। किसानों ने जागीरदार से वसूली को स्थगित करने का निवेदन किया। कुछ होता हुआ न देख कागड के लगभग 35 किसान महाराजा को याचिका प्रस्तुत करने बीकानेर पहुँचे। इससे जागीरदार आग-बबूला हो गया तथा 29 अक्टूबर, 1946 को जागीरदार के आदमियों ने उस गांव के किसानों के साथ खुलकर लूट-भार की। पुरुष, महिला एवं बच्चों को गड में ले जाया गया। जागीरदार के गुण्डों ने खुले आम महिलाओं की बेज्जती की। किसानों से जबरदस्ती राजस्व वसूल किया गया तथा उनकी सम्पत्तियां जप्त अथवा नीलाम कर दी गईं। दुखी किसान मदद के लिए प्रजा परिषद् के बीकानेर स्थित कार्यालय पहुँचे। प्रजा परिषद् ने इस मामले की जांच हेतु एक समिति गठित की जिसमें स्वामी सचिदानन्द, केदारनाथ, हराराज आर्य, दीपचन्द चौ0 गोजीराम मगादत्ता रंगा एवं रूपराम रतनगढ सदस्य नियुक्त किए गए थे।

उपरोक्त जांच समिति के सदस्य 1 नवम्बर, 1946 को कागड पहुँचे तो उन्होंने देखा कि गांव खाली हो चुका था। कुछ भयभीत महिलाएँ अवश्य दिखाई दीं जो बात करने की भी हिम्मत नहीं कर रही थीं। इसी बीच ठिकाने के कुछ लोग इनको गड में बुला ले गए उनकी वहाँ जागीरदारों के लोगों ने जमकर पिटाई की व अनेक तरीकों से अपमानित किया। ये अनेक बार बेहोश तक हो गए थे। उन्हें और अधिक अपमानित करने के लिए उनके कपड़े उतारकर गांव की गलियों में धूसाया गया।” दूसरे दिन भूटे प्यारो इन नेताओं को मुक्त किया। उन्होंने रतनगढ पहुँचकर बीकानेर महाराजा को तार द्वारा सूचना दी व थाने में रिपोर्ट कराने गए किन्तु पुलिस ने उनकी

रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की। इन सबसे किसानों में निराशा तो आई किन्तु प्रजा परिषद् ने इन अत्याचारों के विरुद्ध जमकर सघर्ष किया। इस घटना के पश्चात् किसान आन्दोलन में दृढ़ता आ गई थी और वे जागीरदारी प्रथा की समाप्ति की माँग करने लगे। किसान अब तक भली भँति समझ गए थे कि राजा व जागीरदारों की सत्ता की समाप्ति के बिना उनको न्याय नहीं मिल सकता। अतः 1947 के आरम्भ से ही किसान भारी संख्या में प्रजा परिषद् की ओर आकर्षित हुए।

बीकानेर राज्य के किसान आन्दोलन के अध्ययन के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि 1938 से 1948 अर्थात् एक दशक के किसान सघर्ष ने आजादी की लड़ाई को बल तो प्रदान किया ही था साथ ही वे एक क्रान्ति के वाहक भी बने। दूधवाखारा के किसान आन्दोलन के समय से प्रजा परिषद् ने किसान सघर्ष को सभी प्रकार से खुला समर्थन दिया। अनेक बार यह भेद करना भी संभव नहीं हो रहा था कि किसान आन्दोलन चल रहे हैं अथवा प्रजा परिषद् की गतिविधियाँ। 1948 में बीकानेर में उत्तरदायी शासन की स्थापना के साथ-साथ ही किसानों को लम्बी गुलामी से मुक्ति मिली थी। 30 मार्च 1949 को बीकानेर राज्य के राजस्थान में विलय के साथ ही बीकानेर में राजतंत्र व सामन्तवाद को अन्तिम रूप से विदा कर दिया गया था, जिसमें किसान आन्दोलनों की निर्णायक भूमिका रही।

संदर्भ

- 1 दी राजपूताना गजेटिअर जिल्द-3 कलकत्ता 1879 पृ 362
- 2 शिव कुमार भनोत बीकानेर राज्य में कृषक-असन्तोष और किसान आन्दोलन दूधवाखारा आन्दोलन के विशेष संदर्भ में अप्रकाशित लेख
- 3 राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर रेवेन्यू डिपार्टमेंट रिकार्ड फाइल न० बी 364-443 1942
- 4 वही
- 5 वही
- 6 राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर रेवेन्यू रिकार्ड फाइल न० 135 बस्ता न० 73 1938-39
- 7 वही बीकानेर रेवेन्यू डिपार्टमेंट रिकार्ड फाइल न० बी 364-443 1942
- 8 वही बीकानेर कॉन्फिडेंशियल रिकार्ड फाइल न० 4-सी 1939
- 9 वही
- 10 राजस्थान राज्य अभिलेखागार, रेवेन्यू कमिश्नर सदर रेवेन्यू रिकार्ड फाइल न० 200 बस्ता न० 88 1941-42
- 11 राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर कॉन्फिडेंशियल रिकार्ड फाइल न० 17-सी 1939
- 12 वही
- 13 शिव कुमार भनोत पूर्वोक्त

174/राजस्थान मे किसान एव आदियासी आन्दोलन

- 14 राजस्थान राज्य अभिलेखागार प्राइममिनिस्टर ऑफिस रिकार्ड फाइल न० बी-183-229
बस्ता न० 39 1941
- 15 वही
- 16 वही रेवेन्यू कमिश्नर, रेवेन्यू रिकार्ड फाइल न० 55 बस्ता न० 78 1940-41
- 17 बीकानेर कॉन्फिडेंशियल रिकार्ड फाइल न० L-VIII बस्ता न० 24 1945
- 18 सत्यदेव विद्या अलकार बीकानेर का राजनैतिक विकास और प० मधाराम वैद्य पृ० 159
- 19 राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर कॉन्फिडेंशियल रिकार्ड फाइल न० L-VIII बस्ता न०
24 1945
- 20 वही बीकानेर कॉन्फिडेंशियल रिकार्ड फाइल न० 36 1945
- 21 वही
- 22 प्रजा सेवक, 29 अगस्त 1945
- 23 दी बीकानेर राजपत्र 10 अगस्त 1945
- 24 पेमाराम, पूर्वोक्त पृ० 300
- 25 लोकयुद्ध 14 अक्टूबर, 1945
- 26 दी हिन्दुस्तान टाइम्स, 27 मार्च 1945
- 27 लोकवाणी, 28 जुलाई 1945
- 28 राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर प्रजामण्डल रिकार्ड फाइल न० 5ए 1947
- 29 वही फाइल न० 6 1944-49
- 30 दी बीकानेर राजपत्र 24 जून, 1945
- 31 सत्यदेव विद्याअलकार, पूर्वोक्त पृ० 186-190
- 32 राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर राज्य प्रजा मण्डल रिकार्ड फाइल न० 5ए 1947
- 33 वही फाइल न० 2, 1945
- 34 दी हिन्दुस्तान 8 नवम्बर, 1945
- 35 सत्यदेव विद्याअलकार, पूर्वोक्त, पृ० 191-195

अलवर एवं भरतपुर राज्यों में किसान आन्दोलन

अलवर राज्य में किसान आन्दोलन मेवाड़ मारवाड़ एवं जयपुर राज्यों की तुलना में पृथक् पद्धति पर उत्पन्न हुए तथा आगे बढ़े। यहाँ 80 प्रतिशत भूमि खालसा के अन्तर्गत थी जबकि केवल 20 प्रतिशत भूमि जागीरदारों के नियंत्रण में थी। अतः यहाँ जागीरदारों की संख्या अत्यधिक सीमित थी। अधिकांश जागीरदारों के अधिकार में 10 बीघा से 5 गाँवों तक जागीर में थे एवं किसी भी जागीरदार को न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं थीं। राजस्थान के अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ के किसानों की दशा सन्तोषजनक थी, दिल्ली एवं आगरा जैसे शहरों तथा पंजाब व सयुक्त प्रान्त के समीप स्थित होने के कारण राज्य का नजरिया काफी प्रगतिशील था। यहाँ राजस्थान के अन्य राज्यों की तुलना में शिक्षा स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था भी सन्तोषजनक थी। जहाँ मेवाड़ मारवाड़ एवं जयपुर में अधिकांश किसान आन्दोलन जागीर क्षेत्रों में हुए थे जबकि अलवर राज्य में विभिन्न किसान आन्दोलन खालसा क्षेत्रों में हुए। अतः इस प्रकार अलवर राज्य के किसान आन्दोलनों के मुद्दे भी राजस्थान के अन्य किसान आन्दोलनों से भिन्न थे। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि अलवर में किसान आन्दोलन विलम्ब से उत्पन्न हुए थे।

किसान आन्दोलनों के विवरण के पूर्व वहाँ की कृषि संरचना को जानना आवश्यक है। इस राज्य के अधिकांश किसानों को खालसा क्षेत्रों में स्थाई भू-स्वामित्व के अधिकार प्राप्त थे जिन्हें दिश्वेदारों के नाम से जाना जाता था। अधिकांश मामलों में किसानों का अपनी जोतों पर स्वामित्व सुरक्षित था। उनको उनकी जोतों से बेदखल नहीं किया जा सकता था जब तक कि वे बिना चूक के नियमित राजस्व अदा करते थे। यहाँ भू-राजस्व की सबसे बढ़ती इजारा थी, जिसके अन्तर्गत उच्च बोली बोलने वाले को निश्चित भूमि निश्चित अवधि के लिए दे दी जाती थी किन्तु यह पद्धति अधिक प्रचलित नहीं रही क्योंकि सन् 1876 में ब्रिटिश पद्धति पर अलवर में पहला भूमि बन्दोबस्त हुआ था जिसके द्वारा सम्पूर्ण भूमि के राजस्व का मूल्यांकन कर नकदी में लगान भुगतान की प्रथा आरम्भ की गई थी। खालसा क्षेत्रों में कमोवेश रैयतवादी प्रथा के समान भू-राजस्व की व्यवस्था विद्यमान थी। वैसे किसानों के अधिकार नियम कानून पूर्ण स्पष्ट थे किन्तु किसान सामन्ती शोषण से मुक्त नहीं थे। राजा स्वयं ही अपने आप में एक बड़ा सामन्त था। भूमि बन्दोबस्तों का उद्देश्य कृषि व कृषक की दशा में सुधार करना न होकर राजस्व में वृद्धि करना होता था, जिससे

राज्य की आय में वृद्धि हो सके। पहला भूमि बन्दोबस्त 20 वर्षों के लिए किया गया था। अतः दूसरा भूमि बन्दोबस्त 1899 में हुआ जिसके द्वारा भू-राजस्व में वृद्धि कर दी गई थी तथा भू-राजस्व की राशि कुल उत्पादन के $1/2$ से $1/5$ हिस्से के मध्य निर्धारित की गई थी। तीसरा बन्दोबस्त 1922 में हुआ जिसने भू-राजस्व की राशि के आकार में और भी वृद्धि की थी। लागू-बागों की संख्या तो सीमित थी किन्तु भू-राजस्व अमर्यादित था। सैद्धान्तिक तौर पर राजकीय कार्यों के लिए बेगार की प्रथा 1899 के भूमि बन्दोबस्त द्वारा कर दी गई थी किन्तु व्यवहार में इसका प्रचलन जारी रहा।

वारतव में यहाँ भी किसान सामन्ती व औपनिवेशिक शोषण के शिकार थे किन्तु इस शोषण का स्वरूप यहाँ इतना भयंकर नहीं था कि जितना राजस्थान के अन्य राज्यों में था। जागीरदारों की संख्या कम होने व छोटा आकार होने के कारण वे आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं थे। काफी हद तक किसान जागीरदारों के हाथों होने वाले सामाजिक अपमान से मुक्त थे। अधिकारशत बेगार प्रथा कुछ जागीरों तक ही सीमित थी जिनके पास सम्पूर्ण राज्य की भूमि का मुश्किल से 10 प्रतिशत भाग था। यहाँ एक बात और उल्लेखनीय है कि निम्न जातियों के साथ सामाजिक भेदभाव तो व्याप्त था, किन्तु किसान जातियों जैसे अहीर, गूजर, जाट, मीणा, माली, कुम्हार, मेव इत्यादि के साथ सामाजिक भेदभाव नहीं बरता जाता था। अतएव राज्य में कोई शक्तिशाली किसान आन्दोलन उत्पन्न नहीं हो सका क्योंकि किसान एक सीमा तक सन्तुष्ट थे, फिर भी यह दावा नहीं किया जा सकता कि यहाँ कोई किसान आन्दोलन नहीं था। सन् 1920 के पश्चात् उपजी राजनीतिक चेतना के प्रभाव में यहाँ भी किसान आन्दोलन उत्पन्न हुए जो किसी न किसी रूप में लगभग 1947 तक जारी रहे। अतएव राज्य के किसान आन्दोलनों को प्रमुखतः तीन भागों में बाटा जा सकता है। पहले भाग में नीमूचाणा का किसान आन्दोलन उल्लेखनीय है जो 1925 में हुआ, दूसरा 1932-33 का मेव विद्रोह था तथा तीसरा 1941-47 के दौरान प्रजामण्डल के नेतृत्व में उदारवादी आन्दोलन को रखा जा सकता है।

नीमूचाणा का आन्दोलन 1925 :

सन् 1922 में तीसरा भूमि बन्दोबस्त सम्पन्न हुआ था तथा 1923-24 में भू-राजस्व की नई दरें लागू कर दी गई थी। इसके अन्तर्गत भू-राजस्व में भारी वृद्धि की गई थी। सन् 1876 में कुल राजस्व 20,19,777 रुपये निर्धारित हुआ था जो 1899 में 20,73,487 रुपये हो गया। जबकि 1922 में यह राशि बढ़कर 29,09,112 रुपये हो गई थी। दूसरे भूमि बन्दोबस्त तक राजपूत एवं ब्राह्मणों को विशेष दर्जा प्राप्त था तथा इनसे अन्य जातियों की तुलना में कम भू-राजस्व लिया जाता था किन्तु तीसरे बन्दोबस्त में जातिगत आधारों को समाप्त कर दिया गया था। इनसे राजपूत व ब्राह्मण किसानों अथवा भू-स्वामियों में असन्तोष बढ़ना स्वाभाविक बात थी। छोटे

जागीरदारों तथा विश्वेदारों को भी इस बन्दोबस्त ने प्रभावित किया था। अन्यजातियों के स्थाई भू-स्वामी भी नए बन्दोबस्त के विरुद्ध थे किन्तु इसके विरोध में राजपूतों ने नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। थानागाजी एव बानसूर तहसील के राजपूत विश्वेदारों ने नई दरों पर लगान न देने का निश्चय कर इसके विरुद्ध अभियान आरम्भ किया। महाराजा पर दबाव उत्पन्न करने के ध्येय से अक्टूबर 1924 में अनेक गावों में सभाओं का आयोजन किया गया, किन्तु राज्य ने इन सभों को अनदेखा कर दिया था। इस अभियान के नेताओं ने सभों में राजपूत शक्ति और साधनों का समर्थन प्राप्त करने का निश्चय किया एव उन्होंने अलवर राज्य के अन्तर्गत व इसके बाहर के राजपूतों के समर्थन के लिए अपील की। जनवरी 1925 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय क्षत्रीय महासभा के अधिवेशन में अलवर के लगभग 200 राजपूत सम्मिलित हुए थे। उन्होंने महासभा के समक्ष अपनी शिकायतें प्रस्तुत की तथा अपनी माँगों के समर्थन हेतु निवेदन भी किया।¹ इस अधिवेशन में उन्हें सहानुभूति व प्रोत्साहन मिला एव उन्होंने इस अधिवेशन के पश्चात् अपने अभियान को और तीव्र कर दिया था। वास्तव में क्षत्रीय महासभा के अधिवेशन के उपरान्त नीमूचाणा के राजपूतों का अभियान आन्दोलन का रूप प्राप्त करने लगा था। इसके नेताओं ने अपनी शिकायतों की एक सूची तैयार कर महाराजा के समक्ष प्रस्तुत की। उनकी माँगें निम्नानुसार थीं -

- 1 पिछले बन्दोबस्त के समय भू-राजस्व में राजपूतों को कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए थे किन्तु अब कोई अन्तर नहीं किया गया है तथा भू-राजस्व की दरें सभों के लिए समान रखी गई हैं। राजपूतों की जोतों पर भू-राजस्व कृपापूर्ण दरों पर ही निर्धारित किया जाए जैसा कि पिछले बन्दोबस्त में किया गया था एव बढ़ा हुआ भू-राजस्व घटाया जाए।
- 2 घराई कर केवल उन्हीं से वसूल किया जाए जिनके पशु सुरक्षित वनों के घारागाह में जाते हैं।
- 3 नई सधे (शिकारगाह अथवा आरक्षित वन) नहीं बनाई जाए तथा उन्हें जंगली जानवरों को मारने की अनुमति प्रदान की जाए क्योंकि वे उनकी फसलों को भारी नुकसान पहुँचाते हैं।
- 4 उनके क्षेत्र की वजह भूमि बाहरियों को नीलाम न की जाए।
- 5 मन्दिरों को माफी में दान की गई भूमि को जब्त न किया जाए।

राज्य ने इन माँगों को न्यायोचित नहीं माना इसलिए राजपूतों ने अपना पक्ष एजेन्ट टू गवर्नर जनरल इन राजपुताना के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी माँगें न माने जाने तक भू-राजस्व नहीं देने का निश्चय भी किया। इस निर्णय के अनुसार राजपूतों ने भू-राजस्व का भुगतान रोक दिया जब राज्य के अधिकारियों ने खलिहान से अनाज ले जाने पर रोक भी लगाई तो किसान बलपूर्वक अपना अनाज घर ले गए।² अब तक की घटनाओं से यह प्रतीत हो रहा था कि राज्य आन्दोलनकर्ताओं के दमन हेतु सघन सैनिक अभियान चला सकता है। अतः राजपूतों ने अपने विरुद्ध

किसी भी कार्यवाही का मुकाबला करने के ध्येय से तलवार भाले एव बन्दूकें एकत्रित करना आरम्भ कर दिया था। जो राजपूत सदैव महाराजा के वफादार रहे वे अब उससे नाराज थे। अंग्रेजों के आगमन के पूर्व राजपूत जो कि महाराजा की शक्ति का स्रोत थे, अब उनकी उपेक्षा की जा रही थी। राजपूतों ने उनके ऊपर राज्य द्वारा थोपे गए अन्याय के विरुद्ध लड़ने का दृढ़ निश्चय किया। एहतियात बरतते हुए 6 मई 1925 को अलवर राज्य के दीवान ने एक आदेश जारी किया जिसके अनुसार कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह एक माह की अवधि तक थानागाजी बानसूर नारायणपुर, मालाखेडा राजगढ एव बहरोड थानों के क्षेत्र में हथियारों सहित नहीं धूम सकता। इस आन्दोलन का मुख्य केन्द्र नीमूचाणा नामक गाव था। मई 1925 के आरम्भ में भारी सख्या में राजपूत नीमूचाणा में एकत्रित हुए एव वहाँ उठर गए।

स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए अलवर के महाराजा ने इस मामले की जाच हेतु एक आयोग नियुक्त किया। इस आयोग को यह दायित्व सौंपा गया था कि इसके सदस्य समस्या से सीधा साक्षात्कार कर समस्या समाधान हेतु सुझाव दें। यह आयोग 7 मई 1925 को नीमूचाणा पहुँचा। यह आयोग सार्थक सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि यह राज्य की ओर से एक जासूसी अभियान बन कर रह गया था। आयोग के सदस्यों ने वहाँ पहुँचकर प्रमुख राजपूत नेताओं से बातचीत तो की, किन्तु इसका कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आया। सम्पूर्ण घटनाक्रम का अवलोकन करने के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि इस आयोग का उद्देश्य यह जानना था कि नीमूचाणा में एकत्रित राजपूतों की तैयारियां क्या हैं क्योंकि यह इस बात से भी पुष्ट होता है कि इस आयोग के नीमूचाणा पहुँचने के 7 दिन बाद आन्दोलनरत किसानों की माँगों को स्वीकार करने के स्थान पर राज्य की सेना ने आक्रमण कर दिया था। महाराजा ने इस मुद्दे पर उपेक्षापूर्ण रुख अपना लिया था तथा वह अनेक कारणों से किसी भी प्रकार की छूट देने के पक्ष में नहीं था। प्रथम, सन्तुष्टिकरण की नीति राज्य के अन्य भागों में समस्या को फैला सकती थी। दूसरा, भू-राजस्व पद्धति में संशोधन सम्भव नहीं था। तीसरा, महाराजा स्वयं इस समय कष्ट में था क्योंकि उसके साथ अंग्रेजों के संबंध अच्छे नहीं थे। अंग्रेज किसी न किसी बहाने उसे उसकी शक्तियों से वंचित करना चाहते थे। चौथा, 1922 में असहयोग आन्दोलन को स्थगित करने के पश्चात् अंग्रेजों की यह आम नीति थी कि सभी प्रकार के जन उभारों को बलपूर्वक कुचल दिया जाए। इन सब तथ्यों और दवावों के प्रभाव में अलवर सरकार ने नीमूचाणा के सघर्षरत किसानों को बलपूर्वक कुचलने का निश्चय किया।

13 मई, 1925 को अलवर का सैन्य दल नीमूचाणा पहुँचा तथा सम्पूर्ण गाव पर घेरा डाल दिया। गाव को घेरने के पश्चात् यहाँ के ठाकुर को आन्दोलन समाप्त करने के लिए मजबूर किया। इसका कोई वांछित परिणाम मिलता न देख सैन्य दल ने 14 मई, 1925 को प्रातःकाल गरीबगनो से गाव पर गोतिया दागना आरम्भ कर दिया था। पूरे गाव को जलाकर राख कर दिया गया था। इस सैनिक अभियान में लगभग 156

लोग मारे गए तथा 600 घायल हुए। यह एक नृशस हत्याकाण्ड था। समाचार पत्रों ने इसे नीमूचाणा काण्ड के शीर्षक से प्रचारित कर सम्पूर्ण देशवासियों का ध्यानाकर्षित किया। राजस्थान सेवा सघ ने इस मामले में जाँच की तथा इस जाँच की पूरी कहानी 31 मई 1925 के 'तरुण राजस्थान' के अंक में प्रकाशित की थी। एक अन्य अखबार 'रियासत' ने इसकी तुलना जलियावाला बाग के हत्याकाण्ड से की थी। इस घटना की जाँच से अजमेर के रामनारायण चौधरी भी जुड़े हुए थे। अपने एक लेखन में उन्होंने इस घटना का विवरण देते हुए इसे नीमूचाणा हत्याकाण्ड की सजा दी है। उन्होंने लिखा है

"सन् 1925 की ग्रीष्म ऋतु में नीमूचाणा काण्ड हुआ। देशी राज्यों के इतिहास में इस घटना का वही महत्त्व है जो भारत में जलियावाला बाग का है। नीमूचाणा अलवर रियासत का एक छोटा सा गाव है। यहाँ के राजपूत किसानों को लगान सम्बन्धी और दूसरी कई तकलीफें थी। अलवर के महाराजा जयसिंह जितनी कुशाग्र बुद्धि रखते थे उतने ही निरकुश तबियत वाले थे। प्रजा के शोषण और दमन में सिद्धहस्त थे। महत्वाकांक्षाओं में बीकानेर के महाराजा सर गंगासिंह के प्रतिस्पर्धी और कुटिल नीति में उनके समकक्ष थे। उन्होंने अपने आतंक से प्रजा को भेड़ से भी अधिक दबू बना रखा था। नीमूचाणा वालों में कुछ जीवन था। उसको कुचलने के लिए मशीनगन सहित सेना की बड़ी सी टुकड़ी भेज दी गई। उसने सैकड़ों आदमियों को भून दिया, प्रजा की सम्पत्ति आग लगाकर जला दी और वे सब अमानुषिक लीलाएँ की जो ऐसे अवसरों पर मानव विकार स्वच्छद होकर किया करता है।"¹⁰

सैनिक कार्यवाही केवल आगजनी और लूटमार तक ही सीमित नहीं रही बल्कि काफी लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। 39 लोगों पर विशेष न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे की सुनवाई 3 जून को आरम्भ हुई तथा 8 जुलाई को न्यायालय ने निर्णय दे दिया। 39 लोगों में से 9 लोगों को दोषमुक्त कर दिया गया था तथा 30 लोगों को विभिन्न अवधि की सजा सुनाई गई किन्तु जनवरी 1926 तक महाराजा ने सभी को आम माफी प्रदान कर दी थी। पीड़ित लोगों को शान्त करने के विभिन्न प्रयास राज्य की ओर से किए गए। जिन परिवारों को मानव हानि उठानी पड़ी उनको प्रति व्यक्ति 128 रुपए राजकोष से दिया गया। उनकी मुख्य माँगें मान ली गई तथा 18 नवम्बर, 1925 को ही यह आदेश जारी हो गए थे कि 1922 के बन्दोबस्त की अवधि समाप्त तक पुराने बन्दोबस्त के अनुसार ही राजस्व लिया जाएगा। इस प्रकार नीमूचाणा किसान आन्दोलन का पटाक्षेप हुआ।

1932-33 का मेव विद्रोह :

वर्ष 1932-33 में अलवर राज्य के मेव किसानों ने खुला विद्रोह कर दिया था। नीमूचाणा आन्दोलन की तुलना में मेवों का आन्दोलन क्षेत्र व स्वरूप की दृष्टि से अधिक विस्तृत था। मेवों द्वारा आबादित क्षेत्र मेवात के नाम से जाना जाता है जो

राजस्थान के पूर्व राज्यों अलवर, भरतपुर तथा पूर्व पंजाब के गुडगाव जिले के बीच फैला हुआ है। मेव आरम सन्तुष्ट अर्ध आदिवासी समुदाय है जिसका इस्लाम के साथ औपचारिक सम्बन्ध था। सर्वप्रथम 1921 में मेव मुख्य प्रकाश में आए जब उन्होंने असहयोग व खिलाफत आन्दोलनों के प्रभाव में विद्रोह किया था। दिसम्बर, 1921 में अलवर के मेवों ने पड़ौसी गुडगाव जिले के एक पुलिस थाने पर आक्रमण किया था जिन्हें ब्रिटिश भारतीय पुलिस एवं अलवर राज्य सैन्य दल की संयुक्त कार्यवाही द्वारा कुचल दिया गया था।¹ 1921 का मेव उभार अधिक विस्तृत नहीं था, किन्तु इसके प्रभाव में एक अलग थलग पड़ा समुदाय देश की मुख्य धारा से जुड़ गया था।

1929-30 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट ने सम्पूर्ण विश्व को निगल लिया था एवं यूरोप के उपनिवेश सबसे अधिक बुरी तरह प्रभावित हुए थे। स्वाभाविक तौर पर इंग्लैण्ड के आर्थिक भार ने सीधे तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया था। इस आर्थिक संकट की चपेट में सभी थे, किन्तु भारत का किसान व श्रमिक वर्ग सर्वाधिक दुष्प्रभावित था। 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा छोड़े गए सविनय अवज्ञा आन्दोलन ने उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ाई का मार्ग प्रशस्त किया। 12 मार्च, 1930 को डाडी मार्च द्वारा यह आन्दोलन आरम्भ किया था तथा इसे 5 मार्च, 1931 को गांधी इरविन समझौता के अन्तर्गत अस्थाई तौर पर रोक दिया गया था। गाँधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर दिसम्बर, 1931 में भारी असन्तुष्टि के साथ भारत लौटे। गाँधी ने पुनः सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ कर दिया था, किन्तु जनवरी 1932 में गाँधी एवं अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन करार दे दिया था। सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दूसरे सोपान ने भारतीय जनमानस में भारी उत्साह का संचार किया था। अलवर में 1932 का मेव विद्रोह सविनय अवज्ञा आन्दोलन के हिस्से के रूप में उत्पन्न नहीं हुआ था, किन्तु यह इस महान राष्ट्रीय हलचल से प्रभावित अवश्य था।

सन् 1923-24 में लागू किया गया भू-राजस्व बन्दोबस्त किसानों में असन्तोष उत्पन्न करने वाला सिद्ध हुआ। इसका विरोध नीमूचाणा आन्दोलन के रूप में देखने को मिलता है। नीमूचाणा के हत्याकाण्ड ने अलवर राज्य के अन्य भागों के किसानों में भय और आतंक उत्पन्न कर दिया था। अतः लम्बे समय तक कृषि समुदायों की शान्ति बनी रही। लम्बे समय तक कोई किसान समूह राज्य की खिलाफत का साहस नहीं जुटा पाया था। मेव जिनकी जनसंख्या एक निरिक्त क्षेत्र में अत्यधिक थी ने राज्य के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने का साहस किया। आरम्भ में यह आन्दोलन आर्थिक स्वरूप लिए हुआ था, किन्तु कालान्तर में इसने साम्प्रदायिक रंग प्राप्त कर लिया था। इसी भ्रम के कारण कुछ लेखकों ने इसे साम्प्रदायिक विद्रोह चित्रित किया है।

कुछ लेखकों ने इसे हिन्दुओं के विरुद्ध मुसलमानों का साम्प्रदायिक विद्रोह चित्रित किया है जिसके साथ बाद में कृषि वर्गों में पुच्छले के रूप में जोड़ दी गई थी।

किन्तु तथ्यो व विद्रोह के घटनाक्रमो से स्पष्ट होता है कि प्रारम्भ में यह मेव किसानों का आर्थिक सघर्ष था एव कुछ साम्प्रदायिक नेताओं ने इसे साम्प्रदायिक रग देने का प्रयास किया।¹² उनकी प्रमुख शिकायतों व माँगों का स्वरूप इस मत को दृढता प्रदान करता है कि यह एक आर्थिक सघर्ष था। उनकी माँग थी कि भू-राजस्व एव अन्य करों का भार उन पर बहुत अधिक है जिसे ब्रिटिश भारत मे पड़ोसी जिले गुडगाव के समान स्तर तक घटाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए गुडगाव जिले में सिधित भूमि पर भू-राजस्व 1 रुपया 2 आना प्रति बीघा था जबकि अलवर राज्य में इसकी दर 8 रुपए से लेकर 4 रुपए 2 आना प्रति बीघा तक थी।¹³ राजकाज के उद्देश्य से सड़क, बाघ इत्यादि बनाने हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा किसानों को नहीं दिया जाता था, जबकि गुडगाव में किसानों को मुआवजा मिलता था। मेव किसान अलवर के भू-राजस्व प्रशासन एव पद्धति की तुलना गुडगाव जिले से कर रहे थे तथा उन्होंने इसके साथ समानता स्थापित करने की माँग की थी। अकालों के दौरान अलवर राज्य भू-राजस्व से मुक्ति नहीं देता था तथा अकालों के समय रोकी गई राजस्व की वसूली सामान्य वर्षों में ब्याज सहित वसूल की जाती थी। राज्य द्वारा आरम्भ किए जाने वाले अकाल राहत कार्य पर्याप्त नहीं होते थे एव अकाल पीड़ित लोग अपने स्वयं के साधनों अथवा उधार लेकर अपने जीवन की रक्षा करते थे। अकाल एव सामान्य वर्षों में राज्य की ओर से किसानों को दिए जाने वाले तकावी ऋण कभी-कभी सहूलियत के स्थान पर किसानों के उत्पीड़न एव कष्ट के कारण बन जाते थे। उनकी माँग थी कि अकाल राहत, भू-राजस्व में मुक्ति और तकावी ऋणों का संचालन उसी प्रकार से किया जाए जैसे गुडगाव जिले में होते हैं। मेवों के क्षेत्रों में अनेक सघे थी जो शासक के शिकारगाह के रूप में सुरक्षित जगल थे। किसानों की आम शिकायत थी कि सघों मे रहने वाले जगली जानवर उनकी फसलों को भारी हानि पहुँचाते थे तथा अपनी फसल की रक्षा के लिए किसान जगली जानवरों को नहीं मार सकते थे। अतः मेवों की यह भी एक प्रमुख माँग थी कि पुरानी सघों समाप्त की जाये अथवा इनके आकार व संख्या को घटाया जाए नई सघें नहीं बनाई जाए एव उन्हें जगली जानवरों को मारने की अनुमति प्रदान की जाए। पशुओं के आयात-निर्यात पर लिया जाने वाला सीमा शुल्क भी किसानों की एक समस्या थी। यू तो बेगार समाप्त कर दी गई थी किन्तु सरकारी अधिकारी व कर्मचारी गैर कानूनी तरीकों से निरन्तर बेगार ले रहे थे। मेवों ने बाघ व सड़क बनाने घास काटने सघों की सफाई करने एव महाराजा के शिकार के समय ली जाने वाली बेगार को समाप्त करने की माँग थी।¹⁴

उपरोक्त कारणों ने मेवों को राज्य के विरुद्ध विद्रोह के लिए मजबूर कर दिया था। मेवों की कुछ धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक माँगें भी थी जो विद्रोह के दौरान उत्पन्न हुई थी। मेवों ने राज्य के प्रति भारी नाराजगी व्याप्त थी क्योंकि 1921 मे राज्य ने उनके विद्रोह को दबाने के लिए अमानवीय तरीकों का सहारा लिया था इसलिए मेवों का विद्रोह इस बार बड़ा शक्तिशाली था एव उन्होंने आरम्भ से ही गुरिल्ला युद्ध

आरम्भ कर दिया था। इसकी गम्भीरता का पता इसी से चलता है कि 12 फरवरी 1933 को भारत के गवर्नर जनरल विलिंगडन ने अलवर की स्थिति को बद से बदतर बताया था तथा इण्डियन एनुअल रजिस्टर के अनुसार इस विद्रोह में 80-90 000 मेवों ने भाग लिया था।¹⁵ भरतपुर राज्य एवं गुडगाव जिले के मेवो ने अलवर के मेवो को हर प्रकार से मदद पहुँचाई।

1932 के प्रारम्भ में तिजारा, किरानगढ़, रामगढ़ एवं लक्ष्मणगढ़ निजामतों के मेवों ने भू-राजस्व की अदायगी से इन्कार कर दिया था क्योंकि बाढ़ के कारण खरीफ मौसम की फसल नष्ट हो गई थी। मेवो को प्रारम्भ से ही भय था कि राज्य उन्हें कुचलने के लिए दमनात्मक कदम उठा सकता है। अतः आत्मरक्षा व अपनी समस्याओं के समाधान हेतु उन्होंने अनेक स्थानों पर जाति पचायतों में इरा गागले पर पूर्ण विचार किया। प्रारम्भ में यह आन्दोलन स्वरफूर्त था जिसने न केवल सरकार को चौंका दिया बल्कि हिन्दू भी भयभीत हो गए थे क्योंकि उन्हें भय था कि मेव उनके विरुद्ध संगठित हो गए हैं। अतः साम्प्रदायिकता का मनोविज्ञान सक्रिय हो गया था। जातीय पचायतों के दौरान मेवों ने अपनी आर्थिक व सामाजिक समस्याओं की एक लम्बी सूची तैयार की।

अलवर के मेव आन्दोलन को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि उस समय मेवो की धार्मिक गतिविधिया क्या थी। अन्जुमन-ए-खादिमुल-इस्लाम नामक मुरालमान संगठन सामाजिक उत्थान हेतु अलवर के मेवों के बीच कार्य कर रहा था। इस संगठन ने मेवों की शिक्षा का कार्य अपने हाथ में लिया हुआ था तथा इसने अनेक मकताब खोले।¹⁶ 2 मई 1932 को राज्य ने एक अधिसूचना जारी की जिसके अनुसार सभी निजी विद्यालय चाहे धार्मिक हो या धर्मनिरपेक्ष केवल सरकार की अनुमति से ही खुलने चाहिये। साथ ही सम्बन्धित निजामत (जिला) के नाजिम की अनुमति के बिना किसी भी बाहरी को इन विद्यालयों में नियुक्त नहीं किया जा सकता था।¹⁷ जून, 1932 में राज्य सरकार ने "रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट" पारित किया जिसके अनुसार इस अधिनियम के पूर्व या बाद में स्थापित सभी संगठनों को इसके अन्तर्गत पंजीकृत कराना आवश्यक कर दिया था।¹⁸ मेवो ने इस अधिसूचना व अधिनियम का विरोध किया। 22 जुलाई, 1932 को जब मेव नमाज के लिए जागा मस्जिद पर एकत्रित थे तो पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया।¹⁹ इस घटना के विशेष में अलवर राज्य के लगभग 10 000 मेव भरतपुर राज्य एवं गुडगाव, हिसार, रेवाड़ी नूह एवं फिरोजपुर झिरका में पलायन कर गए। इनका पलायन 25 जुलाई को आरम्भ होकर एक सप्ताह तक जारी रहा। लगभग 25 000 मेव दिल्ली पहुँचे एवं वहाँ पहुँचकर उन्होंने यह दावा किया कि उन्होंने उनकी समस्याओं के समाधान न होने के विरोध स्वरूप हिजरत की है।²⁰ इन घटनाओं से मेवों की समस्याएँ आम जनता की जानकारी में आईं। अधिल भारतीय मुस्लिम लीग, जमात-ए-तयलिव-उल-इस्लाम एवं ऑल इण्डिया मुस्लिम कान्फ्रेंस जैसे मुरालमानों के संगठनों ने वक्तव्यों व श्रापनों

के माध्यम से इस मामले को प्रचारित किया। इस प्रकार मेवों का आर्थिक संघर्ष साम्प्रदायिक राजनीति का शिकार होने लगा था। आर्थिक मॉँगों के अतिरिक्त अब साम्प्रदायिक मॉँग भी जुड़ गई थी जिससे अलवर राज्य में मुस्लिमों की जनसंख्या के अनुपात में सरकारी सेवाओं में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की मॉँग सम्मिलित थी।

1932 के अन्त तक अलवर के मेव आन्दोलन ने नए सोपान में प्रवेश किया जब गुडगाव के मेव नेता चौधरी यासीन खान ने उनका नेतृत्व सम्हाला। उसने आन्दोलन के व्यवस्थित संचालन हेतु एक कार्यवाही समिति का गठन किया। इस समिति के निर्णयानुसार नवम्बर, 1932 में अलवर राज्य के मेवात क्षेत्र में कर बन्दी आन्दोलन का आह्वान किया जिसे मेव किसानों का मजबूत समर्थन मिला। मेवों ने इस आन्दोलन में हिंसात्मक साधन अपनाए तथा राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध शारीरिक शक्ति का उपयोग किया। जब 14 नवम्बर 1932 को किशनगढ़ निजामत का नाजिम भू-राजस्व वसूली हेतु घूम रहा था तो धमोकर नामक गाव में मेवों के एक दल ने उस पर धावा बोल दिया था।¹ मेवों ने अधिकांश पक्के व कच्चे मार्गों को अवरुद्ध कर दिया था एव उन्होंने पहाड़ों में अच्छी किले बन्दी कर ली थी। अपने चारों ओर उन्होंने तमक (एक प्रकार का ढोल) सहित चौकीदारों का समूह नियुक्त कर दिया था। कुल मिलाकर मेवात क्षेत्र में अलवर राज्य का प्रशासन पगु हो गया था तथा मेवात क्षेत्र राज्य के नियंत्रण से निकल गया था। इस सफलता ने मेवों का साहस और बढ़ा दिया था। 1 दिसम्बर 1932 को महाराजा ने एक घोषणा जारी करते हुए अपनी मेव जनता से गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकने के लिए कहा। उसने भी ये स्पष्ट किया कि आर्थिक मदी के कारण न केवल अलवर राज्य के बल्कि सभी भागों के किसान भू-राजस्व के भुगतान में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। उसने आगे घोषित किया कि राहत की एक योजना उसके विचारधीन है जिसके अनुसार जहाँ आवश्यक समझा जाएगा वहाँ छूट दी जाएगी।² इसके अनुसार महाराजा ने कृषिय शिकायतों की जाँच हेतु एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने मेव नेताओं को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए समिति के समक्ष बुलाया किन्तु उन्होंने इन्कार कर दिया।³

विद्रोही मेवों को सन्तुष्ट करने में राज्य के उपरोक्त शान्तिपूर्ण प्रयास असफल रहे। इन उपायों ने मेवों को और अधिक प्रोत्साहित किया क्योंकि उनकी दृष्टि में शान्तिपूर्ण उपाय राज्य की कमजोरी को इंगित करते थे। मेवों ने राज्य के खिलाफ युद्ध आरम्भ कर दिया था। उन्होंने विशाल पैमाने पर गुरिल्ला युद्ध आरम्भ कर दिया था। उन्होंने हिन्दु और मुसलमान दोनों से सहमति अथवा बलपूर्वक धन एकत्रित किया। इसी प्रकार विद्रोहियों ने सभी धर्म व जाति के किसानों को भू-राजस्व एव अन्य कर न देने के लिए मजबूर कर दिया था तथा यह भी धमकी दी थी कि जो उनके आदेशों की अवहेलना करेगा उससे कठोरतापूर्वक निपटा जाएगा। मेवों ने 22 दिसम्बर को किशनगढ़ में बनियों के घरों में डाका डाला।⁴ विद्रोहियों ने भारी मात्रा में अग्नेय शस्त्र व गोला बारूद एकत्रित कर लिया था तथा राज्य की पूर्ण अवहेलना

की थी। उन्होंने अनेक स्थानों पर कस्टम (सीमा शुल्क) चौकियों पर आक्रमण किया तथा वहाँ कार्यरत कर्मचारियों को भागने पर मजबूर कर दिया था। विद्रोही मेव सधों में घुस गए थे तथा उन्होंने सैंकड़ों जगली जानवरों को मार दिया था जो राज्य के कानून के विरुद्ध था।¹⁵ जनवरी, 1933 में मेव विद्रोह का विस्तार बहुत अधिक हो गया था तथा मेवात की गैर मेव जनसंख्या में वैधैनी उत्पन्न हो गई थी। मेव विद्रोह के मुकाबले राज्य ने सैन्य दल भेजे। राज्य के सैन्य दल विद्रोहियों के पहाड़ी व सघन जगली आधार क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सके एव उन्होंने भरतपुर राज्य की सीमा पर स्थित लक्ष्मणगढ़ व गोविन्दगढ़ के मैदानों में अपनी कार्यवाही आरम्भ की। 7 जनवरी को विद्रोही मेवों के एक दल ने लक्ष्मणगढ़ निजामत के गोविन्दगढ़ कस्बे में राज्य सैन्य दल पर आक्रमण किया तथा उसे वापस पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस घटना में लगभग 40 मेव मारे गए एव सैंकड़ों घायल हुए।¹⁶ मेव विद्रोह ने पूर्णतः साम्प्रदायिक रंग प्राप्त कर लिया था। मेवों ने हिन्दुओं के घरों को जलाना व सम्पत्ति को लूटना आरम्भ कर दिया था। भारी संख्या में हिन्दू अनेक पटौरी स्थानों पर शरण के लिए भागे।¹⁷ इस प्रकार आर्थिक विद्रोह साम्प्रदायिक दंगे में परिवर्तित हो गया था।

राज्य की सेनाएँ विद्रोही मेवों पर नियंत्रण स्थापित करने में पूर्णतः असफल रही। प्रारम्भिक स्तर पर अंग्रेज घिरे हुए नहीं थे किन्तु जब स्थिति बिगड़ गई तो उन्होंने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। सविनय अवज्ञा आन्दोलन के पश्चात् इस अशान्ति को अंग्रेज अपने साम्राज्यवादी हितों के विपरीत मान रहे थे। अंग्रेज इस बात से भी भयभीत थे कि अलवर जैसा मेवों का विद्रोह पंजाब के मेवात क्षेत्र में भी फैल सकता है। 9 जनवरी, 1933 को महाराजा की इच्छा के विरुद्ध अंग्रेजी सेनाएँ अशान्त क्षेत्र में प्रवेश कर गई थी।¹⁸ महाराजा के असहयोग के उपरान्त भी अंग्रेजी सेनाओं की कार्यवाही जारी रही। 12 फरवरी, 1933 को भारत के गवर्नर जनरल विलिंगडन ने अलवर की स्थिति के बारे में कहा कि यहाँ स्थिति इतनी अधिक बिगड़ गई है जितनी बिगड़ सकती है।¹⁹ अंग्रेजों ने महाराजा को अपने राज्य में एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त करने के लिए मजबूर कर दिया तथा 1 मार्च, 1933 को गि० वाइलिया आइ०सी०एस० अधिकारी को राजस्व विभाग के प्रभार सहित प्रधानमंत्री (दीवान) नियुक्त किया।²⁰

15 मार्च 1933 को राज्य के अधिकारियों ने भू-राजस्व एव अन्य शिकायतों के सम्बन्ध में कुछ छूटों की घोषणा की। अप्रैल, 1933 के अन्त तक सैनिक व प्रशासनिक उपाय मेव विद्रोह को कुछ सीमा तक दबाने में सफल रहे। राज्य का प्रशासन तो अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण में आ गया था, किन्तु राज्य में महाराजा की उपस्थिति को विनाशक माना जा रहा था। तत्काल अंग्रेजों ने अलोकप्रिय महाराजा को 22 मई 1933 को यूरोप खाना करने का निर्णय लिया तथा कुछ वर्षों के लिए अलवर प्रशासन अंग्रेजों के हाथों में आ गया था।²¹ इसी बीच अंग्रेज अधिकारियों ने अनेक आदेश जारी किए तथा 1933 के अन्त तक मेवों ने विद्रोह समाप्त कर दिया

तथा अपना सामान्य कार्य आरम्भ कर दिया। वास्तव मे अलवर के महाराजा जयसिंह को देश निकाला दे दिया गया था। मई 1937 मे यूरोप में निर्वासित महाराजा की मृत्यु पेरिस मे ही हुई थी।

मेव विद्रोह ने मेव आदिवासियों में नई चेतना का संचार किया तथा वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। इतना ही नहीं बल्कि काफी सीमा तक इस विद्रोह के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान भी सम्भव हो सका। उन्हें रबी की फसल पर भू-राजस्व में 50 प्रतिशत छूट मिली तथा मई 1933 मे एक तिहाई स्थाई छूट प्राप्त हुई। हुण्डा भाड़ा खाद खर्च, पड़ाव इत्यादि लागें समाप्त कर दी गईं। मेवों को सधों के चारागाह व ईमारती लकड़ी हेतु उपयोग करने का अधिकार प्राप्त हुआ एव सधों में कृषि विस्तार के माध्यम से धीरे-धीरे सधों के आकार कम करने की योजना बनी। 1934 में सधों का प्रशासन वन विभाग के स्थान पर राजस्व विभाग के अन्तर्गत आ गया।

अलवर के मेव विद्रोह के महत्त्व का विश्लेषण विभिन्न कोणों से किया जा सकता है, किन्तु यदि इसे मेव समुदाय की दृष्टि से देखा जाए तो इसका महत्त्व और अधिक बढ़ जाता है। मेव राजस्थान की अन्य आदिवासी जातियों की तरह अत्यधिक पिछड़ा समुदाय था, जो इस विद्रोह के माध्यम से काफी जागृत हुआ था। मेव समाज मे अनेक नई प्रवृत्तियाँ आरम्भ हुईं। मेव जो प्रवृत्ति से धर्म निरपेक्ष थे, पक्के मुसलमान बन गए। यू तो कुछ प्रगतिशील, राष्ट्रवादी व क्रान्तिकारी तत्त्वों ने मेवों मे वामपथी विचारधारा फैलाने का प्रयास भी किया। किन्तु मेवों का झुकाव धार्मिक लोगों के प्रति ही अधिक रहा। 1947 मे जब अलवर में साम्प्रदायिक दंगे हुए तो मेव इनका शिकार हुए। यह एक रोचक जानकारी मिलती है कि साम्प्रदायिक दंगों के बाद भी मेवों ने अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा। अलवर से पाकिस्तान पलायन करने वाले मुस्लिमों मे मेवों की संख्या नगण्य ही थी।

1941-47 के दौरान प्रजामण्डल के नेतृत्व में किसान आन्दोलन

तीसरे सोपान मे अलवर मे किसान आन्दोलन अलवर राज्य प्रजामण्डल के नेतृत्व में उत्पन्न हुए थे। अलवर प्रजामण्डल की स्थापना 1938 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना था। इसके नेताओं का यह स्पष्ट सोच था कि वे तब तक अपने लक्ष्य प्राप्ति मे सफल नहीं हो सकते जब तक कि उन्हें ग्रामीण जनता का समर्थन प्राप्त न हो। जैसा कि पूर्व मे उल्लेख किया जा चुका है कि राजस्थान के अन्य राज्यों की तुलना मे अलवर राज्य के किसानों की दशा अधिक खराब नहीं थी। नीमूषाणा की घटना व मेव विद्रोह ने किसानों के आर्थिक भार को कम कर दिया था। यहाँ भूमि के नियमित सर्वेक्षण व बन्दोबस्त की पद्धति अस्तित्वमान थी। इन स्थितियों मे प्रजामण्डल जो कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिल पा रहा था जिसके आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में किसी प्रकार का आन्दोलन आरम्भ किया जा सके।

भारी विचार-विमर्श के पश्चात् जनवरी, 1941 में प्रजामण्डल नेताओं ने जागीरो का मुद्दा अपने हाथों में लिया। जागीरदारों के अधिकार में केवल 20 प्रतिशत भूमि थी। जिसमें ईनामदार, तनखादार एव माफीदार भी सम्मिलित थे। इस श्रेणी के अधिकांश भू-स्वामी स्वयं किसान नहीं थे तथा वे अपनी भूमि किसानों को अपने द्वारा निर्धारित राजस्व के बदले किराया पद्धति के अन्तर्गत देते थे। प्रजामण्डल ने इनके किसानों के लिए भी उन्हीं अधिकारों की माँग की जो खालसा के किसानों को प्राप्त थी। 1 से 2 जून, 1941 को प्रजामण्डल ने राजगढ़ में जागीर माफी प्रजा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन का उद्देश्य जागीर तथा माफी क्षेत्रों के किसानों की समस्याओं पर विचार कर उन्हें उजागर करना था। इस कॉन्फ्रेंस में इस माँग पर अत्यधिक जोर दिया गया था कि माफी एव जागीर क्षेत्रों के किसानों को भी विश्वेदारी अधिकार दिए जाएँ तथा खालसा पद्धति पर उचित सर्वेक्षण व बन्दोबस्त के द्वारा जागीरो में राजस्व व्यवस्था लागू की जाए। जागीरदारों व माफीदारों द्वारा ली जाने वाली लागे एव बेगार समाप्त की जानी चाहिए जो मुख्य रूप से चमार, कुम्हार एव अन्य सेवक जातियों से ली जाती थी। इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 500 किसान सम्मिलित हुए थे।”

प्रजामण्डल द्वारा आयोजित उपरोक्त कॉन्फ्रेंस के उत्प्रे ही परिणाम निकले। वास्तव में यह किसानों की स्वयं की मुहिम नहीं थी, इसका प्रारम्भ व आयोजन ऐसे लोगों द्वारा किया गया था जो किसानों की समस्याओं के जानकार नहीं थे; छोटे जागीरदारों व माफीदारों ने अपने किसानों को जोतों से बेदखल कर दिया तथा उन्होंने या तो अपनी भूमि पर खेती का प्रबन्ध स्वयं किया अथवा खाली छोड़ दी गई थी। इन छोटे भू-स्वामियों को यह भय उत्पन्न हो गया था कि किराएदार किसान को इनकी भूमि पर स्वामित्व मिल सकता है। प्रजामण्डल के नियमित प्रचारों के उपरान्त जागीर माफी किसानों के मामले में सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। 2 फरवरी, 1946 को प्रजामण्डल ने इरी सन्दर्भ में राजगढ़ तहसील के टोड़ा मंगलसिंह नामक गाँव में एक सभा आयोजित की। फरवरी की रात को सभी नेता बन्दी बना लिए गए थे। 8 फरवरी 1946 के हिन्दुस्तान टाइम्स के अनुसार पुलिस ने 43 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद भी सभा हुई तथा इसमें 1000 किसान सम्मिलित हुए। इसके तत्काल पश्चात् प्रजामण्डल का आन्दोलन केवल अलवर शहर तक ही सीमित हो गया था तथा उनकी प्रमुख माँग बन्दी नेताओं की रिहाई व जिम्मेदार सरकार का गठन ही रह गयी थी। जवाहरलाल नेहरू ने भी इन गिरफ्तारियों की कटु आलोचना की थी तथा जयनारायण व्यास को इस मामले की जाँच हेतु नियुक्त किया था। 8 फरवरी, 1946 को प्रजामण्डल ने सम्पूर्ण राज्य में 'दमन विरोधी दिवस' मनाया तथा 10 फरवरी, 1946 को सभी नेता रिहा कर दिए गए। इस प्रकार 1946 में किसान आन्दोलन का अन्तिम अध्याय भी समाप्त हो गया तथा किसानों की माँगों पर कोई फौसला नहीं हो सका। 1947 में अलवर राज्य साम्प्रदायिक दंगों का शिकार रहा। 30 जनवरी, 1948 को दिल्ली में महात्मा गाँधी

की मृत्यु के पश्चात् घटनाक्रम तेजी से बदला तथा मार्च, 1948 में महाराजा की सभी शक्तियाँ समाप्त कर दी गयी तथा राज्य का विलय मत्स्य यूनियन में हो गया।

भरतपुर राज्य

भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अलवर के किसानों की तुलना में अधिक ठीक थी। यहाँ 95 प्रतिशत भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी जिसे खालसा के नाम से जाना जाता था। शेष 5 प्रतिशत राज्य से अनुदान प्राप्त छोटे जागीरदारों व माफीदारों के पास थी जिसमें छोटे-छोटे ईनामदार भी सम्मिलित थे। स्वामादिकतौर पर यहाँ मेवाड़ मारवाड़ एव जयपुर राज्यों जैसी जागीरदारों की समस्या कतई नहीं थी। सामन्ती व्यवस्था का स्वरूप जो अन्य राज्यों में विद्यमान था वैसे भरतपुर राज्य में विद्यमान नहीं था। अन्य राज्यों में राजपूत विशेष दर्जा प्राप्त जाति थी, किन्तु भरतपुर के मामले में ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती। कुछ लोगों की यह गलत धारणा है कि जाट शासक होने के कारण भरतपुर राज्य में जाट जाति विशेष अधिकार प्राप्त थी। वास्तव में वही 5 जातियाँ ब्राह्मण, जाट, गूजर, अहीर एव मेव कमोवेश समान हैसियत रखती थी। भरतपुर राज्य में खालसा भूमि के अन्तर्गत लम्बरदार व पटेल व्यवस्था अस्तित्वमान थी जिसके अन्तर्गत लम्बरदार व पटेल भू-राजस्व की वसूली के लिए जिम्मेदार होते थे। इनको बदले में कुछ लागें सुविधाएँ व राजस्व मुक्त भूमि मिलती थी। भरतपुर राज्य में लम्बे समय तक कोई किसान आन्दोलन उत्पन्न नहीं हुआ। अलवर की तरह भरतपुर में भी काफी विलम्ब से किसान आन्दोलनों की शुरुआत होती है। अतः भरतपुर राज्य के किसान आन्दोलनों की प्रवृत्ति व स्वरूप अलवर के आन्दोलनों के काफी समान दिखाई देती है। भरतपुर राज्य के किसान आन्दोलनों को भी मुख्यतः तीन सोपानों में बाटा जा सकता है। ये तीन सोपान क्रमशः लम्बरदार एव पटेलों के नेतृत्व में स्वस्फूर्त किसान आन्दोलन, मेव किसानों का आन्दोलन तथा भरतपुर प्रजा परिषद् व अन्य सगठनों के नेतृत्व में किसान आन्दोलन सम्मिलित है।

लम्बरदार एवं पटेलों के नेतृत्व में स्वस्फूर्त किसान आन्दोलन :

सन् 1931 में नया भूमि बन्दोबस्त लागू किया गया था जिसके अन्तर्गत भू-राजस्व का निर्धारण उत्पादन के एक तिहाई हिस्से के आधार पर किया गया था। भू-राजस्व के अतिरिक्त आबीयाना (सिंचाई) कर, मलबा पटवार हक पटेल इत्यादि लागें भी अस्तित्व में रही। इस बन्दोबस्त के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सड़क इत्यादि के लिए एक नया कर किसानों पर लगाया गया था जो भू-राजस्व की राशि पर 3 प्रतिशत की दर से लेंना तय हुआ था।¹⁷ नए बन्दोबस्त ने किसानों में असन्तोष व अशान्ति उत्पन्न की थी। अधिक विस्तार में जाए बिना यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विश्व व्यापी आर्थिक मन्दी ने भी किसानों की परेशानियों में वृद्धि की थी। लम्बरदार व पटेलों को भू-राजस्व की वसूली में भारी

कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि 1931 में लागू भू-राजस्व व्यवस्था के अन्तर्गत राजस्व इतना अधिक था कि किसान भुगतान करने में असमर्थ थे। लम्बरदार व पटेल जो वास्तव में राज्य सत्ता के ही अंग थे मजबूर होकर वे ही बड़े हुए भू-राजस्व के मुद्दे के विरुद्ध लड़ने के लिए आगे आए। लम्बरदार के एक समूह ने किसानों को करबन्दी अभियान के लिए तैयार करने के ध्येय से अनेक गावों का दौरा किया। इसके माध्यम से वे भू-राजस्व की नई दरों का विरोध जता रहे थे।*

किसानों ने लम्बरदारों के नेतृत्व में नवम्बर, 1931 के आरम्भ में भू-राजस्व में कमी करने के लिए राज्य के समक्ष अनेक प्रार्थना पत्र भेजे। जब राज्य ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो 23 नवम्बर, 1931 को भोजी लम्बरदार के नेतृत्व में लगभग 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए।* राज्य कौन्सिल के (सचिवालय) कार्यालय के समक्ष किसानों की एक सभा हुई जिसे भोजी लम्बरदार ने सम्बोधित किया तथा उसने किसानों से ना तो नई दरों पर न ही पुरानी दरों पर भू-राजस्व भुगतान न करने के लिए कहा। उसने किसानों को मुकदमा लड़ने के लिए धन एकत्रित करने के लिए भी कहा। इस भड़काऊ सम्बोधन ने भरतपुर राज्य को भोजी लम्बरदार की गिरफ्तारी के लिए मजबूर कर दिया था। उसे 24 नवम्बर, 1931 को गिरफ्तार किया गया तथा उसे 9 माह की कैद व 25 रुपए के दण्ड की सजा मिली।*

भोजी लम्बरदार की सजा के बाद किसानों का यह स्वरफूर्त आन्दोलन समाप्त हो गया था, किन्तु यह आन्दोलन लम्बे समय तक नए बन्दोबस्त को लागू न होने देने में सफल रहा। यह आन्दोलन लम्बे समय इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि यह आन्दोलन उन लोगों के हाथ में था जो स्वयं किसान नहीं थे। लम्बरदारों के प्रति राज्य द्वारा अपनाई गई उदार नीति ने भी इस आन्दोलन को कमजोर कर दिया था।

मेव किसानों का आन्दोलन :

अलवर के मेव विद्रोह के प्रभाव में भरतपुर राज्य के मेव भी राज्य के साथ सीधे संपर्क में उतरे। अलवर के समीप भरतपुर की नगर एव पहाड़ी तहसीलों में मेव प्रमुख जाति थी। इनके अलवर के मेवों के साथ पारिवारिक, वशानुगत एव सामाजिक सम्बन्ध बंधुत्व था। जब अलवर के मेवों ने विद्रोह कर दिया था तो उन्हें भरतपुर के मेवों की ओर से सभी तरह की सहायता व समर्थन प्राप्त हुआ। मार्च एव अप्रैल, 1933 में अलवर राज्य ने मेवों को अनेक उदार छूटें स्वीकृत कीं। जब अलवर राज्य ने मेवों को अनेक रियायतें दे दी थी तो भरतपुर के मेवों ने समान छूटों की इच्छा जाहिर की।

भरतपुर राज्य के अधिकारी अलवर मेवों के विद्रोह के समय काफी सातर्क थे। भरतपुर कौन्सिल के अध्यक्ष नगर एव पहाड़ी के मेव लम्बरदारों को उस विद्रोह से अपने आपको अलग रखने की चेतावनी दी थी। अध्यक्ष की चेतावनी उन्हें अलवर के मेवों के मामलों में शामिल होने से नहीं रोक पाई। 7 जनवरी, 1933 को गोविन्दगढ़

मे गोली चलने से नगर व पहाड़ी के मेव अत्यधिक अशान्त हो गए थे क्योंकि वे इस घटना से काफी प्रभावित हुए थे। जब मार्च 1935 मे रबी फसल के राजस्व के माँग पत्र गावों मे बाटे जा रहे थे तो सेमलाफला (नगर तहसील) एव लाड़मका व पापड़ा (पहाड़ी तहसील) के मेव लम्बरदारों ने ये माँग-पत्र स्वीकार नहीं किए। इन्हें स्वीकार इस आधार पर नहीं किया कि यह उनकी भुगतान क्षमता के बाहर था।¹⁸

उपरोक्त गावों के लम्बरदारों ने अन्य गावों मे पचायते आयोजित की जिनमे यह तय किया गया था कि अन्य मेव गावों को भी भू-राजस्व अदा करने के लिए इस आधार पर मना किया जाए कि यदि वे भुगतान करेंगे तो उन्हें जाति बाहर कर दिया जाएगा। इस सबके परिणामस्वरूप नगर एव पहाड़ी के अधिकांश गावों मे भू-राजस्व अदायगी से आम मनाही हो गई थी। मेवों ने तो कर बन्दी अभियान इच्छा से स्वीकार किया था, किन्तु अन्य जाति के किरानों को मेवों ने राजस्व अदा करने से बलपूर्वक रोका। जब सभी मेव लम्बरदार करबन्दी के पक्ष में थे, इसलिए भू-राजस्व वसूल करना सम्भव ही नहीं था। वास्तव में गैर मेव किसान इस मीके की ताक में थे कि मेव आन्दोलन की आड़ में वे भी भू-राजस्व अदा करने से बचे रहें। उनको यह भी आभास था यदि इन गावों को कोई छूट दी जाएगी तो वह उनको भी मिलेगी एव इसी ने करबन्दी अभियान को एक विस्तृत आन्दोलन बना दिया था। नगर तहसील के जीतराहेडी गाव के गूजर लम्बरदारों को मेव लम्बरदारों ने पीटा था क्योंकि गूजर लम्बरदारों ने भू-राजस्व की माँग के आदेश स्वीकार कर लिए थे।¹⁹

पहाड़ी एव नगर तहसील के गावों में भू-राजस्व का सग्रह नहीं हो सका। भू-राजस्व वसूली की अन्तिम तिथि 31 मई 1933 रखी गई थी एव 27 मई तक भू-राजस्व की वसूली की प्रगति निम्नानुसार थी²⁰ -

तहसील	भू-राजस्व (रुपयों में)	वसूली (रुपयों में)	शेष (रुपयों में)
पहाड़ी	94 108	21,075	73 033
नगर	86 957	32 685	54 272
योग	1,81,065	53,760	1 27 305
अन्य सम्पूर्ण			
योग	6 61,434	6 50 218	11 216

उपरोक्त आकड़े दर्शाते हैं कि भरतपुर की अन्य तहसीलों की तुलना में नगर एव पहाड़ी तहसीलों में भू-राजस्व का सग्रह नाममात्र का ही हुआ था। इन दो तहसीलों की धीमी प्रगति देखते हुए राज्य ने सीमा शुल्क व आदियाना कर में छूट घोषित करते हुए राजस्व भुगतान की अन्तिम तिथि 10 जून 1933 कर दी। किन्तु इस

उपाय ने भी स्थिति को नियंत्रण में लाने में कोई सहायता नहीं की। मेवों की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया था। राज्य सरकार ने मेवों को सन्तुष्ट करने के लिए राज्य कौन्सिल में एक मुस्लिम सदस्य को भी सम्मिलित कर लिया था। आगरा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी ने 16 जून, 1933 को भरतपुर राज्य कौन्सिल में पुलिस एव शिक्षा सदस्य के रूप में सेवा आरम्भ की।¹⁰ इसके तुरन्त पश्चात् उसी दिन कौन्सिल की एक बैठक हुई जिसमें मेव स्थिति पर विस्तारपूर्वक विचार किया तथा एक अध्यादेश तैयार किया गया जिसमें यह व्यवस्था रखी गई कि यदि कोई व्यक्ति अगर भू-राजस्व के भुगतान से इन्कार करता है अथवा भू-राजस्व के भुगतान के विरुद्ध प्रचार करता है तो वो कैद का भागीदार होगा।¹¹ इस अध्यादेश का हिन्दी अनुवाद कर अशान्त गावों में बटवाया गया। इस सबके उपरान्त भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।

राज्य के सशस्त्र अब सैनिक कार्यवाही के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय शेष नहीं बचा था। 19 जून, 1933 को सुबह नगर तहसील के सेमलाकला एव इसके पड़ोसी गाव झीतराहेड़ी को सेना की दो कम्पनियों ने घेर लिया।¹² अलवर, भरतपुर एव गुड़गाव की सीमाओं को अलवर के क्षेत्रों में नियुक्त सेना ने सील कर दिया था। जिससे कि अलवर व गुड़गाव के मेव भरतपुर के मेवों की सहायता में न पहुँच सकें। जुलाई, 1933 के अन्त तक सेमलाकला व झीतराहेड़ी गावों से बलपूर्वक राजस्व वसूल कर लिया गया तथा करबन्दी अभियान को सैनिक बल से कुशल दिया गया। तत्पश्चात् कथित सेना पहाड़ी तहसील के लाड़मका व पापड़ा गावों में प्रवेश कर गई तथा दिसम्बर, 1933 के अन्त तक सेना ने सफलतापूर्वक राजस्व वसूल कर लिया। सैनिक कार्यवाही ने सम्पूर्ण क्षेत्र को आतंकित कर दिया था तथा राजस्व अधिकारी सरलता से राजस्व वसूल करने में सफल रहे।

1934 में मि० बिलग्रामी के मातहत मेव सफ्ट की जाँच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेवों को भू-राजस्व तथा अन्य करों में छूट के साथ-साथ मेवों की सामाजिक व धार्मिक समस्याओं का समाधान भी किया गया। 1936 में भू-राजस्व बन्दोबस्त का शरोधन प्रस्तावित था। 'एजेन्ट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना' ने यह सुझाव दिया कि 'मेरी राय में यह सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है कि जब इस प्रश्न की जाँच की जाए तो हाल ही शरोधित अलवर राज्य के भूमि बन्दोबस्त पर विशेष ध्यान दिया जाए कि भरतपुर की राजस्व दरों में अलवर की दरों के साथ कोई उल्लेखनीय असमानता न हो। दोनों ही राज्यों में भारी मेव जनसंख्या है जो जाति एव वंश के आधार पर चढ़ी शमीपता के आपस में जुड़े हुए हैं एव दोनों राज्यों में कृषकों के साथ व्यवहार में व्याप्त उल्लेखनीय अन्तर निश्चित रूप से भरतपुर में राजनीतिक आन्दोलन व कृषिय सफ्ट को जन्म दे सकता है।'¹³

भरतपुर प्रजा परिषद एवं अन्य सगठनों के नेतृत्व में किसान आन्दोलन

सम्पूर्ण भरतपुर राज्य में 1931 एव 1933 के आन्दोलन भू-राजस्व एव अन्य करों में कमी करवाने में सफल रहे। इस प्रकार 1931 के भूमि बन्दोबस्त से उपजे असन्तोष को नियंत्रित कर स्थिति को सामान्य बना लिया गया था। अब ऐसा कोई मुख्य मुद्दा उपलब्ध नहीं था जिसके आधार पर एक किसान आन्दोलन खड़ा किया जा सके। लम्बे समय पश्चात् 1947 में ही एक नया आन्दोलन उत्पन्न हुआ।

जनवरी, 1947 में भरतपुर प्रजा परिषद लाल झंडा किसान सभा एव मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने संयुक्त रूप से बेगार विरोधी आन्दोलन छेड़ा। 4 जनवरी को गवर्नर जनरल बावेल एव बीकानेर का महाराजा सादुलसिंह जलमुर्गा का (बतख) शिकार करने भरतपुर के केवलादेव घना आये। विशेष व्यक्तियों के शिकार खेल में सहायता करने के लिए आसपास के गावों से भारी सख्या में चमार कोली खटीक, भगी आदि बेगार पर लाए गए थे। प्रजापरिषद ने इसका भारी विरोध किया तथा उन्होंने 'बावेल वापस जाओ' के नारे लगाए। 5 जनवरी 1947 को यही विरोध बेगार विरोधी आन्दोलन के रूप में परिवर्तित हो गया था तथा लाल झंडा किसान सभा व मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इस आन्दोलन में सम्मिलित हो गए थे। 5 जनवरी को ही नेताओं ने भरतपुर किले के मुख्य द्वार पर धरना दिया। महाराज के छोटे भाई बच्चू सिंह के नेतृत्व में राज्य सैन्य दल ने धरने पर बैठे नेताओं को पीटा। इस सैन्य कार्यवाही में कोई नहीं मरा, किन्तु राजबहादुर सावलप्रसाद चौबे एव उसकी पत्नि मुशी अली मुहम्मद एव मुकुट बिहारी जैसे नेता बुरी तरह घायल हो गये।¹⁵

6 जनवरी, 1947 को आन्दोलन में सम्मिलित सभी सगठनों ने सम्पूर्ण राज्य में बेगार विरोधी दिवस आयोजित किया। आन्दोलन को बदनाम करने के लिए राज्य समर्थक गुण्डों ने कुम्हेर व उच्चैन कस्बों में लूट-पाट की। इसी दिन भुसावर के रमेश स्वामी को धानेदार ने बस से कुचलवा दिया था। रमेश स्वामी एक सक्रिय प्रजा परिषद के कार्यकर्ता थे। यह आन्दोलन सितम्बर 1947 तक चलता रहा एव इसे प्रजा परिषद ने वापस ले लिया था क्योंकि इस समय तक भरतपुर राज्य के विलय की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी थी। 18 मार्च 1948 को भरतपुर राज्य का मत्स्य यूनियन में विलय हो गया।

साराशत ये कहा जा सकता है कि भरतपुर एव अलवर राज्यों के किसान आन्दोलन काफी विलम्ब से उत्पन्न हुए थे किन्तु काफी शक्तिशाली सिद्ध हुए। दोनों राज्यों के प्रजा मण्डल व प्रजा परिषद ने अपने संघर्ष के निर्णायक दौर में किसान आन्दोलन का नेतृत्व किया था। दोनों ही राज्यों के मेव युगो पुराने अधिकार से बाहर निकले। सभी किसान व जन आन्दोलनों ने दोनों राज्यों में जिम्मेदार सरकार की स्थापना हेतु आन्दोलन को आधार प्रदान किया। इन उग्र आन्दोलनों का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह माना जा सकता है कि राजस्थान में सामन्ती व औपनिवेशिक

दासता से मुक्त होने में अलवर एव भरतपुर राज्य अग्रणी रहे।

संदर्भ

- 1 एसेसमेन्ट रिपोर्ट ऑफ अलवर स्टेट 1899 पृ 41
- 2 बृजकिशोर शर्मा पीजेन्ट मूवमेन्टस् इन राजस्थान पृ 186
- 3 राजस्थान राज्य अभिलेखागार शाखा ~~राजस्थान~~ इण्डियन रिपोर्ट, फाइल नं 315-जे/23
1925
- 4 वही
- 5 वही
- 6 वही दीवान व न्याय मंत्री को 8 मई '1925'का पत्र
- 7 वही
- 8 सुमित सरकार मार्टन इण्डिया
- 9 द रियासत 14 जनवरी 1925
- 10 रामनाथरायण चौधरी बीसवीं सदी का राजस्थान, पृ 85
- 11 सुमित सरकार मार्टन इण्डिया पृ 211
- 12 बृजकिशोर शर्मा पीजेन्ट मूवमेन्टस् इन राजस्थान पृ 174
- 13 दी इस्टर्न टाइम्स 27 अक्टूबर 1932
- 14 वही एव राष्ट्रीय अभिलेखागार फॉरेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेन्ट, फाइल नं 743-पी
(सीक्रेट) 1933
- 15 सुमित सरकार पूर्वोक्त पृ 324
- 16 राजस्थान राज्य अभिलेखागार, अलवर ऑफिशियल रिपोर्ट फाइल नं 1449/एफ-23
1932
- 17 दी अलवर स्टेट गजट 2 मई, 1932.
- 18 वही 16 जून 1932
- 19 राष्ट्रीय अभिलेखागार फॉरेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेन्ट, फाइल नं 743-पी (सीक्रेट)
1933
- 20 दी हिन्दुस्तान टाइम्स, 28 जुलाई 1932
- 21 राष्ट्रीय अभिलेखागार फॉरेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेन्ट फाइल नं 743-पी (सीक्रेट)
1933
- 22 राजस्थान राज्य अभिलेखागार अलवर ऑफिशियल रिपोर्ट फाइल नं 1449/एफ-23
1932
- 23 दी बाम्बे गजेट 15 दिसम्बर 1932
- 24 राष्ट्रीय अभिलेखागार होम पॉलिटिकल डिपार्टमेन्ट, फाइल नं 43/3/33 पॉलिटिकल
पार्ट-1
- 25 वही

- 26 राजस्थान राज्य अभिलेखागार अलवर कॉन्फिडेंशियल रिकार्ड फाइल न० 1449/एफ-23
1933
- 27 राष्ट्रीय अभिलेखागार फॉरेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेन्ट फाइल न० 743-पी(सीक्रेट)
1933
- 28 वही होम पॉलिटिकल डिपार्टमेन्ट फाइल न० 43/3/33 पॉल० पार्ट-1
- 29 वही
- 30 वही
- 31 वही, पार्ट-1। एव सुमित सरकार पूर्वोक्त पृ० 324
- 32 राजस्थान राज्य अभिलेखागार अलवर प्रजामण्डल रिकार्ड फाइल न० 6 1941
- 33 रिपोर्ट आन लैण्ड रेवेन्यू एसेसमेन्ट ऑफ द भरतपुर तहसील 1931 पृ० 35-42
- 34 राजस्थान राज्य अभिलेखागार भरतपुर कॉन्फिडेंशियल रिकार्ड फाइल न० 63-ए बस्ता न०
5 1931
- 35 वही
- 36 वही फाइल न० 21 बस्ता न० 5 1932
- 37 राष्ट्रीय अभिलेखागार, फॉरेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेन्ट फाइल न० 285-पी (सीक्रेट)
1933
- 38 वही
- 39 वही
- 40 वही
- 41 भरतपुर राज पत्र (गजट) 17 जून 1933
- 42 राष्ट्रीय अभिलेखागार फॉरेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेन्ट फाइल न० 285-पी (सीक्रेट)
1933
- 43 वही फाइल न० 593 1935
- 44 युगल किशोर चतुर्वेदी राष्ट्रीय आन्दोलन में मत्स्य क्षेत्र की भूमिका और उसका योगदान
1986
- 45 वही

निष्कर्ष

राजस्थान में अंग्रेजी सर्वोच्चता की स्थापना ने अनेक ऐतिहासिक परिवर्तनों की प्रक्रिया आरम्भ की। सर्वप्रथम यहाँ की राजनीतिक परम्परा में परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। राजस्थान के शासकों को मुगल अधीनता के अन्तर्गत जहाँ कुछ सीमा तक स्वायत्तता प्राप्त थी वहीं अंग्रेजों के साथ समझौतों व सन्धियों के माध्यम से वे पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गए थे। शासक व जागीरदार जनता के प्रति अपने कर्तव्यों को विस्मृत कर अंग्रेज स्वामियों के प्रति जिम्मेदार हो गए थे। परम्परागत राजनीतिक व्यवस्था व प्रशासनिक संस्थाएँ समाप्त हो गई थी। अंग्रेजों के प्रभाव में जो नई प्रशासनिक संस्थाएँ विकसित हुईं वे अंग्रेजों के साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति करने वाली ही सिद्ध हुईं। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद अविकसित अर्थव्यवस्था पर फलता-फूलता है। भारत में अंग्रेजी राज्य सामान्तवाद के ऊपर फल-फूल रहा था। जहाँ एक ओर अंग्रेजों ने भारत के परम्परागत सामन्ती ढाँचे को तोड़ा वहीं दूसरी ओर सामन्तवाद को बदले हुए रूप में सुरक्षित रखने की कोशिश भी की, किन्तु राजस्थान में मध्यकालीन सामन्ती व्यवस्था को भीड़े रूप में बनाए रखा। अर्थात् भारतीय सामन्तवाद का विकृत रूप यहाँ दिखाई देता है। बदलते परिवेश में राजस्थान के शासकों व जागीरदारों का ध्येय अंग्रेजों की खुशामद करना मात्र रह गया था क्योंकि वे जानते थे कि उनका अस्तित्व स्वयं के भुजबल से न होकर अंग्रेजों की कृपा से कायम है। वे प्रजा के प्रति राजा के कर्तव्य को भुला बैठे थे। वे औपनिवेशिक स्वामियों के प्रति अपने दायित्व के निर्वाह व अपनी फिजूलखर्ची के लिए अपनी प्रजा को लूटने लगे थे। भू-राजस्व इनकी आय का मुख्य साधन रह गया था। इसलिए किसान आर्थिक शोषण का प्रथम शिकार हुए। सन् 1818 में सामन्ती व औपनिवेशिक शक्तियों के मध्य मैत्री से उपजी व्यवस्था को अर्धसामन्ती व अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्था के नाम से परिभाषित किया जा सकता है।

राजस्थान में ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना के साथ नई व्यवस्था का विरोध व प्रतिरोध आदिवासी एवं किसानों ने किया। सर्वप्रथम विदेशी सत्ता के साथ सघर्ष मेर आदिवासियों को करना पड़ा क्योंकि अजमेर का प्रदेश अंग्रेजों को मराठों से प्राप्त हुआ था तथा यह सीधे अंग्रेजी नियन्त्रण में आया। सन् 1821 तक अंग्रेज मराठों का दमन करने में सफल रहे, किन्तु नई व्यवस्था के विरुद्ध भीलों के विद्रोह 1818 से आरम्भ होकर 19वीं सदी के अन्त तक अनवरत रूप से चलते रहे। 19वीं सदी के

उत्तरार्द्ध के प्रारम्भिक वर्षों में खेराड़ के मीणा आदिवासियों ने सामन्ती व औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह किए जिन्हे बलपूर्वक दबा दिया गया था। इन आदिवासी समूहों पर कठोर राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने के ध्येय से इनके क्षेत्रों में इन्हीं समुदाय के सैन्य बल सगठित किए। सर्वप्रथम मेरवाड़ा बटालियन नामक मेरों की एक सेना तैयार की गई जिसका मुख्यालय ब्यावर में रखा गया। इसके पश्चात् 1840 में मेवाड़ भील कॉर्पस की स्थापना की गई। खेराड़ क्षेत्र के भीलों पर नियंत्रण रखने के लिए 1855 में देवली में सैनिक छावनी स्थापित कर मीणा बटालियन का गठन किया।

19वीं सदी में सबसे अधिक शक्तिशाली आदिवासी विद्रोह में भील विद्रोह प्रमुख रहे। इस काल में मेवाड़ के भीलों की भूमिका सबसे अग्रणी दिखाई देती है। 20वीं सदी के आरम्भ में डूंगरपुर व बासवाड़ा राज्य के भीलों में साधु गोविन्द गिरि ने समाज सुधार आन्दोलन आरम्भ किया जिसने शक्तिशाली विद्रोह का रूप धारण कर लिया था। गोविन्द गिरि के नेतृत्व में भील विद्रोह को अंग्रेजों ने सैन्य बल से कुचल दिया था। कहने के लिए तो यह विद्रोह असफल रहा किन्तु इसके प्रभावों का विश्लेषण करें तो पाते हैं कि इस विद्रोह ने भीलों के उत्थान में निर्णायक भूमिका निभाई। भील युगों पुराने अधिकार से बाहर निकले। इतना ही नहीं बल्कि कुछ सीमा तक भील अपने परम्परागत जंगल अधिकारों को प्राप्त कर सके। यह विद्रोह दलित वर्गों की प्रेरणा का प्रमुख स्रोत बन गया था। यह विद्रोह राजस्थान में किसान आन्दोलन व स्वतन्त्रता सघर्ष का आधार बना।

राजस्थान के किसान आन्दोलन के इतिहास में बिजौलिया आन्दोलन को प्रथम सगठित आन्दोलन माना जाता है। बिजौलिया का किसान आन्दोलन सामाजिक उत्थान के प्रयासों से उत्पन्न हुआ एवं इसके प्रारम्भिक चरण में जाति पंचायत ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिजौलिया के धाकड़ किसान समाज सुधार के प्रयासों के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उनके पिछड़ेपन का प्रमुख कारण प्रचलित सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था थी जो सामन्ती सरचना का ही एक रूप अथवा अंग थी। उन्हें जागीरदार ने उनके पूर्ण भूमि अधिकारों से वंचित किया हुआ था। भू-राजस्व तथा लाग-बागो का भार बहुत अधिक था। किसानों के शोषण की प्रगाढ़ता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि किसानों को उनके कुल उत्पादन के 87 प्रतिशत भाग से वंचित कर दिया जाता था। आर्थिक भार के अतिरिक्त किसान वेगार देने पर भी मजबूर थे। भारी सामन्ती शोषण के अन्तर्गत किसान कष्टमय जीवन बिता रहा था।

बिजौलिया किसान आन्दोलन का इतिहास किसानों की एक लम्बी सघर्ष गाथा है। इस आन्दोलन को मुख्यतः तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है - प्रथम चरण (1897-1915) दूसरा चरण (1916-1922) तीसरा चरण (1923-1941)। प्रथम चरण में यह एक स्वस्फूर्त आन्दोलन था जबकि दूसरे चरण में इसने सगठित

रूप धारण करते हुए सफलता के युग में प्रवेश किया। प्रथम चरण में आन्दोलन का संचालन मुख्यतः जाति पधायत कर रही थी वही दूसरे चरण में किसान पधायत नामक शक्तिशाली संगठन अस्तित्व में आ गया था। इस आन्दोलन के दूसरे चरण में विजय सिंह पधिक और माणिकलाल वर्मा जैसे कर्मठ नेताओं ने इसका संचालन किया। इन नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया, किन्तु कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया। यह आन्दोलन इतना शक्तिशाली था कि मजबूर होकर 1922 में ठिकाने ने किसानों के साथ समझौता कर लिया। यह समझौता किसान आन्दोलन को समाप्त नहीं कर पाया क्योंकि ठिकानेदार की कहनी और करनी में भारी अन्तर आ गया था। इस आन्दोलन को 1927 तक सैन्य बल के द्वारा कुचल दिए जाने पर किसानों ने निष्क्रिय विरोध का रास्ता अपनाया और अपनी ज़ोंतों से त्याग पत्र दे दिया। किसानों की मान्यता थी कि उनके द्वारा भूमि का समर्पण ठिकाने के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा। ठिकाने ने त्याग पत्र में दी गई भूमि सस्ती दरों पर अन्य किसानों को आवंटित करने का प्रयास किया, किन्तु कोई सफलता नहीं मिली। 1930 के अन्त तक भारी प्रयासों के बाद ठिकाना किसानों द्वारा छोड़ी गई भूमि में से लगभग 8000 बीघा भूमि आवंटित करने में सफल रहा। यह भूमि किसानों के न लेने पर महाजनों को आवंटित कर दी गई थी जो मुख्य रूप से सूदखोरी के व्यवसाय में सलग्न थे।

बिजौलिया के किसान आन्दोलन का सकारात्मक प्रभाव सम्पूर्ण राजस्थान पर दिखाई देता है, किन्तु 1930 के पश्चात् यह आन्दोलन इसके नेताओं में मतभेद उत्पन्न होने के कारण कमजोर पड़ गया था। 1930 के पश्चात् आन्दोलन का मुख्य ध्येय किसानों द्वारा त्यागी गई भूमि को पुनः प्राप्त करना ही रह गया था। यह आन्दोलन अपनी अन्तिम मजिल तक तो पहुँच नहीं पाया, किन्तु इसने राजस्थान के किसानों में सामन्त विरोधी चेतना उत्पन्न करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

1920-22 के दौरान मेवाड़ में बिजौलिया के प्रभाव में किसान एवं जन आन्दोलनों की, लगता है बाद ही आ गई थी। बिजौलिया, देगू, पारसीली, बसी व मेवाड़ के खालसा क्षेत्र के किसान आन्दोलनों के प्रभाव में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में मेवाड़ के भील उठ खड़े हुए थे। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील आन्दोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा छोड़े गए असहयोग आन्दोलन से भी प्रभावित था। तेजावत ने भीलों में एकी आन्दोलन आरम्भ किया था जिसके प्रभाव में मेवाड़ में भील आन्दोलन काफी आगे बढ़ा। मेवाड़ के बाद मोतीलाल तेजावत सिरौही राज्य में प्रवेश कर गए तथा वहाँ के मिरासिया आदिवासियों का मेवाड़ के भीलों के समान आन्दोलन खड़ा किया। सिरौही में सेना द्वारा गोतिया बरसा कर इस आन्दोलन को दबा दिया गया था। इस सबके उपरान्त भी उदयपुर व सिरौही के आदिवासी 1921 से 1929 के मध्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में अशान्त बने रहे। तेजावत ने गाँधीजी व राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की, किन्तु असफलता ही हाथ

लगी। यद्यपि यह आन्दोलन राष्ट्रीय आन्दोलन में समाहित नहीं हो पाया फिर भी इसने राष्ट्रीय उद्देश्य को शक्ति प्रदान की।

1920 के पश्चात् राजस्थान सेवा सघ ने राजस्थान के किसान आदिवासी एवं अन्य जन आन्दोलनों में रचनात्मक भूमिका निभाई। बिजौलिया व मेवाड़ तो इसकी प्रारम्भिक गतिविधियों का क्षेत्र था ही, साथ ही दूँदी, जोधपुर, जयपुर, अलवर आदि राज्यों के किसान आन्दोलनों में इसकी भूमिका निर्णायक रही जिसका मूल्यांकन करने पर हम पाते हैं कि राजस्थान के जन जागरण में इसकी प्रभावी भूमिका रही।

जोधपुर (मारवाड़) का किसान आन्दोलन अन्य आन्दोलनों की तुलना में कुछ पृथक तरीके से आरम्भ हुआ। अधिकांश राज्यों के किसान आन्दोलन स्वस्फूर्त अथवा किसानों द्वारा स्वयं आरम्भ किए हुए थे, किन्तु जोधपुर राज्य में शहरी व शिक्षित आधुनिक मध्यमवर्गीय तत्वों ने किसान आन्दोलन संगठित किया। 1920 में आरम्भ होकर 1922 तक मारवाड़ सेवा सघ सक्रिय रहा। तत्पश्चात् 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा के नाम से नया संगठन अस्तित्व में आया। यह संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय रहकर अपने सामाजिक आधार को विस्तृत करने में सफल रहा। इस सभा की बढ़ती हुई लोकप्रियता ने राज्य के कर्त्ताघर्ताओं को चौंका दिया था। इसलिए 1924 में राज्य के समर्थन से इसके विरोध में राजभक्त देश हितकारिणी सभा नामक संगठन अस्तित्व में आया। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने 1925-31 के दौरान किसान आन्दोलन चलाया किन्तु विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसने मुख्य रूप से भूमि अधिकार, भारी भू-राजस्य लागू-बाग एवं बेगार इत्यादि मुद्दे उठाए। इन मुद्दों ने किसानों को आन्दोलित किया तथा उनमें सामन्त विरोधी चेतना उत्पन्न करने में सफल रहा। 1938 में स्थापित मारवाड़ लोक परिषद् के नेतृत्व में सशक्त किसान आन्दोलन उत्पन्न हुए। इन किसान आन्दोलनों को सरकार व इसके समर्थक संगठन 'जागीरदारस एसोसिएशन' के आक्रमणों का मुकाबला करना पड़ा। 1941 में राज्य के समर्थन से 'मारवाड़ किसान सभा' नामक संगठन स्थापित हुआ। इस संगठन का उद्देश्य मारवाड़ लोक परिषद् के राजनीतिक व सामाजिक प्रभाव को कम करना था। किसान सभा ने अपने अभियानों के तहत किसानों को मारवाड़ लोक परिषद् का समर्थन न करने के लिए कहा, किन्तु इस समय तक लोक परिषद् एक वास्तविक जन संगठन के रूप में मजबूती से स्थापित हो चुकी थी तथा इसकी लोकप्रियता दिनों-दिन बढ़ती जा रही थी। एक स्थिति यह उत्पन्न हो गई थी कि मजबूर होकर किसान सभा को लोक परिषद् के साथ सहयोग करना पड़ा तथा 1946-48 के मध्य दोनों संगठनों ने संयुक्त आन्दोलन चलाए। 1948 में दोनों ही संगठनों ने लोकप्रिय अन्तरिम सरकार बनाई एवं मारवाड़ टेनेन्सी एक्ट पारित कर किसानों को तत्काल राहत पहुँचाने का कार्य किया।

जयपुर राज्य के शेखावाटी क्षेत्र में 1921 से आरम्भ होकर 1947 तक किसान आन्दोलनों का बोलबाला रहा। यह जयपुर राज्य का एक ऐसा भू-भाग था जिसमें

सम्पूर्ण भूमि जागीरदारों के नियन्त्रण में थी। यहाँ किसानों का घोर सामन्ती शोषण प्रचलित था। किसानों पर भू-राजस्व लागू-बाग, बेगार सीमा शुल्क आदि का असहनीय आर्थिक भार लदा हुआ था। शेखावाटी में जन आन्दोलन का आरम्भ 1921 में चिडावा सेवक समिति के आन्दोलन से हुआ। शेखावाटी के किसान आन्दोलन को तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम चरण (1922-30), द्वितीय चरण (1931-38) एव तृतीय चरण (1939-47) में बाँटा जा सकता है। प्रथम चरण में इसकी शुरुआत सीकर ठिकाने से हुई थी। 1925 का वर्ष शेखावाटी किसान आन्दोलन का एक महत्वपूर्ण वर्ष था क्योंकि इस वर्ष रामनारायण चौधरी के प्रयासों से सीकर के किसानों के मसले पर ब्रिटिश सरकार ने बहस हुई। इसी वर्ष पुष्कर में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में भी यहाँ के किसानों का मसला उठा। सन् 1926 में शेखावाटी के अन्य ठिकानों में भी आन्दोलन आरम्भ हो गए थे। इसके प्रथम चरण में किसान आन्दोलन स्वस्फूर्त व असंगठित से ही थे, किन्तु दूसरे चरण में शेखावाटी में संगठित किसान आन्दोलनों का जन्म हुआ। इस दिशा में 1932 में झुन्झुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन व 1934 में सीकर में आयोजित जाट महायज्ञ उल्लेखनीय हैं जिनने यहाँ के आन्दोलनों को संगठित स्वरूप प्रदान किया। 1934 से 36 तक शेखावाटी के किसान आन्दोलन अपने चरमोत्कर्ष पर थे। किसानों के बढ़ते हुए आन्दोलन ने यहाँ के जागीरदारों को चिंतित कर दिया था। इस दौरान किसान अनेक सुविधाएँ प्राप्त करने में सफल रहे। इस समय किसानों को जागीरदारों के खुले हमलों का मुकाबला करना पड़ा। शेखावाटी के आन्दोलनों ने स्वतंत्रता आन्दोलन का आधार प्रस्तुत किया। 1938 में जब जयपुर राज्य प्रजा मण्डल की स्थापना हुई तो उसे शेखावाटी में अच्छा समर्थन प्राप्त हुआ था। 1938 से 1947 के बीच शेखावाटी का किसान आन्दोलन अपने निर्णायक दौर में पहुँच गया था। इस अवधि में प्रजामण्डल व शेखावाटी के किसान आन्दोलन में एकता स्थापित हो गई थी। दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए थे तथा दोनों ने समुक्त रूप से सघर्ष कर सामन्ती व उपनिवेशवादी सत्ता के विरुद्ध माझील उत्पन्न कर अपने ध्येय में सफलता प्राप्त की।

विजौलिया किसान आन्दोलन के प्रभाव में बूँदी के बरड़ क्षेत्र में 1922-25 के मध्य शक्तिशाली किसान आन्दोलन उत्पन्न हुआ। प्रारम्भ में राजस्थान सेवा सघ ने इस आन्दोलन को दिशा निर्देश दिया था। हालाँकि ये विजौलिया किसान सघावत की पद्धति पर यहाँ भी किसान पचायतों का गठन किया गया था। बरड़ का आन्दोलन खैराड़ की ओर बढ़ने लगा था। यहाँ का आन्दोलन एक प्रकार का असहयोग आन्दोलन था जिसके अन्तर्गत किसानों ने प्रशासन के साथ असहयोग की नीति अपनाते हुए करबन्दी आन्दोलन घलाए। इस आन्दोलन की चरम परिधि 2 अप्रैल 1923 को डाबी में आयोजित एक सभा में हुई जहाँ उत्तेजित व व्यथित होकर बूँदी राज्य पुलिस ने निहत्थे किसानों पर गोलिया बरसाईं। इसमें नानक नामक भील मारा गया जो न केवल बूँदी बल्कि सम्पूर्ण राजस्थान के स्वतन्त्रता संग्राम का प्रतीक बन

गया था। इस घटना के पश्चात् इस आन्दोलन के नेता नयनूराम शर्मा को चार वर्ष की सजा हो गई तथा 1926 के बाद यह आन्दोलन समाप्त हो गया। यह आन्दोलन आगे पुन 1945 में प्रारम्भ होता है जो अधिक समय तक नहीं चला। बूँदी राज्य में 1936 से 1945 के बीच गूजर किसानों का आन्दोलन चला जो अपने मूल उद्देश्य के कारण सीमित व संकुचित ही रहा तथा इसका मुख्य राष्ट्रीय धारा के साथ जुड़ाव नहीं हो सका। फिर भी बूँदी के किसान आन्दोलनों को संयुक्त रूप में देखे तो पाते हैं कि बरड़ के किसानों ने 1922 से 1945 तक 23 वर्षों के अनवरत संघर्ष के माध्यम से सामन्ती व औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया।

बीकानेर राज्य में किसान आन्दोलन कुछ विलम्ब से आरम्भ हुए। यहाँ के जागीर क्षेत्रों में 1938-42 के दौरान शक्तिशाली किसान आन्दोलनों का उदय हुआ। 1944-46 का दूधवाखारा किसान आन्दोलन विशेष महत्त्व रखता है। इसी के साथ बीकानेर प्रजा परिषद् ने किसान आन्दोलनों का समर्थन करना आरम्भ कर दिया। 1945 से 1948 की अवधि में किसान आन्दोलनों व प्रजा परिषद् के बीच एकरूपता स्थापित हो गई थी। असल में किसान ही प्रजा परिषद् के कार्यक्रमों के वाहक व संचालक बन गए थे। संघर्ष के दौरान बीकानेर के किसान यह बात भली-भाँति समझ गए थे कि राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना के बगैर सामन्ती शोषण का अन्त सम्भव नहीं है। बीकानेर के किसान आन्दोलन 1938 से 1948 तक अर्थात् एक दशाब्दी की अवधि के किसान संघर्षों ने यहाँ आजादी की लड़ाई को निर्णायक दौर में पहुँचा दिया था। प्रजा परिषद् व किसान आन्दोलनों के मध्य ऐसा सामन्तस्य व समरूपता स्थापित हो गई कि उनके बीच भेद करना सम्भव ही नहीं था।

राजस्थान के किसान आन्दोलन के इतिहास में अलवर एव भरतपुर राज्यों के किसान आन्दोलन विशेष महत्त्व रखते हैं। 1925 के अलवर के नीमूचाणा किसान आन्दोलन ने सम्पूर्ण उत्तरी भारत का ध्यान आकर्षित किया था। नीमूचाणा का किसान आन्दोलन भू-राजस्व में वृद्धि के विरुद्ध खड़ा हुआ था जिसे अलवर सरकार ने सैनिक बल से कुचल दिया। इसके पश्चात् लम्बे समय तक शान्ति बनी रही। 1932-33 में अलवर राज्य के मेव किसानों का विद्रोह महत्त्वपूर्ण घटना थी। यह आन्दोलन आरम्भ में आर्थिक आधारों पर खड़ा हुआ था किन्तु कालान्तर में इसने साम्प्रदायिक स्वरूप प्राप्त कर लिया था। इस आन्दोलन की आड़ में अग्नेजों ने अलवर के महाराजा जयसिंह को अलवर से निष्कासित कर दिया था तथा मेव विद्रोह को सैनिक बल से कुचल दिया। मेव आन्दोलन को कुचलने के बाद उन्हें उनकी माँगों के सन्दर्भ में अनेक राहतें प्रदान की गईं। 1938-47 के मध्य अलवर प्रजामण्डल ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपना आधार बनाने के ध्येय से कुछ किसान आन्दोलन आरम्भ किए। इस आन्दोलन ने जागीर क्षेत्रों के किसानों की समस्याओं को उजागर किया तथा अपने राजनीतिक ध्येय की प्राप्ति के संघर्ष में किसानों को शामिल करने में सफल रहा।

राज्य किसान आन्दोलन 1931 में भू-राजस्व के विरुद्ध

खड़ा हुआ था। यह आन्दोलन बड़ा ही रोचक था जिसका नेतृत्व पटेल एवं लम्बरदारों ने किया था। पटेल एवं लम्बरदार जो स्वयं राज्य के राजस्व प्रशासकों की प्रमुख कड़ी थे, उन्होंने ही किसानों को भू-राजस्व अर्थात् भू-करों के विरुद्ध उकसाया। यह आन्दोलन आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि राज्य ने विरोधियों की प्रति सन्तुष्टिकरण की नीति अपनाई। अलवर के मेव विद्रोह के अभाव में 1932 में भरतपुर के मेवों ने भी आन्दोलन चलाया। यह भी अलवर की तरह एक कृषिय आन्दोलन था एवं इसने भी साम्प्रदायिक स्वरूप प्राप्त कर लिया था। मेवों को शान्त रखने के उद्देश्य से भरतपुर राज्य ने राज्य कौन्सिल में एक मुसलमान सदस्य को भी नियुक्त किया। स्थिति में सुधार न होता हुआ देख जून 1933 में सैनिक अभियानों के माध्यम से मेव आन्दोलन को कुचल दिया गया। इसके पश्चात् मेवों की रथाई शान्ति प्राप्त करने के ध्येय से एक जाँच समिति 1934 में राज्य कौन्सिल के सदस्य अजीजुद्दीन बिलग्रामी के मातहत नियुक्त की। इसकी अनुशंसाओं के आधार पर मेवों की अनेक शिकायतें दूर कर दी गई थी। जनवरी, 1947 से सितम्बर 1947 तक भरतपुर प्रजा परिषद् ने किसान आन्दोलन का संचालन किया जो उसकी राजनीतिक गतिविधि का प्रमुख अंग था।

राजस्थान के किसान एवं आदिवासी आन्दोलन 1920 के पश्चात् प्रभावी रूप से आरम्भ हुए। यहाँ 1922-30 के मध्य तथा 1931-42 के मध्य किसान व आदिवासी आन्दोलन अपने उत्कर्ष की घरम सीमा पर थे। यह वह काल था जब ब्रिटिश भारत में किसी भी प्रकार के जन आन्दोलन नहीं चल रहे थे। 1920 से 1942 के दौरान राजस्थान सामन्ती व औपनिवेशिक विरोधी आन्दोलनों का केन्द्र रहा। ये आन्दोलन सीधे तौर पर राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े हुए नहीं थे, किन्तु उनसे प्रभावित व प्रेरित अवश्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इन आन्दोलनों को समर्थन नहीं दिया। 1938 में कांग्रेस की नीति में एक परिवर्तन आया जो उसकी राजनीतिक मजबूरी थी। देशी रियासतों के जन आन्दोलन जिनमें प्रमुखतः किसान आन्दोलन ही थे, इतने परिपक्व होकर आगे बढ़ गए थे कि कांग्रेस ने इनको नियन्त्रित करने के ध्येय से अपना लिया। कांग्रेस ने सीधे तौर पर किसान आन्दोलनों का समर्थन नहीं किया बल्कि रियासतों के राजनीतिक शायकताओं को अपने राज्य में प्रजागण्डल संगठन बनाकर उत्तरदाई शासन की स्थापना हेतु राधर्ष की सलाह दी थी। इससे किसान आन्दोलन तो कमजोर हुए थे, किन्तु राजस्थान की देशी रियासतों प्रजा गण्डलों के माध्यम से मुख्य राष्ट्रीय धारा के साथ जुड़ गईं। अतः सारांशतः यह कहा जा सकता है कि राजस्थान में किसान आन्दोलन प्रारम्भ में स्वस्फूर्त थे जो कालान्तर में अत्यधिक संगठित रूप में विकसित हो गए थे। इन्होंने राजस्थान में स्वतंत्रता राधर्ष का मार्ग प्रसारित करते हुए सदियों पुराने सामन्तवाद को खुली चुनौती दी।